बी एण्ड आर
B AND R
Building Nation Since 1920

# वार्षिक रिपोर्ट
# ANNUAL REPORT
# 2024-2025

## ब्रिज एण्ड रूफ कम्पनी (इंडिया) लिमिटेड
## BRIDGE AND ROOF COMPANY (INDIA) LIMITED

(भारत सरकार का एक उद्यम / A Government of India Enterprise)

बी एण्ड आर

B AND R

*Building Nation Since 1920*

# राष्ट्र निर्माण में उत्कृष्टता के 106 वर्ष

# विषय सूची

**अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक का संदेश**


**कॉर्पोरेट अवलोकन**

कॉर्पोरेट जानकारी 9
निदेशक मंडल 11
प्रमुख अधिकारीगण 12
विजन एवं मिशन 13
सतत व्यावसायिक प्रथाएँ 14
वर्ष दर वर्ष 16
सौ वर्षों की गौरवशाली यात्रा 18
अवधारणा से लेकर कमीशनिंग तक 19
संचालन के क्षेत्र 20
हमारे हितधारक 22
मुख्य ग्राहक 23
वर्ष की एक झलक 24
नई ऊँचाईयों की ओर 25
परियोजना हाइलाइट्स 26
प्रमुख चल रही परियोजनाएँ 28
कार्यक्रम हाइलाइट्स 30

**वैधानिक रिपोर्ट**

निदेशक मंडल की रिपोर्ट 34
सचिवीय लेखा परीक्षा रिपोर्ट 81
कार्पोरेट गवर्नेंस रिपोर्ट 88
सीईओ/सीएफओ प्रमाणन 94
प्रबंधन चर्चा एवं विश्लेषण 94
सी एंड एजी की टिप्पणियाँ 95

**वित्तीय विवरण**

स्वतंत्र लेखा परीक्षक की रिपोर्ट 98
तुलन पत्र 111
लाभ और हानि का विवरण 113
इक्विटी में परिवर्तन का विवरण 115
नकदी प्रवाह विवरण 116
वित्तीय विवरणों हेतु नोट 118
दस वर्षों का सारांश 152

# अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक का संदेश

**श्री राजेश कुमार सिंह**
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

प्रिय सम्मानित शेयरधारकों

नमस्ते

वित्तीय वर्ष 2024-25 की समीक्षा करते हुए, मुझे यह साझा करते हुए अत्यंत हर्ष हो रहा है कि ब्रिज एण्ड रूफ कम्पनी (इंडिया) लिमिटेड ने एक बार फिर गतिशील और चुनौतीपूर्ण व्यावसायिक परिदृश्य के बीच भी, लचीलेपन, नवाचार और सतत विकास की अपनी विरासत का प्रदर्शन किया है। हमारे विविधिकृत पोर्टफोलियो ने हमें उद्योग में उतार-चढ़ाव और आर्थिक अनिश्चितताओं से सफलतापूर्वक निपटने में मदद की है, साथ ही हम अपने हितधारकों को मूल्य प्रदान करने और अपने कर्मचारियों को इंजीनियरिंग उत्कृष्टता को आगे बढ़ाने के लिए सशक्त बनाने के लिए प्रतिबद्ध हैं। आपके निरंतर विश्वास और समर्थन से, हमने अपनी प्रगति को और सुदृढ़ किया है। मुझे यह वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत करते हुए बहुत गर्व हो रहा है, जो हमारी उपलब्धियों पर प्रकाश डालती है और भविष्य के लिए हमारे रणनीतिक दृष्टिकोण को प्रस्तुत करती है।

> **वर्तमान वर्ष हमारी कंपनी के लिए असाधारण रहा है, जिसमें महत्वपूर्ण उपलब्धियां, रणनीतिक नीतिगत निर्णय और प्रभावशाली सुधार शामिल हैं, जिन्होंने हमें उद्योग में अधिक मजबूती और नेतृत्व की ओर अग्रसर किया है।**

## वित्तीय प्रदर्शन

वर्ष के दौरान, कंपनी ने उल्लेखनीय उपलब्धियाँ हासिल कीं जो उत्कृष्टता के प्रति उसकी प्रतिबद्धता की पुष्टि करती हैं। राजस्व में 13% की वृद्धि दर्ज की गई, साथ ही पिछले वर्ष की तुलना में लाभप्रदता में भी उल्लेखनीय सुधार हुआ। यह प्रदर्शन नए अनुबंध प्राप्त करने की हमारी क्षमता और निर्धारित समय-सीमा और स्वीकृत बजट के भीतर परियोजनाओं को क्रियान्वित करने पर हमारे अटूट ध्यान को दर्शाता है।

## अब तक का सर्वोच्च 2024-25

**₹ 4,532.03 करोड़**
कारोबार

**₹ 140.45 करोड़**
लाभप्रदता (पीबीटी)

> **हमारे कर्मचारी हमारी सबसे बड़ी ताकत हैं और उत्कृष्टता के प्रति उनकी अटूट प्रतिबद्धता हमारी सफलता की आधारशिला है।**

ब्रिज एण्ड रूफ में, हमें एक विविध, तकनीकी रूप से सक्षम और पेशेवर रूप से योग्य कार्यबल पर गर्व है जो तेजी से विकसित हो रही निर्माण प्रौद्योगिकियों और परियोजना प्रबंधन प्रथाओं के साथ विकसित होता रहता है।

हमारे कर्मचारियों के समर्पण और अथक प्रयासों ने कंपनी की सफलता में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जिससे प्रति कर्मचारी राजस्व ₹4.90 करोड़ के रिकॉर्ड उच्च स्तर पर पहुंच गया।

सझम वित्त प्रबंधन के माध्यम से कम्पनी ने बैंक उधार पर ब्याज व्यय को उल्लेखनीय रूप से कम करने में सफलता प्राप्त की। कर-पूर्व लाभ ₹140.45 करोड़ रहा, जो परिचालन उत्कृष्टता और वित्तीय विवेक पर हमारे दृढ़ संकल्प को दर्शाता है। कंपनी द्वारा अब तक का सर्वोच्च कर-पश्चात लाभ प्राप्त करने के साथ, निदेशक मंडल ₹5.59 प्रति शेयर का रिकॉर्ड लाभांश घोषित करते हुए प्रसन्न है।

> **लगभग 120 परियोजना स्थानों पर अपनी मजबूत पैन इंडिया उपस्थिति के साथ, हमारी टीमें लगातार ऐसी सेवाएं प्रदान करती हैं जो गुणवत्ता, सुरक्षा और समयबद्धता में अंतर्राष्ट्रीय मानदंडों को पूरा करती हैं।**

## परिचालन प्रदर्शन

चाहे टर्नकी ईपीसी परियोजनाएं, पीएमसी अनुबंधों का क्रियान्वयन हो, या उभरते निर्माण क्षेत्रों में कदम रखना हो, हम परिचालन उत्कृष्टता और ग्राहक संतुष्टि के अपने प्रयास में दृढ़ रहते हैं।

कंपनी द्वारा क्रियान्वित की जा रही कुछ प्रमुख परियोजनाएं इस प्रकार हैं:

- उत्तर मध्य रेलवे के लिए पीएमसी आधार पर ₹ 2221 करोड़ मूल्य की रेल फ्लाईओवर परियोजना
- 2072 करोड़ रुपये की ईपीसी आधार पर नुमालीगढ़ रिफाइनरी विस्तार परियोजना के साथ-साथ नुमालीगढ़, पारादीप और सिलीगुड़ी में कच्चे तेल आयात टर्मिनल परियोजना।
- छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत उत्पादन कंपनी लिमिटेड के लिए ईपीसी आधार पर कोरबा और मड़वा में 1X500 मेगावाट के लिए गीले चूना पत्थर-जिप्सम आधारित फ्लू गैस डिसल्फ्यूराइजेशन (एफजीडी) और सहायक प्रणाली मूल्य ₹ 1653 करोड़।
- एचपीसीएल - राजस्थान रिफाइनरी लिमिटेड के लिए बाड़मेर, राजस्थान में ₹ 1509 करोड़ की लागत से सिविल, स्ट्रक्चरल, मैकेनिकल और स्टोरेज टैंक का कार्य
- ओडिशा, झारखंड और पश्चिम बंगाल में पीएमसी आधार पर ₹ 1150 करोड़ की लागत से 33 एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय
- आईओसीएल, वडोदरा रिफाइनरी की लुपेच (LUPECH) (J-18) परियोजना, ₹ 1136 करोड़ की।
- आईओसीएल की 1234 करोड़ रुपये की पानीपत रिफाइनरी विस्तार परियोजना।
- स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय और विभिन्न राज्य सरकारों के लिए पीएमसी आधार पर सरकारी मेडिकल कॉलेजों और अस्पतालों का निर्माण

वित्त वर्ष 2024-25 में, कंपनी ने रणनीतिक सहयोगों के माध्यम से अपनी उपस्थिति और क्षमताओं को मज़बूत करने के लिए निर्णायक कदम उठाए। नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र में उल्लेखनीय प्रगति हुई है, लगभग ₹2,000 करोड़ मूल्य की सौर पीवी परियोजनाएँ निर्माणाधीन हैं, साथ ही आईओसीएल, एचआरआरएल, एचपीसीएल, बीपीसीएल, गेल, हल्दिया पेट्रोकेमिकल्स, बीसीपीएल और नुमालीगढ़ रिफाइनरी जैसी राष्ट्रीय महत्व की महत्वपूर्ण रिफाइनरी और पेट्रोकेमिकल परियोजनाओं का कार्यान्वयन भी जारी है। ये उपलब्धियाँ कंपनी की बहुमुखी विशेषज्ञता और राष्ट्र निर्माण के प्रति उसकी सतत प्रतिबद्धता की पुष्टि करती हैं, जो स्वास्थ्य सेवा, शैक्षणिक संस्थानों, शहरी बुनियादी ढाँचे, खेल परिसर, नवीकरणीय ऊर्जा और औद्योगिक विकास जैसे विविध क्षेत्रों में फैली हुई है।

## व्यवसाय विकास

प्रतिस्पर्धी और चुनौतीपूर्ण व्यावसायिक परिवेश के बीच, कंपनी ने न केवल मुख्य व्यावसायिक क्षेत्रों में अपने नेतृत्व को मजबूत किया, बल्कि पर्यावरण संरक्षण पहलों में रणनीतिक रूप से विविधता भी लाई, जिससे सतत विकास के प्रति उसकी प्रतिबद्धता बढ़ी और हरित भविष्य के लिए आधार तैयार हुआ।

रणनीतिक व्यावसायिक विकास पहलों की एक श्रृंखला के माध्यम से, कंपनी ने विभिन्न क्षेत्रों में वित्त वर्ष 2024-25 के दौरान ₹4,322 करोड़ मूल्य के नए ऑर्डर हासिल किए।

पीएमसी असाइनमेंट, ईपीसी अनुबंधों और आइटम-रेट अनुबंधों के व्यवसाय मिश्रण को रणनीतिक रूप से अनुकूलित करके, कंपनी ने कई उल्लेखनीय अनुबंध हासिल किए।

**हरित ऊर्जा**

- एनटीपीसी सीपत में ₹ 121 करोड़ की फ्लोटिंग सोलर पीवी परियोजना।
- एसजेवीएन ग्रीन एनर्जी लिमिटेड के लिए नावा, राजस्थान में 351 करोड़ रुपये की सौर ऊर्जा परियोजना।

**औद्योगिक परियोजनाएँ**

- ओएनजीसी उरण में सिविल, स्ट्रक्चरल और कम्पोजिट कार्य।
- नुमालीगढ़ रिफाइनरी लिमिटेड की नुमालीगढ़ में विस्तार परियोजना।
- बीपीसीएल वडिनार में टैंकेज कार्य।

**पीएमसी आधार पर बुनियादी ढांचे का विकास**

- उत्तराखंड और महाराष्ट्र सरकार के लिए मेडिकल कॉलेजों और विद्यालयों का निर्माण।
- पूर्वोत्तर में विभिन्न स्थानों पर असम राइफल्स के लिए बुनियादी ढांचे का विकास कार्य।
- चेन्नई मेट्रो रेल लिमिटेड और टीआईडीसीओ के बीच एक संयुक्त उद्यम, चेन्नई मेट्रो संपत्ति मैनेजमेंट लिमिटेड ने ब्रॉडवे, चेन्नई में एक मल्टीमॉडल सुविधा परिसर के विकास के लिए 567 करोड़ रुपये के अनुबंध पर हस्ताक्षर किए हैं।

कंपनी के पास लगभग ₹15,500 करोड़ के मज़बूत ऑर्डर्स हैं, जो निरंतर विकास और भविष्य की सफलता के लिए एक मज़बूत आधार प्रदान करते हैं। परियोजनाओं की यह विशाल संख्या हमारे ग्राहकों के हम पर विश्वास और भरोसे को दर्शाती है, और हम इन परियोजनाओं को उत्कृष्टता, दक्षता और उच्चतम गुणवत्ता मानकों के साथ पूरा करने के लिए प्रतिबद्ध हैं।

## मेक इन इंडिया

हमें अपने सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (एमएसएमई) भागीदारों का समर्थन करने पर गर्व है, क्योंकि उनकी भागीदारी नवाचार को बढ़ावा देने और मज़बूत सामुदायिक संबंधों को बढ़ावा देने में विशेष महत्वपूर्ण योगदान रहा है। इस समावेशी विकास मॉडल ने न केवल हमारी स्थानीय अर्थव्यवस्था को लाभ पहुँचाया है बल्कि जमीनी स्तर पर रोज़गार के अवसर प्रदान किए, हमारी निर्माण परियोजनाओं के बेहतर गुणवत्ता नियंत्रण और तेज़ डिलीवरी समय भी सुनिश्चित किया है। अंततः, इससे हमारी कंपनी के समग्र प्रदर्शन में सुधार हुआ है।

> **वित्त वर्ष 2024-25 के दौरान जेम (GeM) के माध्यम से ₹343 करोड़ की खरीद ईसीपीपी पोर्टल के माध्यम से दिए गए अनुबंधों का मूल्य ₹2747 करोड़ था। सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों से खरीद लगभग 30% तक पहुँच गई।**

'मेक इन इंडिया' पहल और 'वोकल फॉर लोकल' अभियान के प्रति हमारी प्रतिबद्धता हमारे रणनीतिक सोर्सिंग प्रयासों का आधार रही है। केंद्रीय सार्वजनिक खरीद (CPP) और सरकारी ई-बाजार (GeM) पोर्टलों का लाभ उठाकर, हमने एक ऐसी खरीद प्रक्रिया स्थापित की है जो न केवल पारदर्शी और निष्पक्ष है, बल्कि अत्यधिक कुशल भी है। इस दृष्टिकोण ने हमें योग्य ठेकेदारों को नियुक्त करने में सक्षम बनाया है और साथ ही लागत-प्रभावी तरीके से कठोर गुणवत्ता मानकों और परियोजना की समय-सीमा को लगातार पूरा किया है।

## ईएसजी

कंपनी अपने संचालन के हर पहलू में पारदर्शिता, नैतिक व्यावसायिक प्रथाओं, स्थिरता और व्यावसायिक उत्तरदायित्व द्वारा निर्देशित, मज़बूत कॉर्पोरेट प्रशासन सिद्धांतों को दृढ़ता से समाहित करती है। इन सिद्धांतों को अपनाकर, कंपनी यह सुनिश्चित करती है कि सभी व्यावसायिक निर्णय ईमानदारी, जवाबदेही और निष्पक्षता के साथ लिए जाएँ, जिससे हितधारकों, नियामकों, ग्राहकों और कर्मचारियों के बीच विश्वास बढ़े।

> **हम मानते हैं कि हमारी सफलता केवल वित्तीय संकेतकों से ही नहीं मापी जाती, बल्कि उन समुदायों और पर्यावरण पर हमारे सकारात्मक प्रभाव से भी मापी जाती है जहां हम काम करते हैं।**

हमारा प्रशासनिक ढाँचा कंपनी की गतिशील और विकसित होते व्यावसायिक परिवेश में आगे बढ़ने की क्षमता को मज़बूत करता है, जिससे जोखिमों और अवसरों की सक्रिय पहचान संभव होती है और साथ ही वैधानिक और नियामक आवश्यकताओं का अनुपालन भी सुनिश्चित होता है। इन पहलों के माध्यम से, हम ग्राहकों के मूल्यों और प्राथमिकताओं के अनुरूप सेवाएँ और समाधान प्रदान करने में सक्षम हैं, जिससे सभी परियोजनाओं में बेहतर गुणवत्ता, सुरक्षा और दक्षता सुनिश्चित होती है।

इसके अलावा, कंपनी का स्थायित्व और सामाजिक उत्तरदायित्व पर ध्यान दीर्घकालिक मूल्य सृजन को और सुदृढ़ करता है। ज़िम्मेदार व्यावसायिक प्रथाओं को बढ़ावा देकर और पर्यावरणीय, सामाजिक और प्रशासनिक विचारों को अपनी रणनीतियों में शामिल करके, हम सामुदायिक विकास, समावेशी विकास और समग्र उद्योग उन्नति में योगदान करते हैं।

कॉर्पोरेट प्रशासन के प्रति यह समग्र दृष्टिकोण न केवल हमारे हितधारकों के हितों की रक्षा करता है, बल्कि कंपनी की प्रतिष्ठा, परिचालन लचीलापन और बाजार प्रतिस्पर्धात्मकता को भी मजबूत करता है, जिससे दीर्घावधि में हमारे सभी हितधारकों के लिए सतत विकास और मूल्य सृजन सुनिश्चित होता है।

इसके अलावा, कंपनी कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) पहलों के माध्यम से उन समुदायों का समर्थन करने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है जिनमें वह काम करती है। इनमें शैक्षिक अवसर प्रदान करना, व्यावसायिक प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू करना और स्वास्थ्य सेवा पहलों का समर्थन करना शामिल है, जो समाज को कुछ वापस देने और अपने साथी नागरिकों की समग्र भलाई में योगदान देने में हमारी आस्था को दर्शाता है।

हमारी मजबूत शासन प्रथाओं की मान्यता में, ब्रिज एण्ड रूफ ने पिछले कई वर्षों में कॉर्पोरेट प्रशासन दिशानिर्देशों के अनुपालन में लगातार 'उत्कृष्ट' रेटिंग हासिल की है, जिससे हितधारकों का विश्वास और एक जिम्मेदार कॉर्पोरेट इकाई के रूप में हमारी प्रतिष्ठा और मजबूत हुई है।

## डिजिटल परिवर्तन

वर्तमान तेज़ी से विकसित होते व्यावसायिक परिदृश्य में, कंपनी दक्षता, नवाचार और विकास के एक प्रमुख प्रवर्तक के रूप में डिजिटल परिवर्तन को अपना रही है। पिछले एक साल में, हमने परियोजना निष्पादन को सुव्यवस्थित करने, निर्णय लेने की क्षमता को बेहतर बनाने और परिचालन उत्पादकता में सुधार के लिए उन्नत तकनीकों, डेटा विश्लेषण और डिजिटल उपकरणों का लाभ उठाया है। खरीद और परियोजना प्रबंधन से लेकर निगरानी और रिपोर्टिंग तक, अपनी सभी प्रक्रियाओं में डिजिटल समाधानों को एकीकृत करके, हम परियोजनाओं को अधिक गति, सटीकता और लागत-प्रभावशीलता के साथ पूरा करने में सक्षम हैं।

इसके अलावा, डिजिटल पहलों ने टीमों के बीच सहयोग को मज़बूत किया है, पारदर्शिता में सुधार किया है और हितधारकों की सहभागिता को बढ़ाया है, जिससे यह सुनिश्चित हुआ है कि हमारे ग्राहक, साझेदार और कर्मचारी ज़्यादा स्मार्ट और चुस्त संचालन से लाभान्वित हों। कंपनी अत्याधुनिक डिजिटल क्षमताओं में निवेश करने, तेज़ी से बढ़ते प्रतिस्पर्धी उद्योग में आगे रहने के लिए खुद को तैयार करने और सभी हितधारकों को निरंतर मूल्य प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है।

ई-ऑफिस प्रणाली, जिसे आंतरिक रूप से विकसित किया गया है, ने हमारी कंपनी में पारदर्शिता और प्रक्रियात्मक दक्षता को काफी हद तक बढ़ाया है, जिससे प्रक्रियात्मक विलंब कम हुआ है, फाइल ट्रैकिंग में मदद मिली है, तथा जवाबदेही और पारदर्शिता सुनिश्चित हुई।

कर्मचारी सूचना प्रणाली (ईआईएस) की शुरुआत हमारी मानव संसाधन प्रक्रियाओं को सुव्यवस्थित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। यह कर्मचारी डेटा के बेहतर प्रबंधन, सूचना तक पहुँच में सुधार और पूरे संगठन में निर्णय लेने की क्षमता को बेहतर बनाता है। यह एक अधिक चुस्त और उत्तरदायी संगठन बनाने के लिए प्रौद्योगिकी का लाभ उठाने की हमारी व्यापक रणनीति का हिस्सा है।

> **डिजिटल प्रौद्योगिकी और नवाचार में हो रही निरंतर प्रगति ही सतत समावेशी और वैश्विक रूप से जुड़े भविष्य के निर्माण के लिए महत्वपूर्ण है।**

कंपनी डेटा सटीकता और वर्कफ़्लो दक्षता में सुधार लाने के लिए विभिन्न व्यावसायिक प्रक्रियाओं को एकीकृत करने हेतु ओरेकल ईआरपी सिस्टम को एसएपी में अपग्रेड करने के लिए काम कर रही है।

## भविष्य की ओर

जैसे-जैसे हम निरंतर आगे बढ़ रहे हैं, हमारा पूर्ण आत्मविश्वास और मनोबल भी बढ़ा हैं। एक सदी से अधिक समय में निर्मित मजबूत नींव, तथा वर्ष के दौरान हमारी उपलब्धियाँ मिलकर हमें एक ठोस आधार प्रदान करती हैं, जिससे हम उभरते अवसरों को भुना सकें और भविष्य की चुनौतियों का प्रभावी रूप से सामना कर सकें। हमारा ध्यान निरंतर अपनी मूल क्षमताओं को सुदृढ़ करने, बाज़ार में अपनी उपस्थिति का विस्तार करने और ऐसी रणनीतिक साझेदारियों को आगे बढ़ाने पर रहेगा जो हमारी क्षमताओं को बढ़ाएँ और सतत विकास को प्रोत्साहित करें। हम तकनीक और नवाचार में निवेश करने की अपनी प्रतिबद्धता को भी बनाए रखेंगे, ताकि हम उद्योग की नवीनतम प्रवृत्तियों के अग्रणी बने रहें और अपने ग्राहकों की बदलती आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए पूर्ण रूप से सक्षम रहें। मैं इस अवसर पर सरकार, हमारे ग्राहकों, साझेदारों और हितधारकों के प्रति उनके निरंतर विश्वास और सहयोग के लिए हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। ब्रिज एण्ड रूफ कम्पनी पर आपका विश्वास हमें उत्कृष्टता के सर्वोच्च मानकों को बनाए रखने के लिए प्रेरित करता है। मैं हमारे कर्मचारियों के प्रति भी अपनी गहरी कृतज्ञता व्यक्त करता हूँ, जिनकी निष्ठा, मेहनत और समर्पण ही हमारी सफलता के वास्तविक प्रेरक हैं। अंत में, मुझे उन उपलब्धियों पर गर्व है जिन्हें हमने पिछले वर्ष एक साथ प्राप्त किया है, और मैं भविष्य के प्रति समान रूप से उत्साहित हूँ। हम मिलकर अपनी सफलताओं पर आगे निर्माण करते रहेंगे, नई चुनौतियों को स्वीकार करेंगे, और सुनिश्चित करेंगे कि ब्रिज एण्ड रूफ इंजीनियरिंग, निर्माण और परियोजना प्रबंधन के क्षेत्र में अपनी अग्रणी स्थिति बनाए रखे।

शुभकामनाओं सहित

**राजेश कुमार सिंह**
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

बी एण्ड आर
B AND R
Building Nation Since 1920

# कॉर्पोरेट अवलोकन

# कॉर्पोरेट जानकारी

## बैंकर्स

1. भारतीय स्टेट बैंक
2. बैंक ऑफ महाराष्ट्र
3. बैंक ऑफ बड़ौदा
4. इंडियन बैंक
5. आईसीआईसीआई बैंक
6. यस बैंक
7. पंजाब नेशनल बैंक
8. एचडीएफसी बैंक
9. बैंक ऑफ इंडिया
10. एक्सिस बैंक
11. केनरा बैंक

## वैधानिक लेखा परीक्षक

1. मेसर्स रे एंड रे
   चार्टर्ड अकाउंटेंट्स
2. मेसर्स एल. बी. झा एंड कंपनी
   चार्टर्ड अकाउंटेंट्स

## पंजीकृत कार्यालय

कंकड़िया सेंटर, 5वीं मंज़िल
2/1, रसेल स्ट्रीट, कोलकाता – 700071
(033) 2217-2108
ईमेल: bridge@bridgeroof.co.in

## मुख्य कार्यालय एवं वर्क्स

427/1, ग्रैंड ट्रंक रोड,
हावड़ा – 711101
(033) 2666-9131
ईमेल: marketing.howrah@bridgeroof.co.in

## क्षेत्रीय कार्यालय

**दिल्ली:**
बी-22, दूसरी मंज़िल, हिमालय हाउस,
23, कस्तूरबा गांधी मार्ग,
कनॉट प्लेस, नई दिल्ली – 110001
ईमेल: delhi@bridgeroof.co.in

**मुंबई:**
401-408, कुक्रेजा सेंटर, सेक्टर-11
सीबीडी बेलापुर, नवी मुंबई – 400614
ईमेल: mumbai.mech@bridgeroof.co.in

**कोलकाता:**
कंकड़िया सेंटर, 5वीं मंज़िल
2/1, रसेल स्ट्रीट, कोलकाता – 700071
ईमेल: bridge@bridgeroof.co.in

**चेन्नई:**
626, तीसरी मंज़िल, जेवीएल प्लाज़ा, अन्ना सलाई, तेयनमपेट,
चेन्नई – 600018, तमिलनाडु
ईमेल: Chennai.office@bridgeroof.co.in

**भुवनेश्वर:**
दूसरी मंज़िल, ओसीएचसी कॉम्प्लेक्स, जनपथ,
यूनिट-III, भुवनेश्वर – 751001, ओड़िशा
ईमेल: bbsr.office@bridgeroof.co.in

**गुवाहाटी :**
ऑफिस नं. 808, आठवीं मंज़िल, कामाख्या टावर, जीएस रोड,
गुवाहाटी, असम – 781005
ईमेल: bandr.guwahati@bridgeroof.co.in

# हमारी उपस्थिति

- कॉर्पोरेट कार्यालय: कोलकाता
- क्षेत्रीय परियोजना कार्यालय
- परियोजना स्थल: 105
- विभिन्न राज्य
- संघ राज्य क्षेत्र

# निदेशक मंडल

**श्री राजेश कुमार सिंह**
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

## पूर्णकालिक निदेशक

**श्री रवि कुमार**
निदेशक (परियोजना प्रबंधन)

**श्री नव रत्न गुप्ता**
निदेशक (वित्त)

## सरकारी नामित निदेशक

**डॉ. रेनुका मिश्रा**

**श्री राजेश कुमार**

## गैर-आधिकारिक स्वतंत्र निदेशक

**श्री एस. कृष्ण कुमार**

## मुख्य सतर्कता अधिकारी

**सुश्री चंद्राणी गुप्ता**

# प्रमुख अधिकारीगण

**श्री तापस साहा**
कार्यकारी निदेशक
(परियोजनाएँ)

**श्री एस. भट्टाचार्य**
कार्यकारी निदेशक
(इंजीनियरिंग)

**श्री दैपयान घोष**
कार्यकारी निदेशक
(उत्तरी-पूर्व)

**श्री आर. भट्टाचार्जी**
कार्यकारी निदेशक
(पूर्व और पूर्वी तट)

**श्री गुरमुख सिंह**
समूह महाप्रबंधक
(समन्वय-परियोजनाएँ)

**श्री देवाशीष दास**
समूह महाप्रबंधक
प्रमुख (एसबीयू-I)

**श्री सी. के. मुखर्जी**
समूह महाप्रबंधक

**श्रीमती नम्रता मेहता**
समूह महाप्रबंधक
(कॉर्पोरेट सेवाएँ)

**श्री प्रसांत साहा**
महाप्रबंधक (पूर्व)
प्रमुख (एसबीयू-VI)

**श्री थंगावेळु रवि**
महाप्रबंधक (दक्षिण)
प्रमुख (एसबीयू-VIII)

**श्रीमती जयंती राहा**
महाप्रबंधक
(विद्युत इंजीनियरिंग)
प्रमुख (एसबीयू-V)

**श्री एन. एस. श्रीवास्तव**
महाप्रबंधक (पश्चिम)
प्रमुख (एसबीयू-IX)

**श्री बी. श्रीवास्तव**
महाप्रबंधक (उत्तर पूर्व)
प्रमुख (एसबीयू-VII)

**श्री बी. के. सिंह**
महाप्रबंधक (पूर्वी तट)
प्रमुख (एसबीयू-II)

**श्री बी. के. झा**
महाप्रबंधक (उत्तर)
प्रमुख (एसबीयू-X)

**श्री संदीप तालुकदार**
महाप्रबंधक
(कंसल्टेंसी सेवाएँ)
प्रमुख (एसबीयू-IV)

**श्रीमती राखी कर**
कंपनी सचिव

# विज़न

लागत प्रभावी सेवाएं प्रदान करने के साथ ग्राहक संतुष्टि सुनिश्चित करते हुए इंजीनियरिंग, निर्माण एवं परियोजन प्रबंधन के क्षेत्र में विश्वस्तरीय नेतृत्व स्थापित करना।

# मिशन

निर्माण उद्योग में उत्कृष्ट गुणवत्ता, समयबद्ध पूर्णता, सुरक्षा तथा परियोजनाओं हेतु मूल्यावर्धित सेवाओं के माध्यम से सर्वोच्च स्तर की सेवा प्रदान कर, हम ग्राहकों की अधिमानित संस्था बनें।

# सतत व्यावसायिक प्रथाएँ

| | | |
|---|---|---|
| ISO 9001:2015 गुणवत्ता प्रबंधन प्रणाली: बहु-विषयक | ISO 9001:2015 गुणवत्ता प्रबंधन प्रणाली: विनिर्माण | ISO 45001:2018 व्यावसायिक स्वास्थ्य और सुरक्षा प्रबंधन प्रणाली |

| | | |
|---|---|---|
| ISO 14001:2015 पर्यावरण प्रबंधन प्रणाली | **ISO 50001:2018 ऊर्जा प्रबंधन प्रणाली** | ISO 27001:2022 सूचना सुरक्षा प्रबंधन प्रणाली |

# वर्ष दर वर्ष

**निगमित**
बाल्मर लॉरी एंड कंपनी लिमिटेड की पंजीकृत **सहायक** कंपनी।

**1920**

**1972**

**राष्ट्रीयकृत**
इंडो-बर्मा पेट्रोलियम कंपनी लिमिटेड ने पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के अंतर्गत वामर लॉरी का अधिग्रहण किया

**पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय**
सीधे इंडो-बर्मा पेट्रोलियम कंपनी लिमिटेड के अंतर्गत।

**1978**

**1987**

**मिनीरत्न**
कंपनी श्रेणी-I
का दर्जा

**बीवाईएनएल, डीएचआई, एमओएचआई एंड पीई,**
भारी उद्योग विभाग, भारी उद्योग और सार्वजनिक उद्यम मंत्रालय के अंतर्गत भारत यंत्र निगम लिमिटेड की सहायक कंपनी

**2008**

**डीएचआई, एमओएचआई एंड पीई**
भारी उद्योग विभाग, भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय के अंतर्गत।

**2010**

**एमएचआई**
सीधे भारी उद्योग मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण के अंतर्गत।

**2020**

**शताब्दी वर्ष:**
राष्ट्र की सेवा में 100 वर्ष।

**2021**

# उत्कृष्टता की एक शताब्दी

**1920**
पूर्वी भारतीय रेलवे, लखनऊ के लिए लोहे का कार्य।

**वर्कशॉप**

चाय बागानों, कोयला खदानों और रेलवे के लिए संरचनात्मक निर्माण एजेंसी के रूप में हावड़ा वर्कशॉप से कार्य करना शुरू किया।

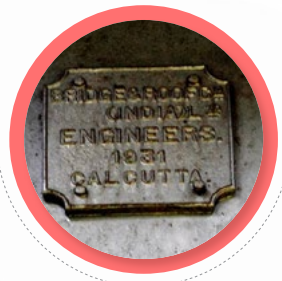


**1931**
रेलवे ब्रिज पर अंकित।

**रेलवे**

कंपनी की वर्कशॉप में रेलवे पुल और वॅगन का निर्माण।

**1956**
कोक ओवन बैटरी, दुर्गापुर स्टील प्लांट के लिए गैस संग्रहण मुख्य।

**स्ट्रक्चरल**

तीस के दशक के मध्य तक, टीआईएससीओ और भारी उपकरण स्थापना के लिए ब्लास्ट फर्नेस और गैस क्लीनिंग प्लांट जैसे अन्य क्षेत्रों में प्रवेश किया।

**1968**
यू.पी. स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के लिए ओबरा में 3×200 मेगावाट थर्मल पावर स्टेशन।

**सिविल**

तेल रिफाइनरी, स्टील, थर्मल, उर्वरक परियोजनाओं सहित विभिन्न उद्योगों में सिविल निर्माण।

**1979**
मद्रास रिफाइनरीज लिमिटेड के लिए ब्वाय फ्लोटिंग रूफ क्रूड ऑयल टैंक।

**मेकॅनिकल**

तेल डिपो, रिफाइनरी और टैंक फार्म। भारत में 76 मीटर व्यास के टैंकों को डिजाइन और निर्माण करने वाली पहली कंपनी।

**1981**
कोलकाता में 1,20,000 क्षमता वाला सॉल्ट लेक स्टेडियम।

**इन्फ्रास्ट्रक्चर**

पानी आपूर्ति प्रणाली, स्वास्थ्य, शिक्षा, आवास, स्टेडियम और खेल परिसर में अवसंरचना विकास।

**1988**
ओएनजीसी GGS-II बालोल में प्रोडक्ट और बाथ सेपरेटर।

**ईपीसी (EPC)**

डिज़ाइन, इंजीनियरिंग, खरीद, निरीक्षण, निर्माण, स्थापना, कमीशनिंग और सिस्टम को क्लाइंट को सौंपना।

**2014**
रायगढ़, ओड़िशा में बेले टाइप यूनिट ब्रिज।

**पीएमसी (PMC)**

परियोजना प्रबंधन परामर्श: अवधारणा से लेकर कमीशनिंग तक।

# अवधारणा से लेकर कमीशनिंग तक

01

### परियोजना की अवधारणा

- ग्राहक की आवश्यकताओं और परियोजना उद्देश्यों को समझना।
- तकनीकी और वित्तीय व्यवहार्यता का मूल्यांकन करना।

02

### विस्तृत इंजीनियरिंग डिज़ाइन

- विस्तृत इंजीनियरिंग ड्राइंग और विनिर्देश का निर्माण करना।
- यह सुनिश्चित करना कि सभी प्रणालियाँ सामंजस्यपूर्ण रूप से काम करें।

03

### क्रय प्रबंधन

- गुणवत्तायुक्त आपूर्तिकर्ताओं की पहचान और उनका चयन।
- कच्चा माल और उपकरण खरीदकर सामग्री का इष्टतम स्रोत सुनिश्चित करना।

04

### निर्माण प्रबंधन

- ऊर्जा-कुशल उपकरणों के साथ सतत निर्माण विधियाँ।
- निर्माण की गुणवत्ता और सुरक्षा मानकों को बनाए रखना।

05

### परियोजना प्रबंधन

- परियोजना समय-सीमा का पालन।
- खर्चों का प्रभावी प्रबंधन।

06

### परीक्षण और कमीशनिंग

- कार्यक्षमता सुनिश्चित करने के लिए कठोर परीक्षण करना।
- परियोजना को क्लाइंट को संचालन के लिए तैयार रूप में सौंपना।

# संचालन के क्षेत्र

**270+**
तेल रिफाइनरी/टर्मिनल, पेट्रोकेमिकल, गैस, एलएनजी, बायो-रिफाइनरी परियोजनाएँ

**150+**
पावर परियोजनाएँ, जिनमें थर्मल, एटॉमिक, सोलर, हाइड्रो और विंड शामिल हैं

**120+**
स्टील, एल्यूमीनियम, केमिकल, उर्वरक, सीमेंट परियोजनाएँ

तेल

गैस

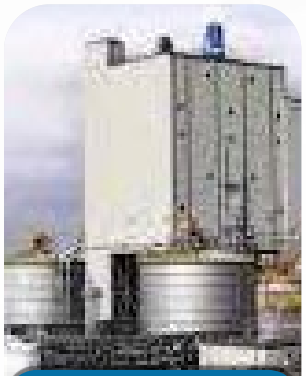
बायो-रिफाइनरी

थर्मल पावर

एटॉमिक पावर

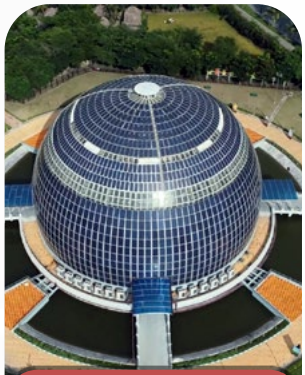
सौर ऊर्जा

जल विद्युत (हाइड्रो)

स्टील

एल्यूमीनियम

रासायनिक

उर्वरक

सीमेंट

**325+**
इन्फ्रास्ट्रक्चर परियोजनाएँ: स्वास्थ्य, शिक्षा, आवास, बंदरगाह, पेयजल

**100+**
रेलवे परियोजनाएँ: स्टेशन विकास, रेल संपर्क और पुल

**1000+**
सीमावर्ती क्षेत्रों, पहाड़ी इलाकों और ग्रामीण क्षेत्रों में बेली ब्रिज।

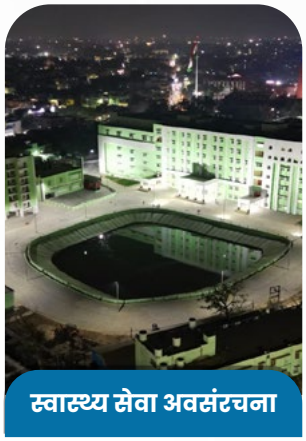
स्वास्थ्य सेवा अवसंरचना

शैक्षिक संस्थान

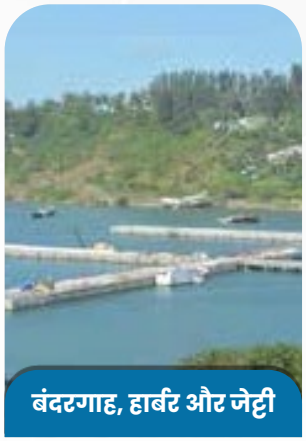
बंदरगाह, हार्बर और जेट्टी

पेयजल प्रणाली

रेलवे और सड़क पुल

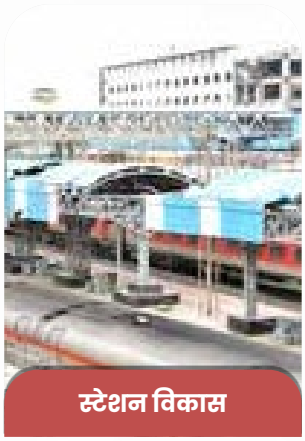
स्टेशन विकास

सिंचाई परियोजनाएँ

सड़कें और हाइवे

हवाई अड्डे टर्मिनल

बैराज और बांध

बेली ब्रिज

ट्रीटमेंट प्लांट

# हमारे हितधारक

सरकार
ग्राहक
व्यापार सहयोगी
बी एण्ड आर
B AND R
Building Nation Since 1926
निवेशक
कर्मचारी
वैधानिक
प्राधिकरण
स्थानीय समुदाय

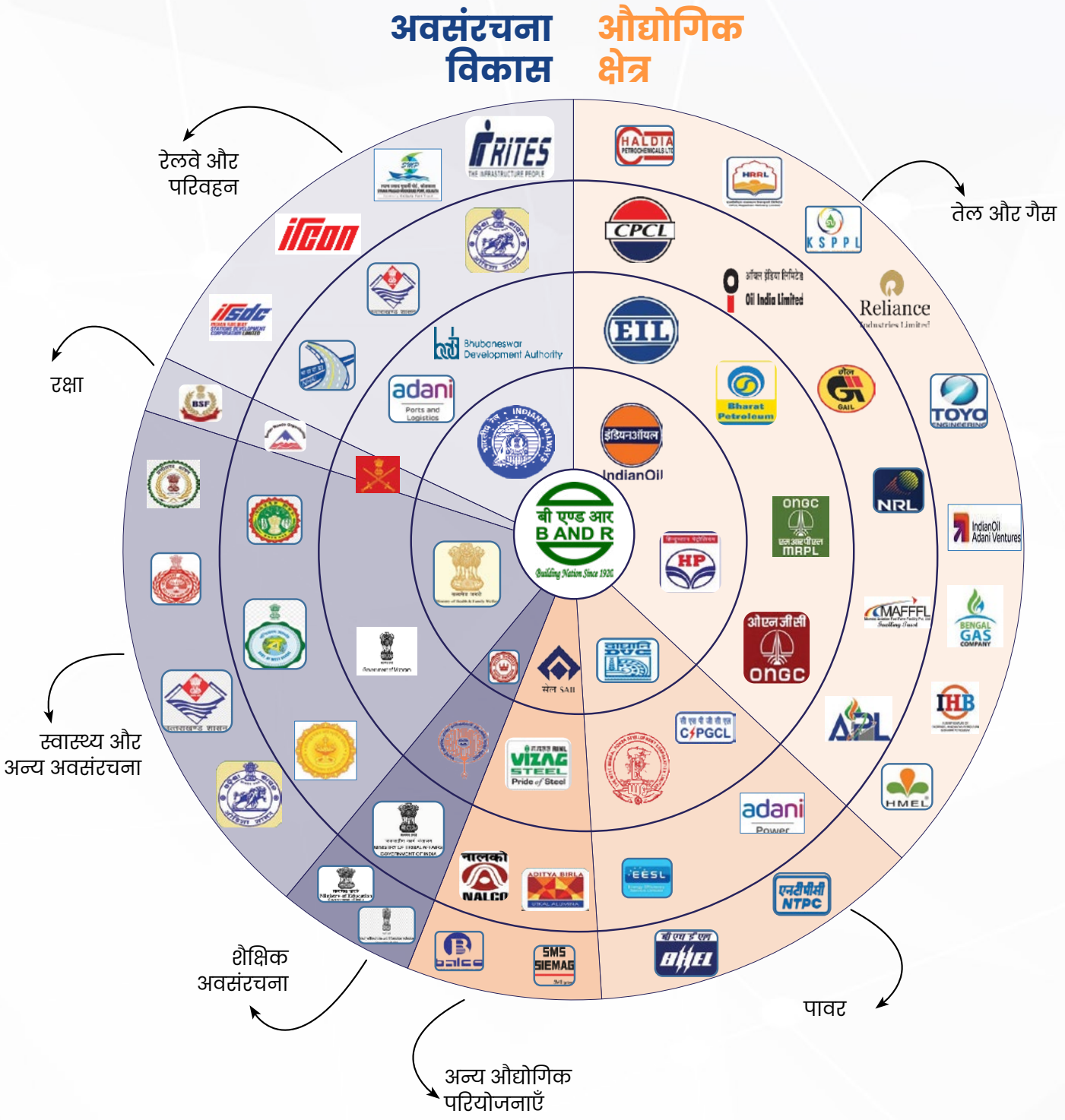

# मुख्य ग्राहक


अवसंरचना विकास
औद्योगिक क्षेत्र
रेलवे और परिवहन
रक्षा
स्वास्थ्य और अन्य अवसंरचना
शैक्षिक अवसंरचना
अन्य औद्योगिक परियोजनाएँ
पावर
तेल और गैस
बी एण्ड आर
B AND R
Building Nation Since 1920

# वर्ष की एक झलक

## वित्तीय

**₹ 4,532.03 करोड़**
कुल आय

**₹ 222.14 करोड़**
ईबीआईटीडीए (EBITDA)

**₹ 140.45 करोड़**
कर पूर्व लाभ (PBT)

**₹ 569.27 करोड़**
नेट वर्थ

**₹ 18.62**
प्रति शेयर आय (EPS)

## संचालनात्मक

**₹ 15,000 करोड़**
हाथ में ऑर्डर

**154 संख्या**
चालू ठेका

**105 संख्या**
परियोजना स्थल

## सामाजिक

**880 संख्या**
कुल कर्मचारी

**₹ 5.13 करोड़**
प्रति कर्मचारी राजस्व

**65 संख्या**
ग्राहक

**7000+ संख्या**
व्यापार सहयोगी

## पर्यावरणीय

**पावर प्लांट में एफजीडी सिस्टम**

**सौर ऊर्जा**

**बायो-रिफाइनरी**

**पवन ऊर्जा**

# नई ऊँचाईयों की ओर

**कुल आय** 13%
(रु. करोड़ में)

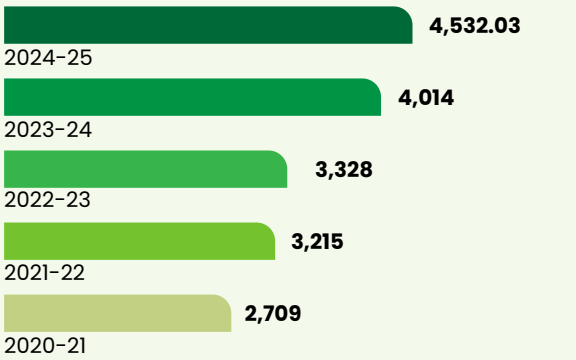


**ईबीआईटीडीए** 16%
(रु. करोड़ में)

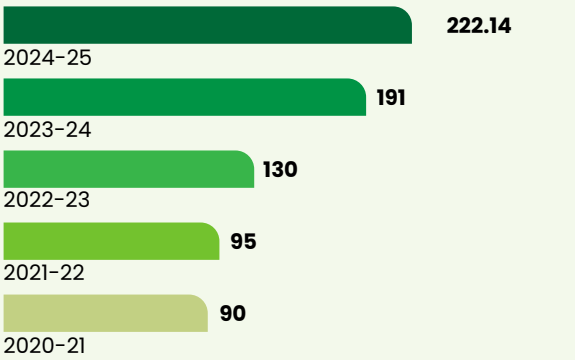


**कर से पूर्व लाभ** 39%
(रु. करोड़ में)

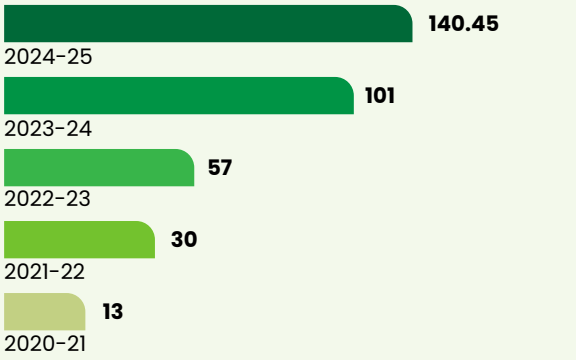


**नेट वर्थ** 16%
(रु. करोड़ में)

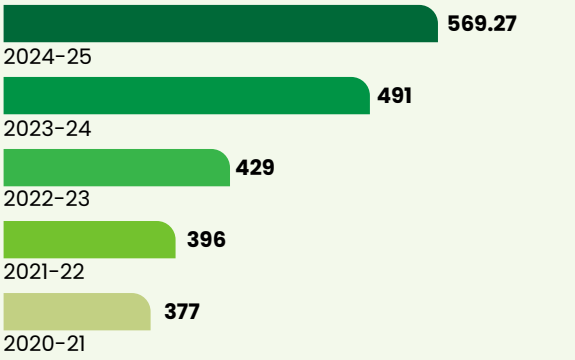


**प्रति शेयर आय** 37%
(रु. करोड़ में)

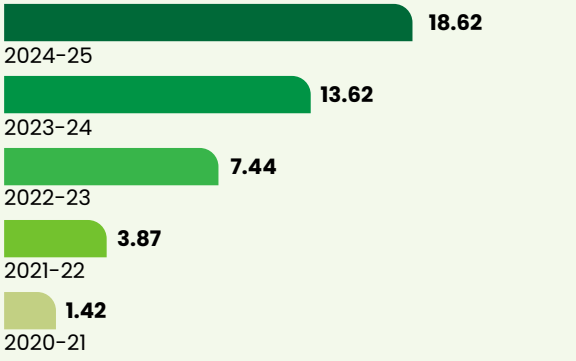


**इक्विटी पर रिटर्न** 19%
(रु. करोड़ में)

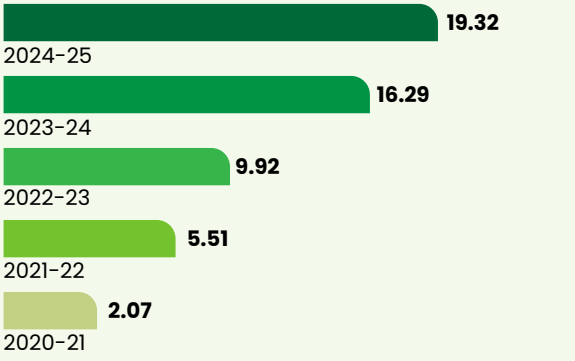


वित्त वर्ष 2020-21 और वित्त वर्ष 2021-22 के दौरान कोविड के कारण प्रदर्शन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा

# परियोजना हाइलाइट्स

1. **हरियाणा के करनाल के कुटैल में पंडित दीनदयाल उपाध्याय स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय (730 बिस्तरों वाला अस्पताल, आवासीय एवं इंस्टीट्यूशनल ब्लॉक सहित) की स्थापना के लिए ईपीसी अनुबंध के तहत योजना, डिजाइन निर्माण, फर्निचर, आईटी (नेटवर्किंग) और मेंटेनेंस**

पीएमसी आधार पर पंडित दीनदयाल उपाध्याय स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय की स्थापना।

**2. केंद्रीय प्रायोजित योजना के तहत पीएमसी आधार पर हरिद्वार में सरकारी मेडिकल कॉलेज का निर्माण।**

शैक्षणिक ब्लॉक

अस्पताल भवन

**3. नुमालिगढ़ रिफाइनरी लिमिटेड के लिए, नुमालिगढ़, पारादीप और सिलीगुड़ी में, नुमालिगढ़ रिफाइनरी विस्तार परियोजना।**

नुमालिगढ़ रिफाइनरी, नुमालिगढ़

नुमालिगढ़ रिफाइनरी, पारादीप

# प्रमुख चल रही परियोजनाएँ

**1. भारतीय रेलवे के लिए उत्तर मध्य रेलवे, प्रयागराज डिवीजन, उत्तर प्रदेश में पीएमसी आधार पर रेल फ्लाईओवर परियोजना का निष्पादन।**

**आरआफओ-1: अलीगढ़-दौद खान तीसरी लाइन और दौद खान में आरआफओ**

**आरआफओ-2: इलाहाबाद-बुंहराई चौथी लाइन, सुबेदारगंज में आरआफओ**

**आरआफओ-4: अलीगढ़ में RFO**

आर एफ़ओ 1

आर एफ़ओ 2

**2. छत्तीसगढ़ राज्य पावर जेनरेशन कंपनी लिमिटेड के लिए ईपीसी (ईपीसी) आधार पर कोरबा और मरवा में 1×500 मेगावाट के लिए गीली चूना-जिप्सम आधारित फ्लू गैस डिजल्फ्युराइजेशन (एफजीडी) और सहायक प्रणाली।**

**3. गेल (इंडिया) लिमिटेड के लिए महाराष्ट्र, अलीबाग में गेल (GAIL) उसार 500 केटीपीए पीडीएच पीपी (KTPA PDH-PP) परियोजना।**

गेल उसार PDH-PP में कैटोफिन रिएक्टर्स।

1600 मीट्रिक टन वजन वाला प्रोडक्ट स्प्लिटर कॉलम

**4. नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड के लिए दमानजोड़ी (ओडिशा) में पाँचवीं स्ट्रीम एल्यूमिनियम संयंत्र तथा विशाखापत्तनम बंदरगाह आंध्रप्रदेश में उससे संबंधित सुविधाएँ।**

डाइजेशन यूनिट

पाइप रैक

एल्यूमिना साइलो

**5. जनजातीय कार्य मंत्रालय के तहत ओडिशा और झारखंड राज्यों में विभिन्न स्थानों पर एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय।**

ईएमआरएस सुभेदागा, ओड़िशा

ईएमआरएस सुभेदागा, ओड़िशा

ईएमआरएस सुभेदागा, ओड़िशा

ईएमआरएस टंगरपाली, ओड़िशा

ईएमआरएस शिकरिपारा, झारखंड

ईएमआरएस गोपिकंदर, झारखंड

ईएमआरएस शिकरिपारा, झारखंड

ईएमआरएस गोपिकंदर, झारखंड

ईएमआरएस गोपिकंदर, झारखंड

# कार्यक्रम हाइलाइट्स

श्री राजेश कुमार सिंह, अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, ब्रिज एण्ड रूफ कम्पनी (इंडिया) लिमिटेड, को पीएसयू (PSU) ट्रांसफॉर्मेशन कॉन्क्लेव, नई दिल्ली में उद्योग में उत्कृष्टता के लिए प्रतिष्ठित 'PSU समर्पण अवार्ड 2024' से सम्मानित किया गया। #PSUSamarpanAward

श्री राजेश कुमार सिंह, अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, ब्रिज एण्ड रूफ, एवं श्री रवि कुमार, निदेशक (परियोजना प्रबंधन), ने नई दिल्ली में आईओसीएल (IOCL) के अध्यक्ष श्री एस.एम. वैद्य और अन्य वरिष्ठ अधिकारियों से मुलाकात की।

श्री राजेश कुमार सिंह, अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, ब्रिज एण्ड रूफ कम्पनी (इंडिया) लिमिटेड, को "विजनरी ऑफ द डिकेड: ड्राइविंग टर्नअराउंड सक्सेस" पुरस्कार स्पेशल अचीवमेंट रिकग्निशन कैटेगरी के अंतर्गत 11वें ईपीसी वर्ल्ड अवार्ड्स समारोह के दौरान प्राप्त हुआ।

ब्रिज एण्ड रूफ को राष्ट्रीय विकास में असाधारण योगदान के लिए 'PSU ट्रांसफॉर्मेशन कॉन्क्लेव और अवार्ड्स 2024' के तीसरे संस्करण में सम्मानित किया गया।

श्री राजेश कुमार सिंह, अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक को ब्रिज एण्ड रूफ कम्पनी (इंडिया) लिमिटेड 'सीएमडी लीडरशिप अवार्ड' से सम्मानित किया गया जो गवर्नेंस नाउ के 11वें संस्करण के पीएसयू अवार्डस एवं कॉन्फ्रेंस एक्सपो में दिनांक 28 फरवरी 2025 को प्रदान किया गया

गांधीनगर, गुजरात में आयोजित वाइब्रेंट गुजरात ट्रेड शो 2024 में हमारे स्टॉल का निदेशक (परियोजना प्रबंधन) एवं वरिष्ठ अधिकारियों का दौरा।

शहरी परिवर्तन हेतु नई भागीदारी की दिशा में अग्रसर — चेन्नई के मल्टीमॉडल सुविधा परिसर एवं कुरालगम भवन के पुनर्विकास से संबंधित समझौते पर सीएमएएमएल (CMAML) और ब्रिज एण्ड रूफ कम्पनी के बीच हस्ताक्षर किए गए। यह हस्ताक्षर कार्यक्रम श्री एम. ए. सिद्दीक, आई.ए.पी., अध्यक्ष, सीएमएएमएल; श्री टी. अर्जुनन, निदेशक, सीएमएएमएल (CMAML) ; तथा श्री रवि कुमार, निदेशक (परियोजना प्रबंधन), ब्रिज एण्ड रूफ कम्पनी (इंडिया) लिमिटेड की उपस्थिति में सम्पन्न हुआ।

ब्रिज एण्ड रूफ कम्पनी (इंडिया) लिमिटेड को 16वें सीआईडीसी विश्वकर्मा अवार्ड्स 2025 में "सर्वश्रेष्ठ पेशेवर रूप से प्रबंधित कंपनी" पुरस्कार (₹2500 करोड़ से अधिक टर्नओवर श्रेणी) से सम्मानित किया गया।

ब्रिज एण्ड रूफ कम्पनी (इंडिया) लिमिटेड के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक श्री राजेश कुमार सिंह को 16वें सीआईडीसी विश्वकर्मा पुरस्कार 2025 में "इंडस्ट्री डोयेन" पुरस्कार से सम्मानित किया गया।

ब्रिज एण्ड रूफ कम्पनी (इंडिया) लिमिटेड के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक श्री राजेश कुमार सिंह ने एबीपी लाइव इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर कॉन्क्लेव में "भारत के इंफ्रास्ट्रक्चर को आगे बढ़ाते हुए: राष्ट्र निर्माण में ब्रिज एण्ड रूफ कम्पनी की भूमिका" विषय पर मुख्य भाषण (Keynote Speech) दिया। भारत के विकास यात्रा में अग्रणी भूमिका निभाने पर हमें गर्व है!

ब्रिज एण्ड रूफ कम्पनी (इंडिया) लिमिटेड और इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट्स (इंडिया) लिमिटेड, दोनों ही भारी उद्योग मंत्रालय के तहत CPSEs, के बीच विभिन्न परियोजनाओं में संयुक्त भागीदारी के माध्यम से व्यवसाय विकास के लिए समझौता ज्ञापन (MoU) पर हस्ताक्षर किए गए।

ब्रिज एण्ड रूफ कम्पनी (इंडिया) लिमिटेड ने "स्वच्छता ही सेवा–2024" अभियान का आयोजन किया, जिसका विषय था — 'स्वभाव स्वच्छता – संस्कार स्वच्छता'। 'स्वच्छता की भागीदारी' पहल के अंतर्गत कंपनी ने महाराष्ट्र के अलीबाग समुद्र तट पर स्वच्छता लक्ष्य इकाई (Cleanliness Target Unit - CTU) की पहचान की। ब्रिज एण्ड रूफ कम्पनी के कर्मचारियों ने इस स्वच्छता अभियान में सक्रिय रूप से भाग लिया।

बी एण्ड आर
B AND R
Building Nation Since 1920

# वैधानिक रिपोर्ट

# निदेशक मंडल की रिपोर्ट

मार्च 2025 को समाप्त वर्ष के लिए

प्रिय सदस्यगण,

कंपनी के निदेशक मंडल की ओर से, मुझे 31 मार्च 2025 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए कंपनी की वार्षिक रिपोर्ट, लेखापरीक्षित वित्तीय विवरण, सांविधिक लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट, सचिवीय लेखा परीक्षा रिपोर्ट और भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियों के साथ प्रस्तुत करते हुए अत्यंत प्रसन्नता हो रही है।

## वित्तीय परिणाम

(करोड़ रुपये में)

| | समाप्त वर्ष के लिए | |
|---|---|---|
| | 31 मार्च 2025 | 31 मार्च 2024 |
| कुल आय | 4532.03 | 4014.28 |
| सकल मुनाफा | 222.14 | 191.41 |
| वित्त व्यय | 71.16 | 78.18 |
| मूल्यह्रास | 10.53 | 11.87 |
| कर-पूर्व लाभ | 140.45 | 101.36 |
| कर-व्यय | 38.08 | 26.44 |
| कर-पश्चात लाभ | 102.37 | 74.92 |
| लाभांश | 30.74 | 22.49 |

नोट: () में दिए गए आंकड़े नकारात्मक मान दर्शाते हैं।

भारी उद्योग मंत्रालय के अधीन एक सौ साल पुराना सार्वजनिक क्षेत्र का उद्यम, ब्रिज एण्ड रूफ कम्पनी (इंडिया) लिमिटेड (बी एण्ड आर), इंजीनियरिंग, निर्माण और परियोजना प्रबंधन के क्षेत्र में अपने कार्यों का संचालन ऐसे मूलभूत मूल्यों के आधार पर करती है, जो इसकी कार्यप्रणाली का मार्गदर्शन करते हैं। इन मूल्यों में शामिल हैं:

### ब्रिज एण्ड रूफ कम्पनी (इंडिया) लिमिटेड के मूल मूल्य:

1. **उत्कृष्टता:** ब्रिज एण्ड रूफ उच्च गुणवत्ता वाली परियोजनाएं देने के लिए प्रतिबद्ध है, जो ग्राहकों की अपेक्षाओं को पूरा ही नहीं करती, बल्कि उनसे भी बेहतर करती है, कठोर गुणवत्ता मानकों और निरंतर प्रक्रिया सुधार पर जोर देती हैं।
2. **नवाचार:** कंपनी नवाचार की संस्कृति को बढ़ावा देती है, दक्षता और परियोजना परिणामों को बढ़ाने के लिए आधुनिक तकनीकों और कार्यप्रणालियों को अपनाती है।
3. **सतत विकास:** ब्रिज एण्ड रूफ अपनी परियोजनाओं में पर्यावरणीय रूप से जिम्मेदार प्रथाओं को एकीकृत करता है, जो समाज और पर्यावरण में सकारात्मक योगदान देता है।
4. **ग्राहक संतुष्टि:** ग्राहक की आवश्यकताओं को समझना और उन्हें पूरा करना सर्वोपरि है, तथा ग्राहक संतुष्टि के उच्चतम स्तर को प्राप्त करने के लिए समय पर और कुशल परियोजना निष्पादन पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए।
5. **सुरक्षा:** कर्मचारियों, हितधारकों और समुदायों की सुरक्षा सुनिश्चित करना हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है, तथा सभी परिचालनों में कड़े सुरक्षा प्रोटोकॉल लागू हैं।
6. **सहयोग और टीमवर्क:** कंपनी सहयोग की शक्ति में विश्वास करती है,चुनौतियों को पार कर पाने और लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए अपनी विविध टीम की सामूहिक विशेषज्ञता और रचनात्मकता का लाभ उठाती है।

ये मूलभूत मूल्य ब्रिज एण्ड रूफ के मिशन का अभिन्न अंग हैं, जिसका उद्देश्य इंजीनियरिंग और परियोजना प्रबंधन, विशेष रूप से तेल एवं गैस, बिजली और बुनियादी ढाँचा क्षेत्रों में, एक अग्रणी सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी के रूप में अपनी स्थिति को मज़बूत करना है।

अधिक विस्तृत जानकारी के लिए, आपब्रिज एण्ड रूफ कम्पनी (इंडिया) लिमिटेड की आधिकारिक वेबसाइट पर जा सकते हैं।

## विजन और मिशन

### विजन

लागत प्रभावी सेवाएं प्रदान करने के साथ ग्राहक संतुष्टि सुनिश्चित करते हुए इंजीनियरिंग, निर्माण एवं परियोजन प्रबंधन के क्षेत्र में विश्वस्तरीय नेतृत्व स्थापित करना ।

### मिशन

निर्माण उद्योग में उत्कृष्ट गुणवत्ता, समयबद्ध पूर्णता, सुरक्षा तथा परियोजनाओं हेतु मूल्यावर्धित सेवाओं के माध्यम से सर्वोच्च स्तर की सेवा प्रदान कर, हम ग्राहकों की अधिमानित संस्था बनें।

### 1.0 वित्तीय प्रमुख बिंदु

मैं अत्यंत गर्व के साथ यह बताना चाहूंगा कि आपकी कंपनी ने वित्त वर्ष 2024-25 के दौरान 4532.03 करोड़ रुपये की अब तक की सर्वाधिक कुल आय हासिल की है, जबकि वित्त वर्ष 2023-24 में यह 4014.28 करोड़ रुपये थी, जो लगभग 12.90% की उल्लेखनीय वृद्धि को दर्शाती है।

वित्त वर्ष 2024-25 के लिए कंपनी का परिचालन राजस्व 12.79% बढ़कर ₹4516.91 करोड़ हो गया है, जबकि पिछले वित्त वर्ष 2023-24 में यह ₹4004.57 करोड़ था। इस वृद्धि का श्रेय परियोजनाओं के कुशल क्रियान्वयन को दिया जा सकता है।

लाभप्रदता के संदर्भ में प्रभावशाली प्रदर्शन इस प्रकार है: वित्त वर्ष 2024-25 के लिए कर-पूर्व लाभ (पीबीटी) 140.45 करोड़ रुपये तक पहुँच गया, जो वित्त वर्ष 2023-24 के 101.36 करोड़ रुपये की तुलना में 39.09 करोड़ रुपये की वृद्धि दर्शाता है। कर-पश्चात लाभ (पीएटी) में भी उल्लेखनीय वृद्धि देखी गई है, जो वित्त वर्ष 2024-25 में 102.36 करोड़ रुपये तक पहुँच गया, जो वित्त वर्ष 2023-24 के 74.92 करोड़ रुपये से 36.62% की वृद्धि दर्शाता है।

आपकी कंपनी की निवल संपत्ति वित्त वर्ष 2023-24 में 490.51 करोड़ रुपये से बढ़कर वित्त वर्ष 2024-25 में 569.27 करोड़ रुपये हो गई है।

### क) परिचालन परिणाम:

पिछले वर्ष की तुलना में इस वर्ष कंपनी के वित्तीय प्रदर्शन की मुख्य विशेषताएं निम्नानुसार हैं:

(करोड़ रुपये में)

| | वित्तीय वर्ष: 2024-25 | वित्तीय वर्ष: 2023-24 |
|---|---|---|
| आय | 4532.03 | 4014.28 |
| सकल मुनाफा | 222.14 | 191.41 |
| वित्त व्यय | 71.16 | 78.18 |
| मूल्यह्रास | 10.53 | 11.87 |
| कर से पहले का लाभ | 140.45 | 101.36 |
| कर व्यय | 38.08 | 26.44 |
| कर के बाद लाभ | 102.37 | 74.92 |
| लाभांश | 30.74 | 22.49 |

### ख) लाभांश:

आपकी कंपनी का लाभांश भुगतान का एक निरंतर ट्रैक रिकॉर्ड रहा है। वित्त वर्ष 2024-25 में, निदेशक मंडल ने 10 रुपये अंकित मूल्य वाले प्रत्येक इक्विटी शेयर पर 5.59 रुपये (पिछले वर्ष 4.09 रुपये प्रति इक्विटी शेयर) का लाभांश घोषित किया। यह राशि लगभग 30.74 करोड़ रुपये थी, जिसे आगामी वार्षिक आम बैठक में अनुमोदित किए जाने पर, उन सभी इक्विटी शेयरधारकों को भुगतान किया जाएगा जिनका नाम 18 सितंबर 2025 तक सदस्यों के रजिस्टर में दर्ज है। यह वित्त वर्ष 2024-25 के कर-पश्चात लाभ का 30% है।

### ग) आरक्षित निधि में स्थानांतरण:

आपकी कंपनी के निदेशक मंडल ने इस वर्ष के लिए कोई भी राशि आरक्षित निधि में स्थानांतरित न करने का निर्णय लिया है।

### घ) शेयर पूंजी :

31 मार्च 2025 तक, कंपनी की अधिकृत इक्विटी शेयर पूंजी ₹60 करोड़ थी, जिसमें ₹10/- प्रत्येक अंकित मूल्य के 6,00,00,000 इक्विटी शेयर शामिल थे। 31 मार्च, 2025 तक, कंपनी के प्रमोटर यानी भारत के राष्ट्रपति की शेयरधारिता कंपनी की कुल चुकता इक्विटी शेयर पूंजी का 99.35% थी। 31 मार्च, 2025

तक, कंपनी की चुकता पूंजी ₹54.99 करोड़ थी, जिसमें ₹10/- प्रत्येक मूल्य के 5,49,87,155 इक्विटी शेयर शामिल थे, जिनमें से 5,46,27,155 इक्विटी शेयर, जो कुल चुकता पूंजी का 99.35% है, भारत के राष्ट्रपति के पास हैं।

**ङ) निवेशक शिक्षा एवं संरक्षण निधि (आईईपीएफ) में शेयरों का हस्तांतरण:**

जिन शेयरधारकों के लाभांश लगातार सात वर्षों तक लाभांश खातों में बकाया पड़े थे, उनके शेयरों को निवेशक शिक्षा एवं संरक्षण निधि नियमों के अनुसार निवेशक शिक्षा एवं संरक्षण निधि (आईईपीएफ) में स्थानांतरित कर दिया गया है।

एचपीसीएल राजस्थान रिफाइनरी लिमिटेड, बाड़मेर में कच्चे तेल के टैंक निर्माण कार्य

## 2.0 वर्ष के दौरान घटित प्रमुख घटनाएँ

### क) कंपनी मामलों की स्थिति:

- **परियोजना पोर्टफोलियो:** कंपनी के पास विविध परियोजना मिश्रण है, जिसमें रेलवे, तेल और गैस, बिजली और पेट्रोकेमिकल्स जैसे क्षेत्र शामिल हैं।
- **ग्राहक:** यह मुख्य रूप से सार्वजनिक क्षेत्र के ग्राहकों को सेवाएं प्रदान करता है, जो कुछ ऑर्डर बुक का 91% है, जबकि शेष 9% निजी क्षेत्र से प्राप्त होता है।
- **रणनीतिक पहल:** नवाचार को अपनाने और परिचालन दक्षता को मजबूत करने पर जोर देने से वित्त वर्ष 2024-25 में कंपनी ने अब तक के सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया है।

संगठित प्रयासों और समर्पित टीमवर्क के परिणामस्वरूप कंपनी ने वित्त वर्ष 2024-25 के दौरान 4532.03 करोड़ रुपये की आय अर्जित की।

**चुनौतियाँ एवं विचारणीय बिंदु**

- **कार्यशील पूंजी गहनता:** लंबी अवधि की निर्माण परियोजनाओं में उच्च संग्रह अवधि और प्रतिधारण धन प्रथाओं के कारण व्यवसाय कार्यशील पूंजी गहन है।
- **इनपुट मूल्य में अस्थिरता:** स्टील और सीमेंट जैसे प्रमुख इनपुट की कीमतों में उतार-चढ़ाव से लाभप्रदता प्रभावित होती है। लगभग 40%-45% अनुबंधों में थोक मूल्य सूचकांक (WPI) से जुड़े मूल्य वृद्धि खंड होते हैं, जबकि शेष निश्चित मूल्य वाले अनुबंधों के कारण कंपनी की लागत में वृद्धि होती है।
- **प्रतिस्पर्धी परिदृश्य:** निविदा-आधारित निर्माण उद्योग में परिचालन करते हुए, कंपनी को तीव्र प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ता है, जो मार्जिन को प्रभावित कर सकता है।

**शासन और स्वामित्व**

ब्रिज एण्ड रूफ कम्पनी (इंडिया) लिमिटेड एक मिनी रत्न श्रेणी-I सार्वजनिक क्षेत्र का उद्यम है, जिसमें भारत सरकार की 99.35% हिस्सेदारी है। कंपनी का एक दीर्घकालिक ट्रैक रिकॉर्ड है, जिसमें सिद्ध परियोजना निष्पादन क्षमताएँ हैं और ग्राहकों से बार-बार ऑर्डर प्राप्त होते हैं, जो संतोषजनक प्रदर्शन को दर्शाता है।

### ख) व्यवसाय की प्रकृति में परिवर्तन:

समीक्षाधीन वर्ष के लिए कंपनी के कारोबार की प्रकृति में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है।

### ग) कंपनी की वित्तीय स्थिति को प्रभावित करने वाले भौतिक परिवर्तन और प्रतिबद्धताएँ, यदि कोई हों,जो वर्ष के अंत से लेकर रिपोर्ट की तिथि तक हुई हों:

रिपोर्ट की तिथि तक वित्तीय वर्ष की समाप्ति के दौरान और उसके बाद कंपनी की वित्तीय स्थिति को प्रभावित करने वाले कोई भी भौतिक परिवर्तन या प्रतिबद्धताएं नहीं हुई हैं।

### घ) विदेशी मुद्रा आय और व्यय:

वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान, कंपनी ने ₹ शून्य की विदेशी मुद्रा अर्जित की है। वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान विदेशी मुद्रा व्यय ₹ 1472.00 लाख रहा।

### ङ) वित्तीय विवरण:

कंपनी के निदेशक मंडल ने 18 जुलाई 2025 को आयोजित अपनी बैठक में वित्त वर्ष 2024-25 के लिए वित्तीय विवरणों को अनुमोदित किया है।

## 3.0 प्रबंधन चर्चा और विश्लेषण:

**प्रदर्शन**

कंपनी ने वित्त वर्ष 2024-25 के दौरान 4532.03 करोड़ रुपये का अब तक का सर्वाधिक कारोबार हासिल किया, जबकि पिछले वित्त वर्ष 2023-24 में यह 4014.28 करोड़ रुपये था। कर-पूर्व लाभ (पीबीटी) 140.45 करोड़ रुपये रहा, जबकि पिछले वित्त वर्ष 2023-24 में यह 101.36 करोड़ रुपये था।

**परियोजना प्रभाग:**

वर्ष के दौरान परियोजना गतिविधियों में किए गए कार्य का मूल्य 4455.36 करोड़ रुपये रहा, जबकि पिछले वर्ष यह 3996.71 करोड़ रुपये था। वर्ष के दौरान सफलतापूर्वक पूरी की गई महत्वपूर्ण परियोजनाओं में शामिल हैं:

सीपीसीएल, चेन्नई में समग्र कार्य।

**परियोजनाओं का विवरण:**

| ग्राहक | विवरण | जगह |
|---|---|---|
| तेल एवं प्राकृतिक गैस निगम लिमिटेड | उरण में सिंगल डेक फ्लोटिंग रूफ को डबल डेक फ्लोटिंग रूफ में परिवर्तित करना तथा 60000 घन मीटर नॉमिनल क्षमता, 79 मीटर व्यास तथा 14 मीटर ऊंचाई वाले कच्चे तेल के टैंकों का पुनरुद्धार करना। | उरण महाराष्ट्र |
| इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड. | दक्षिण पूर्व रेलवे के लिए संतरागाछी स्टेशन के स्टेशन विकास कार्य के संबंध में संतरागाछी यार्ड में दो 12 मीटर चौड़े एफओबी (फुट ओवर ब्रिज) और स्टेशन भवन के सामने एलिवेटेड रैंप सहित स्टेशन भवन का निर्माण। | संतरागाछी पश्चिम बंगाल |
| भुवनेश्वर विकास प्राधिकरण, ओडिशा सरकार | भुवनेश्वर के बारामुंडा में ईपीसी मोड पर अंतरराज्यीय बस टर्मिनल (आईएसबीटी) और खंडगिरी में आइडल बस पार्किंग और बस डिपो का निर्माण। | बारामुंडा-खंडगिरी ओडिशा |
| भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड | माहुल रिफाइनरी में जीटीयू परियोजना के लिए इंस्ट्रूमेंटेशन कार्य भाग-बी। | मुंबई महाराष्ट्र |
| नुमालीगढ़ रिफाइनरी लिमिटेड. | सिलीगुड़ी में भारत बांग्लादेश मैत्री पाइपलाइन परियोजना के लिए पाइपलाइन बिछाने और टर्मिनल कार्य (भाग-ए)। | सिलीगुड़ी पश्चिम बंगाल |
| हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड | वीडीपीएल परियोजना के धर्मपुरी में टैंकेज कार्य। | धर्मपुरी तमिलनाडु |
| उत्तराखंड वन संसाधन प्रबंधन परियोजना, उत्तराखंड सरकार | इको टूरिज्म से संबंधित निर्माण कार्य। | तितालीखेत उत्तराखंड |
| स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय | प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना के अंतर्गत भावनगर में मेडिकल कॉलेजों का उन्नयन। | भावनगर गुजरात |

आईएचबी (IHB) प्राइवेट लिमिटेड के लिए गुजरात के मीठी रोहर में संयुक्त स्टेशन कार्य।

## क) ऑर्डर बुकिंग स्थिति:

सर्वाधिक प्रतिस्पर्धी बाजार स्थिति के बावजूद, कंपनी ने वित्त वर्ष 2024-25 के दौरान विभिन्न सार्वजनिक और निजी क्षेत्र के ग्राहकों से 4321.58 करोड़ रुपये की ऑर्डर बुकिंग दर्ज की है, जबकि पिछले वित्त वर्ष 2023-24 के दौरान यह 4158.21 करोड़ रुपये थी।

वर्ष के दौरान बुक किए गए प्रमुख ऑर्डर:

| ग्राहक | विवरण | जगह |
|---|---|---|
| चिकित्सा शिक्षा अनुसंधान और आयुष, मुंबई, महाराष्ट्र सरकार | राजकीय महाविद्यालय एवं आयुर्वेद अस्पताल का निर्माण तथा सहायक निर्माण कार्य। | विभिन्न स्थान, महाराष्ट्र |
| हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण, हरियाणा सरकार | डॉ. मंगल सेन सरकारी मेडिकल कॉलेज और अस्पताल की स्थापना के लिए भवन और संपदा सेवाओं की योजना, डिजाइन, निष्पादन तथा अनुरक्षण कार्य। | पंचकूला, हरियाणा |
| चिकित्सा शिक्षा एवं अनुसंधान विभाग, हरियाणा सरकार | नूंह में 50 सीटों वाले डेंटल कॉलेज और आवासीय भवन के निर्माण के लिए भवन और संपदा सेवाओं, फर्नीचर, उपकरण, आईटी, कमीशनिंग और रखरखाव की योजना, डिजाइन और निष्पादन तथा करनाल में कल्पना चावला सरकारी मेडिकल कॉलेज का निर्माण। | हरियाणा के विभिन्न स्थानों पर |
| एसजेवीएन ग्रीन एनर्जी लिमिटेड | 100 मेगावाट सौर ऊर्जा परियोजना के लिए सौर पीवी पावर परियोजना की आपूर्ति, स्थापना, परीक्षण, कमीशनिंग, सिविल, आर्किटेक्चर और संरचनात्मक कार्य, व्यापक संचालन और रखरखाव कार्य। | नावा, राजस्थान |
| चिकित्सा स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग, उत्तराखंड सरकार | 'एसएएससीआई के तहत उत्तराखंड के मेडिकल कॉलेजों में स्वास्थ्य बुनियादी ढांचे को मजबूत करने' के संबंध में चिकित्सा उपकरणों की खरीद | विभिन्न स्थान, उत्तराखंड |
| हल्दियापेट्रोकेमिकल्सलिमिटेड | सिविल, भवन निर्माण कार्य और भूमिगत पाईपिंग कार्य | हल्दिया, |
| इंजीनियर्सइंडियालिमिटेड | 3 ऑफ गैस कंप्रेशर्स 06 रिजेनरेशन गैस कंप्रेशर्स के प्रतिस्थापन और 01 सीबीडी वेसल की स्थापना के लिए कंप्रेसर और सीबीडी के लिए सिविल, संरचनात्मक और समग्र कार्य। | पश्चिमबंगाल |
| आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विभाग, छत्तीसगढ़ शासन | एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालयों (ईएमआरएस) के निर्माण के लिए विस्तृत परियोजना रिपोर्ट और बोली दस्तावेजों की तैयारी, निर्माण एजेंसी का चयन और परियोजना प्रबंधन परामर्श | छत्तीसगढ |
| नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन (एनटीपीसी) | 26 मेगावाट फ्लोटिंग सोलर पीवी परियोजना की आपूर्ति, स्थापना, परीक्षण, कमीशनिंग, सिविल, संरचनात्मक, संचालन और रखरखाव। | सीपत, छत्तीसगढ़ |
| ब्रह्मपुत्र क्रैकर एंड पॉलिमर लिमिटेड | एचपीजी-2, ब्यूटेन-1 और पीएसए इकाइयों की स्थापना के लिए समग्र कार्य | लेपेटकाटा, असम |
| नुमालीगढ़ रिफाइनरी लिमिटेड | पीएफसीसी प्रोपलीन रिकवरी अनुभाग के लिए संरचनात्मक स्टील की आपूर्ति, निर्माण और स्थापना, पाइपिंग इरेक्शन और स्थापना, उपकरण स्थापना, पेंटिंग और इन्सुलेशन कार्य। | नुमालीगढ़, असम |
| भारतीय सेना, पीडब्ल्यूडी - हिमाचल प्रदेश | भारत में विभिन्न स्थानों पर विभिन्न स्पैस और चौड़ाई के बेली टाइप यूनिट ब्रिज। डबल लेन स्टील ब्रिज का निर्माण, आपूर्ति, निरिक्षण और परिवहन | भारत में विभिन्न स्थान |

## ख) बाह्य वातावरण:

आर्थिक विकास के लिए भारत सरकार की मौजूदा रणनीति को आगे बढ़ाते हुए, सरकार ने अपने नवीनतम बजट में एक बार फिर सर्वांगीण आर्थिक विकास और समृद्धि के लिए प्रमुख प्राथमिकता वाले क्षेत्र के रूप में बुनियादी ढांचे के महत्व पर जोर दिया है। पिछले दशक में, भारत ने अर्थव्यवस्था को पुनर्जीवित करने के लिए बुनियादी ढांचे के विकास की एक महत्वाकांक्षी यात्रा शुरू की है। आर्थिक विकास और विकास को बढ़ावा देने के लिए, सरकार ने पूंजीगत व्यय (जीडीपी का 3.4%) के लिए 111 लाख करोड़ रुपये आवंटित किए हैं, जो पिछले 10 वर्षों में 5 गुना

से अधिक की वृद्धि को दर्शाता है। अधिकांश पूंजीगत व्यय वृद्धि पिछले 5 वर्षों में देखी गई है, इसी अवधि के बीच 27% की वार्षिक वृद्धि देखी गई है। सरकार ने लगातार विश्व स्तरीय, अच्छी गुणवत्ता वाली बुनियादी ढांचा परिसंपत्तियों के निर्माण पर अपनी प्रतिबद्धता और ध्यान केंद्रित किया है। यह बुनियादी ढांचे पर केंद्रित क्षेत्रों के लिए समग्र पूंजीगत व्यय के पर्याप्त आवंटन के माध्यम से स्पष्ट है, जिसमें बुनियादी ढांचे में केंद्र के पूंजीगत व्यय का हिस्सा वित्त वर्ष 2014 में 28% से बढ़कर वित्त वर्ष 2025 में ~ 60% हो गया है। आने वाले पांच वर्षों में साकार मजबूत राजकोषिय सहायता के माध्यम से अवसंरचना पर निरंतर ध्यान देने का आश्वासन देती है।

नवीनीकृत राष्ट्रीय अवसंरचना पाइपलाइन (एनआईपी) में नई आकांक्षाओं और परियोजनाओं को शामिल किए जाने की उम्मीद है।

- प्रमुख बंदरगाहों और नए हवाई अड्डों के विकास की योजनाएँ प्रगति पर हैं।
- परमाणु ऊर्जा निवेश का लक्ष्य 100 गीगावाट क्षमता हासिल करना है।
- राजमार्गों, सौर, पवन और पम्प भंडारण परियोजनाओं के साथ-साथ पारेषण और वितरण नेटवर्क में निरंतर निवेश।
- सामाजिक अवसंरचना, डिजिटल अवसंरचना और कृषि निवेश पर अधिक ध्यान।

राष्ट्रीय अवसंरचना पाइपलाइन (एनआईपी) के अंतर्गत वित्त वर्ष 2020-2025 के दौरान 111 लाख करोड़ रुपये का पूंजीगत व्यय 111 लाख करोड़ रुपये की कुल एनआईपी में से, 44 लाख करोड़ रुपये (40%) मूल्य की परियोजनाएँ कार्यान्वयन के चरण में हैं, 34 लाख करोड़ रुपये (30%) मूल्य की परियोजनाएँ प्रारूपण के चरण में हैं, और 22 लाख करोड़ रुपये (20%) मूल्य की परियोजनाएँ विकास के चरण में हैं। 11 लाख करोड़ रुपये (10%) मूल्य की परियोजनाओं के लिए परियोजना चरण संबंधी जानकारी उपलब्ध नहीं है। उम्मीद है कि अगले कुछ महीनों में इन पर अधिक स्पष्टता उपलब्ध होगी और आगामी एनआईपी प्रकाशनों में इसे अद्यतन किया जाएगा।

भारतीय अवसंरचना क्षेत्र का 2024-2029 की पूर्वानुमान अवधि के दौरान 9.57% की सीएजीआर से बढ़ने का अनुमान है।

बुनियादी ढांचे के लिए एनआईपी का क्षेत्रवार विवरण इस प्रकार है:

- ऊर्जा (24%),
- सड़कें (18%),
- शहरी (17%)
- रेलवे (12%)
- सिंचाई (8%)
- ग्रामीण अवसंरचना (7%)
- बंदरगाह, हवाई अड्डे, डिजिटल अवसंरचना, सामाजिक अवसंरचना (9%)
- औद्योगिक अवसंरचना और कृषि एवं खाद्य प्रसंस्करण अवसंरचना (5%)

सरकार का लक्ष्य राष्ट्रीय मुद्रीकरण पाइपलाइन (एनएमपी) के तहत वित्त वर्ष 2025 में अतिरिक्त ₹1.91 ट्रिलियन जुटाना है, जिसके लिए अगस्त 2025 में एक नया पंचवर्षीय रोडमैप जारी किया जाएगा।

कंपनी ऐसे जीवंत कारोबारी माहौल का प्रभावी ढंग से लाभ उठाते हुए कारोबार के विस्तार की संभावनाएं तलाश रही है।

**आगामी परियोजनाओं पर भविष्य का व्यावसायिक दृष्टिकोण**

कंपनी पूरे भारत में बहु-विषयक औद्योगिक और बुनियादी ढाँचा परियोजनाओं के कार्यान्वयन में संलग्न है। कम टर्नओवर वाली निजी कंपनियों से बढ़ती प्रतिस्पर्धा के साथ, कंपनी ऐसे व्यवसाय पर ध्यान केंद्रित कर रही है जहाँ निर्माण उद्योग में उच्च टर्नओवर वाली अन्य सीपीएसई और निजी क्षेत्र की कंपनियों के बीच प्रतिस्पर्धा हो।

ब्रिज एण्ड रूफ ने निम्नलिखित क्षेत्रों में प्रमुख व्यावसायिक अवसरों की पहचान की है:

**औद्योगिक परियोजनाएँ:**

- तेल एवं गैस क्षेत्र,
- नवीकरणीय ऊर्जा (सौर एवं पवन) परियोजनाएँ,
- इस्पात संयंत्र,
- ताप विद्युत क्षेत्र,
- एल्युमीनियम संयंत्र,
- खनन,
- जल विद्युत एवं पम्प भंडारण परियोजनाएँ।

**अवसंरचना परियोजनाएं:**

- शैक्षणिक संस्थान
- अस्पताल
- रेलवे

- मेट्रो-रेलवे
- हवाई अड्डे
- सड़कें, पुल आदि
- रोपवे
- सिंचाई क्षेत्र
- बंदरगाह

उच्च मूल्य के अनुबंध प्राप्त करने के लिए, कंपनी को प्रौद्योगिकी प्रदाताओं/प्रमुख ईपीसी कंपनियों, इंजीनियरिंग परामर्शदाताओं और वास्तुशिल्पी संस्थानों फर्मों के साथ सहयोग करना होगा, तथा हितधारकों के प्रासंगिक क्षेत्रों में विशेषज्ञता का उपयोग करते हुए, व्यापार और प्रौद्योगिकी के साझा जोखिमों के साथ एक संघ के रूप में बोलियों में भाग लेना होगा।

कंपनी निष्पादन चरण के दौरान जोखिम को कम करने के लिए संसाधन संपन्न, पात्र निर्माण एजेंसियों के साथ बोली-पूर्व और बोली-पश्चात समझौता कर भविष्य की निविदाओं में भाग ले रही है।

**ग) विविधीकरण:**

कंपनी निम्नलिखित क्षेत्रों में संभावनाएं तलाश रही है और इस विकासशील बाजार में सरकारी निवेश को प्राप्त करने तथा सतत विकास प्राप्त करने के लिए अधिकतम सीमा तक व्यावसायिक अवसरों का लाभ उठाने की उम्मीद करती है:

- मेट्रो रेलवे अवसंरचनाएँ
- स्टेशन विकास सहित रेलवे।
- हवाई अड्डों के लिए नए या अतिरिक्त टर्मिनल भवन।
- एक्सप्रेसवे और राजमार्ग, पुल
- सरकारी कार्यालय भवन (राज्य सरकार, केंद्र सरकार और सीपीएसई)
- संस्थागत भवन (राज्य सरकार, केंद्र सरकार)
- प्रौद्योगिकी पार्क
- सूक्ष्म सिंचाई और लिफ्ट सिंचाई।
- औद्योगिक क्षेत्र में पीएमसी परियोजनाएँ
- पंप भंडारण परियोजनाओं सहित जल विद्युत परियोजनाएँ
- बाँधों और बिजलीघरों का निर्माण

विविधीकरण की प्रक्रिया के भाग के रूप में, कंपनी कंसोर्टियम आधार पर प्रौद्योगिकी प्रदाता के साथ कई निविदाओं में भाग ले रही है।

### आगे की राह

स्थायी व्यावसायिक वृद्धि हासिल करने के लिए, कंपनी अपने पारंपरिक व्यवसाय की मात्रा को बढ़ाने के उद्देश्य से विभिन्न पहल कर रही है, साथ ही प्रौद्योगिकी प्रदाताओं और इंजीनियरिंग सलाहकारों के साथ सहयोग के माध्यम से नए व्यावसायिक क्षेत्रों में अपनी बाजार हिस्सेदारी का विस्तार भी कर रही है।

साथ ही, व्यावसायिक जोखिम को कम करने के लिए, कंपनी संसाधन संपन्न, योग्य निर्माण एजेंसियों के साथ बोली-पूर्व और बोली-पश्चात गठजोड़ के माध्यम से भविष्य की निविदाओं में भाग ले रही है।

बीपीसीएल-2G इथेनॉल बायो रिफाइनरी कॉम्प्लेक्स परियोजना, बरगढ़, ओडिशा।

## 1. व्यावसायिक रणनीति

निर्माण उद्योग से जुड़े जोखिमों को कम करने के लिए, कंपनी पीएमसी/डिपॉजिट/ओबीई अनुबंधों के आधार पर परियोजनाओं की पहचान करने पर ध्यान केंद्रित कर रही है।

इसके अलावा, कंपनी व्यवसाय के लिए शीर्ष और निचले स्तर पर वृद्धि उत्पन्न करने के लिए ईपीसी मोड/आइटम दर मोड में उच्च मूल्य वाली परियोजनाओं पर ध्यान केंद्रित कर रही है।

व्यावसायिक जोखिम को कम करने के लिए, सक्षम और योग्य निर्माण कंपनियां उच्च मूल्य वाली ईपीसी/आइटम दर परियोजनाओं में भाग लेने के लिए बोली-पूर्व और बोली-पश्चात सहयोग के माध्यम से भविष्य की निविदाओं में शामिल हो रही हैं।

परिणामस्वरूप, कंपनी का लक्ष्य ऐसे अनुबंधों को सुरक्षित करना है जो बेहतर लाभ की संभावना और प्रौद्योगिकी में उन्नति प्रदान करते हों।

उच्च-मूल्य वाले ईपीसी अनुबंधों को हासिल करने के लिए, कंपनी प्रतिष्ठित प्रौद्योगिकी प्रदाताओं, प्रमुख ईपीसी कंपनियों और इंजीनियरिंग सलाहकारों के साथ साझेदारी कर रही है ताकि बोलियों को अनुबंधों में बदलने की संभावना बढ़ाई जा सके। कंपनी उच्च-मूल्य वाले अनुबंधों पर ध्यान केंद्रित करके, संसाधनों (मानवशक्ति और उपकरण दोनों सहित) का अनुकूलन करके, और निर्धारित समय-सीमा के भीतर परियोजना की डिलीवरी सुनिश्चित करके, बढ़े हुए वार्षिक कारोबार और लाभप्रदता को प्राप्त करने के प्रति आशावादी है।

कंपनी अनुबंधों को अंतिम रूप देने और अनुबंधगत भुगतान एकत्र करने पर ध्यान केंद्रित कर रही है, इस प्रकार मानव संसाधन और वित्तीय परिसंपत्तियों को अन्य राजस्व-उत्पादक पहलों के लिए आवंटित कर रही है।

कंपनी मालिक की पूरी तरह से जाँच-पड़ताल के बाद व्यावसायिक अवसरों का चयन कर रही है और उन परियोजनाओं से दूर रह रही है जिनमें परियोजना की ज़मीन और वैधानिक मंज़ूरियों से संबंधित विवाद होने की संभावना हो। इसके अलावा, सफलता की कम संभावना वाली परियोजनाओं से भी परहेज कर रही है।

कंपनी का इरादा परियोजना प्रबंधन परामर्श (पीएमसी) भूमिकाओं, निष्पादन एजेंसी (ईए) के रूप में जमा अनुबंध, ईपीसी, और सरकारी विभागों / सार्वजनिक क्षेत्र के साथ-साथ प्रतिष्ठित निजी क्षेत्र के ग्राहकों के लिए आइटम दर अनुबंधों के बीच व्यापार मिश्रण को बढ़ाने का है।

## 2. व्यवसाय विकास

कंपनी के विकास और सफलता के लिए व्यावसायिक विकास रणनीतियाँ अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। प्रभावी रणनीतियाँ कंपनी को लीड उत्पन्न करने, अपनी बाज़ार उपस्थिति बढ़ाने और स्थायी विकास हासिल करने में मदद कर सकती हैं।

राष्ट्रीय प्राथमिकताओं और सरकारी निवेशों के साथ-साथ प्रमुख फोकस क्षेत्रों के अनुसार, कंपनी निम्नलिखित क्षेत्रों में सतत विकास पहल कर रही है:

**औद्योगिक क्षेत्र:**

- जैव-रिफाइनरी परियोजनाएँ
- क्रॉस कंट्री पाइपलाइनें
- एलएनजी टर्मिनल
- प्राकृतिक गैस वितरण नेटवर्क
- हाइड्रोकार्बन क्षेत्र में बुलेट टैंक
- हाइड्रोकार्बन उद्योग में दोहरी दीवार वाले भंडारण टैंक।
- इस्पात संयंत्रों का प्रौद्योगिकी उन्नयन और विस्तार
- नवीकरणीय ऊर्जा (सौर और पवन) क्षेत्र
- ताप विद्युत संयंत्रों का विस्तार
- फ्लू गैस डिसल्फराइजेशन (एफजीडी) प्रणाली

**बुनियादी ढांचा क्षेत्र:**

- रेलवे, स्टेशन विकास परियोजनाओं सहित
- मेट्रो रेलवे अवसंरचना
- हवाई अड्डों के लिए नए या अतिरिक्त टर्मिनल भवन।
- बंदरगाह
- सरकारी कार्यालय भवन (राज्य सरकार, केंद्र सरकार और सीपीएसई)
- संस्थागत भवन (राज्य सरकार, केंद्र सरकार)
- प्रौद्योगिकी पार्क
- सूक्ष्म सिंचाई और लिफ्ट सिंचाई।
- औद्योगिक क्षेत्र में पीएमसी परियोजनाएँ

- पंप भंडारण परियोजनाओं सहित जल विद्युत परियोजनाएँ
- बाँधों और बिजलीघरों का निर्माण
- नदी तलकर्षण परियोजनाओं सहित राष्ट्रीय जलमार्गों का विकास
- नदी अंतर्संबंध परियोजनाएँ
- एक्सप्रेसवे और राजमार्ग, पुल

**3. प्रक्रियात्मक दक्षता उपाय**

कार्यकुशलता बढ़ाने के लिए, कंपनी ने अभिलेखों का डिजिटलीकरण और सुगमता में सुधार हेतु एक दस्तावेज़ प्रबंधन प्रणाली लागू करने की पहल की है। इसके अतिरिक्त, कंपनी के भीतर फाइलों, दस्तावेजों और मांगपत्रों के आंतरिक संचलन के लिए एक ई-ऑफिस प्रणाली स्थापित की गई है, जिसका उद्देश्य खरीद प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करना और खरीद चक्र समय को कम करना है।

कंपनी प्रक्रियागत अनुपालन सुनिश्चित करने और निर्णय लेने में तेज़ी लाने के लिए शक्तियों के प्रत्यायोजन की निरंतर समीक्षा और अद्यतन कर रही है। पारदर्शिता सुनिश्चित करने और आत्मनिर्भर भारत अभियान को समर्थन देने के लिए क्रय-प्रक्रिया को सरकारी ई-बाजार (GeM) पोर्टल के माध्यम से अपनाया गया है।

ईपीसी परियोजनाओं के लिए इंजीनियरिंग और डिजाइन दस्तावेजों को भविष्य के संदर्भ और अनुसंधान उद्देश्यों के लिए कंपनी के सर्वर पर संग्रहीत किया जा रहा है।

परियोजनाओं की वास्तविक समय (रियल टाइम) निगरानी करने के लिए एक डिजिटल परियोजना प्रबंधन प्रणाली (डीपीएमएस) शुरू की गई है, जिससे निर्णय लेने की प्रक्रिया में और अधिक प्रभावशीलता आई है।

**4. वित्तीय नियंत्रण और योजना**

कंपनी ने अपने वित्तीय नियंत्रण और नियोजन प्रयासों के अंतर्गत निम्नलिखित प्रणीलीगत सुधार लागू किए हैं:

- केंद्रीकृत भुगतान प्रणाली
- आईटी-सक्षम लेखा प्रणाली और ईआरपी प्रणाली का कार्यान्वयन
- लागत-लाभ विश्लेषण पर ज़ोर
- वित्तीयलागत को कम करने के उद्देश्य से विवेकपूर्ण वित्तीय प्रबंधन

**5. आधुनिकीकरण, डिजिटलीकरण और स्वचालन**

किसी भी निर्माण कंपनी के लिए उचित उपकरण, हार्डवेयर और सॉफ़्टवेयर का इस्तेमाल करना काफ़ी अहम साबित हो सकता है। इस उद्योग को कई विशिष्ट चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, जैसे:

- परियोजना में देरी
- श्रमिकों की कमी
- अनुपालन संबंधी नियम
- श्रमिक उत्पादकता
- कम दृश्यता और रिपोर्टिंग
- सामग्री की बढ़ती लागत

**निर्माण उद्योग में डिजिटल परिवर्तन** अन्य उद्योगों की तरह आसान नहीं है। परियोजनाएँ जटिल होती हैं, ठेकेदारों और उपठेकेदारों को अल्पकालिक आधार पर नियुक्त किया जाता है (और उनके पास नए उपकरण सीखने का समय नहीं होता), और निर्माण कार्य समस्याग्रस्त निर्माण स्थलों पर होते हैं, जहाँ तकनीकों को लागू करना मुश्किल होता है।

इन चुनौतियों के बावजूद कंपनी डिजिटल निर्माण उपकरणों को अपना रही है और अपने निवेश के लाभ देख रही है।

- बीआईएम सॉफ्टवेयर
- डिजिटल दस्तावेज़ीकरण
- निकटवर्ती परीक्षण रेडियोग्राफी
- डिजिटल परियोजना प्रबंधन समाधान (डीपीएमएस)
- नवीनतम डिज़ाइन संबंधी सॉफ्टवेयर लागू करके डिज़ाइन विभाग का उन्नयन
- हावड़ा कार्यशाला में कंप्यूटर न्यूमेरिकल कंट्रोल (सीएनसी) मशीनों की खरीद के साथ स्वचालन।
- मौजूदा उत्पादों के डिज़ाइन में सुधार, जैसे बंक हाउस का वज़न कम करना ताकि गुणवत्ता और बाज़ार में उनकी उपलब्धता बढ़े।
- विभिन्न परियोजनाओं के लिए नवीनतम निर्माण उपकरणों जैसे अर्ध-स्वचालित वेल्डिंग मशीन, बूम लिफ्ट, उच्च क्षमता वाली क्रेन का कार्यान्वयन।

पंडित दीन दयाल उपाध्याय स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय (730 बिस्तरों वाला अस्पताल सहित आवासीय एवं संस्थागत ब्लॉक) कुटैल, करनाल, हरियाणा में पीएमसी आधार पर

**प्रतिभा प्रबंधन**

प्रतिभा प्रबंधन, कंपनी द्वारा कार्यबल को आकर्षित करने, विकसित करने, जोड़ कर रखने और बनाए रखने के लिए अपनाई जाने वाली एक रणनीतिक पद्धति है। यह दृष्टिकोण कंपनी के प्रदर्शन को बेहतर बनाने और दीर्घकालिक व्यावसायिक उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए व्यक्तियों में निवेश के महत्व पर ज़ोर देता है। इसमें कर्मचारियों की पहचान, भर्ती, प्रशिक्षण और उन्हें अपने कौशल को निखारने और कंपनी में सार्थक योगदान देने के लिए प्रेरित करने की प्रक्रियाएँ शामिल हैं।

प्रतिभा प्रबंधन के प्रमुख पहलुओं में शामिल हैं:

- रणनीतिक कार्यबल योजना
- भर्ती और नियुक्ति
- प्रदर्शन प्रबंधन
- प्रशिक्षण और विकास
- कर्मचारी जुड़ाव
- उत्तराधिकार नियोजन
- पुरस्कार और मान्यता

कर्मचारी डेटा, जिसमें वेतन, कार्मिक जानकारी और संबंधित मानव संसाधन कार्य शामिल हैं, के प्रबंधन के लिए एक कर्मचारी सूचना प्रणाली (ईआईएस) स्थापित की गई है। यह एक केंद्रीकृत, वेब-आधारित प्रणाली के रूप में कार्य करती है जो मूल्यांकन, वेतन पर्ची, अवकाश शेष, डिजिटल संपत्ति आदि जैसी सुविधाएँ प्रदान करती है।

**जोखिम प्रबंधन**

कंपनी ने व्यवसायिक योजना के प्रति संतुलित दृष्टिकोण अपनाने और बेहतर प्रबंधन प्रथाओं के माध्यम से संबंधित जोखिमों को कम करने के उद्देश्य से जोखिम प्रबंधन प्रणाली स्थापित की है, जिसके परिणामस्वरूप विभिन्न हितधारकों के बीच अधिक विश्वास पैदा होता है और अच्छे कॉर्पोरेट प्रशासन प्रथाओं का पालन होता है। संचालन, पर्यावरण, वित्त, मानव संसाधन, कानूनी, सूचना सुरक्षा आदि से जुड़े जोखिम और वित्तीय रूप से प्रभाव की डिग्री, संपत्ति, सुविधाओं और तीसरे पक्ष पर इसका संभावित प्रभाव नियमित रूप से मूल्यांकन किया जाता है। कथित जोखिमों से उत्पन्न होने वाले नुकसान को कम करने के लिए, जोखिमों को नियंत्रित करने के लिए अपनाई जा रही प्रक्रियाओं, साथ ही आपात स्थिति के दौरान अपनाई गई प्रथा, जिसमें संचार प्रणाली और सूचना प्रसारित करने का तरीका शामिल है, की समय-समय पर समीक्षा की जाती है और कंपनी पर प्रभाव को कम करने के लिए उन्हें अद्यतन किया जाता है। आपकी कंपनी और भारी उद्योग मंत्रालय के बीच हस्ताक्षरित समझौता ज्ञापन के अनुसार जोखिम

शमन और रणनीति योजना वित्तीय वर्ष 2012-2013 से लागू की गई है।

डिपोजिटरी/ओबीई और पीएमसी आधार पर मध्यम से कम जोखिम वाले अनुबंधों पर अधिक ध्यान केंद्रित करके जोखिम प्रोफाइल को संतुलित करना तथा ईपीसी/आइटम दर के आधार पर उच्च मूल्य की परियोजनाओं को निष्पादित करना, जिनमें मध्यम से उच्च जोखिम प्रोफाइल हो।

### क) स्वॉट विश्लेषण

#### ताकत

- **उद्योग उत्कृष्टता में अग्रणी:** विविध औद्योगिक और बुनियादी ढाँचा क्षेत्रों में अग्रणी निर्माण और परियोजना प्रबंधन सेवाएँ
- **ग्राहक-केंद्रित दृष्टिकोण:** अपने ग्राहकों को अनुकूलित और विश्वसनीय सेवाएँ प्रदान करके मज़बूत और स्थायी संबंध बनाना
- **आंतरिक डिज़ाइन विशेषज्ञता:** एक समर्पित आंतरिक डिज़ाइन विभाग और वास्तुशिल्प योजना एवं डिज़ाइन सेवाओं के लिए विशेषज्ञ सहयोगियों से सुसज्जित
- **उच्च योग्यता प्राप्त टीम:** जटिल इंजीनियरिंग और बुनियादी ढाँचा परियोजनाओं के क्रियान्वयन के लिए प्रतिबद्ध अनुभवी इंजीनियरों और पेशेवरों का एक गतिशील कार्यबल
- **नवाचार और मूल्यवर्धन:** उद्योग की उभरती माँगों को पूरा करने के लिए नवीन, टिकाऊ और मूल्य-संचालित योगदान प्रदान करना
- **ईमानदारी और विश्वास:** नैतिकता और पारदर्शिता के उच्चतम मानकों के साथ कार्य करना, ग्राहकों और हितधारकों दोनों के साथ विश्वास को बढ़ावा देना
- **गुणवत्ता और समय पर डिलीवरी:** असाधारण गुणवत्ता प्रदान करने और परियोजना समय-सीमा का पालन करने ग्राहक संतुष्टि सुनिश्चित करने के लिए समर्पित
- **व्यापक उपकरण और बुनियादी ढाँचा:** निर्बाध और कुशल परियोजना निष्पादन का समर्थन करने के लिए निर्माण उपकरणों के विशाल बेड़े का लाभ उठाना
- **अखिल भारतीय उपस्थिति:** देश भर में मज़बूत उपस्थिति के साथ राष्ट्रव्यापी परिचालन
- **वर्कशॉप** –ब्रिज एण्ड रूफ, हावड़ा, पश्चिम बंगाल स्थित वर्कशॉप में विभिन्न स्टील स्ट्रक्चरल उत्पादों के निर्माण की क्षमता रखती है। इस विनिर्माण क्षमता का उपयोग कंपनी की परियोजना निर्माण गतिविधियों में फीडर ईकाई के रूप में भी किया जाता है।

#### कमजोरियाँ

- **निवेश के लिए सीमित संसाधन-** अपने व्यवसाय की मात्रा बढ़ाने के लिए, कंपनी की विकास योजना के अनुसार कार्यशील पूंजी का निवेश और सुधार करना एक चुनौती है।
- **सीमित प्रचार -** अपर्याप्त या न्यूनतम प्रचार और ब्रांड विकास, जिसके परिणामस्वरूप देश में निवेश करने वाली बहुराष्ट्रीय कंपनियों के बीच मान्यता की कमी होती है।
- उत्पादों और सेवाओं की सीमित श्रृंखला के कारण पूरी तरह से परियोजना और निर्माण गतिविधियों पर निर्भर करता है।

#### अवसर

**व्यापार बढ़ाना:**

- भारतीय अर्थव्यवस्था के सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) की तीव्र वृद्धि और भारत सरकार के निवेश ने तेल एवं गैस, बुनियादी ढाँचा, बिजली, रसायन और उर्वरक क्षेत्रों में व्यावसायिक गतिविधियों को बढ़ाने के महत्वपूर्ण अवसर पैदा किए हैं।
- हरित ऊर्जा परियोजनाएँ और पंप भंडारण परियोजनाएँ पर्याप्त निवेश आकर्षित कर रही हैं और अनेक व्यावसायिक अवसर पैदा कर रही हैं।
- इस्पात संयंत्रों का बड़े पैमाने पर विस्तार और ताप विद्युत संयंत्रों के विस्तार में अतिरिक्त निवेश, व्यावसायिक वृद्धि की उल्लेखनीय संभावनाएँ प्रस्तुत करते हैं।
- बंदरगाहों और जेटी, हवाई अड्डों, जल संसाधन, वितरण, उपचार संयंत्रों और अन्य क्षेत्रों में निवेश की उम्मीद है, साथ ही सरकार और अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थानों से भी निवेश की उम्मीद है।
- विविधीकरण - फ़्लू गैस डिसल्फ़राइज़ेशन इकाइयों, जैव-रिफाइनरियों, नदी अंतर्संबंध परियोजनाओं, पेयजल आपूर्ति प्रणालियों, नदी ड्रेजिंग, एलएनजी टर्मिनलों, हवाई अड्डों आदि के कार्यान्वयन में विस्तार।

- हावड़ा स्थित कारखाने/कार्यशाला का उपयोग करके विभिन्न प्रकार के उत्पादों जैसे प्रेशर वेसल्स, हीट एक्सचेंजर्स, बॉयलर, स्पेस फ्रेम स्ट्रक्चर और पीईबी के विकास की संभावनाएँ तलाशना।
- परियोजना वित्तपोषण और विभिन्न अनुबंधों के निष्पादन के लिए वित्तीय संस्थानों के साथ रणनीतिक और सामूहिक साझेदारी स्थापित करना।
- **अंतर्राष्ट्रीय परियोजनाएं –** कंपनी के कारोबार को बढ़ाने, निरंतर विकास और उच्च लाभ मार्जिन सुनिश्चित करने के लिए बुनियादी ढांचे के क्षेत्र में वैश्विक स्तर पर विस्तार करना।

### संभावित खतरे

- **प्रतिस्पर्धा –** कंपनी को कम टर्न ओवर वाली निजीसंस्थाओं से कड़ी प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ता है, जिसके परिणामस्वरूप परियोजनाएँ हासिल करने के लिए लाभ मार्जिन में कमी आती है।
- **परियोजना में समय और लागत की अधिकता –** पर्यावरण मंज़ूरी, अधिग्रहीत भूमि, कार्य क्षेत्र, एएफसी ड्राईंग, निःशुल्क जारी सामग्री, और ग्राहक तथा ठेकेदार दोनों से अन्य संसाधनों की अनुपलब्धता के कारण होने वाली देरी से परियोजना की समय सीमा में देरी होती है, जिससे परियोजना की लागत बढ़ जाती है और लाभप्रदता पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है।
- **असामान्य मूल्य परिवर्तन –** निर्माण कच्चे माल की कीमतों में असामान्य परिवर्तन से परियोजना की लागत बढ़ जाती है और लाभ मार्जिन में कमी आती है।
- ग्राहक परियोजनाओं/अनुबंधों को विभिन्न पैकेजों में विभाजित कर रहे हैं, जिससे कंपनी के उप-ठेकेदारों के साथ-साथ अपेक्षाकृत कम परिचालन व्यय वाली अन्य फर्मों के साथ प्रतिस्पर्धा बढ़ रही है।

हरियाणा सरकार के लिए भिवानी में सरकारी मेडिकल कॉलेज का निर्माण।

## ख) ऊर्जा संरक्षण:

### ऊर्जा संरक्षण

ऊर्जा संरक्षण का तात्पर्य ऊर्जा और संसाधनों का अधिक कुशलता से उपयोग करके ऊर्जा की खपत को कम करने की प्रक्रिया से है। इसमें व्यवहारिक परिवर्तन—जैसे उपयोग न होने पर लाइट और पंखे बंद करना—और ऊर्जा-कुशल उपकरणों और नवीकरणीय ऊर्जा प्रणालियों सहित उन्नत तकनीकों को अपनाना, दोनों शामिल हैं। सतत विकास के एक महत्वपूर्ण पहलू के रूप में, ऊर्जा संरक्षण का उद्देश्य बढ़ती ऊर्जा आवश्यकताओं को पर्यावरण संरक्षण और ज़िम्मेदार संसाधन प्रबंधन के साथ संतुलित करना है।

वैश्विक जनसंख्या में वृद्धि और औद्योगीकरण, शहरीकरण तथा बढ़ती उपभोक्ता आवश्यकताओं के कारण ऊर्जा की बढ़ती माँग के साथ, ऊर्जा संरक्षण पहले से कहीं अधिक महत्वपूर्ण हो गया है। यह ऊर्जा उत्पादन और उपयोग के पर्यावरणीय प्रभावों को कम करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, साथ ही भावी पीढ़ियों के लिए संसाधनों की उपलब्धता सुनिश्चित करता है।

ब्रिज एण्ड रूफ कम्पनी (इंडिया) लिमिटेड ने ऊर्जा दक्षता बढ़ाकर और अपने संचालन में स्थायी प्रथाओं को शामिल करके अपने कार्बन उत्सर्जन को कम करने के लिए सक्रिय कदम उठाए हैं। ऊर्जा की मांग में उल्लेखनीय वृद्धि को देखते हुए, कंपनी सभी स्तरों पर ऊर्जा संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए प्रतिबद्ध है।

ऊर्जा संरक्षण केवल सीमित संसाधनों के जीवनकाल को बढ़ाने से कहीं आगे जाता है; इसमें बढ़ती माँगों को पूरा करने के लिए वैकल्पिक ऊर्जा स्रोतों की पहचान और उनका उपयोग भी शामिल है। यह सीमित ऊर्जा आपूर्ति पर निर्भरता को कम करते हुए उन संसाधनों को पुनः भरने का समय देने की प्रक्रिया है।

इस पहल का समर्थन करने के लिए,ब्रिज एण्ड रूफ कर्मचारियों की जागरूकता, उपकरणों के नियमित रखरखाव, नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों के उपयोग और अप्रयुक्त उपकरणों को बंद करने जैसे सरल कार्य पर ज़ोर देता है। प्रत्येक कर्मचारी को मौजूदा ऊर्जा संकट के बारे में अच्छी जानकारी है और वह ऊर्जा संरक्षण के प्रयासों में सक्रिय रूप से योगदान देता है।

ऊर्जा उपयोग को अनुकूलित करने के लिए, कंपनी बाहरी विशेषज्ञों की मदद से नियमित ऊर्जा लेखापरीक्षण करती है और अनुशंसित सुधारात्मक कार्रवाई लागू करती है।

ऊर्जा-बचत की कई पहल पहले ही क्रियान्वित की जा चुकी हैं:

**पवन-संचालित टर्बो वेंटिलेटर की स्थापना:** हावड़ा कार्यशाला में, 40 टर्बो वेंटिलेटर ने एग्जॉस्ट ब्लोअर पंखों का स्थान ले लिया है, जिससे प्रतिवर्ष लगभग 3,744 यूनिट बिजली की बचत हो रही है।

**एयर कंडीशनिंग प्रणालियों का उन्नयन:** पुरानी एसी इकाइयों को बीईई-रेटेड ऊर्जा-कुशल मॉडलों से बदलने की योजना पर काम चल रहा है, जिससे महत्वपूर्ण ऊर्जा बचत होगी।

**सौर ऊर्जा उत्पादन:** नेट-मीटरिंग व्यवस्था के माध्यम से 26 किलोवाट क्षमता की सौर ऊर्जा उत्पादन प्रणाली स्थापित की गई है, जिससे प्रति वर्ष अनुमानित 50,000 यूनिट बिजली प्राप्त होती है। क्षमता को 45 किलोवाट तक बढ़ाने के लिए विस्तार योजनाएँ बनाई जा रही हैं।

**प्रकाश स्वचालन:** हावड़ा वर्क्स में प्रकाश सर्किट में टाइमर लगाए गए हैं, जिससे गैर-परिचालन घंटों के दौरान लाइटें बंद करके हर महीने लगभग 10,000 यूनिट बिजली की बचत होती है।

**पावर फैक्टर अनुकूलन:** निरंतर निगरानी और सुधारात्मक कार्रवाई पावर फैक्टर को 0.95 के इष्टतम स्तर पर बनाए रखने में मदद करती है।

**कुशल संपीड़ित वायु प्रणालियां:** एक पोर्टेबल कंप्रेसर ने पुरानी इकाई का स्थान ले लिया है, जिसके परिणामस्वरूप लगभग 34,199 यूनिट बिजली की वार्षिक बचत हुई है।

ये पहल न केवल कंपनी के पर्यावरणीय प्रभाव को कम करती हैं, बल्कि निर्माण और इंजीनियरिंग उद्योगों में अन्य लोगों के लिए एक सकारात्मक उदाहरण भी स्थापित करती हैं।ब्रिज एण्ड रूफ कम्पनी (इंडिया) लिमिटेड ऊर्जा संरक्षण और सतत विकास के लिए प्रतिबद्ध है।

ऊर्जा उपयोग पर एक रिपोर्ट अनुलग्नक-I के अनुसार संलग्न है।

**तालिका –क**

| क्र.सं. | वस्तु का विवरण | मात्रा | पहले इस्तेमाल किए गए सामान्य उपकरणों के साथ प्रति इकाई पिछली वाट क्षमता | वर्तमान में उपयोग किए जा रहे ऊर्जा कुशल उपकरणों की वाट क्षमता | एक वर्ष में कुल ऊर्जा बचत | टिप्पणी |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | व्यक्तिगत एसी | 10 | 1.5 किलोवाट (विंडो प्रकार) | 1.0 किलोवाट (न्यूनतम 4 स्टार रेटिंग वाला स्प्लिट एसी) | 10600 इकाई | |
| 2 | पंखा (दीवार / टेबल पंखा) | 30 | 45 वॉट (पुराने पंखे) | 30 वॉट (नए ऊर्जा कुशल पंखें) | 954 इकाई | |
| 3 | लाईट/बत्ती | 100 | 36 वॉट (फ्लोरोसेंट ट्यूब लाइट) | 18 वॉट (एलईडी लाइट) | 3816 इकाई | |
| | कुल | | | | 15370 इकाइयां | |

तालिका-क से यह स्पष्ट है कि हम कोलकाता स्थित अपने कॉर्पोरेट कार्यालय में पहले के उपकरणों के स्थान पर ऊर्जा कुशल विद्युत उपकरणों का उपयोग करके प्रति वर्ष 15370 यूनिट की बचत कर रहे हैं।

इसके अलावा, एग्जॉस्ट ब्लोअर पंखों के स्थान पर हमारे वर्कशॉप बे में पवन ऊर्जा से चलने वाले टर्बो वेंटिलेटर लगाना ऊर्जा संरक्षण की दिशा में उठाया गया एक कदम है। हमारे हावड़ा वर्कशॉप में 40 टर्बो वेंटिलेटर लगाए गए हैं और इसके परिणामस्वरूप हम सालाना 3744 यूनिट बिजली बचा रहे हैं। इसके अलावा, कंपनी ने अपने हावड़ा वर्कशॉप में अक्षय ऊर्जा स्रोत यानी सौर ऊर्जा विकसित की है। जिसके माध्यम से विभिन्न महत्वपूर्ण और आपातकालीन क्षेत्रों में बिजली वितरित करके और लगभग 14,300 यूनिट बिजली का उपयोग किया जाता है। 4 किलोवाट सौर ऊर्जा संयंत्र की हमारी पायलट परियोजना की सफलता से हमने नेट मीटर के माध्यम से ग्रिड से जुड़े सौर उत्पादन संयंत्र के माध्यम से सौर परियोजना का और विस्तार किया है जिससे उत्पादन 26 किलोवाट (कुल 30 किलोवाट) हो गया है जिससे अंततः एक वर्ष में लगभग 50,000 यूनिट बिजली प्राप्त होगी।

यह स्पष्ट है कि हम विद्युत उपकरणों का आधुनिकीकरण करके और ऊर्जा संरक्षण हेतु प्रौद्योगिकी का उपयोग करके, ऊर्जा की अच्छी-खासी बचत कर रहे हैं। इस प्रकार, हम पर्यावरण की रक्षा कर रहे हैं और वैश्विक स्तर पर ऊर्जा सुरक्षा बनाए रखने में अपना योगदान दे रहे हैं। हम ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन और कार्बन उत्सर्जन में कमी लाने के लिए नवीकरणीय ऊर्जा का भी उपयोग कर रहे हैं।

ऊर्जा सुरक्षा: कम ऊर्जा का उपयोग करके, देश आयातित ईंधन पर अपनी निर्भरता कम कर सकते हैं और अपनी ऊर्जा आत्मनिर्भरता बढ़ा सकते हैं। इससे वैश्विक ऊर्जा बाज़ारों में आपूर्ति में व्यवधान और मूल्य में उतार-चढ़ाव की संभावना कम हो जाती है।

संसाधन संरक्षण: कोयला, तेल और प्राकृतिक गैस जैसे कई ऊर्जा स्रोत सीमित और अक्षय नहीं हैं। ऊर्जा संरक्षण इन संसाधनों के जीवनकाल को बढ़ाने में मदद करता है और पर्यावरण के लिए विनाशकारी निष्कर्षण विधियों की आवश्यकता को कम करता है।

### ऊर्जा दक्षता

ऊर्जा दक्षता किसी भी प्रणाली, प्रक्रिया या उपकरण में उपयोगी ऊर्जा उत्पादन और कुल ऊर्जा इनपुट के अनुपात को दर्शाती है। मूलतः, यह मापता है कि ऊर्जा को कितनी प्रभावी रूप से उपयोगी कार्य या सेवाओं में परिवर्तित किया जाता है।

ऊर्जा दक्षता में सुधार, ऊर्जा खपत को कम करने और पर्यावरणीय प्रभावों को कम करने की एक प्रमुख रणनीति है। ऊर्जा दक्षता के कुछ महत्वपूर्ण पहलू इस प्रकार हैं:

1. तकनीक: तकनीकी प्रगति ऊर्जा दक्षता में सुधार लाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। इसमें अधिक कुशल उपकरण, वाहन, औद्योगिक उपकरण और भवन प्रणालियाँ विकसित करना शामिल है। उदाहरण के लिए, ऊर्जा-कुशल एलईडी लाइटें पारंपरिक तापदीप्त बल्बों की तुलना में कम बिजली की खपत करती हैं और उतनी ही या उससे बेहतर रोशनी प्रदान करती हैं।
2. डिज़ाइन: ऊर्जा दक्षता को इमारतों, परिवहन प्रणालियों और औद्योगिक प्रक्रियाओं के डिज़ाइन में शामिल किया जा सकता है। बेहतर इन्सुलेशन, कुशल हीटिंग और कूलिंग सिस्टम, और प्राकृतिक प्रकाश व्यवस्था वाली इमारतों का डिज़ाइन ऊर्जा की मांग को कम करता है। इसी तरह, वायुगतिकीय आकृतियों और हल्की सामग्रियों से बने वाहनों का डिज़ाइन ईंधन दक्षता में सुधार करता है।

3. व्यवहार: ऊर्जा दक्षता मानवीय व्यवहार पर भी निर्भर करती है। कमरे से बाहर निकलते समय लाइट बंद करना, उपकरणों पर ऊर्जा-बचत सेटिंग्स का उपयोग करना और उपकरणों का उचित रखरखाव जैसे सरल उपाय ऊर्जा की खपत को काफी कम कर सकते हैं।
4. नीतियाँ और नियम: सरकारें नीतियों और नियमों के माध्यम से ऊर्जा दक्षता को बढ़ावा दे सकती हैं। इनमें ऊर्जा-कुशल निर्माण की अनिवार्यता वाले भवन संहिता, वाहनों के लिए ईंधन दक्षता मानक, और नवीकरणीय ऊर्जा तथा ऊर्जा-बचत प्रौद्योगिकियों के लिए प्रोत्साहन शामिल हो सकते हैं।
5. शिक्षा और जागरूकता: लोगों को ऊर्जा दक्षता के महत्व के बारे में शिक्षित करना और इसे बेहतर बनाने के बारे में जानकारी प्रदान करने से ऊर्जा-बचत प्रथाओं को व्यापक रूप से अपनाया जा सकता है।

ऊर्जा दक्षता में सुधार से अनेक लाभ मिलते हैं, जिनमें शामिल हैं:

- **लागत बचत:** ऊर्जा-कुशल प्रौद्योगिकियां और प्रथाएं अक्सर व्यक्तियों, व्यवसायों और सरकारों के लिए ऊर्जा बिलों को कम करती हैं।
- **पर्यावरण संरक्षण:** ऊर्जा की खपत को कम करके, ऊर्जा दक्षता ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन और ऊर्जा उत्पादन से जुड़े अन्य प्रदूषकों को कम करने में मदद करती है।
- **ऊर्जा सुरक्षा:** ऊर्जा का अधिक कुशलतापूर्वक उपयोग करने से आयातित ईंधन पर निर्भरता कम होती है और ऊर्जा स्वतंत्रता बढ़ती है।
- **ऊर्जा सुरक्षा:** ऊर्जा का अधिक कुशलतापूर्वक उपयोग करने से आयातित ईंधन पर निर्भरता कम होती है और ऊर्जा स्वतंत्रता बढ़ती है।

**तालिका-बी पावर फैक्टर संकेतक**

| क्र.सं. | इकाई सूचक | महीना | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | दिसंबर | 99.86 | 99.99 | |
| 2 | ऊर्जा घटक | जनवरी | | 99.83 | 99.92 |
| 3 | | फरवरी | | 99.69 | 99.92 |

यह स्पष्ट है कि बी एण्ड आर कोलकाता कार्यालय और हावड़ा वर्कशॉप में अधिक से अधिक कुशल विद्युत उपकरणों के उपयोग के कारण पावर फैक्टर लगातार बढ़ रहा है। इस प्रकार, हमें समान इनपुट पावर के साथ अधिक सक्रिय आउटपुट पावर मिल रही है जिससे हानियाँ और प्रतिक्रियाशील पावर कम हो रही हैं। दूसरे शब्दों में, समान सक्रिय आउटपुट प्राप्त करने के लिए हमें कम ऊर्जा का उपयोग करना पड़ता है जिससे ऊर्जा की बचत होती है।

कुल मिलाकर, ऊर्जा दक्षता में सुधार स्थिरता प्राप्त करने और जलवायु परिवर्तन एवं ऊर्जा सुरक्षा जैसी वैश्विक चुनौतियों से निपटने के लिए एक मौलिक रणनीति है।

## अनुसंधान एवं विकास तथा तकनीकी उपलब्धियाँ:

कंपनी अनुसंधान एवं विकास प्रयासों के साथ-साथ प्रौद्योगिकी को अद्यतन करने और गुणवत्ता मानकों को उन्नत करने के लिए निरंतर प्रयास कर रही है। कंपनी का लक्ष्य आंतरिक विकास और तकनीकी सहयोग के विवेकपूर्ण मिश्रण द्वारा इसे प्राप्त करना है। व्यावसायिक रणनीति और कॉर्पोरेट पोर्टफोलियो को संरेखित करके, कंपनी बदलते कारोबारी माहौल और सरकारी नीतियों के बीच एक सफल प्रस्ताव बनाने का प्रयास करती है। पिछले एक साल में कंपनी के नवाचार पारिस्थितिकी तंत्र को नया रूप दिया गया है, जिसमें अल्पावधि में बाजार की आवश्यकताओं के अनुसार नए उत्पादों और सेवाओं को पेश करने के साथ-साथ भारत सरकार की नीति के अनुरूप उभरते और भविष्य के क्षेत्रों में काम करने पर नए सिरे से ध्यान केंद्रित किया गया है।

कंपनी ने निम्नलिखित क्षेत्रों में अनुसंधान एवं विकास गतिविधियों को सफलतापूर्वक अंजाम दिया है:

- वेट फ्लू गैस डी-सल्फराइजेशन (एफजीडी) में अवशोषक शैल के नोजल, फ्लैंज और पाइपों की परत के लिए आयातित मिश्रधातु जैसे सी-276 के स्थान पर स्वदेश निर्मित डुप्लेक्स स्टेनलेस स्टील (डीएसएस) जैसे डुप्लेक्स 2205 और 4-6% मोलिब्डेनम युक्त स्टेनलेस स्टील का उपयोग किया जाता है।

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 134 की अपेक्षाओं के अनुपालन में अनुसंधान एवं विकास, प्रौद्योगिकी अवशोषण और अनुकूलन का विवरण इस रिपोर्ट का हिस्सा बनने वाली अनुसूची अनुलग्नक-II में संलग्न है।

## 4.0 मानव संसाधन विकास :

**ब्रिज एण्ड रूफ कम्पनी (इंडिया) लिमिटेड** में, हम मानते हैं कि हमारी सबसे मूल्यवान संपत्ति हमारी मानव पूंजी है। हमारे संचालन की सफलता, हमारे कार्यान्वयन की गुणवत्ता और बुनियादी ढाँचा क्षेत्र में हमारी निरंतर वृद्धि, हमारे कार्यबल की क्षमता, प्रेरणा और समर्पण पर गहराई से आधारित है। हमारे मिशन और राष्ट्रीय विकास लक्ष्यों के अनुरूप, कंपनी की मानव संसाधन विकास (HRD) पहल प्रदर्शन, निरंतर सीखने और समावेशी विकास की संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए डिज़ाइन की गई हैं।

### रणनीतिक मानव संसाधन विकास उद्देश्य

ब्रिज एण्ड रूफ में मानव संसाधन विकास ढांचा रणनीतिक रूप से निम्नलिखित के लिए उन्मुख है:

- एक कुशल और भविष्य के लिए तैयार कार्यबल का निर्माण करें।
- सभी स्तरों पर नेतृत्व को बढ़ावा दें।
- कर्मचारी जुड़ाव और कार्यस्थल संतुष्टि को बढ़ाएँ।
- व्यक्तिगत प्रदर्शन को संगठनात्मक लक्ष्यों के साथ संरेखित करें।
- नवाचार, सुरक्षा और जवाबदेही की संस्कृति को बढ़ावा दें।

### क्षमता विकास और प्रशिक्षण

वर्ष के दौरान, हमने संगठन के सभी स्तरों पर तकनीकी, प्रबंधकीय और व्यवहारिक दक्षताओं को बढ़ाने के उद्देश्य से **प्रशिक्षण और विकास कार्यक्रमों** में निवेश जारी रखा। मुख्य विशेषताएँ इस प्रकार हैं:

- परियोजना प्रबंधन, अनुबंध प्रशासन, गुणवत्ता नियंत्रण, ईएचएस (पर्यावरण, स्वास्थ्य और सुरक्षा) और वित्तीय प्रबंधन जैसे क्षेत्रों को शामिल करने वाले आंतरिक और बाहरी प्रशिक्षण कार्यक्रम।
- प्रसिद्ध प्रशिक्षण संस्थानों और उद्योग विशेषज्ञों के साथ सहयोग।
- परिचालन दक्षता में सुधार के लिए डिजिटल उपकरण, ईआरपी प्रणाली और अनुपालन-संबंधित मॉड्यूल पर कार्यशालाएं।

हम भारत सरकार के कौशल भारत मिशन के अनुरूप कार्यबल के कौशल उन्नयन पर भी ध्यान केंद्रित कर रहे हैं, विशेष रूप से क्षेत्रीय इंजीनियरों, साइट पर्यवेक्षकों और परियोजना स्थलों पर कुशल श्रमिकों के लिए।

### क्षमता विकास और प्रशिक्षण

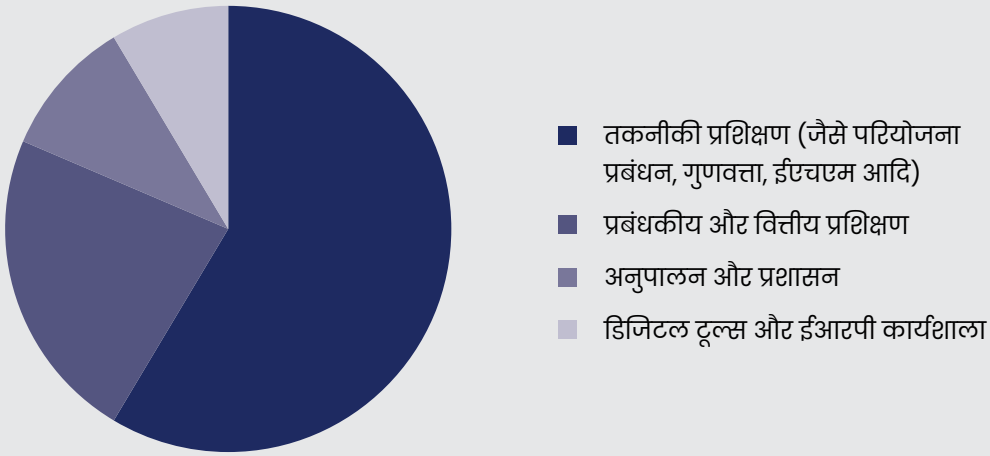


### मातृत्व लाभ अधिनियम, 1961 के अंतर्गत अनुपालन।

- **सवेतन मातृत्व अवकाश: कं**पनी डीपीई दिशानिर्देशों का पालन कर रही है।

- **क्रेच सुविधाएँ**: कोलकाता (यू/ए) में स्थित कंपनी के कार्यालय/कार्यशाला में कार्यरत कर्मचारियों के लाभ के लिए क्रेच सुविधाओं की तत्काल आवश्यकता को पूरा करने के लिए, कंपनी के हावड़ा वर्कशॉप में भवन, फर्नीचर, पानी, बिजली, प्राथमिक चिकित्सा/चिकित्सा आदि सुविधाओं सहित सामान्य व्यवस्था पहले से ही निर्धारित की गई है।
- **गैर-भेदभावपूर्ण मानव संसाधन नीतियाँ:** कंपनी सीडीए नियमों में उल्लिखित गैर-भेदभावपूर्ण नीतियों का पालन कर रही है।

### प्रदर्शन प्रबंधन और कैरियर उन्नयन

- व्यक्तिगत योगदान का निष्पक्ष मूल्यांकन करने और रचनात्मक प्रतिक्रिया प्रदान करने के लिए एक पारदर्शी और योग्यता-आधारित कार्य-निष्पादन मूल्यांकन प्रणाली लागू है। यह प्रणाली कर्मचारी के प्रदर्शन को व्यक्तिगत और संगठनात्मक दोनों लक्ष्यों से जोड़ती है।
- पदोन्नति और पुरस्कार मापनीय प्रमुख प्रदर्शन संकेतकों (KPI) पर आधारित होते हैं।
- कैरियर विकास योजनाएँ कर्मचारी विकास और आंतरिक सफलता सुनिश्चित करने के लिए बनाई जाती हैं।

हम महत्वपूर्ण भूमिकाओं में निरंतरता और नेतृत्व स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए अपने उत्तराधिकार नियोजन ढांचे को मजबूत करने की दिशा में भी काम कर रहे हैं।

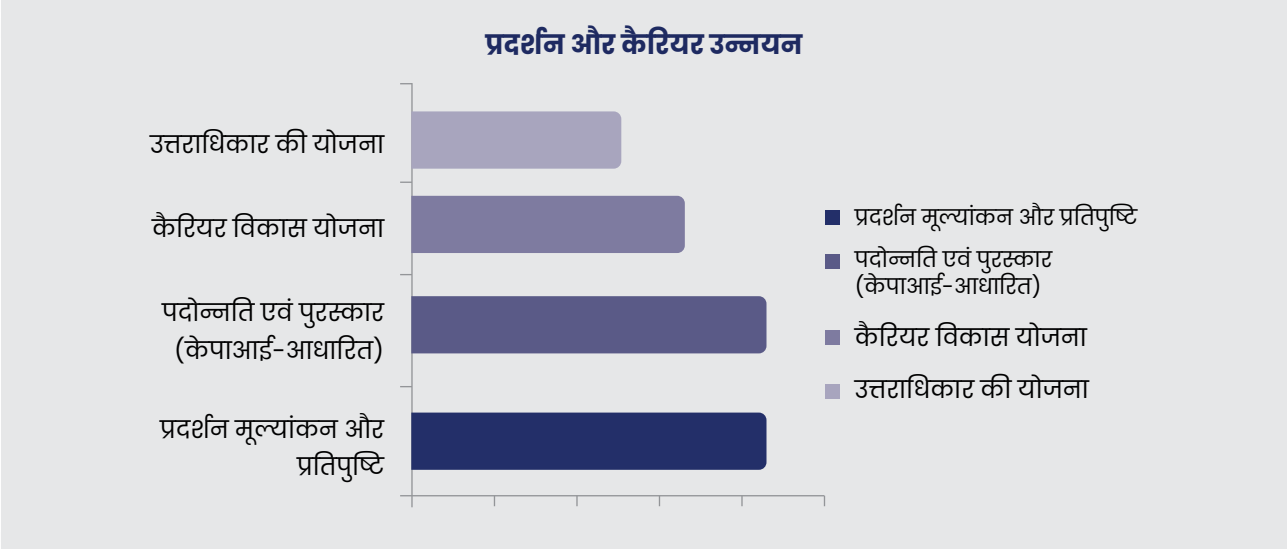


### कर्मचारी कल्याण और सहभागिता

कर्मचारी कल्याण हमारे मानव संसाधन दर्शन का आधार बना हुआ है।ब्रिज एण्ड रूफ ने अपने कर्मचारियों और उनके परिवारों की भलाई के लिए कई पहल लागू की हैं:

- व्यापक चिकित्सा बीमा और स्वास्थ्य जाँच कार्यक्रम।
- परियोजना स्थलों पर आवास, कैंटीन और सुरक्षा प्रशिक्षण सहित कल्याणकारी सुविधाएँ।
- मनोरंजक गतिविधियों और कर्मचारी सम्मान कार्यक्रमों के लिए सहायता।
- समग्र सहभागिता को बढ़ावा देने के लिए सतर्कता जागरूकता सप्ताह, स्वच्छ भारत अभियान और अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का आयोजन।

### कर्मचारियों का स्वास्थ्य और सुरक्षा

हमारे कर्मचारियों के **स्वास्थ्य और सुरक्षा** को सुनिश्चित करना एक मूलभूत ज़िम्मेदारी है, खासकर हमारे द्वारा किए जाने वाले निर्माण और बुनियादी ढाँचा परियोजनाओं की प्रकृति को देखते हुए। कंपनी की एक मज़बूत **स्वास्थ्य, सुरक्षा और पर्यावरण (एचएसई)** नीति है जिसका सभी कार्यालयों और परियोजना स्थलों पर कड़ाई से पालन किया जाता है।

### मानव संसाधन द्वारा अपनाए गए प्रमुख स्वास्थ्य एवं सुरक्षा उपाय:

- व्यावसायिक स्वास्थ्य पहल
- कॉर्पोरेट कार्यालयों में समय-समय पर स्वास्थ्य जाँच और स्वास्थ्य शिविरों का आयोजन।
- स्वच्छता, स्वच्छता जागरूकता और टीकाकरण अभियान सहित निवारक स्वास्थ्य प्रथाओं को बढ़ावा देना।

- सभी प्रमुख स्थानों पर प्राथमिक चिकित्सा किट और आपातकालीन चिकित्सा सहायता का प्रावधान।
- कर्मचारी कल्याण
- हमारे कार्यस्थलों पर कार्य-जीवन संतुलन और मानसिक स्वास्थ्य पर जागरूकता सत्र आयोजित किए जा रहे हैं।

### औद्योगिक संबंध

वर्ष के दौरान औद्योगिक संबंधों का माहौल **सौहार्दपूर्ण और सहयोगात्मक** रहा। कर्मचारी संघों के साथ नियमित संवाद और सक्रिय शिकायत निवारण तंत्र ने एक सामंजस्यपूर्ण कार्य वातावरण बनाने में योगदान दिया। कंपनी श्रम अधिकारों का संरक्षण करती रही है और सभी वैधानिक अनुपालन आवश्यकताओं का अक्षरशः पालन करती रही है।

### मानव संसाधन डिजिटलीकरण और प्रक्रिया आधुनिकीकरण

हम **मानव संसाधन परिचालन में डिजिटल परिवर्तन** को अपना रहे हैं, जिसमें शामिल हैं:

- वेतन, उपस्थिति, अवकाश और कार्यनिष्पादन पर नज़र रखने के लिए **मानव संसाधन प्रबंधन प्रणाली (HRMS)** का कार्यान्वयन।
- प्रशिक्षण वितरण और ज्ञान साझा करने के लिए डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म का उपयोग।

### विविधता और समावेशन

कंपनी कार्यस्थल पर **विविधता और समान अवसर** को बढ़ावा देने के लिए प्रतिबद्ध है। सरकारी निर्देशों और सामाजिक उत्तरदायित्व प्रतिबद्धताओं के अनुरूप, सभी स्तरों पर महिलाओं और वंचित समुदायों के उम्मीदवारों का पर्याप्त प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने के लिए विशेष प्रयास किए जाते हैं।

### आगे की दिशा में

आगे बढ़ते हुए,ब्रिज एण्ड रूफ अपने मानव संसाधनों में निम्नलिखित माध्यमों से निवेश करना जारी रखेगा:

- संरचित शिक्षण और विकास पथ।
- मानव संसाधन कार्यों का अधिकाधिक डिजिटलीकरण।
- सक्रिय प्रतिभा प्रबंधन और नेतृत्व विकास।
- एक सुरक्षित, समावेशी और सशक्त कार्य संस्कृति को बढ़ावा देना।

हमारा मानना है कि भारत की अवसंरचना विकास यात्रा में अग्रणी खिलाड़ी बनने के हमारे विजन को साकार करने के लिए प्रेरित और सशक्त कार्यबल महत्वपूर्ण है।

### अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति और विकलांग व्यक्तियों का प्रतिनिधित्व:

डीपीई के दिनांक 14 नवंबर 2008 के कार्यालय ज्ञापन संख्या 36035/17/2008-Est.(Res) के अनुपालन में, अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग और दिव्यांगजनों के प्रतिनिधित्व की स्थिति प्रदान करने के लिए दो निर्धारित प्रारूपों में सूचना अनुलग्नक के रूप में प्रस्तुत की गई है।

ये कंपनी के कर्मचारियों की उपरोक्त श्रेणियों के आंकड़े दर्शाते हैं, जैसा कि इस वार्षिक प्रतिवेदन के भाग के रूप में अनुलग्नक III और IV में संलग्न है।

हिंदी पखवाड़ा के दौरान, राजभाषा विभाग के प्रतिनिधि की उपस्थिति में कंपनी की हिंदी पत्रिका का विमोचन किया गया

## हिंदी का प्रगतिशील प्रयोग :

**कार्यालयीन कार्यों में हिंदी के बढ़ते उपयोग / राजभाषा हिंदी का प्रगतिशील प्रयोग / राजभाषा हिंदी का व्यापक एवं विकसित प्रयोग:**

हिंदी के प्रगतिशील प्रयोग को बढ़ावा देने और सरकारी कामकाज में इसके प्रभावी क्रियान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए, राजभाषा कार्यान्वयन समिति सक्रिय और प्रगतिशील भूमिका निभा रही है। भाषा संबंधी नीतियों और निर्देशों के अनुपालन की समीक्षा के लिए समिति द्वारा नियमित बैठकें आयोजित की जाती हैं। इसके अतिरिक्त, कर्मचारियों में हिंदी के प्रति जागरूकता और रुचि बढ़ाने के लिए विभिन्न कार्यशालाएँ, प्रतियोगिताएँ और प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं।

हिंदी के प्रति रुचि बढ़ाने और रचनात्मक अभिव्यक्ति के लिए एक मंच प्रदान करने के उद्देश्य से, कंपनी ने वर्ष 2024-25 से एक अर्द्धवार्षिक राजभाषा पत्रिका 'प्रबोधन' का प्रकाशन शुरू किया। इसका पहला अंक सितंबर 2024 में और दूसरा मार्च 2025 में प्रकाशित हुआ। प्रबोधन ने कर्मचारियों में हिंदी के प्रति उत्साह, रचनात्मकता और सहभागिता को बढ़ाया है। यह राजभाषा नीति के कार्यान्वयन में हिंदी के विभिन्न रूपों के प्रयोग को बढ़ावा देने का एक सशक्त माध्यम बनकर उभरा है।

राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा संचालित हिंदी शिक्षण योजना के अंतर्गत कंपनी के कर्मचारियों ने उल्लेखनीय सफलता प्राप्त की। जनवरी-मई और जुलाई-नवंबर 2024 सत्रों के संयुक्त परिणाम के अनुसार, कुल 32 कर्मचारी विभिन्न स्तरों की हिंदी परीक्षाएँ उत्तीर्ण हुए। इनमें से 10 कर्मचारी 'प्रवीण', 9 'प्राज्ञ' और 13 'पारंगत' पाठ्यक्रम में उत्तीर्ण हुए।

कंपनी के कर्मचारियों द्वारा लिखे गए दो लेख भारत सरकार के भारी उद्योग मंत्रालय (एमएचआई) द्वारा प्रकाशित प्रतिष्ठित पत्रिका 'उद्योग भारती' में चयनित और प्रकाशित हुए। एक कर्मचारी को तीसरा पुरस्कार मिला, और दूसरे को सांत्वना पुरस्कार। रचनात्मक उत्कृष्टता और सामग्री की गुणवत्ता के लिए दिए गए इन पुरस्कारों में नकद पुरस्कार भी शामिल थे। कंपनी के कुल छह कर्मचारियों ने प्रतियोगिता में भाग लिया, और मंत्रालय ने प्रतिभागियों को 10 भागीदारी प्रमाण पत्र प्रदान किए।

राजभाषा के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए, कंपनी को नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति (उपक्रम), कोलकाता द्वारा "2024-25 के लिए सक्रिय भागीदारी पुरस्कार" से सम्मानित किया गया। यह सम्मान जनवरी 2025 में आयोजित समीक्षा बैठक और राष्ट्रीय संगोष्ठी के दौरान प्रदान किया गया, जो कंपनी के निरंतर प्रयासों और भागीदारी को दर्शाता है।

वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान, कंपनी के कर्मचारियों ने नराकास (उपक्रम), कोलकाता के तत्वावधान में आयोजित विभिन्न राजभाषा प्रतियोगिताओं में सक्रिय रूप से भाग लिया। उनके सराहनीय प्रदर्शन के परिणामस्वरूप, कंपनी के प्रतिभागियों को अगस्त 2024 और जनवरी 2025 में आयोजित अर्द्धवार्षिक बैठकों के दौरान कुल छह पुरस्कार प्राप्त हुए। इनमें दो प्रथम पुरस्कार, एक द्वितीय पुरस्कार, दो तृतीय पुरस्कार और एक सांत्वना पुरस्कार शामिल थे।

नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति (उपक्रम), कोलकाता के तत्वावधान में, कंपनी ने सभी सदस्य कार्यालयों के लिए हिंदी लघु फिल्म प्रतियोगिता का सफलतापूर्वक आयोजन किया, जिसका उद्देश्य नवाचार और हिंदी के प्रयोग को बढ़ावा देना था।

वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान, कंपनी के कर्मचारियों द्वारा छह लेख, नराकास (उपक्रम), कोलकाता द्वारा प्रकाशित प्रतिष्ठित अर्द्धवार्षिक पत्रिका 'अभिव्यक्ति' के 30वें (अगस्त 2024) और 31वें (जनवरी 2025) संस्करणों में प्रकाशित किए गए।

कंपनी ने 14 से 28 सितंबर, 2024 तक हिंदी पखवाड़ा मनाया। इस आयोजन का उद्देश्य हिंदी को बढ़ावा देना, इसके व्यावहारिक उपयोग को प्रोत्साहित करना और कर्मचारियों की हिंदी भाषा के प्रति रुचि और जागरूकता बढ़ाना था। पखवाड़े के दौरान, हिंदी के विभिन्न पहलुओं पर प्रकाश डालने वाले विभिन्न कार्यक्रम और सात प्रतियोगिताएँ आयोजित की गईं। निबंध लेखन, प्रश्नोत्तरी और रचनात्मक लेखन जैसे आयोजनों को शामिल किया गया, जिनमें कर्मचारियों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। ये कार्यक्रम हाइब्रिड मोड (ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों) में आयोजित किए गए, जिससे देश भर के विभिन्न परियोजना स्थलों पर तैनात कर्मचारियों को सक्रिय रूप से भाग लेने का अवसर मिला। इस अभिनव दृष्टिकोण ने पखवाड़े के कार्यक्रमों की पहुँच का व्यापक विस्तार किया और हिंदी के प्रचार-प्रसार में सहभागिता और सहभागिता को बढ़ावा दिया।

कंपनी के वरिष्ठ अधिकारियों ने सितंबर 2024 में नई दिल्ली में आयोजित चौथे अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन और मार्च 2025 में गुवाहाटी में आयोजित क्षेत्रीय राजभाषा सम्मेलन में अपनी विशिष्ट उपस्थिति दर्ज कराई।

इन गतिविधियों के माध्यम से कार्यालयीन वातावरण में हिन्दी के प्रयोग को प्रभावी ढंग से बढ़ावा मिला है तथा कर्मचारियों में हिन्दी में कार्य करने की प्रवृत्ति और मजबूत हुई है।

## 5.0 स्वास्थ्य, सुरक्षा, पर्यावरण प्रबंधन और प्रदूषण नियंत्रण:

ब्रिज एण्ड रूफ अपने व्यवसायिक स्वास्थ्य और सुरक्षा प्रबंधन प्रणाली (ओएचएसएमएस) को बनाए रख रहा है और आईएसओ 45001: 2018 के अनुरूप प्रतिष्ठित ओएचएसएमएस प्रमाणन को सफलतापूर्वक बनाए रखने में सक्षम रहा है जो विभिन्न प्रतिष्ठित संगठनों से ऑर्डर हासिल करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।

कंपनी के पास मज़बूत और प्रभावी स्वास्थ्य, सुरक्षा और पर्यावरण (एचएसई) नीतियाँ हैं। ये नीतियाँ ओएचएसएमएस (आईएसओ 45001:2018) का अभिन्न अंग हैं और लागू अधिनियमों और नियमों के अनुपालन सहित हमारे पूरे परियोजना स्थलों और कार्य प्रभाग में इनका कार्यान्वयन किया जा रहा है।

ब्रिज एण्ड रूफ ने पर्यावरण प्रबंधन प्रणाली (ईएमएस) पर आईएसओ 14001:2015 प्रमाणपत्र प्राप्त कर लिया है तथा प्रमाणन निकाय द्वारा किए गए लेखापरीक्षण के माध्यम से इसे बरकरार रखने में सक्षम है।

यह सुनिश्चित करने के लिए सभी स्तरों पर प्रतिबद्धता है कि बी एण्ड आर की परियोजना गतिविधियों से आसपास का वातावरण प्रदूषित न हो। यह सुनिश्चित करता है कि संयंत्रों का संचालन अत्यंत सावधानी से किया जाए और कोई खतरा या दुर्घटना न हो।

आगे सुधार की संभावनाओं की पहचान करने तथा प्रभावशीलता को मापने के लिए नियमित अंतराल पर आंतरिक लेखापरीक्षा और प्रबंधन समीक्षा की जाती है।

हमारे एचएसई लक्ष्य हैं (1) कार्यस्थल पर शून्य दुर्घटना। (2) सुदृढ़ एचएसई प्रणाली को बनाए रखने के लिए कर्मचारियों के बीच सकारात्मक और उत्तरदायी दृष्टिकोण को विकसित करना और बनाए रखना। (3) सभी स्तर के कर्मचारियों से शत-प्रतिशत घटना रिपोर्टिंग।

ब्रिज एण्ड रूफ कम्पनी ने वित्त वर्ष 2024-25 के दौरान अपनी कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व गतिविधियों के अंतर्गत मिजोरम के महत्वाकांक्षी जिले मामित में विद्यांजली 2.0 के तहत विद्यालयी अवसंरचना एवं आईटी संसाधनों के सुदृढ़ीकरण में सहयोग प्रदान किया।

ब्रिज एण्ड रूफ को इंस्टीट्यूशन ऑफ सेफ्टी इंजीनियर्स (इंडिया) से आईएसईआई उत्कृष्टता पुरस्कार और सेफ्टी अवार्ड्स के तहत भारतीय राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद से सबसे प्रतिष्ठित 'प्रशंसा प्रमाण पत्र' प्राप्त करने पर गर्व है।

इसके अलावा ब्रिज एण्ड रूफ को 'विश्व सुरक्षा संगठन' से 3 स्टार रेटिंग ट्रॉफी और प्रमाण पत्र भी प्राप्त हुआ है और प्रतिष्ठित ग्राहकों से कई एलटीआई मुक्त मैन आवर प्रमाण पत्र भी प्राप्त हुए हैं।

**(I) प्रशिक्षण कार्यक्रम**

प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयों/संस्थानों को आमंत्रित करते हुए 2024-25 के दौरान कंपनी के कर्मचारियों के लिए विभिन्न एचएसई प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं।

## 6.0 कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व गतिविधियाँ:

यह सुनिश्चित किया जाता है कि कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) गतिविधियां कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 135 से संबंधित अनुसूची-VII और कंपनी (सीएसआर नीति) नियम 2014 और उसके संशोधनों के अनुसार संचालित की जाती हैं, जैसा कि कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय द्वारा विस्तृत किया गया है और सार्वजनिक उद्यम विभाग (डीपीई) द्वारा जारी दिशानिर्देशों के अनुसार किया जाता है।

### वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान सीएसआर गतिविधियाँ:

वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए सीएसआर विषयगत परियोजना 'स्वास्थ्य एवं पोषण' थी। इस संबंध में संचालित परियोजनाएँ इस प्रकार थीं:

- सरकार के सतत विकास लक्ष्य को पूरा करने के लिए राष्ट्रीय टीबी उन्मूलन कार्यक्रम के समर्थन में टूनेट डिवाइस (मोलबायो निर्मित टूलैब क्वात्रो - 4 चैनल) की 2 इकाइयों की आपूर्ति; एक इकाई एचएमसी साउथ टीबी अस्पताल और दूसरी हावड़ा जिले में एचएमसी बेलूर बाली टीबी अस्पताल में।
- मानसिक स्वास्थ्य फाउंडेशन (भारत) द्वारा एम्स दिल्ली के छात्रों के लिए एआई-संचालित मानसिक स्वास्थ्य सेवा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से "कभी अकेले नहीं" कुशल मानसिक स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करना।
- महिला स्वास्थ्य को सशक्त बनाना: सवेरा फाउंडेशन ट्रस्ट द्वारा दिल्ली/एनसीआर के वंचित समाजों की महिलाओं में गर्भाशय ग्रीवा के कैंसर और पोषण संबंधी कमियों से निपटने के लिए एक सामुदायिक पहल।

### अन्य सीएसआर गतिविधियाँ:

- भारत सरकार की विद्यांजलि 2.0 पहल के तहत डिजिटल शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए 46 स्कूलों को स्कूल फर्नीचर प्रदान करके और इंटरैक्टिव व्हाइटबोर्ड और लैपटॉप के साथ आईटी सुविधाओं को उन्नत करके मिजोरम के आकांक्षी जिले मामित में शैक्षिक बुनियादी ढांचे को बढ़ाने में सहायता की, जिससे 2,000 से अधिक छात्रों के जीवन पर सकारात्मक प्रभाव पड़ा।
- ब्यूटीशियन और फिजियोथेरेपी पाठ्यक्रमों में 6-दिवसीय कौशल विकास कार्यक्रम के माध्यम से 100 महिलाओं को व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रदान किया गया, जिसका उद्देश्य उन्हें आत्मनिर्भर बनने और अपनी आजीविका के लिए स्थायी आय उत्पन्न करने के लिए सशक्त बनाना था।

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 135 और उसके संशोधनों के प्रावधानों के अनुसार वित्त वर्ष 2024-25 के लिए एक विस्तृत सीएसआर रिपोर्ट अनुबंध-V के माध्यम से संलग्न की जा रही है।

## 7.0 कॉर्पोरेट प्रशासन:

ब्रिज एण्ड रूफ कम्पनी (इंडिया) लिमिटेड अपने संचालन में पारदर्शिता, जवाबदेही और अखंडता सुनिश्चित करने के लिए कॉर्पोरेट प्रशासन के उच्चतम मानकों को बनाए रखने के लिए प्रतिबद्ध है। कंपनी मानती है कि सतत विकास, हितधारकों के हितों की रक्षा और दीर्घकालिक शेयरधारक मूल्य में वृद्धि के लिए सुदृढ़ प्रशासन अत्यंत आवश्यक है। कंपनी के संचालन, प्रदर्शन, नेतृत्व और प्रशासन के बारे में समय पर और सटीक जानकारी प्रदान करना एक मूलभूत दायित्व है। मई 2010 में केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के लिए कॉर्पोरेट प्रशासन पर डीपीई दिशानिर्देशों के अनुपालन में, कॉर्पोरेट प्रशासन रिपोर्ट, डीपीई दिशानिर्देशों के अनुसार कॉर्पोरेट प्रशासन के अनुपालन प्रमाणपत्रों के साथ, संलग्न है और इस रिपोर्ट का एक अभिन्न अंग है।

## 8.0 लेखा परीक्षा समिति :

वित्तीय वर्ष 2024-25 में 21 दिसंबर 2024 और 24 मार्च 2025 को लेखा परीक्षा समिति का पुनर्गठन किया गया।

भारी उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली से प्राप्त आदेश संख्या 3(27)/2010-पीई-IV दिनांक 02.11.2021 के अनुसार, स्वतंत्र निदेशक श्री आशीष चतुर्वेदी और श्री एस.कृष्ण कुमार का कार्यकाल 02.11.2024 से समाप्त हो गया।

दिनांक 27 फरवरी 2025 के आदेश संख्या 7(3)/98-पीई. IV/ सीपीएसई-I के अनुसरण में, राष्ट्रपति ने भारी उद्योग मंत्रालय के निदेशक श्री राजेश कुमार कोब्रिज एण्ड रूफ कम्पनी (इंडिया) लिमिटेड के बोर्ड में अंशकालिक आधिकारिक निदेशक के रूप में नियुक्त किया है। वे तत्काल प्रभाव से और अगले आदेश तक एमएचआई (भारी उद्योग मंत्रालय) के पूर्व निदेशक श्री आदित्य कुमार घोष के स्थान पर कार्य करेंगे।

इसलिए, 31.03.2025 तक समिति में निम्नलिखित सदस्य शामिल थे: श्री राजेश कुमार, अध्यक्ष, श्री रवि कुमार, सदस्य और श्री नव रत्न गुप्ता, सदस्य।

वित्त वर्ष 2024-25 के दौरान लेखापरीक्षा समिति की पांच बैठकें 29.06.2024, 20.07.2024, 28.10.2024, 21.12.2024 और 24.03.2025 को आयोजित की गईं।

### 9.0 कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व समिति:

वित्तीय वर्ष 2024-25 में 21 दिसंबर 2024 और 24 मार्च 2025 को सीएसआर समिति का पुनर्गठन किया गया।

भारी उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली से प्राप्त आदेश संख्या 3(27)/2010-पीई-IV दिनांक 02.11.2021 के अनुसार, स्वतंत्र निदेशक श्री आशीष चतुर्वेदी और श्री एस.कृष्ण कुमार का कार्यकाल 02.11.2024 से समाप्त हो गया।

दिनांक 27 फरवरी 2025 के आदेश संख्या 7(3)/98-पीई. IV/ सीपीएसई-I के अनुसरण में, राष्ट्रपति ने भारी उद्योग मंत्रालय के निदेशक श्री राजेश कुमार कोब्रिज एण्ड रूफ कम्पनी (इंडिया) लिमिटेड के बोर्ड में अंशकालिक आधिकारिक निदेशक के रूप में नियुक्त किया है। वे तत्काल प्रभाव से और अगले आदेश तक एमएचआई (भारी उद्योग मंत्रालय) के पूर्व निदेशक श्री आदित्य कुमार घोष के स्थान पर कार्य करेंगे।

इसलिए, 31.03.2025 तक समिति में निम्नलिखित सदस्य शामिल थे: श्री राजेश कुमार, अध्यक्ष, श्री रवि कुमार, सदस्य और श्री नव रत्न गुप्ता, सदस्य।

वित्त वर्ष 2024-25 के दौरान सीएसआर समिति की चार बैठकें 20.07.2024, 28.10.2024, 21.12.2024 और 24.03.2025 को आयोजित की गईं।

### 10.0 नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति:

वित्तीय वर्ष 2024-25 में 21 दिसंबर 2024 और 24 मार्च 2025 को सीएसआर समिति का पुनर्गठन किया गया।

भारी उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली से प्राप्त आदेश संख्या 3(27)/2010-पीई-IV दिनांक 02.11.2021 के अनुसार, स्वतंत्र निदेशक श्री आशीष चतुर्वेदी और श्री एस.कृष्ण कुमार का कार्यकाल 02.11.2024 से समाप्त हो गया।

दिनांक 27 फरवरी 2025 के आदेश संख्या 7(3)/98-पीई. IV/ सीपीएसई-I के अनुसरण में, राष्ट्रपति ने भारी उद्योग मंत्रालय के निदेशक श्री राजेश कुमार कोब्रिज एण्ड रूफ कम्पनी (इंडिया) लिमिटेड के बोर्ड में अंशकालिक आधिकारिक निदेशक के रूप में नियुक्त किया है। वे तत्काल प्रभाव से और अगले आदेश तक एमएचआई (भारी उद्योग मंत्रालय) के पूर्व निदेशक श्री आदित्य कुमार घोष के स्थान पर कार्य करेंगे।

हावड़ा जिला अस्पतालों राष्ट्रीय टीबी उन्मूलन कार्यक्रम के तहत ट्रूनेट मशीनों की आपूर्ति।

इसलिए, 31.03.2025 तक समिति में निम्नलिखित सदस्य शामिल थे: श्री राजेश कुमार, अध्यक्ष, श्री रवि कुमार, सदस्य और श्री नव रत्न गुप्ता, सदस्य।

वित्त वर्ष 2024-25 के दौरान नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति की कोई बैठक आयोजित नहीं की गई।

## 11.0 निदेशकों का उत्तरदायित्व विवरण:

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 134(5) के तहत आवश्यकता के अनुसार, यह पुष्टि की जाती है कि:

(क) वार्षिक लेखा तैयार करते समय, लागू लेखांकन मानकों का पालन किया गया था तथा भौतिक विचलनों से संबंधित उचित स्पष्टीकरण भी दिया गया था;

(ख) निदेशकों ने ऐसी लेखांकन नीतियों का चयन किया था और उन्हें सुसंगत रूप से लागू किया था और ऐसे निर्णय और अनुमान लगाए थे जो उचित और विवेकपूर्ण थे ताकि वित्तीय वर्ष के अंत में कंपनी के मामलों की स्थिति और उस अवधि के लिए कंपनी के लाभ का सही और निष्पक्ष दृष्टिकोण दिया जा सके;

(ग) निदेशकों ने कंपनी की परिसंपत्तियों की सुरक्षा के लिए तथा धोखाधड़ी और अन्य अनियमितताओं को रोकने और उनका पता लगाने के लिए कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों के अनुसार पर्याप्त लेखा अभिलेखों के रखरखाव के लिए उचित और पर्याप्त सावधानी बरती थी;

(घ) निदेशकों ने चालू व्यवसाय के आधार पर वार्षिक लेखे तैयार किए थे;

(ङ) निदेशकों ने कंपनी द्वारा पालन किए जाने वाले आंतरिक वित्तीय नियंत्रण निर्धारित किए थे और ऐसे आंतरिक वित्तीय नियंत्रण पर्याप्त थे और प्रभावी ढंग से कार्य कर रहे थे; और

(च) निदेशकों ने सभी लागू कानूनों के प्रावधानों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए उचित प्रणालियां तैयार की थीं और ऐसी प्रणालियां पर्याप्त थीं तथा प्रभावी ढंग से काम कर रही थीं।

## 12.0 आंतरिक नियंत्रण प्रणालियाँ और उनकी पर्याप्तता:

कंपनी ने निष्पादनाधीन सभी साइटों के संबंध में परिचालन के प्रमुख क्षेत्रों के संबंध में पर्याप्त आंतरिक नियंत्रण प्रणालियां स्थापित की हैं।

## 13.0 सूचना प्रौद्योगिकी संचालित व्यवसाय

डिजिटल परिवर्तन दुनिया भर के व्यवसायों को प्रभावित कर रहा है, पारंपरिक मॉडलों को बदल रहा है, और कंपनी के व्यावसायिक संचालन को पुनर्परिभाषित कर रहा है और इसने विभिन्न उद्योगों में क्रांति ला दी है। एक केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र होने के नाते, हम पारदर्शिता और दक्षता की दिशा में आईटी-संचालित व्यवसाय पर निरंतर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं, अपने संचालन के विभिन्न पहलुओं में सूचना सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए, अपने ग्राहकों की अपेक्षाओं को पूरा करने, विविध सहयोगों को सुगम बनाने और निरंतर विकास सुनिश्चित करने का लक्ष्य रखते हैं।

तदनुसार, कंपनी ने पिछले कुछ वर्षों के दौरान आईटी संचालित व्यावसायिक संचालन के लिए विभिन्न महत्वपूर्ण डिजिटल परिवर्तन पहलों को अपनाया है और पिछले वित्तीय वर्ष यानी 2024-25 में इस पर अधिक जोर दिया गया है।

डिजिटल अपनाने और डिजिटल परिवर्तन की दिशा में आईटी पहल का प्रमुख परिदृश्य दशकों पहले कंपनी में बड़े पैमाने पर वित्त और मानव संसाधन प्रबंधन कार्यों को नियंत्रित करने के लिए विश्व स्तरीय ओरेकल ईबीएस ईआरपी सिस्टम को तैनात करके शुरू हुआ था।

हमने हाल ही में अपने इन-हाउस डेटा सेंटर में एक उच्च-स्तरीय एंटरप्राइज़-ग्रेड सर्वर, SAN (स्टोरेज एरिया नेटवर्क) स्टोरेज और एक टेप लाइब्रेरी के साथ-साथ कई सर्वरों की स्थापना करके अपने आईटी इन्फ्रास्ट्रक्चर को मज़बूत किया है। यह सुधार हमारी कंप्यूटिंग शक्ति, स्टोरेज क्षमताओं और डेटा बैकअप की तैयारी में उल्लेखनीय सुधार करता है, और हमारे व्यावसायिक संचालन और निरंतरता योजना की बढ़ती माँगों को पूरा करता है।

ईआरपी सिस्टम सहित हमारे सभी ऑनलाइन एप्लिकेशन एक मज़बूत फ़ेलओवर-स्विचओवर रणनीति के साथ एक मल्टी-क्लाउड वातावरण में तैनात हैं। यह आर्किटेक्चर हमारे ऑन-प्रिमाइसेस डेटा सेंटर (डीसी) और डिजास्टर रिकवरी (डीआर) सेटअप के साथ मज़बूती से एकीकृत है ताकि सिस्टम विफलताओं या आपदाओं की स्थिति में उच्च उपलब्धता, व्यावसायिक निरंतरता और न्यूनतम सेवा व्यवधान सुनिश्चित किया जा सके।

हमारा Oracle E-Business Suite (EBS) ERP सिस्टम इस वर्ष मौजूदा 12.1 से नवीनतम संस्करण 12.2 के साथ माइग्रेट हो गया है, इसे बिज़नेस इंटेलिजेंस (BI) आधारित एंटरप्राइज़ कमांड सेंटर (ECC) मॉड्यूल के साथ एकीकृत किया गया है, और मौजूदा 11g प्लेटफ़ॉर्म को हटाकर Oracle 19c डेटाबेस प्लेटफ़ॉर्म पर होस्ट किया गया है। यह रणनीतिक अपग्रेड पूरे संगठन में डेटा की उपलब्धता और परिचालन पारदर्शिता को उल्लेखनीय रूप से बढ़ाता है। BI-आधारित रिपोर्टिंग टूल सीधे ERP सिस्टम से लाइव डेटा प्राप्त करके रीयल-टाइम अंतर्दृष्टि प्रदान करते हैं; जिससे तेज़, डेटा-संचालित निर्णय लेने में मदद मिलती है। इन क्षमताओं ने वित्तीय और प्रबंधन सूचना प्रणाली (MIS) रिपोर्टों के निर्माण और सटीकता में उल्लेखनीय सुधार किया है, जिससे बेहतर प्रशासन और रणनीतिक योजना को बल मिला है।

डिजिटल परिवर्तन की यात्रा के एक हिस्से के रूप में, हमने सभी हितधारकों के साथ वित्तीय लेनदेन को स्वचालित करने के लिए

होस्ट-टू-होस्ट (H2H) भुगतान एकीकरण पद्धति लागू की है। यह समाधान कंपनी के ईआरपी सिस्टम और कई बैंकिंग भागीदारों के समर्पित सर्वरों के बीच एक सुरक्षित और सीधा कनेक्शन स्थापित करता है। H2H सेटअप मैनुअल हस्तक्षेप को काफी कम करता है, जिससे मानवीय त्रुटि का जोखिम कम होता है, लेनदेन की सटीकता बढ़ती है और समग्र भुगतान प्रक्रिया सुव्यवस्थित होती है। इस स्वचालन से समय और प्रयास में उल्लेखनीय बचत हुई है, साथ ही परिचालन दक्षता और वित्तीय प्रशासन में भी सुधार हुआ है।

हमारे ईआरपी प्रणाली का एचआरएमएस मॉड्यूल ऑनलाइन कर्मचारी सूचना प्रणाली (ईआईएस) के साथ सहजता से एकीकृत है। यह एक एकीकृत सिंगल-विंडो डिजिटल पोर्टल है जो मैनुअल हस्तक्षेप को कम करने, पारदर्शिता बढ़ाने और कर्मचारियों को उनके नौकरी से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी तक रीयल-टाइम पहुँच प्रदान करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। इस पोर्टल के माध्यम से, कर्मचारियों को अपनी डिजिटल सेवा पुस्तिका और यात्रा अनुमोदन एवं अवकाश प्रबंधन, वेतन पर्ची और पीएफ पर्ची, फॉर्म 16, वेतन प्रमाणपत्र, ऑनलाइन कार्य-निष्पादन मूल्यांकन, आधिकारिक परिपत्रों तक पहुँच, और प्रतिक्रिया एवं विचारों के लिए डिजिटल सुझाव पेटी सहित कागज़ रहित स्व-सेवा सुविधाओं के एक व्यापक समूह तक सीधी पहुँच प्राप्त होती है। यह पहल डिजिटल सशक्तिकरण, परिचालन दक्षता और एक पर्यावरण-अनुकूल, कागज़ रहित कार्य वातावरण के प्रति हमारी प्रतिबद्धता को दर्शाती है।

भारत सरकार की कागज रहित कार्यालय पहल के अनुरूप, हमने इसके संचालन को डिजिटल बनाने, प्रक्रियात्मक दक्षता बढ़ाने और अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी के माध्यम से शासन को मजबूत करने के लिए कई रणनीतिक कदम उठाए हैं।

### ई-फाइल-ई-ऑफिस सिस्टम

- नवीनतम सॉफ्टवेयर तकनीकों का उपयोग करके एक परिष्कृत, आंतरिक रूप से डिज़ाइन किया गया **ई-फाइल-ई-ऑफिस** सिस्टम लागू किया गया है। यह प्लेटफ़ॉर्म **ओटीपी-आधारित डिजिटल हस्ताक्षर प्रमाणीकरण की सुविधा प्रदान करता है** और पूरे संगठन में फाइलों, नोट शीट और आधिकारिक दस्तावेजों के सुरक्षित, पता लगाने योग्य संचलन और अनुमोदन के लिए **ब्लॉकचेन तकनीक** के पहलुओं को शामिल करता है।

### ड्राइंग अनुमोदन के लिए ई-पीएमएस

- कंपनी ने परियोजना टीम, परामर्शदाताओं और ग्राहकों के बीच डिजाइन और ड्राइंग अनुमोदन प्रक्रिया को **डिजिटल बनाने और सुव्यवस्थित** करने, समन्वय में सुधार लाने और टर्नअराउंड समय को कम करने के लिए **ई-प्रोजेक्ट प्रबंधन प्रणाली (ई-पीएमएस)** शुरू की है।

उत्तराखंड सरकार के चिकित्सा स्वास्थ्य एवं शिक्षा विभाग के लिए पीएमसी आधार पर ह

### केंद्रीय भुगतान प्रसंस्करण प्रणाली (सीपीपीएस)

- भुगतान अनुमोदन प्रक्रिया को डिजिटल और त्वरित बनाने, विलंब को कम करने और वित्तीय नियंत्रण को बढ़ाने के लिए एक **केंद्रीय भुगतान प्रसंस्करण प्रणाली** शुरू की गई है।

हरिद्वार जिला अस्पताल का निर्माण।

### बायोमेट्रिक उपस्थिति प्रणाली

- सभी कार्यालयों और परियोजना स्थलों पर एक समर्पित केंद्रीय सर्वर के साथ एक **बायोमेट्रिक उपस्थिति प्रणाली** लागू की गई है। यह **HRMS:EIS पोर्टल के साथ पूरी तरह से एकीकृत** है, जिससे एक **गतिशील अवकाश प्रबंधन प्रणाली** संभव हो पाई है और वास्तविक समय पर उपस्थिति ट्रैकिंग और पारदर्शिता सुनिश्चित हुई है।

### परियोजना निगरानी पोर्टल

- साप्ताहिक/पाक्षिक परियोजना प्रगति की **प्रभावी और वास्तविक** समय पर निगरानी के लिए एक **ऑनलाइन परियोजना निगरानी पोर्टल** विकसित किया गया है। यह पोर्टल परियोजना नियोजन की तुलना में प्रगति डेटा और फोटो प्रदर्शित करता है, साथ ही बेहतर **दृश्यता और प्रबंधन** के लिए ग्राफ़िकल डैशबोर्ड भी प्रदान करता है।

### ई-दस्तावेज़ प्रणाली

- महत्वपूर्ण कंपनी दस्तावेजों को कुशलतापूर्वक प्रबंधित करने के लिए, संगठन ने **महत्वपूर्ण फाइलों और अभिलेखों के केंद्रीकृत नियंत्रण, पुनर्प्राप्ति** और संग्रहण के लिए अपनी स्वयं की **ई-डॉक्स प्रणाली** शुरू की है।

### निगरानी और आगंतुक प्रबंधन

- सुरक्षा बढ़ाने और **आगंतुकों की ट्रैकिंग** को कारगर बनाने के लिए कॉर्पोरेट कार्यालय और अन्य प्रमुख स्थानों पर **आगंतुक प्रबंधन प्रणाली (वीएमएस) / ई-गेट पास प्रणाली** के साथ एक व्यापक निगरानी प्रणाली लागू की गई है।

### परिसंपत्ति ट्रैकिंग पोर्टल

- विभिन्न परियोजना स्थलों पर तैनात परिसंपत्तियों के प्रभावी उपयोग और निगरानी को सुनिश्चित करने के लिए एक समर्पित **परिसंपत्ति ट्रैकिंग पोर्टल** चालू किया गया है।

### ई-वाउचर प्रणाली

- सभी पक्षों के चालानों और उनके संबंधित सहायक **ई-दस्तावेजों** के लिए एक **केंद्रीकृत क्लाउड-आधारित संग्रह** बनाने हेतु, हमने एक ई-वाउचर प्रणाली शुरू की है। यह पहल **ईआरपी प्रणाली से उत्पन्न भुगतान वाउचर अनुमोदन प्रक्रिया के डिजिटलीकरण** को सक्षम बनाती है। यह प्रणाली **वित्तीय संचालन को सुव्यवस्थित करने, पता लगाने की क्षमता** बढ़ाने और आंतरिक नियंत्रण को सुदृढ़ करने के लिए डिज़ाइन की गई है। **हावड़ा स्थित केंद्रीय लेखा केंद्र संपूर्ण डिजिटल कार्यप्रवाह** की देखरेख करता है, जिससे वित्तीय लेनदेन में बेहतर निगरानी, पारदर्शिता और लेखा परीक्षा की तैयारी सुनिश्चित होती है।

### इन्वेंट्री प्रबंधन प्रणाली

- पारदर्शिता, **परिचालन दक्षता और इन्वेंट्री गतिविधियों** की **वास्तविक समय निगरानी** बढ़ाने के लिए, हमने परियोजना स्थलों पर **क्लाउड-आधारित ऑनलाइन इन्वेंट्री प्रबंधन प्रणाली** लागू की है। यह **ई-स्टोर प्रणाली माल प्राप्तियों (जीआर) की डिजिटल रिकॉर्डिंग, स्वचालित स्टोर लेज़र**

**रखरखाव और विभिन्न स्थानों पर सामग्री की आवाजाही और स्टॉक के स्तर की संपूर्ण दृश्यता** को सुगम बनाती है। यह प्रणाली सूचित निर्णय लेने में सहायता करती है, जवाबदेही में सुधार करती है, और पारंपरिक इन्वेंट्री प्रथाओं से जुड़ी मैनुअल त्रुटियों को काफी कम करती है।

### जीएसटी समाधान

- सभी जीएसटी-संबंधी प्रक्रियाओं को स्वचालित और सुव्यवस्थित करने के लिए, हमने एक **ऑनलाइन ईआरपी-एकीकृत जीएसटी समाधान** लागू किया है। यह **समाधान व्यापक जीएसटी रिपोर्ट** तैयार करने में सक्षम बनाता है और प्रतिपक्ष दाखिलों के साथ **जीएसटीआर-2बी का मिलान** आसान बनाता है, जिससे विसंगतियां कम होती हैं और सटीक इनपुट टैक्स क्रेडिट (आईटीसी) दावे सुनिश्चित होते हैं। जीएसटी अनुपालन को सीधे ईआरपी प्रणाली के साथ एकीकृत करके, यह समाधान अनावश्यक कार्यों को काफी कम करता है, डेटा सटीकता बढ़ाता है और **नियामक अनुपालन** को मजबूत करता है। यह मैनुअल मिलान प्रयासों को समाप्त करके और वास्तविक समय में जीएसटी डेटा दृश्यता का समर्थन करके परिचालन दक्षता में भी सुधार करता है।

### जेम–ईआरपी एकीकरण

- खरीद प्रक्रियाओं को सुव्यवस्थित करने और सरकारी **ई-बाजार (जेम)** प्लेटफ़ॉर्म और कंपनी की **ईआरपी प्रणाली** के बीच निर्बाध समन्वय सुनिश्चित करने के लिए, हमने एक समर्पित पोर्टल के माध्यम से एक **कस्टम GeM-ERP एकीकरण प्रणाली** शुरू की है। यह एकीकरण खरीद गतिविधियों के लिए **स्वचालित डेटा विनिमय** को सक्षम बनाता है, मैन्युअल हस्तक्षेप को कम करता है, सार्वजनिक खरीद मानदंडों का अनुपालन सुनिश्चित करता है, और खरीद जीवनचक्र में **पारदर्शिता, पता लगाने की क्षमता और परिचालन दक्षता** को बढ़ाता है।

कंपनी की अधिकांश खरीद गतिविधियाँ एनआईसी द्वारा प्रदान की गई सरकारी ई-खरीद प्रणाली (जीईपीएनआईसी) के माध्यम से संचालित होती हैं, जो सार्वजनिक खरीद क्षेत्र में पूर्ण पारदर्शिता के प्रति प्रतिबद्धता का प्रतीक है। इसके अतिरिक्त, खरीद गवर्नमेंट ई-मार्केटप्लेस (जेम) पोर्टल और कंपनी के अपने ई-टेंडरिंग पोर्टल के माध्यम से भी की जाती है, जिससे प्रक्रिया के हर चरण में पारदर्शिता सुनिश्चित होती है।

सभी आईटी परिचालनों के सुचारु संचालन को सुनिश्चित करने के लिए, सूचना प्रौद्योगिकी विभाग वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सभी उपयोगकर्ताओं के लिए व्यापक प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करता है। पिछले वित्तीय वर्ष के दौरान, सभी ईआरपी कार्यात्मक मॉड्यूलों—अर्थात् वित्त एवं लेखा, एचआरएमएस एवं पेरोल, और क्रय एवं इन्वेंट्री (विशेष रूप से हावड़ा वर्क्स के लिए) पर व्यापक प्रशिक्षण प्रदान किया गया था। इन सत्रों का ध्यान उपयोगकर्ताओं को उन्नत और माइग्रेटेड ईआरपी संस्करण से परिचित कराने पर केंद्रित था ताकि नए ईआरपी सेटअप के भीतर प्रभावी अपनाने और निरंतर कार्यक्षमता का समर्थन किया जा सके। इसके साथ ही, प्रणाली विकास, समर्थन और रखरखाव में अपनी क्षमताओं को मजबूत करने के लिए सभी आईटी टीम के सदस्यों को ईआरपी तकनीकी प्रशिक्षण भी दिया गया। इसके अलावा, दैनिक व्यावसायिक संचालन में एआई के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए सभी कर्मचारियों के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) पर एक पूरे दिन का प्रशिक्षण सत्र आयोजित किया गया था।

कंपनी ने हाईवेयर-आधारित प्रणालियों और सॉफ्टवेयर प्लेटफार्मों (जैसे कि सिस्को वेबएक्स) के माध्यम से एक समर्पित वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग (वीसी) सुविधा शुरू की है, ताकि परियोजना समीक्षा, बोलीदाताओं के साथ चर्चा और अन्य सहयोगी सत्रों के लिए निर्बाध बैठकें संभव हो सकें।

इसके अतिरिक्त, कंपनी की ईमेल सेवाएँ अब भारत सरकार के राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र (एनआईसी) द्वारा होस्ट की जाती हैं, जो बैकअप कनेक्शन के साथ 60 एमबीपीएस इंटरनेट लीज्ड लाइन (आईएलएल) द्वारा समर्थित हैं। साइबर सुरक्षा को बेहतर बनाने के लिए, कंपनी ने **कवच (KAVACH)** को लागू किया है, जो एनआईसी द्वारा प्रदान किया गया एक मज़बूत दो-कारक प्रमाणीकरण समाधान है, जो सभी ईमेल संचारों के लिए उच्च-स्तरीय सुरक्षा सुनिश्चित करता है।

कंपनी के भीतर साइबर सुरक्षा पहलों का नेतृत्व महाप्रबंधक (आईटी) द्वारा किया जाता है, जो आईटी विभाग के सूचना सुरक्षा प्रकोष्ठ के माध्यम से मुख्य सूचना सुरक्षा अधिकारी (सीआईएसओ) के रूप में भी कार्य करते हैं। सूचना सुरक्षा प्रकोष्ठ ने '**आईटी नीतियों और प्रक्रियाओं**' और '**साइबर संकट प्रबंधन योजना**' पर व्यापक मैनुअल विकसित किए हैं, जो सक्रिय सूचना सुरक्षा प्रबंधन के लिए एक मज़बूत आधार प्रदान करते हैं। महत्वपूर्ण आईटी अवसंरचना की सुरक्षा के लिए, कंपनी ने डेटा सेंटर नेटवर्क सर्किट के भीतर **सिस्को और फ़ोर्टिगेट फ़ायरवॉल,** साथ ही **हनीपोट उपकरणों** सहित उन्नत सुरक्षा घटकों को तैनात किया है।

कुछ साल पहले, कंपनी ने **सूचना सुरक्षा प्रबंधन प्रणाली (आईएसएमएस) आईएसओ 27001:2022** प्रमाणन प्राप्त किया था और उसके बाद के सभी लेखापरीक्षण सफलतापूर्वक पूरे कर लिए हैं। उल्लेखनीय रूप से, लेखापरीक्षण टिप्पणियों ने पुष्टि की है कि **सुरक्षा संबंधी कोई भी समस्या नहीं** पाई गई। इस प्रमाणन का दायरा **डिज़ाइन, इंजीनियरिंग, खरीद, निर्माण और निर्माण परियोजनाओं के प्रबंधन में बहु-विषयक** सेवाओं को शामिल करता है, जिसमें **बुनियादी ढाँचा, औद्योगिक और अन्य**

**निर्माण परियोजनाओं** के साथ-साथ **कार्यशाला संचालन** के क्षेत्रों में परियोजना प्रबंधन परामर्श भी शामिल है। यह प्र**माणन प्रयोज्यता विवरण** के अनुसार मज़बूत सूचना सुरक्षा उपायों के कार्यान्वयन को सुनिश्चित करता है।

कंपनी **कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम - इंडिया (CERT-In)** और **नेशनल क्रिटिकल इंफॉर्मेशन इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोटेक्शन सेंटर (NCIIPC)** जैसी नामित वैधानिक संस्थाओं के साथ सक्रिय सहयोग बनाए रखती है। यह **भारत सरकार के भारी उद्योग मंत्रालय (MHI)** के माध्यम से इन एजेंसियों द्वारा जारी साइबर सुरक्षा दिशानिर्देशों और सिफारिशों का निरंतर पालन करती है। इसके अतिरिक्त, कंपनी कर्मचारियों के लिए नियमित प्रशिक्षण और जागरूकता कार्यक्रम आयोजित करती है, और तैयारी और प्रतिक्रिया क्षमताओं को सुनिश्चित करने के लिए CERT-In और NCIIPC द्वारा आयोजित सिमुलेशन अभ्यासों में भाग लेती है।

**कंपनी की आधिकारिक वेबसाइट** का परीक्षण, लेखापरीक्षण और प्रमाणन CERT-In सुरक्षा दिशानिर्देशों के अनुरूप किया गया है, और इसे **'वेब सुरक्षा लेखापरीक्षण प्रमाणपत्र'** प्राप्त हुआ है। यह CERT-In द्वारा अनिवार्य **GIGW 3.0 (भारतीय सरकारी वेबसाइटों के लिए दिशानिर्देश)** मानदंडों का भी अनुपालन करती है।

**सूचना प्रौद्योगिकी विभाग** अपनी तकनीकी विशेषज्ञता का लाभ उठाते हुए, प्रमुख परियोजनाओं में विभिन्न आईटी अवसंरचना-संबंधी गतिविधियों के सफल क्रियान्वयन के लिए **परियोजना प्रभाग** के साथ सक्रिय रूप से समन्वय, सहयोग और सहायता प्रदान करता है। हाल ही में, विभाग ने एक औद्योगिक क्षेत्र के ग्राहक के लिए **₹20 करोड़** मूल्य की एक **आईटी अवसंरचना और स्वचालन परियोजना** को सफलतापूर्वक पूरा किया, जो **उद्योग 4.0 मानदंडों** के पूर्णतः अनुरूप है। इसके अतिरिक्त, **शैक्षणिक संस्थानों** के लिए **नेटवर्किंग और निगरानी समाधानों** पर केंद्रित **₹3 करोड़** मूल्य की एक अलग परियोजना पूरी की गई।

इसके अलावा, विभिन्न सोशल मीडिया प्लेटफार्मों पर रणनीतिक जुड़ाव और कंपनी की आधिकारिक वेबसाइट को अपडेट करके कंपनी की **कॉर्पोरेट ब्रांडिंग और दृश्यता** बढ़ाने के लिए विशेष आईटी पहल की गई है।

डिजिटल परिवर्तन में अपने प्रयासों और उपलब्धियों के सम्मान में, कंपनी को **इंडियन एक्सप्रेस समूह** द्वारा आयोजित **पीएसई शिखर सम्मेलन में एंटरप्राइज़ एप्लिकेशन** की श्रेणी में **आईटी उत्कृष्टता** के लिए एक प्रतिष्ठित पुरस्कार प्राप्त हुआ।

## 14.0 गुणवत्ता प्रबंधन प्रणाली:

ब्रिज एण्ड रूफ कम्पनी (इंडिया) लिमिटेड कंपनी के भीतर गुणवत्ता प्रबंधन प्रणालियों को बेहतर बनाने के लिए निरंतर प्रयासरत है। कंपनी को निम्नलिखित के लिए ISO 9001:2015 में अपग्रेड होने पर गर्व है:

क) बुनियादी ढांचे, औद्योगिक और अन्य निर्माण परियोजनाओं के क्षेत्र में परियोजना प्रबंधन परामर्श सहित निर्माण परियोजनाओं के डिजाइन, इंजीनियरिंग, खरीद, निर्माण और प्रबंधन में बहु-विषयक सेवाएं;

ख) बेली टाइप यूनिट ब्रिज, बंक हाउस और स्टील स्ट्रक्चरल का डिजाइन, निर्माण और आपूर्ति।

पुनःप्रमाणन लेखापरीक्षा बाह्य लेखापरीक्षकों डीएनवी-जीएल द्वारा सफलतापूर्वक संपन्न की गई है।

## 15.0 निदेशकगण

दिनांक 24 जुलाई 2024 के आदेश संख्या 7(3)/98-पीई. IV/सीपीएसई-I के अनुसरण में, राष्ट्रपति ने भारी उद्योग मंत्रालय की आर्थिक सलाहकार श्रीमती रेणुका मिश्रा को तत्काल प्रभाव से और अगले आदेश तकब्रिज एण्ड रूफ कम्पनी (इंडिया) लिमिटेड के बोर्ड में अंशकालिक आधिकारिक निदेशक के रूप में नियुक्त किया है। वे श्रीमती मुक्ता शेखर, पूर्व संयुक्त सचिव, एमएचआई (भारी उद्योग मंत्रालय) के स्थान पर कार्यरत हैं।

भारी उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली से प्राप्त आदेश संख्या 3(27)/2010-पीई-IV दिनांक 02.11.2021 के अनुसार, स्वतंत्र निदेशक श्री आशीष चतुर्वेदी और श्री एस.कृष्ण कुमार का कार्यकाल 02.11.2024 से समाप्त हो गया।

दिनांक 27 फरवरी 2025 के आदेश संख्या 7(3)/98-पीई. IV/सीपीएसई-I के अनुसरण में, राष्ट्रपति ने भारी उद्योग मंत्रालय के निदेशक श्री राजेश कुमार कोब्रिज एण्ड रूफ कम्पनी (इंडिया) लिमिटेड के बोर्ड में अंशकालिक आधिकारिक निदेशक के रूप में नियुक्त किया है। वे तत्काल प्रभाव से और अगले आदेश तक एमएचआई (भारी उद्योग मंत्रालय) के पूर्व निदेशक श्री आदित्य कुमार घोष के स्थान पर कार्य करेंगे।

## 16.0 निदेशक मंडल और प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक

31 मार्च, 2025 तक, कंपनी में पाँच निदेशक थे, जिनमें से तीन पूर्णकालिक निदेशक [अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, निदेशक (वित्त) और निदेशक (परियोजना प्रबंधन)] और दो सरकारी नामित निदेशक थे। कंपनी ने वैधानिक आवश्यकताओं के अनुपालन हेतु आवश्यक संख्या में स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति हेतु भारी उद्योग मंत्रालय से अनुरोध किया है। स्वतंत्र निदेशकों के तीन पद रिक्त थे।

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 203 के साथ कंपनी (प्रबंधकीय कार्मिकों की नियुक्ति और पारिश्रमिक) नियम, 2014 के अनुसार, निम्नलिखित प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक थे: -

1) मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) - श्री राजेश कुमार सिंह 08.10.2021 से प्रभावी

2) मुख्य वित्तीय अधिकारी (सीएफओ) - श्री नव रत्न गुप्ता 20.04.2023 से प्रभावी

3) कंपनी सचिव (सीएस) - श्रीमती राखी कर 01.04.2014 से प्रभावी

## 17.0 बोर्ड की बैठकें

समीक्षाधीन वर्ष के दौरान बोर्ड की पाँच बैठकें हुईं: 29 जून 2024, 20 जुलाई 2024, 28 अक्टूबर 2024, 21 दिसंबर 2024 और 24 मार्च 2025। बैठकों के बीच का अंतराल कंपनी अधिनियम, 2013 और डीपीई दिशानिर्देशों के तहत निर्धारित अवधि के भीतर था। इसके अलावा, वित्त वर्ष 2024-25 के दौरान, बोर्ड की विभिन्न समितियों की बैठकें निम्नलिखित समय पर हुईं:

| समितियाँ: | वित्त वर्ष 2024-25 के दौरान आयोजित बैठक |
|---|---|
| लेखा परीक्षा समिति | 5 |
| सीएसआर समिति | 4 |

बोर्ड की बैठकें सामान्यतः कंपनी के कोलकाता स्थित पंजीकृत कार्यालय और दिल्ली कार्यालय में तथा इस मामले पर डीपीई के कार्यालय ज्ञापन के अनुसार तथा पर्यटन क्षेत्र के विकास को बढ़ावा देने/उद्योग संयंत्र और स्थल की समीक्षा के लिए आयोजित की जाती हैं।

## 18.0 भारत सरकार के साथ समझौता ज्ञापन:

वित्त मंत्रालय के लोक उद्यम विभाग के मार्गदर्शन में, कंपनी और उसके प्रशासनिक मंत्रालय, अर्थात् भारी उद्योग मंत्रालय के बीच हर साल एक समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए जाते हैं, जिसमें वर्ष के दौरान प्राप्त किए जाने वाले मानदंड और उनके लक्ष्य निर्धारित किए जाते हैं। एमओयू का मूल्यांकन वर्ष पूरा होने पर लक्ष्यों की तुलना में वास्तविक उपलब्धि के आधार पर किया जाता है, जिसके आधार पर कंपनी को एमओयू रेटिंग दी जाती है। पिछले वित्त वर्ष: 2023-24 के दौरान कंपनी ने "उत्कृष्ट" रेटिंग प्राप्त की और वित्त वर्ष: 2024-25 के लिए भी "उत्कृष्ट" रेटिंग अपेक्षित है।

## 18.0 सतर्कता तंत्र:

कंपनी का सतर्कता विभाग, मुख्य सतर्कता अधिकारी के मार्गदर्शन में, कार्यप्रणाली में अनियमितताओं को रोकने की संज्ञानात्मक प्रक्रिया के माध्यम से भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने के लिए कार्यरत है। अवैध व्यवहार से मुक्त एक स्वस्थ कार्य वातावरण प्रदान करने के लिए, संगठन के लोगों की गतिविधियों की निगरानी और निरीक्षण अत्यंत महत्वपूर्ण है। कर्मचारियों के कार्यों में दोष खोजने के बजाय, सीवीसी, डीपीई, डीओपीटी द्वारा समय-समय पर निर्दिष्ट नियमों और विनियमों का पालन करने पर अधिक ज़ोर दिया गया है। निर्माण उद्योग के निरंतर बदलते स्वरूप को ध्यान में रखते हुए, कार्यप्रणाली में पारदर्शिता और बिना किसी उल्लंघन के नियमों और विनियमों का पालन तथा व्यवस्था और प्रक्रियाओं का पालन अत्यंत महत्वपूर्ण है। सतर्कता की अवधारणा चूक होने का इंतज़ार करने को प्रोत्साहित नहीं करती, बल्कि यह इस बात पर केंद्रित है कि उन चूकों से कैसे बचा जा सकता है ताकि किसी भी नुकसान से बचा जा सके। इस प्रकार, कंपनी निवारक सतर्कता की अवधारणा को बढ़ावा देती है। गतिविधियों के हर क्षेत्र में नैतिक व्यवहार और पारदर्शिता के साथ-साथ अवैध गतिविधियों की प्रभावी जाँच और रिपोर्टिंग अत्यंत महत्वपूर्ण है। निवारक सतर्कता सुशासन प्रथाओं को सुनिश्चित करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है और यह भ्रष्टाचार उन्मूलन का एक साधन है। कंपनी निर्माण व्यवसाय की हर गतिविधि में निवारक सतर्कता, नैतिक आचरण और पारदर्शिता के महत्व को बढ़ावा देती है, साथ ही निरंतर निगरानी के माध्यम से अवैध गतिविधियों की प्रभावी जाँच भी करती है। कर्मचारी लागू कानूनों, विनियमों और आचार संहिता के उल्लंघन की रिपोर्ट करने के लिए स्वतंत्र हैं। रिपोर्ट करने योग्य मामलों का खुलासा नोडल अधिकारी को किया जा सकता है, जो लेखा परीक्षा समिति की देखरेख में कार्य करता है। कर्मचारी लेखा परीक्षा समिति के अध्यक्ष को भी रिपोर्ट कर सकते हैं। समीक्षाधीन वर्ष के दौरान, किसी भी कर्मचारी को लेखा परीक्षा समिति तक पहुँच से वंचित नहीं किया गया।

## 19.0 कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम, 2013 के अनुसार प्रकटीकरण

आपकी कंपनी अपनी महिला कर्मचारियों के लिए एक सहायक और सुरक्षित कार्य वातावरण बनाने के लिए समर्पित है। कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न की रोकथाम, निषेध और निवारण हेतु कंपनी की एक आंतरिक समिति है। अधिनियम के अनुसार नियम सभी कर्मचारियों पर लागू होते हैं, जिनमें नियमित कर्मचारी, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्त कर्मचारी, अस्थायी कर्मचारी, तदर्थ कर्मचारी, दैनिक वेतन भोगी कर्मचारी और एजेंसियों के माध्यम से नियोजित व्यक्ति शामिल हैं। आपकी कंपनी ने कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम, 2013 के तहत अनिवार्य आंतरिक समिति (आईसी) के गठन से संबंधित प्रावधानों का अनुपालन सुनिश्चित किया है। आईसी में पाँच सदस्य होते हैं, जिनमें कंपनी के चार अधिकारी और एक गैर-सरकारी संगठन का एक बाहरी सदस्य शामिल है। वर्ष के दौरान, यौन उत्पीड़न की कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई।

POSH अधिनियम, 2013 के सभी प्रावधानों का पालन किया जा रहा है।

### 20.0 वैधानिक लेखा परीक्षक:

भारत सरकार ने कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 141 के तहत लेखा वर्ष 2024-2025 के लिए मेसर्स रे एंड रे, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, कोलकाता और मेसर्स एल.बी. झा एंड कंपनी, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, कोलकाता को कंपनी के वैधानिक लेखा परीक्षक के रूप में नियुक्त किया है।

### 21.0 लागत लेखा परीक्षक:

कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 148 और उसके तहत नियमों के अनुसार, फर्म मेसर्स सुभेंदु दत्ता एंड कंपनी को वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए वार्षिक आम बैठक के समापन तक कंपनी का लागत लेखा परीक्षक नियुक्त किया गया था।

### 22.0 सचिवीय लेखा परीक्षक:

कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 204 और उसके तहत नियमों के अनुसार, फर्म मेसर्स सिद्धार्थ बैद, प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरीज को वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए वार्षिक आम बैठक के समापन तक कंपनी का सचिवीय लेखा परीक्षक नियुक्त किया गया था।

### 23.0 वार्षिक रिटर्न के अंश:

कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 134 की उपधारा 3(क) और धारा 92 की उपधारा (3) के अनुसार वार्षिक रिटर्न के अंश, कंपनी (प्रबंधन और प्रशासन) नियम, 2014 के नियम 12 के साथ पठित, 31 मार्च, 2025 तक वार्षिक रिटर्न के अंश अनुलग्नक VI के रूप में इस रिपोर्ट का हिस्सा हैं।

### 24.0 अभिस्वीकृति

बोर्ड इस अवसर पर भारी उद्योग मंत्रालय, राज्य सरकार, बैंकरों, लेखा परीक्षकों, सम्मानित ग्राहकों, सहयोगियों, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक और सबसे बढ़कर कर्मचारियों के समर्पण और प्रतिबद्धता से प्राप्त समर्थन, मार्गदर्शन और सहायता के लिए अपनी गहरी कृतज्ञता और आभार व्यक्त करता है। निदेशकों को विश्वास है कि आने वाले वर्षों में भी उन्हें उनका समर्थन और सहयोग मिलता रहेगा।

**निदेशक मंडल की ओर से**

कोलकाता
दिनांक: 14.08.2025

**(राजेश कुमार सिंह)**
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

**अनुलग्नक-I**

## ऊर्जा उपयोग पर रिपोर्ट

| | | |
|---|---|---|
| 1. | सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम का नाम | **ब्रिज एण्ड रूफ कम्पनी (इंडिया) लिमिटेड**<br>(केवल हावड़ा वर्क्स के लिए) |
| 2. | सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम के उत्पाद/ सेवाएँ: | ग्राहक की डिजाइन और ड्रॉइंग के आधार पर निम्नलिखित उत्पादों का निर्माण / उत्पादन आवश्यक अनुमोदनार्थ |
| | | i) संरचनात्मक (बंक हाउस / ब्रिज गर्डर)। |
| | | ii) बेली ब्रिज |

3. पिछले तीन वर्षों के दौरान ऊर्जा के विभिन्न रूपों का उपयोग (व्यय) एवं टर्नओवर (बिजली, डीजल, प्राकृतिक गैस - प्रत्येक का विवरण दें)

| क्र. सं. | ऊर्जा के रूप | 2022-23 | | | 2023-24 | | | 2024-25 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ऊर्जा पर व्यय (रु./लाख) | टर्नओवर (रु./लाख) | % | ऊर्जा पर व्यय (रु./लाख) | टर्नओवर (रु./लाख) | % | ऊर्जा पर व्यय (रु./लाख) | टर्नओवर (रु./लाख) | % |
| 1 | बिजली | 108.68 | | 4.66% | 105.83 | | 5.50% | 130.63 | | 2.60% |
| 2. | एचएसडी | 2.59 | | 0.11% | 2.59 | | 0.13% | 3.84 | | 0.08% |
| 3. | एल.पी. जी. और बीएमसीजी | 3.92 | 2322.54 | 0.17% | 4.45 | 1925.62 | 0.23% | 7.28 | 5019.09 | 0.15% |
| | **कुल** | **115.19** | | **4.94%** | **112.87** | | **5.86%** | **141.75** | | **2.83%** |

4. ऊर्जा लेखापरीक्षा का विवरण, यदि किया गया हो:

| | | |
|---|---|---|
| क) | कब (वर्ष) और किस एजेंसी द्वारा: | वित्तीय वर्ष: 2023-24,<br>मेसर्स डीएस क्यूब एनर्जी एंड एनवायरो कंसल्टेंट्स द्वारा।<br>फ्लैट 2ए, दक्षिणायन अपार्टमेंट, 337 एनएससी बोस रोड,<br>कोलकाता-700084 |
| ख) | ऊर्जा लेखापरीक्षा के लिए भुगतान की गई राशि: | **25488/-** (करों सहित) |
| ग) | क्या ऊर्जा लेखापरीक्षा में संपूर्ण सार्वजनिक क्षेत्र: का उद्यम अर्थात सभी इकाइयाँ शामिल थीं या केवल आंशिक यदि आंशिक तो विवरण दें | ऑडिट में पूरा हावड़ा वर्कशॉप शामिल है। |
| घ) | दी गई अनुशंसाओं की कुल संख्या: | संख्या 4 |

5. वर्ष 2023-24 की अनुशंसाओं के अनुसार वर्ष 2024-25 के दौरान पहले से उठाए गए कदम/उपाय:-

1. कम दक्षता वाली ओवरहाल ए.सी. मशीनों को बंद करना। (आंशिक रूप से कार्यान्वित)
2. पुरानी बेकार ए.सी. मशीनों को बदलना।
3. लाइन हानि से बचने के लिए स्क्रू कंप्रेसर चलाएँ। (अभी लागू नहीं किया गया है।)
4. पेंटिंग और शॉट ब्लास्टिंग को अलग करने के लिए एक पुराने रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर को ऊर्जा कुशल स्क्रू कंप्रेसर से बदलना (कार्यान्वित)

## निदेशक की रिपोर्ट का अनुलग्नक

**1. विशिष्ट क्षेत्र जहां अनुसंधान, विकास और तकनीकी उपलब्धियां हासिल की गईं:**

- वेट फ्लू गैस डी-सल्फराइजेशन (एफजीडी) में स्वदेशी रूप से निर्मित डुप्लेक्स स्टेनलेस स्टील (डीएसएस) का उपयोग किया गया है, जैसे कि डुप्लेक्स 2205 और 4-6% मोलिब्डेनम युक्त स्टेनलेस स्टील, न कि सी-276 जैसे आयातित मिश्रधातु, जो अवशोषक आवरण के नोजल, फ्लैंज और पाइपों की परत चढ़ाने के लिए उपयोग किए जाते हैं।

**2. अनुसंधान, विकास और तकनीकी उपलब्धियों के परिणामस्वरूप प्राप्त लाभ:**

i) अवशोषक आवरण के नोजल, फ्लैंज और पाइपों की परत के लिए आयातित मिश्रधातु जैसे सी-276 के स्थान पर स्वदेश निर्मित डुप्लेक्स स्टेनलेस स्टील (डीएसएस) जैसे डुप्लेक्स 2205 और 4-6% मोलिब्डेनम युक्त स्टेनलेस स्टील का उपयोग करके वेट फ्लू गैस डी-सल्फराइजेशन (एफजीडी)।

- अवशोषक शैल के नोजल, फ्लैंज और पाइप जैसे घटकों की लाइनिंग के लिए आयातित सी-276 मिश्र धातु का उपयोग करने के बजाय, अवशोषक शैल निर्माण के लिए स्वदेशी रूप से निर्मित डुप्लेक्स स्टेनलेस स्टील (डीएसएस) और 4-6% मोलिब्डेनम युक्त स्टेनलेस स्टील का उपयोग करने का सुझाव दिया गया था।
- इसका प्राथमिक उद्देश्य संक्षारण प्रतिरोध से समझौता किए बिना महंगी आयातित सामग्रियों पर निर्भरता को कम करना था।
- डुप्लेक्स स्टेनलेस स्टील्स ग्रेड 2205 और सुपर डुप्लेक्स प्रकार सहित ने क्लोराइड-समृद्ध वातावरण में गड्ढे और दरार संक्षारण के प्रति उत्कृष्ट प्रतिरोध का प्रदर्शन किया, जिससे वे एफजीडी अवशोषक के लिए उपयुक्त हो गए, जो संक्षारक फ्लू गैस संघनन और जिप्सम घोल को संभालते हैं।
- इस सामग्री अनुकूलन के परिणाम स्वरूप वेट एफजीडी परियोजना के अंतर्गत विभिन्न अवशोष कटाव रफिटिंग्स और फिक्स्चर्स में उच्च लागत वाली आयातित सी-276 मिश्र धातु की आवश्यकता समाप्त हो जाती है, जिससे लागत में महत्वपूर्ण बचत होती है।

**3. भावी अनुसंधान एवं विकास योजना:**

क) रिफाइनरी परियोजनाओं के लिए एलपीजी मार्केटिंगट मिंनल प्रोसेस प्लांट की प्रारंभिक इंजीनियरिंग।

ख) उपकरणों का उन्नयन/आधुनिकीकरण।

ग) डबल लेन मॉड्यूलर स्टील बेली ब्रिज का डिजाइन और विकास।

**4. वित्त वर्ष 2024-25 में अनुसंधान एवं विकास पर व्यय:**

पूंजी : शून्य

राजस्व : ₹ 490.39 लाख रूपये

कुल : ₹ 490.39 लाख रूपये

**5. प्रौद्योगिकी अवशोषण और अनुकूलन: -**

| | |
|---|---|
| क) वेटफ्लू गैस डी-सल्फराइजेशन (एफजीडी) में स्वदेशी रूप से निर्मित डुप्लेक्स स्टेनलेस स्टील (डीएसएस) का उपयोग किया जाता है, जैसे डुप्लेक्स 2205 और 4-6% मोलिब्डेनम युक्त स्टेनलेस स्टील, न कि सी-276 जैसे आयातित मिश्रधातु, जो अवशोषक आवरण के नोजल, फ्लैंज और पाइपों की परत चढ़ाने के लिए उपयोग किए जाते हैं। | प्रौद्योगिकी को अवशोषित कर लिया गया है |

अनुलग्नक III

## अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़ा वर्गों का प्रतिनिधित्व

| समूह | 31 दिसंबर, 2024 तक कर्मचारियों की संख्या | | | | पिछले कैलेंडर वर्ष के दौरान की गई नियुक्तियों की संख्या 1 जनवरी, 2024 से 31 दिसंबर, 2024 तक | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | सीधी भर्ती द्वारा | | | | पदोन्नति द्वारा | | | अन्य माध्यम से | | |
| | कुल | अ.जा. | अ.ज.जा. | अ.पि.व. | कुल | अ.जा. | अ.ज.जा. | अ.पि.व. | कुल | अ.जा. | अ.ज.जा. | कुल | अ.जा. | अ.ज.जा. |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) |
| समूह - क | 578 | 90 | 8 | 62 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| समूह - ख | 23 | 0 | 4 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| समूह - ग | 161 | 12 | 0 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| समूह - घ (सफाई कर्मचारियों को छोड़कर) | 129 | 10 | 0 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| समूह - घ (सफाई कर्मचारी) | 5 | 0 | 1 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| **कुल** | **896** | **112** | **13** | **79** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |

अनुलग्नक IV

## दिव्यांगजन का प्रतिनिधित्व

| समूह | कर्मचारियों की संख्या 31 दिसंबर, 2024 तक | | | | विगत कैलेंडर वर्ष 1 जनवरी, 2024 से 1 दिसंबर, 2024 के दौरान की गई नियुक्तियों और पदोन्नति की संख्या | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | सीधी भर्ती | | | | | | | पदोन्नति | | | | | | |
| | | | | | आरक्षित रिक्तियों की संख्या | | | की गई नियुक्तियों की संख्या | | | | आरक्षित रिक्तियों की संख्या | | | की गई नियुक्तियों की संख्या | | | |
| | कुल | वीएच | एचएच | ओएच | वीएच | एचएच | ओएच | कुल | वीएच | एचएच | ओएच | वीएच | एचएच | ओएच | कुल | वीएच | एचएच | ओएच |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) | (19) |
| समूह-क | 578 | 0 | 0 | 04 | - | - | - | - | - | - | - | लागू नहीं | लागू नहीं | लागू नहीं | - | - | - | - |
| समूह-ख | 23 | 0 | 01 | 00 | - | - | - | - | - | - | - | लागू नहीं | लागू नहीं | लागू नहीं | - | - | - | - |
| समूह-ग | 161 | 03 | 02 | 03 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| समूह-घ | 134 | 03 | 03 | 02 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| **कुल** | **896** | **6** | **6** | **9** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |

टिप्पणी: (i) वीएच का अर्थ है दृष्टिबाधित (अंधेपन या कम दृष्टि से पीड़ित व्यक्ति)

(ii) एचएच का अर्थ है श्रवण बाधित (श्रवण विकलांगता से पीड़ित व्यक्ति)

(iii) ओएच का अर्थ है अस्थि दिव्यांग (लोकोमोटर दिव्यांगता या मस्तिष्क पक्षाघात से पीड़ित व्यक्ति)

**अनुलग्नक V**

[अनुबंध -II]

# वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए सीएसआर गतिविधियों पर वार्षिक रिपोर्ट

1. कंपनी की सीएसआर नीति पर संक्षिप्त रूपरेखा

## ब्रिज एण्ड रूफ कम्पनी (इंडिया) लिमिटेड
### कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) नीति

**1. विजन**

कंपनी का विज़न निर्माण क्षेत्र में अपने समकक्षों के बीच निरंतर नेतृत्व प्रदर्शित करना है, तथा अपने कार्यों को आर्थिक, सामाजिक और टिकाऊ तरीके से करना है, जो पारदर्शी और नैतिक हो तथा जिसमें बड़े पैमाने पर समुदायों के व्यापक हित को ध्यान में रखा जाए।

**2. मिशन**

बी एण्ड आर अपनी व्यावसायिक प्रक्रियाओं में सामाजिक और पर्यावरण संबंधी चिंताओं को एकीकृत करने का प्रयास करेगा और समाज की सतत विकासात्मक आवश्यकताओं के लिए सर्वोत्तम संभव समाधान प्रदान करने की दिशा में काम करेगा।

**3. उद्देश्य**

सीएसआर नीति के उद्देश्य हैं:

3.1. कंपनी के निदेशक मंडल द्वारा निदेशक स्तरीय सीएसआर समिति की अनुशंसाओं को ध्यान में रखते हुए अपनाई गई कार्यप्रणाली और दिशा।

3.2. कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 135 के अंतर्गत उल्लिखित अनुसूची VII तथा कंपनियाँ (कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व नीति) नियम, 2014 और उसमें किए गए संशोधनों में निर्दिष्ट सामाजिक उत्तरदायित्व (CSR) गतिविधियों के चयन, कार्यान्वयन और निगरानी के लिए मार्गदर्शक सिद्धांतों को परिभाषित करना।

3.3. सीएसआर गतिविधियों के लिए वार्षिक कार्य योजना तैयार करना।

3.4. कंपनी की सीएसआर नीति, कार्यक्रमों और पहलों के बारे में कर्मचारियों के बीच जागरूकता फैलाना।

3.5. सतत विकास को बढ़ावा देना तथा व्यवहार्यता अध्ययन सहित अपनी सभी गतिविधियों में सामाजिक और पर्यावरणीय पहलुओं और उनके प्रभावों पर उचित ध्यान देना।

3.6. सीएसआर गतिविधियों के संचालन में हितधारकों के साथ सहभागिता।

**4. सीएसआर संगठन संरचना**

बी एण्ड आर के पास कंपनी की सीएसआर गतिविधियों की योजना बनाने, कार्यान्वयन और निगरानी के लिए दो स्तरीय संगठनात्मक संरचना होगी।

4.1. बोर्ड स्तरीय सीएसआर समिति

4.1.1. बोर्ड स्तरीय सीएसआर समिति का नेतृत्व एक स्वतंत्र निदेशक द्वारा किया जाता है और इसका गठन कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 135 के अनुसार सीएसआर नीति के कार्यान्वयन की देखरेख और इस संबंध में उपयुक्त नीतियां और रणनीतियां तैयार करने में निदेशक मंडल की सहायता करने के लिए किया गया है।

4.1.2.समिति का पुनर्गठन निदेशक मंडल के अधिकार क्षेत्र में है।

4.1.3.इस समिति की संरचना के प्रकार:

- स्वतंत्र निदेशक: अध्यक्ष
- अन्य स्वतंत्र निदेशक: सदस्य
- निदेशक (परियोजना प्रबंधन) : सदस्य
- निदेशक (वित्त) : सदस्य
- सरकार द्वारा नामित निदेशक: सदस्य

4.1.4.बोर्ड स्तरीय सीएसआर समिति निम्नलिखित को तैयार करेगी और कंपनी के निदेशक मंडल को अनुमोदन हेतु सिफारिश करेगी:

4.1.4.1. सीएसआर नीति

4.1.4.2. सीएसआर नीति के अनुसरण में वार्षिक कार्य योजना निम्नलिखित है:-

- कंपनी अधिनियम की अनुसूची VII में निर्दिष्ट अनुसार कंपनी द्वारा की जाने वाली सीएसआर गतिविधियों की सूची;;
- ऐसी गतिविधियों के निष्पादन के उपाय
- परियोजनाओं या गतिविधियों के लिए धन के उपयोग और कार्यान्वयन कार्यक्रम की रूपरेखा;
- गतिविधियों के लिए निगरानी और रिपोर्टिंग तंत्र;
- कंपनी द्वारा शुरू की गई परियोजनाओं के लिए आवश्यकता और प्रभाव मूल्यांकन का विवरण, यदि कोई हो।

4.2. बोर्ड स्तर से नीचे की सीएसआर समिति

4.2.1.बोर्ड स्तरीय सीएसआर समिति को बोर्ड से नीचे की सीएसआर समिति द्वारा सहायता प्रदान की जाती है।

4.2.2.बोर्ड स्तर से नीचे की सीएसआर समिति का नेतृत्व बी एण्ड आर के एक वरिष्ठ कार्यकारी अधिकारी द्वारा किया जाता है, जिसे नोडल अधिकारी के रूप में नामित किया जाता है जिसमें अन्य बी एण्ड आर अधिकारी शामिल होते हैं।

4.2.3.समिति कंपनी की सीएसआर नीति, कंपनी अधिनियम की धारा 135, कंपनी (सीएसआर नीति) नियम 2014 और उसके संशोधनों के अनुसार कंपनी की सीएसआर पहलों का समन्वय और कार्यान्वयन करेगी।

## 5. प्रमुख केन्द्र बिन्दु क्षेत्र

गतिविधियों को कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 135 के अंतर्गत संदर्भित अनुसूची VII में निर्दिष्ट किया गया है तथाकंपनियाँ (कॉरपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व नीति) नियम, 2014और समय-समय पर उसके संशोधनों के अनुसार तथाकॉरपोरेट कार्य मंत्रालयद्वारा जारी दिशा-निर्देशों एवंलोक उपक्रम विभाग द्वारा समय-समय पर जारी किए गए दिशा-निर्देशों के अनुरूप, प्रत्यक्ष रूप से या ऐसी गतिविधियों के लिए वित्तपोषण के माध्यम से किया जाएगा।कंपनी निम्नलिखित को अपनी सीएसआर गतिविधियों के प्रमुख क्षेत्रों के रूप में मानती है:

5.1 सामान्य सीएसआर विषय के अनुरूप गतिविधियों को प्राथमिकता दी जाएगी।

5.2 ऐसी गतिविधियाँ जो समुदायों को लाभ पहुँचाती हैं जैसे स्वच्छता, शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा आदि।

5.3 इंजीनियरिंग, निर्माण तथा संबद्ध उद्योगों में रोजगार के अवसरों के रूप में लाभकारी अनुभव प्राप्त करने हेतु व्यावसायिक प्रशिक्षण और कौशल विकास प्रदान करना, साथ हीकम निर्भरता और अधिक आत्मनिर्भरता के साथ बेहतर जीवनयापन को प्रोत्साहित करना।

## 6. सीएसआर गतिविधियों का चयन

### 6.1 गतिविधियों का स्थान:

राष्ट्रीय प्राथमिकताओं के अनुरूप सीएसआर गतिविधियों को प्राथमिकता दी जाएगी। साथ ही, उन गतिविधियों को भी वरीयता दी जा सकती है जो कंपनी की परियोजनाओं के आसपास के क्षेत्रों में स्थित हों, जिनमें से अधिकतर आकांक्षी जिलों में हों, ताकि कंपनी अपने व्यावसायिक कार्यों से सीधे प्रभावित लोगों, पर्यावरण और हितधारकों से निकटता से जुड़ सके। इसके अतिरिक्त, ऐसे क्षेत्रों में सीएसआर गतिविधियों के निष्पादन हेतु आवश्यक संसाधनों की जुटान में आसानी होती है तथा गतिविधियों की प्रगति और प्रदर्शन की नियमित निगरानी भी अधिक सरल हो जाती है।

**6.2** गतिविधियों का चयन निम्नलिखित के आधार पर किया जाएगा: गतिविधि कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 135 और उसके संशोधनों के तहत अनुसूची VII में निर्दिष्ट मदों में से होनी चाहिए।

## 7. सीएसआर गतिविधियों के निष्पादन के लिए एजेंसियों का चयन

7.1. बी एण्ड आर स्वयं सीएसआर गतिविधि कर सकता है।

7.2. कोई कंपनी सीएसआर गतिविधियों या कार्यक्रमों के संचालन के लिए अन्य कंपनियों के साथ इस प्रकार सहयोग कर सकती है कि संबंधित कंपनियों की सीएसआर समितियां इन नियमों के अनुसार ऐसी गतिविधियों या कार्यक्रमों पर अलग से रिपोर्ट करने की स्थिति में हों।

7.3. कंपनी एक बाहरी कार्यान्वयन एजेंसी को नियुक्त कर सकती है जिसे निम्नलिखित मानदंडों को पूरा करना होगा:

7.3.1. संगठन अधिनियम की धारा 8 के अंतर्गत स्थापित कंपनी, या केंद्र सरकार या राज्य सरकार द्वारा स्थापित एक पंजीकृत ट्रस्ट या पंजीकृत सोसाइटी होना चाहिए; या

संसद या राज्य विधानमंडल के अधिनियम के अंतर्गत स्थापित इकाई; या

अधिनियम की धारा 8 के अंतर्गत स्थापित कंपनी, या आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 12ए और 80जी के अंतर्गत पंजीकृत एक पंजीकृत सार्वजनिक ट्रस्ट या पंजीकृत सोसाइटी, और समान गतिविधियों में कम से कम तीन वर्षों का स्थापित ट्रैक रिकॉर्ड होना चाहिए।

7.3.2. बाह्य कार्यान्वयन एजेंसी को कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय (एमसीए) के माध्यम से फॉर्म सीएसआर-1 दाखिल करके केंद्र सरकार के साथ पंजीकृत होना चाहिए।

7.3.3. एजेंसी के पास पिछले तीन वर्षों के दौरान समान प्रकृति की गतिविधियों के निष्पादन का अनुभव होना चाहिए।

7.3.4. फर्म के वार्षिक खातों का ऑडिट किया जाना चाहिए।

7.3.5. सरकारी एजेंसियों और अन्य सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के साथ काम करने का अनुभव रखने वाली एजेंसियों को प्राथमिकता दी जाएगी।

## 8. वित्तीय बजट और व्यय नियंत्रण

8.1. निर्धारित सीएसआर व्यय पिछले तीन वित्तीय वर्षों के औसत शुद्ध लाभ या उसके किसी भाग का 2% है। औसत शुद्ध लाभ की गणना कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 198 के अनुसार की जाएगी।

8.2. सीएसआर बजट को निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित किया जाना होगा।

8.3. यदि कंपनी निर्धारित राशि खर्च करने में विफल रहती है, तो खर्च न करने के कारणों का उल्लेख उसकी वार्षिक रिपोर्ट में किया जाएगा। ऐसी अव्ययित राशि, यदि कोई हो, का निपटान निम्नलिखित तरीके से किया जाएगा::

8.3.1. 'चल रही परियोजनाओं' से संबंधित अव्ययित राशि: वित्तीय वर्ष की समाप्ति से 30 दिनों के भीतर 'अव्ययित सीएसआर खाते' में।

8.3.2. 'चालू परियोजनाओं के अलावा' से संबंधित अव्ययित राशि: वित्तीय वर्ष की समाप्ति से 6 महीने की अवधि के भीतर अनुसूची VII में शामिल किसी भी निधि में।

8.4. सीएसआर गतिविधियों से उत्पन्न कोई भी अधिशेष राशि कंपनी के व्यावसायिक लाभ का हिस्सा नहीं होगी और उसे उसी परियोजना में वापस लगा दिया जाएगा या उसे अप्रयुक्त सीएसआर खाते में स्थानांतरित कर दिया जाएगा और कंपनी की सीएसआर नीति और वार्षिक कार्य योजना के अनुसरण में खर्च किया जाएगा या ऐसी अधिशेष राशि को वित्तीय वर्ष की समाप्ति के छह महीने की अवधि के भीतर अनुसूची VII में निर्दिष्ट कोष में स्थानांतरित कर दिया जाएगा।

8.5. जहां कंपनी आवश्यकता से अधिक राशि खर्च करती है, ऐसी अतिरिक्त राशि को तत्काल आगामी तीन वित्तीय वर्षों तक खर्च करने की आवश्यकता के विरुद्ध समायोजित किया जा सकता है।

8.6. किसी कंपनी के सीएसआर एजेंडे को लागू करने के लिए आधारभूत सर्वेक्षण/आवश्यकता मूल्यांकन अध्ययन, प्रशिक्षण, कार्यशालाओं, सेमिनारों, सम्मेलनों आदि जैसे क्षमता निर्माण कार्यक्रमों और सभी हितधारकों, चाहे वे आंतरिक हों या बाह्य, की भागीदारी हेतु कॉर्पोरेट संचार रणनीतियों पर किए गए व्यय को इस उद्देश्य के लिए आवंटित बजट और निर्धारित सीमाओं में से सीएसआर व्यय के रूप में शामिल किया जाएगा और इसे प्रशासनिक उपरिव्यय में भी शामिल किया जाएगा। हालाँकि, प्रशासनिक उपरिव्यय वित्तीय वर्ष के कुल सीएसआर व्यय के पाँच प्रतिशत से अधिक नहीं होंगे।

## 9. सीएसआर गतिविधियों का कार्यान्वयन और निगरानी

9.1. बोर्ड स्तर से नीचे की सीएसआर समिति प्राप्त सभी सीएसआर परियोजना प्रस्तावों की जांच करेगी तथा इच्छित लक्ष्य के लाभ को ध्यान में रखते हुए भौतिक और वित्तीय व्यवहार्यता को मान्य करेगी।

9.2. चयनित परियोजना और निधि आवंटन को निदेशक मंडल के अनुमोदन हेतु उनकी आगे की अनुशंसा के लिए बोर्ड स्तरीय सीएसआर समिति के समक्ष रखा जाएगा।

9.3. सीएसआर गतिविधियों को मंजूरी मिलने के बाद, बोर्ड स्तर से नीचे की सीएसआर समिति निम्नलिखित सुनिश्चित करेगी:-

9.3.1. परियोजना का तकनीकी एवं वित्तीय मूल्यांकन, विशेष रूप से लागत अनुमान।

9.3.2. परियोजना के लक्ष्यों की परिभाषा और उनकी मापनीयता, विशेष रूप से सक्षम प्राधिकारी से अनुमोदन और मंजूरी पर स्पष्टता।

9.3.3. प्रत्येक चरण के लिए समय चार्ट/परियोजना कार्यक्रम और वित्तपोषण आवश्यकताएं।

9.3.4. भुगतान शर्तें।

9.3.5. कार्यान्वयन एजेंसी के साथ हस्ताक्षरित समझौता ज्ञापन में एजेंसी और बी एण्ड आर तथा किसी अन्य पक्ष की भूमिकाओं और जिम्मेदारियों का विवरण होना चाहिए।

9.3.6. परियोजना दस्तावेज़ीकरण

9.4. सीएसआर गतिविधियों की निगरानी:

9.4.1. बोर्ड स्तर से नीचे की सीएसआर समिति, बी एण्ड आर अधिकारी/कार्यान्वयन एजेंसी द्वारा प्रस्तुत आवधिक साइट विजिट/प्रगति रिपोर्ट के माध्यम से सीएसआर गतिविधि के प्रदर्शन/प्रगति की निगरानी करेगी।

9.4.2. बोर्ड स्तर से नीचे की सीएसआर समिति, बोर्ड स्तर की सीएसआर समिति को त्रैमासिक रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी, जो आवश्यकतानुसार निदेशक मंडल को कंपनी की सीएसआर गतिविधियों की प्रगति/निष्पादन से अवगत कराएगी।

## 10. सीएसआर गतिविधियों की रिपोर्टिंग

10.1. सीएसआर पहलों को कंपनी की वार्षिक रिपोर्ट में कंपनी के शेयरधारकों और समग्र समाज के लिए अनिवार्य प्रकटीकरण के रूप में प्रकाशित किया जाएगा। सीएसआर गतिविधियों पर वार्षिक रिपोर्ट का प्रारूप कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 135 के अनुसार होगा।

10.2. सीएसआर समिति की संरचना, सीएसआर नीति और बोर्ड द्वारा अनुमोदित परियोजनाओं को कंपनी की वेबसाइट पर अपलोड किया जाएगा और कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 135 के अनुसार नियमित रूप से अद्यतन किया जाएगा:

## 11. प्रभाव आकलन

यदि आवश्यक हो, तो कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 135 के अनुसार, कंपनी की सीएसआर पहलों की सफलता और प्रभावशीलता की सीमा निर्धारित करने के लिए, परियोजना के पूर्ण होने और आवश्यक न्यूनतम परियोजना पूरी होने की अवधि (जिस अवधि में प्रभाव देखा जा सके) के समाप्त होने के बाद प्रभाव मूल्यांकन किया जा सकता है। सामाजिक, आर्थिक और पर्यावरणीय लाभों के संदर्भ में लक्षित लाभार्थियों को प्राप्त प्रभाव का आकलन करने हेतु बड़ी गतिविधियों के लिए एक सर्वेक्षण किया जा सकता है।

## 12. स्वतंत्र बाह्य एजेंसी द्वारा मूल्यांकन और रिपोर्टिंग:

परियोजना की प्रगति योजना के अनुसार हो रही है यह सुनिश्चित करने के लिए, बी एण्ड आर की अधिनियमित बोर्ड स्तर से नीचे की सीएसआर समिति के अपने कर्मियों द्वारा परियोजना की नियमित निगरानी की जाएगी। गतिविधियों के मूल्यांकन और रिपोर्टिंग के लिए एक स्वतंत्र एजेंसी को नियुक्त किया जाएगा।

(RAJESH KUMAR SINGH)
CHAIRMAN AND MANAGING DIRECTOR

दिनांक :अप्रैल 21, 2022

(राजेश कुमार सिंह)
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

2. 31.03.2025 तक सीएसआर समिति की संरचना:

| क्र.सं. | निदेशक का नाम | निदेशक पद का पदनाम / प्रकृति | वर्ष के दौरान आयोजित सीएसआर समिति की बैठकों की संख्या | वर्ष के दौरान सीएसआर समिति की बैठकों की संख्या |
|---|---|---|---|---|
| 1. | श्री आशीष चतुर्वेदी | स्वतंत्र निदेशक – अध्यक्ष (02-11-2024 तक) | 2 | 2 |
| 2. | श्री रवि कुमार | निदेशक (परियोजना प्रबंधन) – सदस्य | 4 | 4 |
| 3. | श्री नव रत्न गुप्ता | निदेशक (वित्त) – सदस्य | 4 | 4 |
| 4. | श्री राजेश कुमार | सरकार द्वारा नामित निदेशक – अध्यक्ष (27-02-2025 से प्रभावी) | 1 | 1 |
| 5. | श्री ए.के. घोष | सरकारी नामित निदेशक – सदस्य (26-02-2025 तक) | 3 | 3 |
| 6. | श्री एस.कृष्णा कुमार | स्वतंत्र निदेशक – सदस्य (02-11-2024 तक) | 2 | 1 |

3. सीएसआर समिति की संरचना, सीएसआर नीति और बोर्ड द्वारा अनुमोदित सीएसआर परियोजनाएं कंपनी की वेबसाइट पर प्रकट की जाती हैं।

   कंपनी की सीएसआर समिति संरचना, सीएसआर नीति और बोर्ड द्वारा अनुमोदित सीएसआर परियोजनाएं कंपनी की वेबसाइट https://www.bridgeroof.co.in/CSR. पर उपलब्ध हैं।

4. कंपनी (कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व नीति) नियम, 2014 के नियम 8 के उप-नियम (3) के अनुसरण में किए गए सीएसआर परियोजनाओं के प्रभाव मूल्यांकन का विवरण, यदि लागू हो (रिपोर्ट संलग्न करें)।

   सीएसआर परियोजनाओं का प्रभाव मूल्यांकन लागू नहीं है।

5. कंपनी (कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व नीति) नियम, 2014 के नियम 7 के उप-नियम (3) के अनुसरण में समायोजन के लिए उपलब्ध राशि का विवरण और वित्तीय वर्ष के लिए समायोजन के लिए आवश्यक राशि, यदि कोई हो।

   कंपनी (कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व नीति) नियम, 2014 के नियम 7 के उप-नियम (3) के अनुसरण में, पिछले तीन वित्तीय वर्षों के लिए समायोजन के लिए आवश्यक राशि:

| क्र.सं. | वित्तीय वर्ष | पिछले वित्तीय वर्षों से समायोजन के लिए उपलब्ध राशि (रु. में) | वित्तीय वर्ष के लिए समायोजन हेतु निर्धारित की जाने वाली राशि, यदि कोई हो (रु. में) |
|---|---|---|---|
| 2 | 2021-22 | - | - |
| 3 | 2022-23 | - | - |
| 3 | 2023-24 | 9,86,926.00 | 8,88,143.00 |
| | **कुल** | **9,86,926.00** | **8,88,143.00** |

*नोट: वित्तीय वर्ष 2023-24 से समायोजन के लिए उपलब्ध शेष राशि: रु. 98,783.00.

6. धारा 135(5) के अनुसार पिछले तीन वित्तीय वर्षों के लिए कंपनी का औसत शुद्ध लाभ।

| वित्तीय वर्ष | शुद्ध लाभ (लाखों रुपये में) |
|---|---|
| 2021-22 | 2918.73 |
| 2022-23 | 5474.36 |
| 2023-24 | 10126.31 |

7. (क) कंपनी के औसत शुद्ध लाभ का दो प्रतिशत, धारा 135(5) के अनुसार।

| | |
|---|---|
| औसत शुद्ध लाभ | 6173.13 लाख रुपये |
| औसत शुद्ध लाभ का 2% | ₹ 1,23,46,260.00 |

(ख) पिछले वित्तीय वर्षों की सीएसआर परियोजनाओं, कार्यक्रमों या गतिविधियों से उत्पन्न अधिशेष।

पिछले वित्तीय वर्षों की सीएसआर परियोजनाओं, कार्यक्रमों या गतिविधियों से उत्पन्न अधिशेष शून्य है।

(ग) वित्तीय वर्ष के लिए समायोजित की जाने वाली राशि, यदि कोई हो।

वित्तीय वर्ष के लिए समायोजित की जाने वाली राशि ₹8,88,143.00 है।

(घ) वित्तीय वर्ष के लिए कुल सीएसआर दायित्व (7क + 7ख - 7ग)।

वित्तीय वर्ष के लिए कुल सीएसआर दायित्व (7क + 7ख - 7ग) ₹114.58 लाख है।

8. (क) वित्तीय वर्ष के लिए खर्च की गई या अप्रयुक्त सीएसआर राशि:

| वित्तीय वर्ष के लिए कुल खर्च की गई राशि (रुपये में) | अप्रयुक्त राशि (रुपये में) | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | धारा 135(6) के अनुसार अप्रयुक्त सीएसआर खाते में हस्तांतरित कुल राशि। | | धारा 135(5) के द्वितीय प्रावधान के अनुसार अनुसूची VII में निर्दिष्ट किसी भी कोष में हस्तांतरित राशि। | | |
| | राशि | हस्तांतरण की तिथि | कोष का नाम | राशि | हस्तांतरण की तारीख |
| ₹ 1,23,46,260.00 | शून्य | शून्य | शून्य | शून्य | शून्य |

*नोट: पिछले 3 वित्तीय वर्षों से समायोजन: ₹8,88,143.00

वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान सीएसआर गतिविधियाँ: ₹1,14,58,117.00

वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान कुल खर्च की गई राशि: ₹1,23,46,260.00

(ख) वित्तीय वर्ष के लिए चल रही परियोजनाओं पर खर्च की गई सीएसआर राशि का विवरण:

| क्र. सं. | परियोजना का नाम | अधिनियम की अनुसूची VII में सूचीबद्ध गतिविधियों में से संबंधित वस्तु | स्थानीय क्षेत्र (हाँ / नहीं) | परियोजना का स्थान | परियोजना की अवधि | परियोजना के लिए आवंटित राशि (रुपये में) | वर्तमान वित्तीय वर्ष में खर्च की गई राशि (रुपये में) | धारा 135(6) के अनुसार परियोजना के लिए अप्रयुक्त सीएसआर खाते में हस्तांतरित राशि (रुपये में) | कार्यान्वयन का तरीका - प्रत्यक्ष (हाँ/नहीं) | कार्यान्वयन का तरीका - कार्यान्वयन एजेंसी के माध्यम से |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| शून्य | | | | | | | | | | |

(ग) वित्तीय वर्ष के लिए चालू परियोजनाओं के अलावा अन्य पर खर्च की गई सीएसआर राशि का विवरण:

| क्र. सं. | परियोजना का नाम | अधिनियम की अनुसूची VII में सूचीबद्ध गतिविधियों में से संबंधित वस्तु / कार्य | स्थानीय क्षेत्र (हाँ / नहीं) | परियोजना का स्थान | | परियोजना पर खर्च की गई राशि (रुपये में) | कार्यान्वयन का तरीका - प्रत्यक्ष (हाँ/नहीं) | कार्यान्वयन का तरीका - कार्यान्वयन एजेंसी के माध्यम से | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | राज्य / केंद्र शासित प्रदेश | जिला | | | नाम | सीएसआर पंजीकरण संख्या |
| 1 | सरकार के सतत विकास लक्ष्य को पूरा करने के लिए राष्ट्रीय टीबी उन्मूलन कार्यक्रम के समर्थन में ट्रूनेट डिवाइस (मोलबायो मैक ट्रूलैब क्वात्रो - 4 चैनल) की 2 इकाइयों की आपूर्ति; एक इकाई एचएमसी दक्षिण टीबी अस्पताल और दूसरी एचएमसी बेलूर बाली टीबी अस्पताल, पश्चिम बंगाल सरकार को | अनुसूची VII की मद (i) - 'निवारक स्वास्थ्य देखभाल सहित स्वास्थ्य देखभाल को बढ़ावा देना' | हाँ | पश्चिम बंगाल | हावड़ा | 25,98,117.00 | हाँ | ब्रिज एण्ड रूफ कम्पनी (इंडिया) लिमिटेड | -- |

| क्र. सं. | परियोजना का नाम | अधिनियम की अनुसूची VII में सूचीबद्ध गतिविधियों में से संबंधित वस्तु / कार्य | स्थानीय क्षेत्र (हाँ / नहीं) | परियोजना का स्थान | | परियोजना पर खर्च की गई राशि (रुपये में) | कार्यान्वयन का तरीका - प्रत्यक्ष (हाँ/ नहीं) | कार्यान्वयन का तरीका - कार्यान्वयन एजेंसी के माध्यम से | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | राज्य / केंद्र शासित प्रदेश | जिला | | | नाम | सीएसआर पंजीकरण संख्या |
| 2 | एम्स दिल्ली के छात्रों के लिए एआई-संचालित मानसिक स्वास्थ्य देखभाल ऑनलाइन नेवर अलोन के माध्यम से कुशल मानसिक स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करना। | अनुसूची VII की मद (i) - 'निवारक स्वास्थ्य देखभाल सहित स्वास्थ्य देखभाल को बढ़ावा देना' | हाँ | दिल्ली | दिल्ली | 36,80,000.00 | नहीं | मानसिक स्वास्थ्य फाउंडेशन (भारत) | सीएसआर 00013879 |
| 3 | महिला स्वास्थ्य सशक्तिकरण: दिल्ली/ एनसीआर के वंचित समाजों की महिलाओं में गर्भाशय ग्रीवा के कैंसर और पोषण संबंधी कमियों से निपटने के लिए एक सामुदायिक पहल। | अनुसूची VII का मद (i) - 'स्वास्थ्य देखभाल को बढ़ावा देना, जिसमें रोकथाम स्वास्थ्य देखभाल शामिल है | हाँ | उत्तर प्रदेश | फरीदाबाद | 30,00,000.00 | नहीं | सवेरा फाउंडेशन ट्रस्ट | सीएसआर 00047173 |
| 4 | मिजोरम के आकांक्षी जिले मामित में शैक्षिक बुनियादी ढ़ांचे को बढ़ाने में सहायता प्रदान करना जिसमें 46 स्कूलों को फर्नीचर उपलब्ध कराया और 12 स्कूलों में डिजिटल शिक्षण को बढ़ावा देने के लिए इंटरैक्टिव व्हाइटबोर्ड और लैपटॉप के साथ आईटी सुविधाओं को उन्नत करना शामिल है। | अनुसूची VII का मद (ii) - शिक्षा और आजीविका संवर्धन परियोजनाओं को बढ़ावा देना | हाँ | मिज़ोरम | मामित | 20,50,000.00 | नहीं | ममित जिला शिक्षा विभाग, मिजोरम सरकार | -- |
| 5 | ब्यूटीशियन और फिजियोथेरेपी पाठ्यक्रमों में 6 दिवसीय कौशल विकास कार्यक्रम के माध्यम से 100 महिलाओं को व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रदान किया गया, जिसका उद्देश्य उन्हें आत्मनिर्भर बनने और अपनी आजीविका के लिए स्थायी आय उत्पन्न करने के लिए सशक्त बनाना था। | अनुसूची VII का मद (ii) - रोजगार बढ़ाने वाले व्यावसायिक कौशल, विशेष रूप से महिलाओं में, और आजीविका संवर्धन परियोजनाओं को बढ़ावा देना | हाँ | पश्चिम बंगाल | कोलकाता | 1,30,000.00 | नहीं | अमादेरपदाखेप | सीएसआर 00039290 |

(घ) प्रशासनिक ओवरहेड्स में खर्च की गई राशि

प्रशासनिक ओवरहेड्स में व्यय की गई राशि शून्य है।

(ङ) प्रभाव आकलन पर व्यय की गई राशि, यदि लागू हो

प्रभाव आकलन पर व्यय की गई राशि शून्य है क्योंकि यह लागू नहीं है।

(च) वित्तीय वर्ष के लिए व्यय की गई कुल राशि (8बी+8सी+8डी+8ई)

वित्तीय वर्ष (8बी+8सी+8डी+8ई) के लिए खर्च की गई कुल राशि 1,23,46,260.00 रुपये है।

*नोट : पिछले 3 वित्तीय वर्षों से समायोजन: रु. 8,88,143.00

वित्त वर्ष 2024-25 के दौरान सीएसआर गतिविधियाँ: रु. 1,14,58,117.00

वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान खर्च की गई कुल राशि: 1,23,46,260.00 रुपये

(छ) समायोजन के लिए अतिरिक्त राशि, यदि कोई हो

| क्र. सं. | विवरण | राशि (रु. में) |
|---|---|---|
| (i) | अनुच्छेद 135(5) के अनुसार कंपनी के औसत शुद्ध लाभ का दो प्रतिशत | 1,23,46,260.00 |
| (ii) | वित्तीय वर्ष के लिए कुल खर्च की राशि | 1,23,46,260.00 |
| (iii) | वित्तीय वर्ष के लिए अधिक खर्च की राशि [(ii)-(i) | शून्य |
| (iv) | पिछले वित्तीय वर्षों की सीएसआरपरियोजनाओं, कार्यक्रमों या गतिविधियों से उत्पन्न अधिशेष, यदि कोई हो | शून्य |
| (v) | आगामी वित्तीय वर्षों में समायोजन के लिए उपलब्ध राशि [(iii)-(iv)] | शून्य |

9. (क) पिछले तीन वित्तीय वर्षों के लिए अप्रयुक्त सीएसआर राशि का विवरण:

| क्र. सं. | पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष | अनुच्छेद 135(6) के तहत अप्रयुक्त सीएसआर खाते में स्थानांतरित राशि (रु में) | रिपोर्टिंग वित्तीय वर्ष में खर्च की गई राशि (रु में) | अनुच्छेद 135(6) के अनुसार, यदि कोई हो, तो अनुसूची VII में निर्दिष्ट किसी भी कोष में स्थानांतरित राशि | | | आगामी वित्तीय वर्षों में व्यय की जाने वाली शेष राशि (रुपये में) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | निधि का नाम | राशि (रु. में) | स्थानांतरण की तिथि | |
| 1. | 2021-22 | शून्य | 90,90,400.00 | - | - | - | शून्य |
| 2. | 2022-23 | शून्य | 99,22,268.00 | - | - | - | शून्य |
| 3. | 2023-24 | शून्य | 64,18,480.00 | - | - | - | शून्य |
| | **कुल** | **शून्य** | **2,54,31,148.00** | **-** | **-** | **-** | **शून्य** |

(ख) पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष(वर्षों) की चालू परियोजनाओं के लिए वित्तीय वर्ष में व्यय की गई सीएसआर राशि का ब्यौरा:

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| क्र.सं. | परियोजना आईडी. | परियोजना का नाम. | वित्तीय वर्ष जिसमें परियोजना शुरू की गई | परियोजना अवधि | परियोजना के लिए आवंटित कुल राशि (रुपये में) | रिपोर्टिंग वित्तीय वर्ष में परियोजना पर व्यय की गई राशि (रु. में) | रिपोर्टिंग वित्तीय वर्ष के अंत में व्यय की गई संचयी राशि (रु. में) | परियोजना की स्थिति - पूर्ण / चालू |
| शून्य | | | | | | | | |

10. पूंजीगत परिसंपत्ति के सृजन या अधिग्रहण के मामले में, वित्तीय वर्ष में खर्च किए गए सीएसआर के माध्यम से निर्मित या अर्जित परिसंपत्ति से संबंधित विवरण प्रस्तुत करें।

**(परिसंपत्ति-वार विवरण)**

वित्तीय वर्ष में सीएसआर व्यय के माध्यम से पूंजीगत परिसंपत्ति का सृजन या अधिग्रहण नहीं किया गया है।

(क) पूंजीगत संपत्ति(यों) के निर्माण या अधिग्रहण की तिथि: लागू नहीं

(ख) पूंजीगत संपत्ति के निर्माण या अधिग्रहण के लिए खर्च की गई सीएसआरराशि: लागू नहीं

(ग) उस इकाई, सार्वजनिक प्राधिकरण या लाभार्थी का विवरण, जिनके नाम पर ऐसी पूंजीगत संपत्ति पंजीकृत है, उनका पता आदि लागू नहीं

(घ) निर्मित या अधिग्रहीत पूंजीगत संपत्ति(यों) का विवरण प्रदान करें (पूंजीगत संपत्ति का पूरा पता और स्थान सहित): लागू नहीं

11. यदि कंपनी ने अनुच्छेद 135(5) के अनुसार औसत शुद्ध लाभ का दो प्रतिशत खर्च नहीं किया है, तो कारण(ओं) बताएं।

कंपनी ने अनुच्छेद 135(5) के अनुसार औसत शुद्ध लाभ का दो प्रतिशत पूरी तरह खर्च कर दिया है।

| | | |
|---|---|---|
| हस्ता/-<br>(मुख्य कार्यकारी अधिकारी या प्रबंध निदेशक या निदेशक) | हस्ता/-<br>(सीएसआर समिति के अध्यक्ष) | हस्ता/-<br>[अधिनियम की धारा 380 की उपधारा (1) के खंड (घ) के अंतर्गत निर्दिष्ट व्यक्ति]<br>(जहां भी लागू हो) |

**अनुलग्नक - VI**

फॉर्म संख्या एमजीटी-9

## वार्षिक रिटर्न का अंश

31 मार्च, 2025 को समाप्त वित्तीय वर्ष के अनुसार

[कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 92(3) और कंपनी (प्रबंधन एवं प्रशासन) नियम, 2014 के नियम 12(1) के अनुसार

| | | |
|---|---|---|
| **I.** | **पंजीकरण और अन्य विवरण** | |
| | सीआईएन | U27310WB1920GOI003601 |
| | पंजीकरण की तारीख | 16.01.1920 |
| | कंपनी का नाम | ब्रिज एण्ड रूफ कम्पनी (आई) लिमिटेड |
| | कंपनी की श्रेणी/उप-श्रेणी | सार्वजनिक लिमिटेड/शेयरों द्वारा सीमित |
| | पंजीकृत कार्यालय का पता और संपर्क विवरण | 'कंकड़िया सेंटर', पाँचवीं मंजिल, 2/1, रसल स्ट्रीट, कोलकाता- 700071<br>फ़ोन: +91 33 2217-2108/2274<br>फ़ैक्स: +91 33 2217-2106 |
| | क्या सूचीबद्ध कंपनी है | गैर-सूचीबद्ध |

**II. कंपनी की प्रमुख व्यावसायिक गतिविधियाँ**

कंपनी के कुल कारोबार का 10% या अधिक योगदान देने वाली सभी व्यावसायिक गतिविधियों का उल्लेख किया जाना चाहिए:

| क्र.सं. | मुख्य उत्पादों/सेवाओं का नाम और विवरण | उत्पाद/सेवा का एनआईसी कोड | कंपनी के कुल कारोबार का % |
|---|---|---|---|
| | उपयोगिता परियोजनाओं का निर्माण | 422 | 35% |
| 2. | अन्य सिविल इंजीनियरिंग परियोजनाओं का निर्माण | 429 | 54% |

**III. होल्डिंग, सहायक और सहयोगी कंपनियों के विवरण**

-शून्य-

**IV. शेयर होल्डिंग पैटर्न (कुल इक्विटी के प्रतिशत के रूप में इक्विटी शेयर पूंजी का विभाजन)**

| | | |
|---|---|---|
| i) | श्रेणीवार शेयर होल्डिंग | संलग्नक देखें |
| ii) | प्रमोटरों की शेयरधारिता | संलग्नक देखें |
| iii) | प्रमोटरों की शेयरधारिता में परिवर्तन | शून्य |
| iv) | शीर्ष दस शेयरधारकों (निदेशकों, प्रमोटरों और जीडीआर और एडीआर धारकों के अलावा) का शेयरधारिता पैटर्न | संलग्नक देखें |
| v) | निदेशकों और प्रमुख प्रबंधकीय कर्मियों की शेयरधारिता | शून्य |

**V ऋणग्रस्तता**

बकाया/उपार्जित लेकिन भुगतान के लिए देय नहीं ब्याज सहित कंपनी का ऋण:

रु./सीआर.

| | जमा को छोड़कर सुरक्षित ऋण | असुरक्षित ऋण | जमा | कुल ऋणग्रस्तता |
|---|---|---|---|---|
| वित्तीय वर्ष की शुरुआत में ऋणग्रस्तता | | | | |
| i) मूल राशि | 150.71 | 0.00 | 0.00 | 150.71 |
| ii) देय लेकिन भुगतान न किया गया ब्याज | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| iii) अर्जित लेकिन देय नहीं ब्याज | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **कुल (i+ii+iii)** | **150.71** | **0.00** | **0.00** | **150.71** |
| वित्तीय वर्ष के दौरान ऋणग्रस्तता में परिवर्तन | | | | |
| वृद्धि | 40.85 | 0.00 | 0.00 | 40.85 |
| कमी | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| शुद्ध परिवर्तन | 40.85 | 0.00 | 0.00 | 40.85 |
| वित्तीय वर्ष के अंत में ऋणग्रस्तता | | | | |

| | जमा को छोड़कर सुरक्षित ऋण | असुरक्षित ऋण | जमा | कुल ऋणग्रस्तता |
|---|---|---|---|---|
| i) मूल धन | 191.56 | 0.00 | 0.00 | 191.56 |
| ii) ब्याज देय है लेकिन भुगतान नहीं किया गया | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| iii) ब्याज अर्जित हुआ लेकिन देय नहीं | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **कुल (i+ii+iii)** | **191.56** | **0.00** | **0.00** | **191.56** |

VI निदेशकों और प्रमुख प्रबंधकीय कर्मियों का पारिश्रमिक

| | | |
|---|---|---|
| i) | प्रबंध निदेशक, पूर्णकालिक निदेशकों और/या प्रबंधक का पारिश्रमिक: | संलग्नक देखें |
| ii) | अन्य निदेशकों का पारिश्रमिक | संलग्नक देखें |
| iii) | एमडी/प्रबंधक/पूर्णकालिक निदेशक के अलावा प्रमुख प्रबंधकीय कर्मियों का पारिश्रमिक | संलग्नक देखें |

VII दंड / सज़ा / अपराधों का शमन : शून्य

## VI. निदेशकों और प्रमुख प्रबंधकीय कर्मियों का पारिश्रमिक

क. प्रबंध निदेशक, पूर्णकालिक निदेशकों और/या प्रबंधक को पारिश्रमिक: (राशि रुपए में)

| क्र. सं. | पारिश्रमिक का विवरण | एमडी/डब्ल्यूटीडी/प्रबंधक का नाम | | | कुल राशि |
|---|---|---|---|---|---|
| | | आर. के. सिंह (01.04.2024 से 31.03.2025) | रवि कुमार (15.04.2024 से 31.03.2025 तक) | नव रत्न गुप्ता (01.04.2024 से 31.03.2025) | |
| 1 | सकल वेतन | | | | |
| | (क) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 17(1) में निहित प्रावधानों के अनुसार वेतन | 4993991.00 | 5585400.00 | 5760378.00 | 16339769.00 |
| | (ख) निर्वाह भत्ता | -- | -- | -- | -- |
| | (ग) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 17(2) के अंतर्गत अनुलाभों का मूल्य | 32,400.00 | -- | -- | 32,400.00 |
| | (घ) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 17(3) के अंतर्गत वेतन के बदले लाभ | -- | -- | -- | -- |
| 2 | स्टॉक विकल्प | -- | -- | -- | -- |
| 3 | स्वेट इक्विटी | -- | -- | | -- |
| 4 | कमीशन | -- | | -_ | |
| | - लाभ के % के रूप में | | -- | | -- |
| | - अन्य (निर्दिष्ट करें... | | | | |
| 5 | अन्य, कृपया निर्दिष्ट करें | -- | -- | | -- |
| | कुल (क) | **5026391.00** | **5585400.00** | **5760378.00** | **16372169.00** |

## ख. अन्य निदेशकों को पारिश्रमिक:

(राशि रुपए में)

| क्र.सं. | पारिश्रमिक का विवरण | निदेशकों के नाम | | |
|---|---|---|---|---|
| | | एस.कृष्ण कुमार (01.04.2024 से 02.11.2024) | आशीष चतुर्वेदी (01.04.2024 से 02.11.2024) | कुल राशि |
| | स्वतंत्र निदेशक<br>बोर्ड और समिति की बैठकों में भाग लेने का शुल्क<br>कमीशन<br>अन्य, कृपया निर्दिष्ट करें | 60000.00 | 95000.00 | 155000.00 |
| | **कुल(1)** | **60000.00** | **95000.00** | **155000.00** |
| | अन्य गैर-कार्यकारी निदेशक<br>निदेशक<br>बोर्ड और समिति की बैठकों में भाग लेने का शुल्क<br>कमीशन<br>अन्य, कृपया निर्दिष्ट करें | - | - | - |
| | **कुल(2)** | | | |
| | **कुल (ख)=(1+2)** | **60000.00** | **95000.00** | **155000.00** |
| | **कुल प्रबंधकीय पारिश्रमिक** | | | |

## ग. एमडी/प्रबंधक/डब्ल्यूटीडी के अलावा अन्य प्रमुख प्रबंधकीय कर्मियों को पारिश्रमिक

(राशि रुपए में)

| क्रम सं. | पारिश्रमिक का विवरण | प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | आर. के. सिंह (01.04.2024 से 31.03.2025) (सीईओ) | रवि कुमार (01.04.2024 से 31.03.2025) (सीएफओ) | नव रत्न गुप्ता (01.04.2024 से 31.03.2025) (सीएफओ) | राखी कर (01.04.2024 से 31.03.2025) (कंपनी सचिव) | कुल |
| 1 | सकल वेतन | | | | | |
| | (क) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 17(1) में निहित प्रावधानों के अनुसार वेतन | 4993991.00 | 5585400.00 | 5760378.00 | 2824614.00 | 19164383.00 |
| | (ख) निर्वाह भत्ता | | | | | |
| | (ग) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 17(2) के अंतर्गत अनुलाभों का मूल्य | 32,400.00 | - | - | - | 32,400.00 |
| | (घ) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 17(3) के अंतर्गत वेतन के बदले लाभ | - | - | - | - | - |
| 2 | स्टॉक विकल्प | - | - | - | - | - |
| 3 | स्वेट इक्विटी | - | - | - | - | - |
| 4 | आयोग | - | | | | |
| | - लाभ के % के रूप में | - | - | - | - | - |
| | - अन्य (निर्दिष्ट करें... | - | - | - | - | - |
| 5 | अन्य, कृपया निर्दिष्ट करें | - | - | - | - | - |
| | **कुल** | **5026391.00** | **5585400.00** | **5760378.00** | **2824614.00** | **19196783.00** |

## शेयर होल्डिंग पैटर्न (कुल इक्विटी के प्रतिशत के रूप में इक्विटी शेयर पूंजी का विभाजन)

### I) श्रेणीवार शेयर होल्डिंग

| शेयरधारकों की श्रेणी | वर्ष की शुरुआत में धारित शेयरों की संख्या | | | | वर्ष के अंत में धारित शेयरों की संख्या | | | | वर्ष के दौरान % परिवर्तन |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | डीमेट | भौतिक | कुल | कुल शेयरों का % | डीमेट | भौतिक | कुल | कुल शेयरों का % | |
| **क. प्रमोटर** | | | | | | | | | |
| **(1) भारतीय** | | | | | | | | | |
| क) व्यक्तिगत/एचयूएफ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ख) केंद्र सरकार | 0 | 54627155 | 54627155 | 99.35% | 0 | 54627155 | 54627155 | 99.35% | 0 |
| ग) राज्य सरकार (रें) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| घ) कॉर्पोरेट निकाय | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ड़) बैंक/वित्तीय संस्थाएं | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| च) कोई अन्य..... | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **उप-योग (क) (1) :-** | **0** | **54627155** | **54627155** | **99.35%** | **0** | **54627155** | **54627155** | **99.35%** | **0** |
| **(2) विदेशी** | | | | | | | | | |
| क) अनिवासी भारतीय - व्यक्ति | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ख) अन्य- व्यक्ति | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ग) कॉर्पोरेट निकाय | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| घ) बैंक/वित्तीय संस्थाएं | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ड़) कोई अन्य | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **उप-योग (क) (2) :-** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **प्रमोटर (क) की कुल शेयरधारिता = (क)(1)+(क)(2)** | **0** | **54627155** | **54627155** | **99.35%** | **0** | **54627155** | **54627155** | **99.35%** | **0** |
| **ख. सार्वजनिक शेयरधारिता** | | | | | | | | | |
| **(1) संस्थानों** | | | | | | | | | |
| क) म्यूचुअल फंड | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ख) बैंक / वित्तीय संस्थाएं | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ग) केंद्र सरकार | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| घ) राज्य सरकार (रें) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ड़) वेंचर कैपिटल फंड | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| च) बीमा कंपनियाँ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| छ) एफआईआई | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ज) विदेशी उद्यम पूंजी कोष | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| झ) अन्य (निर्दिष्ट करें) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **उप-योग (ख)(1) :-** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **2. गैर-संस्थाएं** | | | | | | | | | |
| क) कॉर्पोरेट निकाय | | | | | | | | | |
| i) भारतीय | 0 | 357591 | 357591 | 0.65% | 0 | 357591 | 357591 | 0.65% | 0 |
| ii) प्रवासी | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ख) व्यक्ति | | | | | | | | | |
| i) 1 लाख रुपये तक की नॉमिनल शेयर पूंजी रखने वाले व्यक्तिगत शेयरधारक | 0 | 2409 | 2409 | 0.00% | 0 | 2409 | 2409 | 0.00% | 0 |
| ii) 1 लाख रुपये से अधिक नॉमिनल शेयर पूंजी रखने वाले व्यक्तिगत शेयरधारक | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ग) अन्य (निर्दिष्ट करें) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **उप-योग (ख)(2)** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **कुल सार्वजनिक शेयरधारिता (ख)=(ख)(1)+(ख)(2)** | **0** | **360000** | **360000** | **0.65%** | **0** | **360000** | **360000** | **0.65%** | **0** |
| ग) जीडीआर और एडीआर के लिए कस्टोडियन द्वारा रखे गए शेयर | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **कुल योग (क+ख+ग)** | **0** | **54987155** | **54987155** | **100.00%** | **0** | **54987155** | **54987155** | **100.00%** | **0** |

## (II) प्रमोटरों की शेयरहोल्डिंग

| क्र. सं. | शेयरधारक का नाम | वर्ष की शुरुआत में शेयरहोल्डिंग | | | वर्ष के अंत में शेयरहोल्डिंग | | | वर्ष के दौरान शेयरहोल्डिंग में परिवर्तन का प्रतिशत |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | शेयरों की संख्या | कंपनी के कुल शेयरों का प्रतिशत | कुल शेयरों में से प्रतिज्ञित/बंधक किए गए शेयरों का प्रतिशत | शेयरों की संख्या | कंपनी के कुल शेयरों का प्रतिशत | कुल शेयरों में से प्रतिज्ञित/बंधक किए गए शेयरों का प्रतिशत | |
| 1 | भारत के राष्ट्रपति | 54627155 | 99.35% | 0 | 54627155 | 99.35% | 0 | 0 |

## (III) शीर्ष दस शेयरधारकों का शेयरधारिता पैटर्न (निदेशकों, प्रमोटरों और जीडीआर और एडीआर धारकों के अलावा):

| क्र. सं. | | वर्ष की शुरुआत में शेयरहोल्डिंग | | वर्ष के दौरान शेयरहोल्डिंग में तिथि के अनुसार वृद्धि/कमी, साथ ही वृद्धि/कमी के कारण निर्दिष्ट करें (जैसे आवंटन/हस्तांतरण/बोनस/स्वेट इक्विटी आदि) | वर्ष के दौरान संचयी शेयरहोल्डिंग | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | शेयरों की संख्या | कंपनी के कुल शेयरों का प्रतिशत | | शेयरों की संख्या | कंपनी के कुल शेयरों का प्रतिशत |
| 1) | भारत के राष्ट्रपति | 54627155 | 99.35% | शून्य | 54627155 | 99.35% |
| 2) | बामर लॉरी एंड कंपनी लिमिटेड | 357591 | 0.65% | शून्य | 357591 | 0.65% |
| 3) | श्रीमती चंद्रलेखा मेहता | 600 | 0.00% | शून्य | 600 | 0.00% |
| 4) | श्रीमती तेहमि केकी धारुवाल | 600 | 0.00% | शून्य | 600 (आईईपीएफ को हस्तांतरित) | 0.00% |
| 5) | श्री अजीत सिन्हा | 300 | 0.00% | शून्य | 300 | 0.00% |
| 6) | सदासिवा त्यागराजा सदासिवन | 300 | 0.00% | शून्य | 300 (आईईपीएफ को हस्तांतरित) | 0.00% |
| 7) | श्रीमती ललिता त्यागराजन | 200 | 0.00% | शून्य | 200 (आईईपीएफ को हस्तांतरित) | 0.00% |
| 8) | जयानंद गोविंदराज | 100 | 0.00% | शून्य | 100 | 0.00% |
| 9) | सदासिवा गोविंदराज | 100 | 0.00% | शून्य | 100 (आईईपीएफ को हस्तांतरित | 0.00% |
| 10) | सदासिवा त्यागराजन | 100 | 0.00% | शून्य | 100 (आईईपीएफ को हस्तांतरित) | 0.00% |

**अनुलग्नक -VII**

वित्त वर्ष 2024-25 के दौरान सूक्ष्म और लघु उद्यमों (एमएसई) आदेश, 2012 के तहत

सार्वजनिक खरीद नीति के अंतर्गत खरीद का विवरण

भारत सरकार के सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय (एमएसएमई), भारत सरकार द्वारा जारी डी.ओ. संख्या. 21(1)/2011-M.A. दिनांक 25-04-2012 के अनुपालन में, वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान कंपनी द्वारा किए गए खरीद लक्ष्य और उपलब्धि का विवरण नीचे दिया गया है: -

(₹ in Cr.)

| क्र. सं. | विवरण | वित्त वर्ष 2024-25 के लिए लक्ष्य | वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान वास्तविक उपलब्धि |
|---|---|---|---|
| 1 | कुल वार्षिक खरीद | 1200.00 | 860.99 |
| 2 | एमएसई से प्राप्त वस्तुओं और सेवाओं का कुल मूल्य (एससी/एसटी उद्यमियों के स्वामित्व वाले एमएसई सहित) | 300.00 | 255.28 |
| 3 | केवल अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति उद्यमियों के स्वामित्व वाले एमएसई से प्राप्त वस्तुओं और सेवाओं का कुल मूल्य | 48.00 | 35.47 |
| 4 | केवल महिला उद्यमियों के स्वामित्व वाले एमएसई से प्राप्त वस्तुओं और सेवाओं का कुल मूल्य | 36.00 | 28.15 |
| 5 | कुल खरीद में से एमएसई (एससी/एसटी उद्यमियों के स्वामित्व वाले एमएसई सहित) से खरीद का % | 25.00% | 29.65% |
| 6 | कुल खरीद में से केवल अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति उद्यमियों के स्वामित्व वाले एमएसई से खरीद का प्रतिशत | 4.00% | 4.12% |
| 7 | कुल खरीद में से केवल महिला उद्यमियों के स्वामित्व वाले एमएसई से खरीद का % | 3.00% | 3.27% |
| 8 | एमएसई के लिए विक्रेता विकास कार्यक्रम | हाँ | हाँ |
| 9 | क्या सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों से खरीद के लिए वार्षिक खरीद योजना आधिकारिक वेबसाइट पर अपलोड की गई है? | हाँ | हाँ |
| 10 | क्या वार्षिक रिपोर्ट में लक्ष्यों का उल्लेख किया गया है। | हाँ | हाँ |

# सेक्रेटेरियल ऑडिट रिपोर्ट

वर्ष 31 मार्च, 2024 के लिए

सिद्धार्थ बैद
कंपनी सचिव, अभ्यासरत

सिद्ध वेस्टन"
9, वेस्टन स्ट्रीट
कमरा संख्या 310, तीसरी मंजिल,
कोलकाता-700013
फ़ोन: 033 40613040
मोबाइल: 9830076161
ईमेल: sidharth.acs@gmail.com

**प्रपत्र संख्या MR-3**
**सचिवीय लेखापरीक्षा रिपोर्ट**
**31 मार्च 2025 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए**

(कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 204(1) और कंपनी (प्रबंधकीय कार्मिकों की नियुक्ति एवं पारिश्रमिक) नियम, 2014 के नियम 9 के अनुसार, भारतीय कंपनी सचिव संस्थान के सचिवीय लेखापरीक्षा पर मार्गदर्शन नोट के साथ पठित)

प्रति,
सदस्यगण,
मेसर्स ब्रिज एण्ड रूफ कम्पनी (इंडिया) लिमिटेड
CIN: U27310WB1920G01003601
पंजीकृत कायलिय: 2/1, रसल स्ट्रीट, पाँचवीं मंजिल,
कोलकाता- 700071, पश्चिम बंगाल

हमने मेसर्स ब्रिज एण्ड रूफ कम्पनी (इंडिया) लिमिटेड, जिसका सीआईएन: U27310WB1920G01003601 है और जिसका पंजीकृत कार्यालय 2/1, रसल स्ट्रीट, पाँचवीं मंजिल, कोलकाता-700071, पश्चिम बंगाल में है (जिसे आगे "कंपनी" कहा जाएगा) द्वारा लागू वैधानिक प्रावधानों के अनुपालन और अच्छी कॉर्पोरेट प्रथाओं के पालन का सचिवीय लेखा-परीक्षा किया है। सचिवीय लेखा-परीक्षा इस प्रकार की गई है जिससे हमें कॉर्पोरेट आचरण/वैधानिक अनुपालनों का मूल्यांकन करने और उन पर अपनी राय व्यक्त करने के लिए एक उचित आधार प्राप्त हुआ है।

सचिवीय अनुपालनों के लिए प्रबंधन की ज़िम्मेदारी

कंपनी का प्रबंधन सचिवीय अभिलेखों की तैयारी और रखरखाव तथा लागू कानूनों और विनियमों के प्रावधानों के अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिए प्रणालियाँ तैयार करने के लिए ज़िम्मेदार है।

लेखा परीक्षक की ज़िम्मेदारी

सचिवीय अनुपालन के संबंध में कंपनी द्वारा अपनाए गए सचिवीय अभिलेखों, मानकों और प्रक्रियाओं पर अपनी राय व्यक्त करना हमारा दायित्व है।

हमारा मानना है कि कंपनी के प्रबंधन से प्राप्त लेखापरीक्षा साक्ष्य और जानकारी हमारी राय के लिए पर्याप्त और उपयुक्त हैं।

SIDHARTH BAID
Kolkata
M. No.: A17677
CP No.: 13436
Company Secretary in Practice

सिद्धार्थ बैद
कंपनी सचिव, अभ्यासरत

"सिद्ध वेस्टन"
9, वेस्टन स्ट्रीट
कमरा संख्या 310, तीसरी मंजिल,
कोलकाता-700013
फ़ोन: 033 40613040
मोबाइल: 9830076161
ईमेल: sidharth.acs@gmail.com

कंपनी की लेखा पुस्तकों, कागजातों, कार्यवृत्त पुस्तकों, दाखिल प्रपत्रों और रिटर्न तथा मेसर्स ब्रिज एण्ड रूफ कम्पनी (इंडिया) लिमिटेड द्वारा अनुरक्षित अन्य अभिलेखों के हमारे सत्यापन और सचिवीय लेखापरीक्षा के दौरान कंपनी, उसके अधिकारियों, एजेंटों और अधिकृत प्रतिनिधियों द्वारा प्रदान की गई जानकारी के आधार पर, हम एतद्द्वारा रिपोर्ट करते हैं कि हमारी राय में, कंपनी ने 1 अप्रैल 2024 से 31 मार्च 2025 ("रिपोर्टिंग अवधि") तक की लेखापरीक्षा अवधि के दौरान नीचे सूचीबद्ध वैधानिक प्रावधानों का अनुपालन किया है और यह भी कि कंपनी के पास उचित बोर्ड-प्रक्रियाएँ और अनुपालन-तंत्र विद्यमान हैं, जो इस सीमा तक, तरीके से और इसके बाद की गई रिपोर्टिंग के अधीन हैं:

हमने 31 मार्च, 2025 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए कंपनी द्वारा अनुरक्षित लेखा पुस्तकों, कागजातों, कार्यवृत्त पुस्तकों, दाखिल प्रपत्रों और रिटर्न तथा अन्य अभिलेखों की निम्नलिखित प्रावधानों के अनुसार जाँच की है:

(i) कंपनी अधिनियम, 2013 (अधिनियम) और उसके अंतर्गत बनाए गए नियम।

(ii) प्रतिभूति अनुबंध (विनियमन) अधिनियम, 1956 ('एससीआरए') और उसके अंतर्गत बनाए गए नियम।

(iii) निक्षेपागार अधिनियम, 1996/2018 और उसके अंतर्गत बनाए गए विनियम और उपनियम।

(iv) विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम, 1999 और उसके अंतर्गत बनाए गए नियम और विनियम, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश और बाह्य वाणिज्यिक उधार की सीमा तक।

(v) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड अधिनियम, 1992 ('सेबी अधिनियम') के अंतर्गत निर्धारित निम्नलिखित विनियम और दिशानिर्देश, जहाँ तक लागू हों: -

(क) भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (शेयरों का पर्याप्त अधिग्रहण एवं अधिग्रहण) विनियम, 2011;

(ख) भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (अंदरूनी व्यापार का निषेध) विनियम, 2015;

(ग) भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (पूंजी निर्गम एवं प्रकटीकरण आवश्यकताएँ) विनियम, 2009/2018,

(घ) भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सूचीबद्धता दायित्व एवं प्रकटीकरण आवश्यकताएँ) विनियम, 2015 और अन्य लागू विनियम/दिशानिर्देश/सेबी द्वारा समय-समय पर जारी किए जाने वाले परिपत्र;

(ङ) भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (कर्मचारी स्टॉक विकल्प योजना एवं कर्मचारी स्टॉक क्रय योजना) दिशानिर्देश, 1999 और भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (शेयर आधारित कर्मचारी लाभ) विनियम, 2014,

सिद्धार्थ बैद
कंपनी सचिव, अभ्यासरत

सिद्ध वेस्टन"
9, वेस्टन स्ट्रीट
कमरा संख्या 310, तीसरी मंजिल,
कोलकाता-700013
फ़ोन: 033 40613040
मोबाइल: 9830076161
ईमेल: sidharth.acs@gmail.com

(च) भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (ऋण प्रतिभूतियों का निर्गम एवं सूचीकरण) विनियम, 2008;

(छ) कंपनी अधिनियम और ग्राहकों के साथ व्यवहार के संबंध में भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (निर्गम के रजिस्ट्रार और शेयर हस्तांतरण एजेंट) विनियम, 1993:

(ज) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (इक्विटी शेयरों की डीलिस्टिंग) विनियम, 2009;

(झ) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (प्रतिभूतियों की पुनर्खरीद) विनियम, 1998/2018; और

(vi) प्रबंधन ने निम्नलिखित कानूनों की पहचान की है और उन्हें कंपनी पर विशेष रूप से लागू होने की पुष्टि की है:

क) श्रम कानून

हमने निम्नलिखित के लागू खंडों के अनुपालन की भी जाँच की है:

i. भारतीय कंपनी सचिव संस्थान द्वारा जारी और अनिवार्य किए गए सचिवीय मानक।

समीक्षाधीन अवधि के दौरान कंपनी ने ऊपर उल्लिखित नियमों, विनियमों, दिशानिर्देशों, मानकों आदि के प्रावधानों का अनुपालन किया है।

हम आगे रिपोर्ट करते हैं कि

कंपनी के निदेशक मंडल का गठन कार्यकारी निदेशकों, गैर-कार्यकारी निदेशकों और स्वतंत्र निदेशकों के उचित संतुलन के साथ नहीं किया गया है। समीक्षाधीन अवधि के दौरान और उसके बाद निदेशक मंडल की संरचना में हुए परिवर्तन अधिनियम के प्रावधानों के अनुरूप नहीं थे।

सभी निदेशकों को बोर्ड की बैठकों की समय-सारिणी की पर्याप्त सूचना दी जाती है, एजेंडा और एजेंडा पर विस्तृत नोट्स कम से कम सात दिन पहले भेजे जाते हैं, और बैठक से पहले एजेंडा मदों पर और जानकारी और स्पष्टीकरण प्राप्त करने और बैठक में सार्थक भागीदारी के लिए एक प्रणाली मौजूद है।

बोर्ड की बैठकों और समिति की बैठकों में लिए गए सभी निर्णय सर्वसम्मति से लिए जाते हैं, जैसा कि निदेशक मंडल या बोर्ड की समिति की बैठकों के कार्यवृत्त में दर्ज किया गया है, जैसा भी मामला हो।

हम आगे रिपोर्ट करते हैं कि लेखापरीक्षा अवधि के दौरान, उपर्युक्त कानूनों, नियमों, विनियमों, दिशानिर्देशों, मानकों आदि के अनुसरण में कंपनी के कामकाज पर कोई विशेष प्रभाव डालने वाली कोई विशिष्ट घटना या कार्रवाई नहीं हुई।

हम आगे रिपोर्ट करते हैं कि कंपनी के आकार और संचालन के अनुरूप कंपनी में लागू कानूनों, नियमों, विनियमों और दिशानिर्देशों के अनुपालन की निगरानी और सुनिश्चित करने के लिए पर्याप्त प्रणालियाँ और प्रक्रियाएँ मौजूद हैं।

1. समिति में स्वतंत्र निदेशकों की अपेक्षित संख्या की कमी के कारण, लेखापरीक्षा समिति का गठन कंपनी अधिनियम, 2013 के अनुसार नहीं था।

SIDHARTH BAID
Kolkata
M. No.: A17677
CP No.: 13436
Company Secretary in Practice

सिद्धार्थ बैद
कंपनी सचिव, अभ्यासरत

सिद्ध वेस्टन"
9, वेस्टन स्ट्रीट
कमरा संख्या 310, तीसरी मंजिल,
कोलकाता-700013
फ़ोन: 033 40613040
मोबाइल: 9830076161
ईमेल: sidharth.acs@gmail.com

2. बोर्ड में अपेक्षित संख्या में स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति न होने के कारण, सीएसआर समिति और एनआरसी समिति का गठन कंपनी अधिनियम 2013 और डीपीई दिशानिर्देशों के अनुसार नहीं किया गया था।

3. कार्यवृत्त से यह देखा गया है कि कंपनी के पास एमएसएमई सहित मध्यस्थता और कानूनी मामले लंबित हैं, हम इस पर अपनी राय व्यक्त करने में असमर्थ हैं क्योंकि यह मामला न्यायिक प्राधिकार के प्रति पूर्वाग्रह से ग्रस्त है।

4. वित्तीय वर्ष 2023-2024 के लिए कंपनी की वार्षिक आम बैठक 06 सितंबर, 2024 को बुलाई गई थी, जो कोरम के अभाव में स्थगित कर दी गई थी और अब 13 सितंबर, 2024 को आयोजित की गई है।

हमने यह प्रमाणपत्र ईमेल के माध्यम से हमें प्रदान किए गए विभिन्न दस्तावेजों के आंकड़ों और सॉफ्ट कॉपी के आधार पर जारी किया है और जहाँ भी हमारे लेखापरीक्षण के लिए आवश्यक था, वहाँ यथासंभव भौतिक दस्तावेजों का सत्यापन किया गया है।

प्रकटीकरण

यह रिपोर्ट हमारे सम संख्यक पत्र के साथ पढ़ी जाए, जो अनुलग्नक-A के रूप में संलग्न है और इस रिपोर्ट का एक अभिन्न अंग है।

**सिद्धार्थ बैद**
व्यवसायरत कंपनी सचिव
सदस्यता संख्या: A17677
अभ्यास प्रमाणपत्र संख्या: 13436
सहकर्मी समीक्षा प्रमाणपत्र संख्या: 5886/2024

स्थान: कोलकाता
दिनांक: 16.07.2025
UDIN: A0176776000795223

सिद्धार्थ बैद
कंपनी सचिव, अभ्यासरत

सिद्ध वेस्टन"
9, वेस्टन स्ट्रीट
कमरा संख्या 310, तीसरी मंजिल,
कोलकाता-700013
फ़ोन: 033 40613040
मोबाइल: 9830076161
ईमेल: sidharth.acs@gmail.com

अनुलग्नक-A

**31 मार्च, 2025 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए ब्रिज एण्ड रूफ कम्पनी (इंडिया) लिमिटेड (CIN U27310WB1920G01003601) की सचिवीय लेखा परीक्षा रिपोर्ट का अनुलग्नक**

सेवा में,
सदस्यगण,
मेसर्स ब्रिज एण्ड रूफ कम्पनी (इंडिया) लिमिटेड
CIN: U27310WB1920G01003601
पंजीकृत कार्यालय: 2/1, रसल स्ट्रीट, पाँचवीं मंजिल
कोलकाता 700071, पश्चिम बंगाल

31 मार्च, 2025 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए हमारी सचिवीय लेखा परीक्षा रिपोर्ट, सम तिथि, इस पत्र के साथ पढ़ी जाए।

1. सचिवीय अभिलेखों का रखरखाव कंपनी के प्रबंधन की जिम्मेदारी है। हमारी जिम्मेदारी कंपनी के आकार के अनुरूप पर्याप्त बोर्ड प्रक्रिया और अनुपालन प्रबंधन प्रणाली के अस्तित्व पर एक राय व्यक्त करना है, जो उक्त लेखापरीक्षा के दौरान हमें दिखाए गए इन सचिवीय रिकॉर्डों और साथ ही कंपनी के अधिकारियों और एजेंटों द्वारा संयुक्त लेखापरीक्षा के दौरान हमें दी गई जानकारी के आधार पर है।
2. सचिवीय अभिलेखों की विषय-वस्तु की सत्यता के बारे में उचित आश्वासन प्राप्त करने के लिए, हमारी सर्वोत्तम समझ के अनुसार, हमने लेखापरीक्षा पद्धतियों और प्रक्रियाओं का पालन किया है। यह सुनिश्चित करने के लिए कि सचिवीय अभिलेखों में सही तथ्य परिलक्षित हों, सत्यापन नमूना जाँच के आधार पर किया गया था। हमारा मानना है कि हमारे द्वारा अपनाई गई प्रक्रियाएँ और पद्धतियाँ हमारी राय के लिए एक उचित आधार प्रदान करती हैं।
3. हमने समीक्षाधीन अवधि के दौरान कंपनी के बोर्ड और विभिन्न समितियों द्वारा लिए गए वित्तीय अभिलेखों, लेखा-बही और निर्णयों की सत्यता, उपयुक्तता और आधारों का सत्यापन नहीं किया है। हमने बोर्ड प्रक्रिया और अनुपालन प्रबंधन प्रणाली की जाँच यह समझने और यह राय बनाने के लिए की है कि क्या उपरोक्त सचिवीय लेखापरीक्षा रिपोर्ट में उल्लिखित विभिन्न क़ानूनों के प्रावधानों के अनुसार बोर्ड की संबंधित समितियों, कंपनी के सदस्यों और अन्य प्राधिकारियों से अनुमोदन प्राप्त करने की पर्याप्त प्रणाली है।

SIDHARTH BAID
Kolkata
M. No.: A17677
CP No.: 13436
Company Secretary in Practice

सिद्धार्थ बैद
कंपनी सचिव, अभ्यासरत

"सिद्ध वेस्टन"
9, वेस्टन स्ट्रीट
कमरा संख्या 310, तीसरी मंजिल,
कोलकाता-700013
फ़ोन: 033 40613040
मोबाइल: 9830076161
ईमेल: sidharth.acs@gmail.com

4. जहाँ भी आवश्यक हुआ, हमने कानूनों, नियमों और विनियमों के अनुपालन और घटनाओं आदि के घटित होने के बारे में प्रबंधन से प्रतिनिधित्व प्राप्त किया है।
5. कॉर्पोरेट और अन्य लागू कानूनों, नियमों, विनियमों और मानकों के प्रावधानों का अनुपालन प्रबंधन की ज़िम्मेदारी है। हमारी जाँच केवल नमूना जाँच के आधार पर अनुपालन प्रक्रियाओं के सत्यापन तक सीमित थी।
6. सचिवीय लेखापरीक्षा रिपोर्ट न तो कंपनी की भविष्य की व्यवहार्यता के बारे में आश्वासन है और न ही उस प्रभावकारिता, प्रभावशीलता या सटीकता के बारे में जिसके साथ प्रबंधन ने कंपनी के मामलों का संचालन किया है।

**सिद्धार्थ बैद**
व्यवसायरत कंपनी सचिव
सदस्यता संख्या: A17677
अभ्यास प्रमाणपत्र संख्या: 13436
सहकर्मी समीक्षा प्रमाणपत्र संख्या: 5886/2024

स्थान: कोलकाता
दिनांक: 16.07.2025
यूडीआईएन: A0176776000795223

सिद्धार्थ बैद
कंपनी सचिव, अभ्यासरत

"सिद्ध वेस्टन"
9, वेस्टन स्ट्रीट
कमरा संख्या 310, तीसरी मंजिल,
कोलकाता-700013
फ़ोन: 033 40613040
मोबाइल: 9830076161
ईमेल: sidharth.acs@gmail.com

# कॉरपोरेट गवर्नेंस अनुपालन प्रमाणपत्र
## (वित्तीय वर्ष समाप्त 31 मार्च, 2025 के लिए)

सेवा में,
सदस्यगण
ब्रिज एण्ड रूफ कम्पनी (इंडिया) लिमिटेड
कंकड़िया सेंटर, 2/1, रसल स्ट्रीट
5वीं मंजिल, कोलकाता – 700071

मैंने मेसर्स ब्रिज एण्ड रूफ कम्पनी (इंडिया) लिमिटेड, जो कि एक केंद्र सरकार की कंपनी है, द्वारा वित्तीय वर्ष 31 मार्च, 2025 को समाप्त होने तक कॉरपोरेट गवर्नेंस के अनुपालन से संबंधित अभिलेखों और दस्तावेजों की जांच की है।

कॉरपोरेट गवर्नेंस की शर्तों के अनुपालन की जिम्मेदारी कंपनी के प्रबंधन की है। मेरी जांच केवल उन प्रक्रियाओं और उनके कार्यान्वयन तक सीमित थी जिन्हें कंपनी ने कॉरपोरेट गवर्नेंस की शर्तों के अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिए अपनाया था। यह न तो कंपनी के वित्तीय विवरणों का ऑडिट है और न ही उन पर किसी राय का प्रकटीकरण।

मेरे विचार से और मेरी जानकारी के अनुसार तथा मुझे दी गई स्पष्टीकरण के आधार पर, मैं प्रमाणित करता हूँ कि कंपनी ने सामान्य रूप से कंपनी द्वारा निर्धारित कॉरपोरेट गवर्नेंस के दिशा-निर्देशों का पालन किया है।

मैं आगे यह भी कहता हूँ कि ऐसा अनुपालन न तो कंपनी की भविष्य की व्यवहार्यता का आश्वासन है और न ही यह प्रबंधन द्वारा कंपनी के कार्यों को संचालित करने की दक्षता या प्रभावशीलता का प्रमाण है।

**सिद्धार्थ बैद**
व्यवसायरत कंपनी सचिव
सदस्य संख्या: A17677
सीपी संख्या: 13436
पीयर रिव्यू प्रमाणपत्र संख्या: 5886/2024

स्थान: कोलकाता
दिनांक: 16.07.2025
यूडीआईएन: A017677G000795344

# कार्पोरेट गवर्नेंस रिपोर्ट

कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों और भारत सरकार के वित्त मंत्रालय के लोक उद्यम विभाग (डीपीई) द्वारा जारी केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यमों के लिए कार्पोरेट गवर्नेंस संबंधी दिशानिर्देश 2010 (डीपीई दिशानिर्देश) के अनुसार, यह रिपोर्ट ब्रिज एण्ड रूफ कम्पनी लिमिटेड, जो एक 'मिनी रत्न श्रेणी-I कंपनी' है, की कार्पोरेट गवर्नेंस प्रणालियों और प्रक्रियाओं का विवरण प्रस्तुत करती है। कार्पोरेट गवर्नेंस, हितधारकों के मूल्य संवर्धन और सामाजिक उत्तरदायित्व के निर्वहन के कंपनी के उद्देश्य की प्राप्ति हेतु सर्वोत्तम प्रबंधन पद्धतियों, कानूनों के अनुपालन और नैतिक मानकों के पालन का अनुप्रयोग है। हमारा मानना है कि कार्पोरेट गवर्नेंस का सार सभी हितधारकों के साथ मूल्यवान संबंधों और विश्वास को बनाए रखना है। अच्छे कार्पोरेट गवर्नेंस प्रथाओं का पालन करने के प्रति हमारी प्रतिबद्धता पारदर्शिता, निष्पक्षता, नैतिकता, टीम भावना, व्यावसायिकता और जवाबदेही पर आधारित है। यह सर्वोत्तम मानकों के अनुपालन करने और हमारे हितधारकों के बीच विश्वास निर्माण का मार्ग प्रशस्त करता है, जो हमारे उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए आवश्यक है।

## कंपनी का दर्शन

ब्रिज एण्ड रूफ कम्पनी (इंडिया) लिमिटेड पारदर्शिता, विश्वास और सत्यनिष्ठा, कार्य निष्पादन उन्मुखता, उत्तरदायित्व और जवाबदेही, व्यावसायिकता, सामाजिक उत्तरदायित्व, नैतिक व्यावसायिक प्रथाओं और हितधारकों के मूल्य के सतत संवर्धन हेतु आत्म-अनुशासन की नीति के रूप में संगठन के प्रति प्रतिबद्धता के उच्चतम मानकों के विकास और अंगीकरण के माध्यम से सुदृढ़ कार्पोरेट गवर्नेंस मानदंडों के सिद्धांतों को बढ़ावा देने के लिए निरंतर प्रयास कर रही है।

कंपनी की निगमित नियंत्रण संहिता है, "कंपनी की हर गतिविधि में उत्कृष्टता के साथ पेशेवर, लाभप्रद, पारदर्शी और जवाबदेह बनना"। निदेशक मंडल द्वारा औपचारिक रूप से अपनाए गए कंपनी के प्रमुख मूल्य हैं:

क. रचनात्मक दृष्टिकोण

ख. एक टीम के रूप में काम करना

ग. कार्य निष्पादन में उत्कृष्टता

घ. कार्य और व्यवहार में ईमानदारी

ङ. उत्तरदायी और जवाबदेह होना

## निदेशक मंडल

निदेशक मंडल कंपनी के प्रबंधन को रणनीतिक नेतृत्व और निगरानी प्रदान करता है। इसमें कार्यकारी, गैर-कार्यकारी और स्वतंत्र निदेशकों का एक संतुलित संयोजन से गठित है, जो सभी लागू नियामक आवश्यकताओं के अनुरूप होता है। बोर्ड की संरचना अनुभव, विशेषज्ञता और दृष्टिकोणों की विविधता सुनिश्चित करती है जिससे कंपनी की रणनीतिक दिशा को प्रभावी रूप से मार्गदर्शन प्राप्त होता है।

### निदेशक मंडल की प्रमुख जिम्मेदारियों में शामिल हैं:

- कॉर्पोरेट रणनीतियों, वार्षिक बजट और प्रमुख नीतियों को मंजूरी देना
- वित्तीय प्रदर्शन और परिचालन प्रभावशीलता की निगरानी
- जोखिम प्रबंधन और अनुपालन ढांचे की देखरेख
- वरिष्ठ प्रबंधन की नियुक्ति और उनके प्रदर्शन का मूल्यांकन

निदेशक मंडल की नियमित रूप से बैठकें आयोजित करना है और विशेष क्षेत्रों की निरीक्षण हेतु समितियां स्थापित करना है, जिनमें लेखा परीक्षा समिति, नामांकन और पारिश्रमिक समिति आदि शामिल हैं।

## लेखा परीक्षा और अनुपालन

कंपनी वैधानिक आवश्यकताओं और नैतिक मानकों का पालन सुनिश्चित करने के लिए मज़बूत आंतरिक नियंत्रण और अनुपालन तंत्र बनाए रखती है। स्वतंत्र निदेशकों वाली लेखा परीक्षा समिति वित्तीय रिपोर्टिंग, वैधानिक लेखा परीक्षा, आंतरिक लेखा परीक्षा और जोखिम प्रबंधन प्रथाओं की देखरेख करती है।

## नैतिकता और पारदर्शिता

ब्रिज एण्ड रूफ ने अपने निदेशकों, वरिष्ठ प्रबंधन और कर्मचारियों पर लागू होने वाली एक आचार संहिता अपनाई है। यह संहिता नैतिक व्यावसायिक व्यवहार, कानूनों के अनुपालन, भ्रष्टाचार निवारण और जिम्मेदार कॉर्पोरेट नागरिकता पर ज़ोर देती है। किसी भी अनैतिक या अवैध गतिविधि की रिपोर्टिंग को प्रोत्साहित करने के लिए व्हिसलब्लोअर और शिकायत निवारण तंत्र मौजूद हैं।

## शेयरधारक अधिकार और सहभागिता

कंपनी अपने शेयरधारकों के अधिकारों का सम्मान करती है और सूचित निर्णय लेने में सुविधा के लिए समय पर, सटीक

और पूर्ण जानकारी प्रदान करने का प्रयास करती है। वार्षिक आम बैठकें, निवेशक प्रस्तुतियाँ और कॉर्पोरेट प्रशासन नियमों के अंतर्गत प्रकटीकरण शेयरधारकों और निवेशकों के साथ पारदर्शी संचार सुनिश्चित करते हैं।

### स्थिरता और सामाजिक उत्तरदायित्व

ब्रिज एण्ड रूफ कम्पनी (इंडिया) लिमिटेड का कॉर्पोरेट प्रशासन पर्यावरण, सामाजिक और शासन (ईएसजी) सिद्धांतों के प्रति अपनी प्रतिबद्धता के अनुरूप है। कंपनी अपने संचालन में स्थिरता को एकीकृत करती है, और संसाधनों के ज़िम्मेदार उपयोग, सामुदायिक विकास और नैतिक आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन पर ध्यान केंद्रित करती है।

### निदेशक मंडल:

निदेशक मंडल ब्रिज एण्ड रूफ कम्पनी (इंडिया) लिमिटेड का सर्वोच्च शासकीय निकाय है। निदेशक मंडल में कंपनी को रणनीतिक मार्गदर्शन और निर्देश प्रदान करने के लिए उद्योग और संबंधित क्षेत्रों में समृद्ध ज्ञान और अनुभव रखने वाले विविध क्षेत्रों से आए पेशेवर शामिल हैं। ब्रिज एण्ड रूफ में, हम मानते हैं कि कंपनी का बोर्ड सचेत रूप से शासन की गुणवत्ता में सुधार के लिए दीर्घकालिक दृष्टि और नीति दृष्टिकोण प्रदान करने के लिए नेतृत्व की संस्कृति का निर्माण करता है। बोर्ड की कार्रवाइयां कंपनी के सर्वोत्तम हितों के अनुरूप होते हैं। कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 2 (45) के अनुसार, ब्रिज एण्ड रूफ कम्पनी (इंडिया) लिमिटेड एक 'सरकारी कंपनी' है क्योंकि इसकी 99.35% चुकता शेयर पूंजी भारत के राष्ट्रपति के माध्यम से केंद्र सरकार / भारत सरकार (जीओआई) के पास है और निदेशकों की नियुक्ति करने का अधिकार प्रशासनिक मंत्रालय यानी भारी उद्योग मंत्रालय (एमएचआई) के माध्यम से भारत के राष्ट्रपति के पास निहित है।

31 मार्च, 2024 तक, कंपनी में पांच निदेशक थे, जिनमें से तीन पूर्णकालिक निदेशक [अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, निदेशक (परियोजना प्रबंधन) और निदेशक (वित्त), दो सरकारी नामित निदेशक हैं। बोर्ड में दो स्वतंत्र निदेशक होने चाहिए। चूँकि ब्रिज एण्ड रूफ के बोर्ड में निदेशकों की नियुक्ति का अधिकार भारत के राष्ट्रपति के पास है, इसलिए कंपनी समय-समय पर एमएचआई (भारी उद्योग मंत्रालय) से अपेक्षित संख्या में स्वतंत्र निदेशकों (महिला निदेशक सहित) और बोर्ड में सरकारी नामित निदेशक की नियुक्ति का अनुरोध करती है।

वित्त वर्ष 2023-24 के दौरान, कंपनी में कार्यकारी/कार्यात्मक निदेशकों और गैर-कार्यकारी निदेशकों का इष्टतम संयोजन था, जिसमें एक महिला निदेशक भी शामिल थीं।

**निदेशकों और प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिकों की नियुक्ति नीति:**

भारत के राष्ट्रपति ब्रिज एण्ड रूफ कम्पनी (इंडिया) लिमिटेड के सभी निदेशकों की नियुक्ति करते हैं।

प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिकों में मुख्य कार्यकारी अधिकारी, मुख्य वित्तीय अधिकारी और कंपनी सचिव शामिल हैं।

### निदेशकों और प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिकों के पारिश्रमिक पर नीति:

बोर्ड के सदस्यों को कार्यात्मक निदेशकों के मामले में डीपीई दिशानिर्देशों के अनुसार नियुक्ति की शर्तों और नियमों के अनुसार निर्धारित निदेशकों का पारिश्रमिक और स्वतंत्र निदेशकों के मामले में बैठक शुल्क प्राप्त करने के अलावा, कंपनी के साथ कोई भी भौतिक वित्तीय संबंध या लेनदेन नहीं होता है, जो बोर्ड के निर्णय में निदेशकों के निर्णय की स्वतंत्रता को प्रभावित कर सकता है।

कंपनी सचिव का पारिश्रमिक कंपनी की नीति और 'अनुसूची 'बी' कंपनियों के अन्य कर्मचारियों पर लागू वेतनमान के अनुसार होता है। कर्मचारियों को उनकी योग्यता, कार्य अनुभव, दक्षताओं के साथ-साथ संगठन में उनकी भूमिकाओं व ज़िम्मेदारियों के अनुसार ग्रेड दिए जाते हैं। व्यक्तिगत पारिश्रमिक उपयुक्त ग्रेड के भीतर निर्धारित किया जाता है और यह कार्य प्रोफ़ाइल, कौशल, वरिष्ठता, अनुभव और समकक्ष कार्यों के लिए प्रचलित पारिश्रमिक स्तर जैसे विभिन्न कारकों पर आधारित होता है।

### बोर्ड सदस्यों का कार्य निष्पादन मूल्यांकन:

इसके अतिरिक्त, कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय (MCA) ने अपनी 5 जुलाई, 2017 की अधिसूचना के माध्यम से अधिनियम की अनुसूची-IV में संशोधन किया है, जिसके तहत सरकारी कंपनियों को इस आवश्यकता से मुक्ति प्रदान की गई है कि स्वतंत्र निदेशक, गैर-स्वतंत्र निदेशकों एवं अध्यक्ष का प्रदर्शन मूल्यांकन करें, तथा स्वतंत्र निदेशकों का प्रदर्शन मूल्यांकन निदेशक मंडल द्वारा किया जाए -यदि संबंधित विभाग या मंत्रालय ने इन मूल्यांकन आवश्यकताओं को पहले से निर्धारित किया हो।

इस संबंध में, लोक उद्यम विभाग (DPE) द्वारा सभी कार्यपालक निदेशकों (Functional Directors) के प्रदर्शन मूल्यांकन हेतु एक प्रणाली पहले से निर्धारित की गई है। कार्यपालक निदेशकों का प्रदर्शन मूल्यांकन भारी उद्योग मंत्रालय (MHI) द्वारा वार्षिक प्रदर्शन मूल्यांकन प्रतिवेदन (Annual Performance Appraisal Report – APAR) प्रणाली के माध्यम से किया जाता है।

इसके अतिरिक्त, कंपनी का प्रदर्शन मूल्यांकन उस समझौता ज्ञापन के मूल्यांकन के आधार पर किया जाता है, जो कंपनी ने भारी उद्योग मंत्रालय के साथ संपादित किया है। यह मूल्यांकन प्रशासकीय मंत्रालय के माध्यम से लोक उद्यम विभाग (DPE) को प्रस्तुत किया जाता है।

एम.ओ.यू. के लक्ष्यों को क्रमशः नीचे तक प्रसारित किया जाता है, जो व्यक्तिगत एवं टीम के प्रदर्शन मूल्यांकन का अभिन्न अंग बनते हैं। आंतरिक एम.ओ.यू. में विभिन्न मापदंड शामिल होते हैं – जैसे वित्तीय, गैर-वित्तीय पहलू तथा सरकारी दिशा-निर्देशों के अनुपालन आदि।

जहाँ तक सरकारी नामित निदेशकों का संबंध है, उनका मूल्यांकन भारी उद्योग मंत्रालय (MHI) द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार किया जाता है। चूँकि स्वतंत्र निदेशक की नियुक्ति भी भारत सरकार द्वारा की जाती है, अतः उनका मूल्यांकन भी भारी उद्योग मंत्रालय (MHI) तथा अन्ततः लोक उद्यम विभाग , भारी उद्योग मंत्रालय द्वारा किया जाता है।

31.3.2025 तक बोर्ड की संरचना निम्नानुसार थी:

| क्र.सं. | निदेशक का नाम | श्रेणी | 31.03.2025 तक अन्य बोर्ड में निदेशकों की संख्या |
|---|---|---|---|
| 1. | श्री राजेश कुमार सिंह | अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक | 0 |
| 2. | श्री रवि कुमार | निदेशक (परियोजना प्रबंधन) | 0 |
| 3. | श्री नव रत्न गुप्ता | निदेशक (वित्त) | 0 |
| 4. | डॉ. रेणुका मिश्रा | निदेशक- सरकार द्वारा नामित | 8 |
| 5. | श्री राजेश कुमार | निदेशक- सरकार द्वारा नामित | 1 |

## बोर्ड की प्रक्रियाएं:

1.0 कंपनी की नीति के अनुसार, बोर्ड द्वारा वैधानिक रूप से तय किए जाने वाले मामलों के अलावा, निवेश और पूंजीगत व्यय, संसाधनों का जुटाव, कर्मचारी मुआवज़ा आदि से जुड़े अन्य सभी प्रमुख निर्णय और तिमाही प्रदर्शन, परियोजनाओं की प्रगति, औद्योगिक संबंध, बाज़ार परिदृश्य, बजट और योजनाएँ आदि जैसे प्रमुख मुद्दों पर बोर्ड द्वारा नियमित एजेंडा मदों के रूप में बैठकों में चर्चा की जाती है। विस्तृत एजेंडा नोट आमतौर पर बोर्ड की बैठकों से लगभग एक सप्ताह पहले प्रसारित किए जाते हैं।

भारत सरकार ने अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, निदेशकों और समग्र रूप से बोर्ड के कार्यनिष्पादन मूल्यांकन के लिए एक नीति तैयार की है।

समीक्षाधीन वर्ष के दौरान बोर्ड द्वारा 07.06.2023, 25.06.2023, 30.08.2023, 29.12.2023 और 21.03.2023 को 5 (पांच) बैठकें आयोजित की गईं, और उपस्थिति निम्नानुसार थी:

| निदेशकों का नाम | आयोजित बैठकों की संख्या | उपस्थित बैठकों की संख्या | क्या पिछली वार्षिक आम बैठक में भाग लिया था | अन्य कंपनियों में निदेशक पद | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | अध्यक्ष के रूप में | सदस्य के रूप में |
| श्री राजेश कुमार सिंह (अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक) | 5 | 5 | हाँ | - | - |
| श्री रवि कुमार निदेशक (परियोजना प्रबंधन) | 5 | 5 | हाँ | - | - |
| श्री नव रत्न गुप्ता निदेशक (वित्त) | 5 | 5 | हाँ | - | - |
| श्री आदित्य कुमार घोष (सरकारी नामित- अंशकालिक आधिकारिक निदेशक) 26.02.2025 तक | 4 | 4 | हाँ | - | 3 |
| श्रीमती मुक्ताशेखर (सरकारी नामित- अंशकालिक आधिकारिक निदेशक) 23.07.2024 तक | 2 | - | नहीं | - | 8 |
| डॉ. रेणुका मिश्रा (सरकारी नामित- अंशकालिक आधिकारिक निदेशक) 24.07.2024 से | 3 | 2 | हाँ | - | 8 |

| निदेशकों का नाम | आयोजित बैठकों की संख्या | उपस्थित बैठकों की संख्या | क्या पिछली वार्षिक आम बैठक में भाग लिया था | अन्य कंपनियों में निदेशक पद | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | अध्यक्ष के रूप में | सदस्य के रूप में |
| श्री राजेश कुमार<br>(सरकारी नामित- अंशकालिक आधिकारिक निदेशक)<br>27.02.2025 से | 3 | 1 | हाँ | - | 3 |
| श्री एस. कृष्ण कुमार<br>(अंशकालिक गैर-सरकारी निदेशक)<br>01.11.2024 तक | 3 | 2 | हाँ | - | - |
| श्री आशीष चतुर्वेदी<br>(अंशकालिक गैर-सरकारी निदेशक)<br>01.11.2024 तक | 3 | 3 | हाँ | - | 3 |

वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान कंपनी के कार्यात्मक निदेशकों, सरकारी नामित निदेशकों और स्वतंत्र निदेशकों के पास पीईएसबी, भारत सरकार द्वारा तय किए गए अपेक्षित कौशल/विशेषज्ञता/दक्षताएं होंगी।

## 1.1 लेखापरीक्षा समिति:

बोर्ड ने निर्णय लेने, नीतियों की समीक्षा करने और प्रबंधन प्रक्रिया को व्यवस्थित करने के लिए निम्नलिखित समितियों का गठन किया है।

लेखापरीक्षा समिति की संरचना, कोरम, भूमिका, संदर्भ की शर्तें, कार्यक्षेत्र आदि कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 177 के अनुसार हैं, जिसे कंपनी (बोर्ड की बैठकें और उसकी शक्तियां) नियम, 2014 के नियम 6 और 7 तथा समय-समय पर संशोधित डीपीई दिशानिर्देशों के अध्याय 4 के साथ पढ़ा जाता है।

### संरचना, बैठक और उपस्थिति:

बोर्ड में स्वतंत्र निदेशकों की अपेक्षित संख्या के साथ, लेखा परीक्षा समिति का गठन कंपनी अधिनियम, 2013 और डीपीई (सार्वजनिक उद्यम विभाग) कॉर्पोरेट प्रशासन 2010 के दिशानिर्देशों के अनुसार नहीं था। दिनांक 31.03.2025 तक श्री राजेश कुमार, अध्यक्ष, श्री रवि कुमार, सदस्य, श्री नव रत्न गुप्ता, सदस्य थे।

समिति के विचारार्थ विषय डीपीई (सार्वजनिक उद्यम विभाग) कॉर्पोरेट गवर्नेंस 2010 के दिशानिर्देशों की आवश्यकता के अनुसार हैं और इसमें अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित शामिल हैं।

- कंपनी की वित्तीय रिपोर्टिंग प्रक्रिया और सूचना के प्रकटीकरण की देखरेख;
- वैधानिक लेखा परीक्षकों के पारिश्रमिक की सिफारिश करना।
- प्रबंधन, बाह्य लेखा परीक्षकों और आंतरिक लेखा परीक्षकों के साथ आंतरिक नियंत्रण प्रणालियों की पर्याप्तता, लेखांकन मानकों, दिशानिर्देशों और विधियों के अनुपालन की समीक्षा करना।
- कंपनी के वित्तीय विवरणों और प्रदर्शन की समीक्षा करना।
- समिति को किसी भी कर्मचारी से सूचना मांगने, आंतरिक लेखा परीक्षकों की सहायता से किसी भी गतिविधि/कार्य की जांच करने तथा आवश्यकता पड़ने पर किसी भी बाहरी सहायता लेने की शक्ति प्रदान की गई है।
- आंतरिक लेखा परीक्षकों और/या लेखा परीक्षकों के साथ किसी महत्वपूर्ण निष्कर्ष पर चर्चा और उस पर अनुवर्ती कार्रवाई।
- लेखापरीक्षा शुरू होने से पहले वैधानिक लेखापरीक्षकों के साथ लेखापरीक्षा की प्रकृति दायरे के बारे में चर्चा, साथ ही लेखापरीक्षा के बाद चर्चा, ताकि चिंता के किसी भी क्षेत्र का पता लगाया जा सके।

वर्ष 2024-25 के दौरान, समिति ने लेखापरीक्षा समिति द्वारा अनुमोदित कार्यक्रम के अनुसार आंतरिक लेखापरीक्षा विभाग द्वारा किए गए लेखापरीक्षाओं की समीक्षा की और निर्देश दिए तथा आवश्यकतानुसार आगे की जाँच और परीक्षण करने का अनुरोध किया। समिति ने बोर्ड को प्रस्तुत करने से पहले वित्तीय विवरणों की भी समीक्षा की और आंतरिक नियंत्रण प्रणालियों को महत्व दिया। लेखापरीक्षा समिति की सभी सिफारिशों को स्वीकार कर लागू किया गया।

वर्ष के दौरान, लेखापरीक्षा समिति की 5 बैठकें दिनांक 29.06.2024, 20.07.2024, 28.10.2024, 21.12.2024 और 24.03.2025 को आयोजित की गईं, जिनमें उपस्थिति निम्नानुसार थी:-

| निदेशक का नाम | आयोजित बैठकों की संख्या | उपस्थित बैठकों की संख्या |
|---|---|---|
| श्री आशीष चतुर्वेदी (अध्यक्ष) 01.11.2024 तक | 3 | 3 |
| श्री ए.के.घोष (अध्यक्ष) 21.12.2024 से | 4 | 4 |
| श्री राजेश कुमार (अध्यक्ष) 27.02.2025 से | 1 | 1 |
| श्री रवि कुमार | 5 | 5 |
| श्री नव रत्न गुप्ता | 5 | 5 |
| श्री एस. कृष्ण कुमार | 3 | 2 |

## नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति:

### संरचना, बैठक और उपस्थिति:

नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति (एनआरसी) की संरचना, संदर्भ की शर्तें, कोरम और कार्यक्षेत्र कंपनी अधिनियम, 2013 और समय-समय पर संशोधित डीपीई दिशानिर्देशों के अनुसार हैं।

कॉर्पोरेट गवर्नेंस 2010 पर डीपीई (सार्वजनिक उद्यम विभाग) दिशानिर्देशों के अनुसार, दिनांक 31.03.2024 तक नामांकन और पारिश्रमिक समिति में निम्नलिखित निदेशक- श्री आशीष चतुर्वेदी, अध्यक्ष, श्री रवि कुमार, सदस्य, श्री नव रत्न गुप्ता, सदस्य।

निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित समिति के विचारार्थ विषयों के साथ-साथ निम्नलिखित बातें शामिल हैं,

1) सामान्यतः पारिश्रमिक नीतियों और प्रथाओं के लिए जिम्मेदार।
2) कर्मचारियों के लिए विभिन्न प्रकार के प्रोत्साहन योजनाएं/स्टॉक विकल्प।
3) पेंशन/अधिवर्षिता/सामाजिक सुरक्षा नीतियां और प्रथाएं - कभी-कभी, सौदेबाजी योग्य कर्मचारियों/यूनियनों से संबंधित नीतियों के लिए व्यापक अधिदेश।
4) सीईओ और शीर्ष प्रबंधन का रोजगार अनुबंध और पारिश्रमिक।
5) निदेशकों के पारिश्रमिक और संबंधित मामलों के लिए सिफारिशें (शुल्क, लाभ-साझाकरण, स्टॉक अनुदान/विकल्प, नियम और शर्तें आदि)
6) आवश्यकतानुसार बाह्य विशेषज्ञों के साथ समन्वय।
7) अन्य कार्य, अधिकतर मानव संसाधन से संबंधित, जैसा कि सौंपा गया हो।

वर्ष के दौरान नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति की कोई बैठक आयोजित नहीं की गई।

## कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व समिति:

कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व एवं स्थिरता समिति (सीएसआर समिति) के संबंध में संरचना, संदर्भ की शर्तें, कोरम और अन्य मामले कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 135 और उसके अंतर्गत लागू नियमों तथा सीएसआर एवं स्थिरता पर डीपीई दिशानिर्देश, 2014 के तहत निर्दिष्ट आवश्यकताओं के अनुसार हैं।

डीपीई (लोक उद्यम विभाग) के दिशानिर्देशों के अनुसार, कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व एवं स्थायित्व समिति का गठन 5 जुलाई 2013 को किया गया था और कंपनी अधिनियम 2013 के लागू होने पर, इसे वैधानिक रूप से कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व समिति के रूप में गठित किया गया है। दिनांक 31.03.2025 तक समिति में निम्नलिखित निदेशक शामिल थे- श्री राजेश कुमार, अध्यक्ष, श्री रवि कुमार, सदस्य, श्री नव रत्न गुप्ता, सदस्य ।

वर्ष के दौरान दिनांक 20.07.2024, 28.10.2024, 21.12.2024 और 21.03.2024 को 3 (तीन) कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व बैठकें आयोजित की गईं, जिसकी उपस्थिति निम्नानुसार थी:

| निदेशक का नाम | आयोजित बैठकों की संख्या | उपस्थित बैठकों की संख्या |
|---|---|---|
| श्री आशीष चतुर्वेदी (अध्यक्ष)<br>01.11.2024 तक | 2 | 2 |
| श्री ए.के.घोष (अध्यक्ष)<br>21.12.2024 से | 3 | 3 |
| श्री राजेश कुमार (अध्यक्ष)<br>27.02.2025 से | 1 | 1 |
| श्री रवि कुमार | 4 | 4 |
| श्री नव रत्न गुप्ता | 4 | 4 |
| श्री एस. कृष्ण कुमार | 2 | 1 |

## 1.2 पारिश्रमिक/बैठक शुल्क:

कार्यात्मिक (कार्यकारी) निदेशकों की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा आपकी कंपनी के एसोसिएशन के अनुच्छेद 15 के अनुसार की जाती है और उनका पारिश्रमिक और अन्य नियम व शर्तें सरकार द्वारा तय की गई नियुक्ति की शर्तों द्वारा शासित होती हैं। जबकि अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक को अनुसूची 'बी' वेतनमान यानी 180000-320000/- (01.01.2017 से संशोधित) में नियुक्त किया गया है, अन्य कार्यात्मिक निदेशक अनुसूची 'बी' वेतनमान यानी 160000-290000/- (01.01.2017 से संशोधित) में हैं। नियुक्ति के अन्य सभी नियम व शर्तें जैसे आवास, कार का प्रावधान आदि सभी के लिए समान हैं और उनके संबंधित नियुक्ति आदेशों में निर्दिष्ट हैं और उक्त आदेश में निर्दिष्ट नहीं की गई कोई अन्य शर्तें आपकी कंपनी के कर्मचारियों पर लागू नियमों के अनुसार हैं। वर्ष के दौरान निदेशकों को भुगतान किया गया पारिश्रमिक निम्नानुसार है:

| नाम | वेतन एवं लाभ (बकाया राशि सहित) |
|---|---|
| श्री आर.के. सिंह - अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक<br>(01.04.2024 से 31.03.2025) | ₹ 50,6,391.00 |
| श्री नव रत्न गुप्ता, निदेशक (वित्त)<br>(01.04.2024 से 31.03.2025 तक) | ₹ 57,60,378.00 |
| श्री रवि कुमार – निदेशक (परियोजना प्रबंधन)<br>(01.04.2024 से 31.03.2025 तक) | ₹ 55,85,400.00 |

गैर-कार्यकारी स्वतंत्र निदेशकों को कोई पारिश्रमिक नहीं दिया जाता है। उन्हें बोर्ड की बैठकों और अन्य समिति की बैठकों में भाग लेने के लिए बोर्ड द्वारा तय और अनुमोदित शुल्क का भुगतान किया जाता है।

गैर-कार्यकारी सरकारी निदेशकों को बैठकों में भाग लेने के लिए कोई शुल्क नहीं दिया जाता है।

### निदेशकों और वरिष्ठ प्रबंधन कर्मियों के लिए आचार संहिता:

कॉर्पोरेट गवर्नेंस दिशानिर्देश 2010 के अनुसार सभी बोर्ड सदस्यों और वरिष्ठ प्रबंधन कार्मिकों के लिए व्यावसायिक आचरण और नैतिकता के लिए आचार संहिता जुलाई 2010 के महीने में अपनाई गई थी और कॉर्पोरेट गवर्नेंस 2010 के दिशानिर्देशों के अनुसार कंपनी की वेबसाइट पर प्रदर्शित की गई है।

### आचार संहिता के अनुपालन पर प्रमाणपत्र

मैं एतद्द्वारा पुष्टि करता हूँ कि कंपनी ने बोर्ड के सभी सदस्यों और प्रबंधन कार्मिकों से यह पुष्टि प्राप्त कर ली है कि उन्होंने वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए आचार संहिता का अनुपालन किया है।

**राजेश कुमार सिंह**
**अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक**

**31 मार्च, 2025 को समाप्त होने वाले वित्तीय वर्ष के लिए सीईओ/सीएफओ प्रमाणन।**

क) हमने 31 मार्च, 2025 तक कंपनी की तुलन पत्र, लाभ और हानि विवरण (वित्तीय विवरण) और उस तिथि तक नकदी प्रवाह विवरण की समीक्षा सर्वोत्तम जानकारी के अनुसार:-

i) इन कथनों में कोई भी तथ्यात्मक रूप से असत्य कथन नहीं है या कोई भी तथ्य नहीं छिपाया नहीं गया है, या कोई भी ऐसा कथन नहीं हैं जो भ्रामक हो सकता है।

ii) ये दस्तावेज एक साथ कंपनी के मामलों का सही और निष्पक्ष दृष्टिकोण प्रस्तुत करते हैं और मौजूदा लेखांकन मानकों, लागू कानूनों और विनियमों के अनुरूप हैं;

ख) हमारी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार, वित्तीय वर्ष के दौरान कंपनी द्वारा किया गया कोई भी लेनदेन धोखाधड़ीपूर्ण, अवैध या कंपनी की आचार संहिता का उल्लंघन करने वाला नहीं है।

ग) हम वित्तीय रिपोर्टिंग के लिए आंतरिक नियंत्रण स्थापित करने और बनाए रखने की ज़िम्मेदारी स्वीकार करते हैं और हमने वित्तीय रिपोर्टिंग से संबंधित कंपनी की आंतरिक नियंत्रण प्रणालियों की प्रभावशीलता का मूल्यांकन किया है। हमें ऐसे आंतरिक नियंत्रणों के डिज़ाइन या संचालन रिपोर्ट में कोई योग्य कमी नहीं मिली है।

घ) हमने लेखा परीक्षकों और लेखा परीक्षा समिति को सूचित किया है:-

i) वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान वित्तीय रिपोर्टिंग के लिए आंतरिक नियंत्रण में कोई महत्वपूर्ण परिवर्तन नहीं किया गया है।

ii) वर्ष के दौरान लेखांकन नीतियों में कोई महत्वपूर्ण परिवर्तन नहीं हुआ है।

ङ) ऐसी कोई महत्वपूर्ण धोखाधड़ी की घटना नहीं हुई है जिसके बारे में हमें जानकारी हो या जिसमें प्रबंधन या किसी कर्मचारी की वित्तीय रिपोर्टिंग पर कंपनी की आंतरिक नियंत्रण प्रणाली में महत्वपूर्ण भूमिका हो।

स्थान: कोलकाता
दिनांक: 14.08.2025

**राजेश कुमार सिंह**
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

## प्रबंधन चर्चा एवं विश्लेषण रिपोर्ट:

प्रबंधन चर्चा और विश्लेषण रिपोर्ट निदेशकों की रिपोर्ट का हिस्सा है।

## संचार के साधन:

कंपनी के परिणाम कंपनी की कॉर्पोरेट वेबसाइट www.bridgeroof.co.in पर प्रकाशित किए जाते हैं। कंपनी की आधिकारिक समाचार विज्ञप्तियाँ भी कंपनी की वेबसाइट पर उपलब्ध हैं। इसके अतिरिक्त, कंपनी प्रेस और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से और निदेशक मंडल को कंपनी में होने वाली प्रमुख उपलब्धियों और महत्वपूर्ण घटनाओं की जानकारी देती है।

कंपनी से संबंधित सभी महत्वपूर्ण जानकारी कंपनी की वार्षिक रिपोर्ट में भी उल्लिखित है, जो प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिए सदस्यों और इसके लिए अधिकृत अन्य व्यक्तियों को प्रेषित की जाती है।

# भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की टिप्पणियाँ कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(6)(b) के अंतर्गत ब्रिज एण्ड रूफ कम्पनी (इंडिया) लिमिटेड के वित्तीय विवरणों पर वित्तीय वर्ष समाप्त 31 मार्च 2025 के लिए

ब्रिज एण्ड रूफ कम्पनी (इंडिया) लिमिटेड के वित्तीय वर्ष 31 मार्च 2025 को समाप्त होने तक के वित्तीय विवरणों की तैयारी कंपनी अधिनियम, 2013 के अंतर्गत निर्दिष्ट वित्तीय रिपोर्टिंग ढाँचे के अनुसार कंपनी के प्रबंधन की जिम्मेदारी है। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा अधिनियम की धारा 139(5) के अंतर्गत नियुक्त विधिक लेखा परीक्षक, अधिनियम की धारा 143 के अनुसार, वित्तीय विवरणों पर स्वतंत्र लेखा परीक्षक के आधार पर अपनी राय व्यक्त करने के लिए उत्तरदायी हैं, जो अधिनियम की धारा 143(10) के अंतर्गत निर्धारित लेखा परीक्षा मानकों के अनुसार किया गया है। यह कार्य उनके 18 जुलाई 2025 दिनांकित लेखा परीक्षा रिपोर्ट के अनुसार किया गया है।

मैं, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की ओर से, अधिनियम की धारा 143(6)(a) के अंतर्गत ब्रिज एण्ड रूफ कम्पनी (इंडिया) लिमिटेड के वित्तीय विवरणों का एक अनुपूरक लेखा परीक्षण किया है। यह अनुपूरक लेखा परीक्षण स्वतंत्र रूप से किया गया है, जिसमें विधिक लेखा परीक्षकों के कार्य अभिलेखों तक कोई पहुँच नहीं की गई, तथा यह मुख्यतः विधिक लेखा परीक्षकों और कंपनी के कर्मचारियों से पूछताछ तथा कुछ लेखा अभिलेखों की चयनित जांच तक सीमित रही।

मेरे इस अनुपूरक लेखा परीक्षण के आधार पर, ऐसी कोई महत्वपूर्ण तथ्य मेरे संज्ञान में नहीं आई है जिससे अधिनियम की धारा 143(6)(b) के अंतर्गत विधिक लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट पर कोई टिप्पणी या परिशिष्ट देने की आवश्यकता हो।

भारत के नियंत्रक एवं महालेखा
परीक्षक की ओर से

स्थान: कोलकाता
दिनांक: 18 सितम्बर 2025

**(यशोधरा राय चौधुरी)**
अतिरिक्त उप नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक
(खनन)
कोलकाता

बी एण्ड आर
B AND R
Building Nation Since 1920

# वित्तीय विवरण

# स्वतंत्र लेखा परीक्षक की रिपोर्ट

**ब्रिज एण्ड रूफ कम्पनी (इंडिया) लिमिटेड**
**के सदस्यों को**

स्वतंत्र लेखा परीक्षक की रिपोर्ट

## राय

1. हमने ब्रिज एण्ड रूफ कम्पनी (इंडिया) लिमिटेड ("कंपनी") के संलग्न वित्तीय विवरणों का लेखापरीक्षित किया है, जिसमें 31 मार्च 2025 तक की तुलनपत्र, लाभ और हानि का विवरण (अन्य व्यापक आय सहित), इक्विटी में परिवर्तन का विवरण, नकदी प्रवाह का विवरण और उस तिथि को समाप्त वर्ष के लिए वित्तीय विवरण के नोट्स शामिल हैं, जिसमें सामग्री लेखांकन नीतियों और अन्य व्याख्यात्मक जानकारी का सारांश शामिल है (जिसे आगे "वित्तीय विवरण" कहा जाएगा)।

   हमारी राय में और हमारी सर्वोत्तम जानकारी के अनुसार तथा हमें दिए गए स्पष्टीकरण के अनुसार, उपर्युक्त वित्तीय विवरण कंपनी अधिनियम, 2013 ("अधिनियम") द्वारा अपेक्षित तरीके से जानकारी प्रदान करते हैं तथा भारत में आम तौर पर स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों के अनुरूप, 31 मार्च, 2025 तक कंपनी की स्थिति, उसका लाभ (अन्य व्यापक आय सहित), इक्विटी में परिवर्तन तथा उस तिथि को समाप्त वर्ष के लिए उसके नकदी प्रवाह का सही और निष्पक्ष विवरण प्रस्तुत करते हैं।

## राय का आधार

2. हमने अधिनियम की धारा 143(10) के अंतर्गत निर्दिष्ट लेखापरीक्षा मानकों (एसए) के अनुसार अपना लेखापरीक्षण किया। इन मानकों के अंतर्गत हमारी ज़िम्मेदारियाँ हमारी रिपोर्ट के "वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा हेतु लेखापरीक्षक के उत्तरदायित्व" अनुभाग में विस्तार से वर्णित हैं। हम भारतीय चार्टर्ड अकाउंटेंट्स संस्थान द्वारा जारी आचार संहिता और अधिनियम तथा उसके अंतर्गत नियमों के प्रावधानों के अंतर्गत वित्तीय विवरणों की हमारी लेखापरीक्षा से संबंधित नैतिक आवश्यकताओं के अनुसार कंपनी से स्वतंत्र हैं, और हमने इन आवश्यकताओं और आचार संहिता के अनुसार अपनी अन्य नैतिक ज़िम्मेदारियाँ भी पूरी की हैं। हमारा मानना है कि हमारे द्वारा प्राप्त लेखापरीक्षा साक्ष्य हमारी राय के लिए आधार प्रदान करने हेतु पर्याप्त और उपयुक्त हैं।

## मामलों पर जोर

3. हम निम्नलिखित बातों की ओर ध्यान आकर्षित करते हैं

   क) नोट 31AB देखें जिसमें कहा गया है कि व्यापार प्राप्य, अनुबंध प्राप्य, व्यापार देय, अन्य वित्तीय देनदारियाँ, अग्रिम और जमा राशियाँ पुष्टि के अधीन हैं। हालाँकि, प्रबंधन को कोई महत्वपूर्ण अंतर की उम्मीद नहीं है।

   ख) नोट 31AC देखें जिसमें कहा गया है कि व्यापार प्राप्य और व्यापार देय राशियों की आयु गणना मैन्युअल रूप से की गई है क्योंकि ऐसी आयु-वार रिपोर्ट आईटी सिस्टम से सीधे उपलब्ध नहीं होती हैं। जैसा कि बताया गया है, आईटी सिस्टम से सीधे ऐसी आयु-वार रिपोर्ट तैयार करने के लिए आवश्यक कदम पहले ही उठाए जा चुके हैं।

   उपरोक्त मामले के संबंध में हमारी राय संशोधित नहीं है।

## अन्य सूचना

4. अन्य जानकारी के लिए कंपनी का निदेशक मंडल ज़िम्मेदार है। अन्य जानकारी में वार्षिक रिपोर्ट में शामिल जानकारी शामिल है, लेकिन इसमें वित्तीय विवरण और उस पर हमारी लेखा परीक्षक की रिपोर्ट शामिल नहीं है। उपरोक्त दस्तावेज़ इस लेखा परीक्षक की रिपोर्ट की तिथि के बाद हमें उपलब्ध कराए जाने की अपेक्षा है।

5. वित्तीय विवरणों पर हमारी राय अन्य जानकारी को शामिल नहीं करती है और हम इस पर किसी भी प्रकार का आश्वासन निष्कर्ष व्यक्त नहीं करते हैं।

6. वित्तीय विवरणों की हमारी लेखापरीक्षा के संबंध में, हमारी जिम्मेदारी है कि जब अन्य जानकारी उपलब्ध हो तो उसे पढ़ें और ऐसा करते समय, इस बात पर विचार करें कि क्या अन्य जानकारी वित्तीय विवरणों या लेखापरीक्षा में प्राप्त हमारी जानकारी से भौतिक रूप से असंगत है, या अन्यथा भौतिक रूप से गलत प्रतीत होती है।

7. जब हम उपर्युक्त दस्तावेजों को पढ़ते हैं, यदि हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि उनमें कोई महत्वपूर्ण गलत बयान है, तो हमें उन मामलों को शासन के प्रभारी लोगों को बताना होगा।

## वित्तीय विवरणों हेतु प्रबंधन की ज़िम्मेदारी

8. कंपनी का निदेशक मंडल कंपनी अधिनियम, 2013 ("अधिनियम") की धारा 134(5) में उल्लिखित मामलों के लिए जिम्मेदार है, जो इन वित्तीय विवरणों की तैयारी के संबंध में है, जो अधिनियम की धारा 133 के तहत निर्दिष्ट लेखांकन मानकों सहित भारत में आम तौर पर स्वीकार किए गए लेखांकन सिद्धांतों के अनुसार कंपनी की वित्तीय स्थिति, वित्तीय प्रदर्शन, इक्विटी और नकदी प्रवाह में परिवर्तन का सही और उचित दृष्टिकोण देते हैं। इस जिम्मेदारी में कंपनी की परिसंपत्तियों की सुरक्षा और धोखाधड़ी और अन्य अनियमितताओं को रोकने और उनका पता लगाने के लिए अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार पर्याप्त लेखांकन रिकॉर्ड का रखरखाव भी शामिल है; उपयुक्त लेखांकन नीतियों का चयन और अनुप्रयोग; उचित और विवेकपूर्ण निर्णय और अनुमान लगाना; और पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों का डिजाइन, कार्यान्वयन और रखरखाव, जो वित्तीय विवरण की तैयारी और प्रस्तुति के लिए प्रासंगिक लेखांकन रिकॉर्ड की सटीकता और पूर्णता सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी ढंग से काम कर रहे थे।

9. वित्तीय विवरण तैयार करते समय, प्रबंधन कंपनी की चालू संस्था के रूप में जारी रहने की क्षमता का आकलन करने, जहां लागू हो, चालू व्यवसाय से संबंधित मामलों का खुलासा करने और लेखांकन के चालू व्यवसाय आधार का उपयोग करने के लिए जिम्मेदार होता है, जब तक कि प्रबंधन कंपनी को समाप्त करने या परिचालन बंद करने का इरादा नहीं रखता है, या ऐसा करने के अलावा उसके पास कोई वास्तविक विकल्प नहीं है।

10. निदेशक मंडल कंपनी की वित्तीय रिपोर्टिंग प्रक्रिया की देखरेख के लिए भी जिम्मेदार है।

## वित्तीय विवरणों के लेखापरीक्षा के लिए लेखा परीक्षक की जिम्मेदारी

11. हमारा उद्देश्य इस बारे में उचित आश्वासन प्राप्त करना है कि क्या समग्र वित्तीय विवरण किसी भी प्रकार की महत्वपूर्ण गलतबयानी से मुक्त हैं, चाहे वह धोखाधड़ी या त्रुटि के कारण हुई हो, और एक लेखा परीक्षक की रिपोर्ट जारी करना है जिसमें हमारी राय शामिल हो। उचित आश्वासन एक उच्च स्तर का आश्वासन है, लेकिन यह इस बात की गारंटी नहीं है कि लेखापरीक्षा मानकों के अनुसार किया गया लेखापरीक्षा हमेशा किसी महत्वपूर्ण गलतबयानी का पता लगाएगा, जब वह मौजूद हो। गलतबयानी धोखाधड़ी या त्रुटि से उत्पन्न हो सकती है और उन्हें महत्वपूर्ण माना जाता है यदि, व्यक्तिगत रूप से या समग्र रूप से, इन वित्तीय विवरणों के आधार पर उपयोगकर्ताओं द्वारा लिए गए आर्थिक निर्णयों को प्रभावित करने की उचित रूप से अपेक्षा की जा सकती है।

12. लेखापरीक्षा मानकों के अनुसार, हम पेशेवर निर्णय लेते हैं और पूरी लेखापरीक्षा के दौरान पेशेवर संशय बनाए रखते हैं। हम यह भी करते हैं:

- वित्तीय विवरणों में धोखाधड़ी या त्रुटि के कारण होने वाले महत्वपूर्ण गलत विवरण के जोखिमों की पहचान और आकलन करें, उन जोखिमों के प्रति उत्तरदायी लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं को डिज़ाइन और कार्यान्वित करें, और ऐसे लेखापरीक्षा साक्ष्य प्राप्त करें जो हमारी राय के लिए आधार प्रदान करने हेतु पर्याप्त और उपयुक्त हों। धोखाधड़ी से उत्पन्न महत्वपूर्ण गलत विवरण का पता न लगने का जोखिम त्रुटि से उत्पन्न गलत विवरण की तुलना में अधिक होता है, क्योंकि धोखाधड़ी में मिलीभगत, जालसाजी, जानबूझकर की गई चूक, गलत बयानी या आंतरिक नियंत्रण का उल्लंघन शामिल हो सकता है।
- परिस्थितियों के अनुरूप लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं को डिजाइन करने के लिए लेखापरीक्षा से संबंधित आंतरिक नियंत्रण की समझ प्राप्त करें। कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(3)(i) के तहत, हम इस बारे में अपनी राय व्यक्त करने के लिए भी जिम्मेदार हैं कि क्या कंपनी के पास पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली मौजूद है और ऐसे नियंत्रणों की परिचालन प्रभावशीलता क्या है।
- प्रयुक्त लेखांकन नीतियों की उपयुक्तता और प्रबंधन द्वारा किए गए लेखांकन अनुमानों और संबंधित प्रकटीकरणों की तर्कसंगतता का मूल्यांकन करें।
- लेखांकन के लिए प्रबंधन द्वारा चालू व्यवसाय के आधार का उपयोग करने की उपयुक्तता पर निष्कर्ष निकालें और प्राप्त लेखापरीक्षा साक्ष्यों के आधार पर यह निष्कर्ष निकालें कि क्या ऐसी घटनाओं या स्थितियों से संबंधित कोई भौतिक अनिश्चितता मौजूद है जो कंपनी की चालू व्यवसाय के रूप में जारी रहने की क्षमता पर गंभीर संदेह पैदा कर सकती है। यदि हम इस निष्कर्ष

पर पहुँचते हैं कि कोई भौतिक अनिश्चितता मौजूद है, तो हमें अपनी लेखापरीक्षा रिपोर्ट में वित्तीय विवरणों में संबंधित प्रकटीकरणों की ओर ध्यान आकर्षित करना होगा, या यदि ऐसे प्रकटीकरण अपर्याप्त हैं, तो अपनी राय संशोधित करनी होगी। हमारे निष्कर्ष हमारी लेखापरीक्षा रिपोर्ट की तिथि तक प्राप्त लेखापरीक्षा साक्ष्यों पर आधारित हैं। हालाँकि, भविष्य की घटनाओं या स्थितियों के कारण कंपनी चालू व्यवसाय के रूप में जारी रहना बंद कर सकती है।

- प्रकटीकरणों सहित वित्तीय विवरणों की समग्र प्रस्तुति, संरचना और विषय-वस्तु का मूल्यांकन करें, तथा यह भी देखें कि क्या वित्तीय विवरण अंतर्निहित लेनदेन और घटनाओं को इस प्रकार प्रस्तुत करते हैं जिससे निष्पक्ष प्रस्तुति प्राप्त हो सके।

13. भौतिकता वित्तीय विवरणों में गलत बयानों की वह मात्रा है जो व्यक्तिगत रूप से या समग्र रूप से, यह संभावना पैदा करती है कि वित्तीय विवरणों के किसी यथोचित जानकार उपयोगकर्ता के आर्थिक निर्णय प्रभावित हो सकते हैं। हम (i) अपने लेखापरीक्षा कार्य के दायरे की योजना बनाने और अपने कार्य के परिणामों का मूल्यांकन करने में; और (ii) वित्तीय विवरणों में पहचाने गए किसी भी गलत बयान के प्रभाव का मूल्यांकन करने में मात्रात्मक भौतिकता और गुणात्मक कारकों पर विचार करते हैं।

## अन्य मामले

14. 2 नवंबर 2024 से 31 मार्च 2025 की अवधि के दौरान, कंपनी ने अपने निदेशक मंडल के गठन के संबंध में कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 149 के प्रावधानों का पालन नहीं किया, क्योंकि इस अवधि के दौरान इसमें कोई स्वतंत्र निदेशक नहीं था। परिणामस्वरूप, कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 177, 178 और 135 का पालन नहीं हुआ, जो क्रमशः लेखा परीक्षा समिति, नामांकन और पारिश्रमिक समिति, और कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व समिति के गठन के लिए स्वतंत्र निदेशकों की अनिवार्य आवश्यकता से संबंधित है। परिणामस्वरूप, इन समितियों के माध्यम से आवश्यक व्यावसायिक लेनदेन नहीं किए जा सके। इस लेखापरीक्षा रिपोर्ट की तिथि तक, बोर्ड ने अभी तक उक्त समितियों का गठन नहीं किया है।

इस मामले के संबंध में हमारी राय में कोई बदलाव नहीं किया गया है।

## अन्य कानूनी और नियामक आवश्यकताओं पर रिपोर्ट

15. अधिनियम की धारा 143 की उपधारा (11) के अनुसार भारत की केंद्र सरकार द्वारा जारी कंपनी (लेखा परीक्षक की रिपोर्ट) आदेश, 2020 ("आदेश") की आवश्यकता के अनुसार, हम अनुबंध- क में, आदेश के पैराग्राफ 3 और 4 में निर्दिष्ट मामलों पर एक बयान देते हैं, जहां तक लागू हो।

16. अधिनियम की धारा 143(5) के अंतर्गत अपेक्षित, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा जारी निर्देशों के उत्तर इस रिपोर्ट के "अनुलग्नक-ख" में दिए गए हैं।

17. अधिनियम की धारा 143(3) के अनुसार, हम रिपोर्ट करते हैं कि:

(क) हमने कंपनी के सतर्कता विभाग द्वारा दी गई किसी रिपोर्ट को छोड़कर, वह सभी सूचनाएं और स्पष्टीकरण मांगे और प्राप्त किए हैं जो हमारी जानकारी और विश्वास के अनुसार हमारे लेखापरीक्षा के प्रयोजनों के लिए आवश्यक थे।

(ख) हमारी राय में, कंपनी द्वारा कानून द्वारा अपेक्षित उचित लेखा पुस्तकें रखी गई हैं, जैसा कि उन पुस्तकों की हमारी जांच से पता चलता है।

(ग) इस रिपोर्ट में प्रस्तुत बैलेंस शीट, लाभ-हानि विवरण (अन्य व्यापक आय सहित), नकदी प्रवाह विवरण और इक्विटी में परिवर्तन विवरण, लेखा पुस्तकों के अनुरूप हैं।

(घ) हमारी राय में, उपर्युक्त वित्तीय विवरण अधिनियम की धारा 133 के तहत निर्दिष्ट लेखांकन मानकों का अनुपालन करते हैं, जिसे संशोधित कंपनी (लेखा) नियम, 2014 के नियम 7 के साथ पढ़ा जाए।

(ङ) धारा 164(2) के प्रावधान कंपनी पर लागू नहीं होते क्योंकि यह एक सरकारी उपक्रम कंपनी है।

(च) कंपनी की वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की पर्याप्तता और ऐसे नियंत्रणों की परिचालन प्रभावशीलता के संबंध में, कृपया "अनुलग्नक सी" में हमारी अलग रिपोर्ट देखें।

(छ) संशोधित अधिनियम की धारा 197(16) की अपेक्षाओं के अनुसार लेखापरीक्षक की रिपोर्ट में शामिल किए जाने वाले अन्य मामलों के संबंध में:

हमारी राय में और हमारी सर्वोत्तम जानकारी के अनुसार तथा हमें दिए गए स्पष्टीकरण के अनुसार, अनुसूची V

के साथ धारा 197 के प्रावधान कंपनी पर लागू नहीं होते क्योंकि यह एक सरकारी उपक्रम कंपनी है।

संशोधित अधिनियम की धारा 197(16) की अपेक्षाओं के अनुसार लेखापरीक्षक की रिपोर्ट में शामिल किए जाने वाले अन्य मामलों के संबंध में:

हमारी राय में और हमारी सर्वोत्तम जानकारी के अनुसार तथा हमें दिए गए स्पष्टीकरण के अनुसार, अनुसूची V के साथ धारा 197 के प्रावधान कंपनी पर लागू नहीं होते हैं क्योंकि यह एक सरकारी उपक्रम कंपनी है।

(ज) कंपनी (लेखापरीक्षा और लेखापरीक्षक) नियम, 2014 के नियम 11 के अनुसार लेखापरीक्षक की रिपोर्ट में शामिल किए जाने वाले अन्य मामलों के संबंध में, हमारी राय में और हमारी सर्वोत्तम जानकारी के अनुसार और हमें दिए गए स्पष्टीकरण के अनुसार:

क. कंपनी ने अपने वित्तीय विवरणों में लंबित मुकदमों के कारण अपनी वित्तीय स्थिति पर पड़ने वाले प्रभाव का खुलासा किया है - वित्तीय विवरणों के नोट 31एच का संदर्भ लें।

ख. कंपनी ने दीर्घकालिक अनुबंधों पर संभावित भौतिक हानियों के लिए लागू लेखांकन मानकों के अनुसार प्रावधान किए हैं।

ग. कंपनी द्वारा निवेशक शिक्षा एवं संरक्षण निधि में हस्तांतरित किए गए 1409 शेयरों पर बकाया ₹0.17 लाख के लाभांश के हस्तांतरण में देरी हुई है। यह राशि अभी तक हस्तांतरित नहीं की गई है।

घ. (i) प्रबंधन ने दर्शाया है कि, उसके सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार, कंपनी द्वारा किसी भी अन्य व्यक्ति या संस्था को, जिसमें विदेशी संस्था ("मध्यस्थ") शामिल है, कोई भी धनराशि (जो व्यक्तिगत रूप से या समग्र रूप से महत्वपूर्ण है) अग्रिम या ऋण या निवेश (उधार ली गई निधि या शेयर प्रीमियम या किसी अन्य स्रोत या निधि के प्रकार से) नहीं दी गई है, इस समझ के साथ, चाहे लिखित रूप में दर्ज की गई हो या अन्यथा, कि मध्यस्थ, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कंपनी ("अंतिम लाभार्थियों") द्वारा या उसकी ओर से किसी भी तरह से पहचाने गए अन्य व्यक्तियों या संस्थाओं को उधार देगा या निवेश करेगा या अंतिम लाभार्थियों की ओर से कोई गारंटी, सुरक्षा या इस तरह की कोई गारंटी प्रदान करेगा।

(ii) प्रबंधन ने यह दर्शाया है कि, उसकी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार, कंपनी द्वारा किसी भी व्यक्ति या संस्था से, जिसमें विदेशी संस्था ("वित्तपोषण पक्ष") शामिल है, कोई भी धनराशि (जो व्यक्तिगत रूप से या समग्र रूप से महत्वपूर्ण है) प्राप्त नहीं की गई है, इस समझ के साथ, चाहे लिखित रूप में दर्ज की गई हो या अन्यथा, कि कंपनी, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, वित्त पोषण पक्ष ("अंतिम लाभार्थी") द्वारा या उसकी ओर से किसी भी तरीके से पहचाने गए अन्य व्यक्तियों या संस्थाओं को उधार देगी या निवेश करेगी या अंतिम लाभार्थियों की ओर से कोई गारंटी, सुरक्षा या इस तरह की कोई गारंटी प्रदान करेगी।

(iii) परिस्थितियों में उचित और उपयुक्त मानी गई लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं के आधार पर, हमारे संज्ञान में ऐसा कुछ भी नहीं आया है जिससे हमें विश्वास हो कि नियम 11(ई) के उप-खंड (i) और (ii) के तहत अभ्यावेदन, जैसा कि ऊपर (i) और (ii) के तहत प्रदान किया गया है, में कोई भी भौतिक गलत बयान शामिल है।

ङ. (क) पिछले वर्ष में प्रस्तावित अंतिम लाभांश, वर्ष के दौरान कंपनी द्वारा घोषित और भुगतान किया गया, अधिनियम की धारा 123 के अनुसार है, जैसा लागू हो।

(ख) कंपनी ने वर्ष के दौरान न तो कोई अंतरिम लाभांश घोषित किया है और न ही भुगतान किया है।

(ग) कंपनी के निदेशक मंडल ने वर्ष के लिए अंतिम लाभांश का प्रस्ताव रखा है, जो आगामी वार्षिक आम बैठक में सदस्यों के अनुमोदन के अधीन है। प्रस्तावित लाभांश की राशि अधिनियम की धारा 123 के अनुसार, जहाँ लागू हो, लागू होगी।

ध. हमारी जाँच, जिसमें नमूना जाँच भी शामिल है, के आधार पर, कंपनी ने 31 मार्च, 2025 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए अपने लेखा-बही के रखरखाव हेतु लेखांकन सॉफ़्टवेयर का उपयोग किया है, जिसमें लेखापरीक्षण ट्रेल (लॉग संपादित करें) रिकॉर्ड करने की सुविधा है और यह सॉफ़्टवेयर सिस्टम में दर्ज सभी प्रासंगिक लेनदेन के लिए पूरे वर्ष संचालित रहा है। इसके अलावा, हमारे लेखा परीक्षा के दौरान हमें लेखापरीक्षण ट्रेल सुविधा के साथ छेड़छाड़ का कोई मामला नहीं मिला और कंपनी द्वारा रिकॉर्ड प्रतिधारण हेतु वैधानिक आवश्यकताओं के अनुसार लेखापरीक्षण ट्रेल को संरक्षित किया गया है।

**एल. बी. झा एंड कंपनी** हेतु
चार्टर्ड अकाउंटेंट
फर्म पंजीकरण संख्या: 301088E

**(रंजन सिंह)**
भागीदार
सदस्यता सं. 305423
यूडीआईएन:25305423BMNYYT8100

**रे और रे के** लिए
चार्टर्ड अकाउंटेंट
फर्म पंजीकरण संख्या.301072E

**(ज्योति रंजन मलिक)**
भागीदार
सदस्यता सं. 301020
यूडीआईएन:25301020BMOJKF3523

स्थान: कोलकाता
दिनांक: 18.07.2025

# अनुलग्नक-अ: स्वतंत्र लेखा परीक्षक की रिपोर्ट

ब्रिज एण्ड रूफ कम्पनी (इंडिया) लिमिटेड के सदस्यों हेतु

[इसी तिथि की लेखा परीक्षक की रिपोर्ट के अनुच्छेद 15 में संदर्भित]

i. (क) (क) कंपनी ने संपत्ति, संयंत्र और उपकरण की मात्रात्मक विवरण और स्थिति सहित पूर्ण विवरण दर्शाते हुए उचित रिकॉर्ड बनाए रखा है।

(क) (ख) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण तथा हमारे द्वारा जांचे गए कंपनी के अभिलेखों के अनुसार, कंपनी के पास कोई अमूर्त संपत्ति नहीं है।

(ख) कंपनी ने अपनी संपत्ति, संयंत्र और उपकरणों के सत्यापन के लिए एक नियमित कार्यक्रम बनाया है, जिसमें चरणबद्ध तरीके से सभी मदों को शामिल किया जाता है, जो हमारी राय में, कंपनी के आकार और उसकी संपत्ति, संयंत्र और उपकरणों की प्रकृति को देखते हुए उचित है। इस कार्यक्रम के तहत, प्रबंधन द्वारा वर्ष के दौरान कुछ संपत्ति, संयंत्र और उपकरणों का भौतिक सत्यापन किया गया। हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, इस सत्यापन में कोई भी भौतिक विसंगति नहीं पाई गई।

(ग) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण तथा हमारे द्वारा जांचे गए कंपनी के अभिलेखों के अनुसार, संपत्ति, संयंत्र और उपकरण में शामिल अचल संपत्तियों (पट्टे पर ली गई संपत्तियों को छोड़कर) के स्वामित्व विलेख, तुलन पत्र का दिनांक कंपनी के नाम पर हैं।

(घ) हमें दी गई जानकारी, स्पष्टीकरण और हमारे द्वारा जांचे गए कंपनी के रिकॉर्ड के अनुसार, कंपनी ने वर्ष के दौरान किसी भी संपत्ति, संयंत्र और उपकरण और परिसंपत्तियों का पुनर्मूल्यांकन नहीं किया है।

(ड़) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, बेनामी लेनदेन (निषेध) अधिनियम, 1988 (2016 में संशोधित) और उसके तहत बनाए गए नियमों के तहत किसी भी बेनामी संपत्ति को रखने के लिए कंपनी के खिलाफ वर्ष के दौरान कोई कार्यवाही शुरू नहीं की गई है या 31 मार्च, 2025 तक कोई कार्यवाही लंबित नहीं है।

ii. 2 (क) वर्ष के दौरान प्रबंधन द्वारा इन्वेंट्री का भौतिक सत्यापन किया गया है। हमारी राय में, इस तरह के सत्यापन की आवृत्ति उचित है। पुस्तक अभिलेखों की तुलना में इन्वेंट्री के भौतिक सत्यापन में कोई भौतिक विसंगति नहीं पाई गई।

(ख) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण तथा हमारे द्वारा जांचे गए कंपनी के अभिलेखों के अनुसार, कंपनी की अपनी पुस्तकों को तिमाही आधार पर बंद करने तथा तिमाही वित्तीय विवरण तैयार करने की नीति नहीं है, इसलिए हमें इस पर कोई टिप्पणी नहीं करनी है कि बैंक को प्रस्तुत किए गए अभिलेख, लेखा पुस्तकों से मेल खाते हैं या नहीं।

iii. 3. हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार तथा हमारे द्वारा की गई लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं के आधार पर, कंपनी ने वर्ष के दौरान कंपनियों, फर्मों, सीमित देयता भागीदारी या कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 189 के तहत बनाए गए रजिस्टर में शामिल किसी भी अन्य पक्ष को कोई गारंटी या सुरक्षा प्रदान नहीं की है या ऋण की प्रकृति में कोई ऋण या अग्रिम, सुरक्षित या असुरक्षित, प्रदान नहीं किया है, इसलिए आदेश के खंड 3 (iii) (क) से (च) लागू नहीं होते हैं।

iv. हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण तथा हमारे द्वारा जांचे गए कंपनी के अभिलेखों के अनुसार, कंपनी ने कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 185 और 186 के प्रावधानों के अनुसार वर्ष के दौरान दूसरों को कोई ऋण नहीं दिया है, कोई निवेश नहीं किया है, गारंटी नहीं दी है या कोई प्रतिभूति प्रदान नहीं की है। इसलिए इस खंड के तहत रिपोर्टिंग लागू नहीं होती है।

v. हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरणों तथा हमारे द्वारा जाँचे गए कंपनी के अभिलेखों के अनुसार, कंपनी ने अधिनियम की धारा 73 से 76 और उसके अंतर्गत बनाए गए नियमों के अंतर्गत जमा मानी जाने वाली कोई भी जमा राशि या राशि स्वीकार नहीं की है। इसके अतिरिक्त, कंपनी

विधि बोर्ड, राष्ट्रीय कंपनी विधि अधिकरण, भारतीय रिज़र्व बैंक या किसी न्यायालय या किसी अन्य अधिकरण द्वारा ऐसा कोई आदेश पारित नहीं किया गया है जिससे कंपनी पर कोई प्रभाव पड़े।

vi. हमारी राय में और हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, भारत सरकार ने अधिनियम की धारा 148(1) के तहत लागत अभिलेखों के रखरखाव का प्रावधान और कंपनी द्वारा ऐसे अभिलेखों का रखरखाव किया गया है। हालाँकि, हमने यह निर्धारित करने के लिए अभिलेखों की विस्तृत जाँच नहीं की है कि वे सटीक या पूर्ण हैं या नहीं।

vii. (क) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण तथा हमारे द्वारा जांचे गए कंपनी के अभिलेखों के अनुसार, हमारी राय में, कंपनी आमतौर पर उचित प्राधिकारियों के पास निर्विवाद वैधानिक बकाया राशि जमा करने में नियमित है, जिसमें भविष्य निधि, आयकर, माल और सेवा कर, सीमा शुल्क, उपकर और अन्य वैधानिक बकाया राशि शामिल है।

(ख) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण तथा हमारे द्वारा जांचे गए कंपनी के अभिलेखों के अनुसार, 31 मार्च 2025 तक सीएसटी कर, प्रवेश कर, मूल्य वर्धित कर और आयकर की बकाया राशि का विवरण, जो विवाद के कारण जमा नहीं किया गया है, निम्नानुसार है-

| संविधिक अधिनियम का नाम | बकाया राशि की प्रकृति | विवादित कुल राशि (लाख रुपए में) | संबंधित राशि की अवधि | विवाद जिस प्रधिकरण के समक्ष लंबित है | आपत्ति के अधिन जमा राशि (लाख रुपए में) | जमा नहीं की गई राशि (लाख रुपए में) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| आंध्र प्रदेश वैट | कार्य अनुबंध पर वैट | 32.12 | 2013-14 | आ.प्र. वैट अपीलीय न्यायाधिकरण, विशाखापत्तनम | 0.00 | 32.12 |
| आंध्र प्रदेश वैट | कार्य अनुबंध पर वैट | 81.81 | 2001-02 | आ.प्र. वैट अपीलीय न्यायाधिकरण, विशाखापत्तनम | 0.00 | 81.81 |
| आंध्र प्रदेश वैट | कार्य अनुबंध पर वैट | 217.71 | 2016-17(06/16) TO 2017-18(Upto 06/17) | आ.प्र. उच्च न्यायालय | 0.00 | 217.71 |
| आंध्र प्रदेश वैट | कार्य अनुबंध वैट पर जुर्माना | 217.71 | 2016-17(06/16) TO 2017-18(Upto 06/17) | आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय | 0.00 | 217.71 |
| गुजरात वैट | कार्य अनुबंध पर वैट | 1863.11 | 2012-13 | उप आयुक्त, अपील, बड़ौदा | 0.00 | 1863.11 |
| गुजरात वैट | कार्य अनुबंध पर वैट | 1090.69 | 2013-14 | उप आयुक्त, अपील, बड़ौदा | 0.00 | 1090.69 |
| गुजरात वैट | कार्य अनुबंध पर वैट | 1585.53 | 2014-15 | उप आयुक्त, अपील, बड़ौदा | 0.00 | 1585.53 |
| हरियाणा वैट | कार्य अनुबंध पर वैट | 42.69 | 2007-08 | संयुक्त आयुक्त अपील, वाणिज्यिक कर, अंबाला | 0.00 | 42.69 |
| मध्य प्रदेश वैट | प्रवेश कर | 156.00 | 2009-10 | कर निर्धारिण अधिकारी, बीना | 27.70 | 128.30 |
| मध्य प्रदेश वैट | कार्य अनुबंध पर वैट | 137.09 | 2009-10 | कर निर्धारिण अधिकारी, बीना | 88.44 | 48.65 |
| मध्य प्रदेश वैट | सीएसटी CST | 0.06 | 2014-15 | अपीलीय न्यायाधिकरण, बीना | 0.06 | 0.00 |
| मध्य प्रदेश वैट | प्रवेश कर | 5.47 | 2014-15 | अपीलीय प्राधिकरण (ट्रिब्यूनल), बीना | 5.47 | 0.00 |
| उत्तर प्रदेश बिक्री कर | कार्य अनुबंध पर बिक्री कर | 37.86 | 2000-01 to 2001-02 | उप आयुक्त अपील, व्यापार कर, गाजियाबाद | 0.00 | 37.86 |
| उत्तर प्रदेश बिक्री कर | कार्य अनुबंध पर बिक्री कर | 50.44 | 2004-05 | उप आयुक्त अपील, व्यापार कर, मथुरा | 0.00 | 50.44 |

| संविधिक अधिनियम का नाम | बकाया राशि की प्रकृति | विवादित कुल राशि (लाख रूपए में) | संबंधित राशि की अवधि | विवाद जिस प्रधिकरण के समक्ष लंबित है | आपत्ति के अधिन जमा राशि (लाख रूपए में) | जमा नहीं की गई राशि (लाख रूपए में) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| पश्चिम बंगाल वैट | कार्य अनुबंध पर वैट | 99.41 | 2013-14 | अपीलीय प्राधिकारी, पं.बं. एसटीडी | 96.75 | 2.66 |
| सेवा कर | सेवा कर | 36.65 | April'11 to sept'13 | सीईएसटीएटी, नई दिल्ली | 2.75 | 33.90 |
| सेवा कर | सेवा कर | 57.55 | 2010-15 | सीईएसटीएटी, इलाहाबाद | 0.00 | 57.55 |
| सेवा कर | सेवा कर | 9.96 | 2011-16 | केंद्रीय उत्पाद शुल्क एवं सेवा कर आयुक्त (अपील I), फिरोजाबाद | 0.75 | 9.21 |
| सेवा कर | सेवा कर | 1416.14 | 2009-11 | माननीय उच्च न्यायालय, चंडीगढ़, पंजाब | 106.21 | 1309.93 |
| ओडिशा जीएसटी | माल एवं सेवा कर | 168.69 | जुलाई 2017 to मार्च 2018 | ओडिशा उच्च न्यायालय | 33.74 | 134.95 |
| महाराष्ट्र जीएसटी | माल एवं सेवा कर | 480.17 | 2017-18 | राज्य कर उपायुक्त, अपील, महाराष्ट्र | 48.02 | 432.15 |
| महाराष्ट्र जीएसटी | माल एवं सेवा कर | 962.38 | 2018-19 | राज्य कर उपायुक्त, अपील, महाराष्ट्र | 96.24 | 866.14 |
| पश्चिम बंगाल | माल एवं सेवा कर | 1669.08 | 2019-20 | आयुक्त की अपील | 166.91 | 1502.17 |
| ओडिशा जीएसटी | माल एवं सेवा कर | 657.55 | 2018-19 | उच्च न्यायालय | 65.75 | 591.80 |
| ओडिशा जीएसटी | माल एवं सेवा कर | 385.73 | 2019-20 | राज्य कर उप आयुक्त | 38.57 | 347.16 |
| महाराष्ट्र जीएसटी | माल एवं सेवा कर | 849.07 | 2019-20 | 30/11/2024 को अपील दायर की गई | 84.91 | 764.16 |
| तमिलनाडु जीएसटी | माल एवं सेवा कर | 29.77 | 2018-19 | 13/02/2025 को अपील दायर की गई | 2.98 | 26.79 |
| तमिलनाडु जीएसटी | माल एवं सेवा कर | 19.45 | 2019-20 | 05/03/2025 को अपील दायर की गई | 1.94 | 17.51 |
| तमिलनाडु जीएसटी | माल एवं सेवा कर | 24.00 | 2020-21 | 24/03/2025 को अपील दायर की गई4 | 2.40 | 21.60 |
| तमिलनाडु जीएसटी | माल एवं सेवा कर | 17.27 | 2021-22 | 01/04/2025 को अपील दायर की गई | 1.73 | 15.54 |
| महाराष्ट्र जीएसटी | माल एवं सेवा कर | 316.86 | 2020-21 | सहायक आयुक्त, राज्य कर महाराष्ट्र | 31.69 | 285.17 |
| महाराष्ट्र जीएसटी | माल एवं सेवा कर | 288.27 | 2020-21 | संयुक्त आयुक्त, बेलापुर, मुंबई, सीबीआईसी | 28.82 | 259.45 |
| दिल्ली जीएसटी | माल एवं सेवा कर | 997.12 | 2020-21 | बिक्री कर अधिकारी वर्ग II | 0.00 | 997.12 |
| पश्चिम बंगाल | माल एवं सेवा कर | 56.46 | 2020-21 | वरिष्ठ आयुक्त संयुक्त, एलटीयू | 5.65 | 50.81 |
| आयकर अधिनियम, 1961 | आयकर | 50.90 | FY 2014 - 15 | सीआईटी(क), एनएएफसी,दिल्ली | 50.90 | 0.00 |
| आयकर अधिनियम, 1961 | आयकर | 65.13 | 2015 - 16 | सीआईटी(क), एनएएफसी,दिल्ली | 65.13 | 0.00 |

| संविधिक अधिनियम का नाम | बकाया राशि की प्रकृति | विवादित कुल राशि (लाख रूपए में) | संबंधित राशि की अवधि | विवाद जिस प्रधिकरण के समक्ष लंबित है | आपत्ति के अधिन जमा राशि (लाख रूपए में) | जमा नहीं की गई राशि (लाख रूपए में) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| आयकर अधिनियम, 1961 | आयकर | 104.64 | 2016 - 17 | सीआईटी(क), एनएएफसी, दिल्ली | 0.00 | 104.64 |
| आयकर अधिनियम, 1961 | आयकर | 44.25 | 2016 - 17 | सीआईटी(क), एनएएफसी, दिल्ली | 44.25 | 0.00 |
| आयकर अधिनियम, 1961 | आयकर | 375.75 | 2017 - 18 | सीआईटी(क), एनएएफसी, दिल्ली | 375.75 | 0.00 |
| आयकर अधिनियम, 1961 | आयकर | 27.79 | 2019 - 20 | सीआईटी(क), एनएएफसी, दिल्ली | 27.79 | 0.00 |
| आयकर अधिनियम, 1961 | आयकर | 430.18 | 2020 - 21 | सीआईटी(क), एनएएफसी, दिल्ली | 430.18 | 0.00 |
| आयकर अधिनियम, 1961 | आयकर | 51.54 | 2021- 22 | सीआईटी(क), एनएएफसी, दिल्ली | 28.32 | 23.22 |
| | **कुल** | **15,210.05** | | | **1,959.80** | **13,250.25** |

viii. आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) के अंतर्गत कर निर्धारिण में वर्ष के दौरान पूर्व में अलिखित आय से संबंधित कोई लेनदेन नहीं हुआ जिसे आय के रूप में समर्पित या प्रकट किया गया हो।

ix (क) हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरण तथा हमारे द्वारा जांचे गए कंपनी के अभिलेखों के अनुसार, कंपनी ने वर्ष के दौरान ऋणों के पुनर्भुगतान या उधारदाताओं को ब्याज के भुगतान में कोई चूक नहीं की है।

(ख) कंपनी को किसी भी बैंक या वित्तीय संस्थान या सरकार या किसी सरकारी प्राधिकरण द्वारा जानबूझकर चूककर्ता घोषित नहीं किया गया है।

(ग) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण तथा हमारे द्वारा जांचे गए कंपनी के अभिलेखों के अनुसार, कंपनी ने वर्ष के दौरान कोई सावधि ऋण नहीं लिया है, इसलिए इस खंड के तहत रिपोर्टिंग लागू नहीं होती है।

(घ) कंपनी के वित्तीय विवरणों की समग्र जांच से पता चला है कि, प्रथम दृष्टया, कंपनी द्वारा वर्ष के दौरान अल्पावधि आधार पर जुटाई गई धनराशि का उपयोग दीर्घावधि उद्देश्यों के लिए नहीं किया गया है।

(ड़)एवं(च) कंपनी की कोई सहायक कंपनी, सहयोगी या संयुक्त उद्यम नहीं है, इसलिए खंड 3 (ix) (ई) और (च) के तहत रिपोर्टिंग लागू नहीं है।

x. (क) कंपनी ने वर्ष के दौरान आरंभिक सार्वजनिक प्रस्ताव या आगे के सार्वजनिक प्रस्ताव (ऋण उपकरणों सहित) के माध्यम से धन नहीं जुटाया है और इसलिए इस खंड के तहत रिपोर्टिंग लागू नहीं है।

(ख) वर्ष के दौरान, कंपनी ने शेयरों या परिवर्तनीय डिबेंचर (पूरी तरह या आंशिक रूप से या वैकल्पिक रूप से) का कोई अधिमान्य आवंटन या निजी आवंटन नहीं किया है और इसलिए इस खंड के तहत रिपोर्टिंग लागू नहीं है।

xi (क) भारत में सामान्यतः स्वीकृत लेखापरीक्षा पद्धतियों के अनुसार कंपनी की लेखों और अभिलेखों की हमारी जांच के दौरान तथा हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरण के अनुसार हमें वर्ष के दौरान कंपनी द्वारा या उस पर धोखाधड़ी का कोई मामला नहीं मिला, न ही इसकी सूचना दी गई, न ही प्रबंधन द्वारा हमें ऐसे किसी मामले की जानकारी दी गई।

(ख) वर्ष के दौरान और इस रिपोर्ट की तारीख तक, कंपनी अधिनियम की धारा 143 की उप-धारा (12) के तहत कंपनी (लेखा परीक्षा और लेखा परीक्षक) नियम, 2014 के नियम 13 के तहत निर्धारित फॉर्म एडीटी-4 में केंद्र सरकार के साथ कोई रिपोर्ट दायर नहीं की गई है।

(ग) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण तथा हमारे द्वारा जांचे गए कंपनी के अभिलेखों के अनुसार कंपनी को वर्ष के दौरान (और इस रिपोर्ट की तिथि तक) किसी

भी व्हिसलब्लोअर से कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई हैं इसलिए इस खंड के तहत रिपोर्टिंग लागू नहीं होती है।

xii. कंपनी एक निधि कंपनी नहीं है और इसलिए इस खंड के तहत रिपोर्टिंग लागू नहीं है।

xiii. हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरणों तथा हमारे द्वारा जाँचे गए कंपनी के अभिलेखों के अनुसार, कंपनी ने 2 नवंबर, 2024 से 31 मार्च, 2025 तक की अवधि को छोड़कर, जहाँ भी लागू हो, धारा 177 के संबंध में संबंधित पक्षों के साथ किए गए लेन-देन के संबंध में अधिनियम की धारा 177 और 188 की आवश्यकताओं का अनुपालन किया है। लागू भारतीय लेखा मानक की आवश्यकता के अनुसार, संबंधित पक्ष के लेन-देन का विवरण लेखापरीक्षा वर्ष के वित्तीय विवरणों के नोट 31आर में प्रकट किया गया है।

xiv. (क) हमारी राय में कंपनी के पास अपने व्यवसाय के आकार और प्रकृति के अनुरूप पर्याप्त आंतरिक लेखा परीक्षा प्रणाली है।

(ख) हमने अपनी लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं की प्रकृति, समय और सीमा का निर्धारण करने में, वर्ष के दौरान और आज तक कंपनी को जारी की गई लेखापरीक्षा वर्ष के लिए आंतरिक लेखापरीक्षा रिपोर्टों पर विचार किया है।

xv. हमारी राय में वर्ष के दौरान कंपनी ने अपने निदेशकों या निदेशकों से जुड़े व्यक्तियों के साथ कोई गैर-नकद लेनदेन नहीं किया है, और इसलिए कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 192 के प्रावधान कंपनी पर लागू नहीं होते हैं।

xvi. (क) & (ख) हमारी राय में कंपनी को भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45-आईए के तहत पंजीकृत होना आवश्यक नहीं है। इसलिए, खंड 3 (xvi) (क) और (ख) के तहत रिपोर्टिंग लागू नहीं है।

(ग) कंपनी किसी भी समूह से संबंधित नहीं है और इसलिए इस खंड के तहत रिपोर्टिंग लागू नहीं है।

xvii. कंपनी को चालू एवं तत्काल पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष के दौरान कोई नकद हानि नहीं हुई है।

xviii. वर्ष के दौरान कंपनी के किसी भी सांविधिक लेखा परीक्षक ने इस्तीफा नहीं दिया है।

xix. वित्तीय अनुपातों, वित्तीय परिसंपत्तियों की प्राप्ति और वित्तीय देनदारियों के भुगतान की समयावधि और अपेक्षित तिथियों, वित्तीय विवरणों के साथ दी गई अन्य सूचनाओं और निदेशक मंडल और प्रबंधन योजनाओं के बारे में हमारे ज्ञान और मान्यताओं का समर्थन करने वाले साक्ष्य की हमारी जांच के आधार पर, हमारे ध्यान में ऐसा कुछ नहीं आया है, जिससे हमें विश्वास हो कि लेखापरीक्षा रिपोर्ट की तिथि तक कोई भी भौतिक अनिश्चितता मौजूद है, जो यह दर्शाती हो कि कंपनी तुलन पत्र की तिथि से एक वर्ष की अवधि के भीतर देय होने पर तुलन पत्र की तिथि पर मौजूद अपनी देनदारियों को पूरा करने में सक्षम नहीं है। हालांकि, हम कहते हैं कि यह कंपनी की भविष्य की व्यवहार्यता के संबंध में कोई आश्वासन नहीं है। हम आगे कहते हैं कि हमारी रिपोर्टिंग लेखापरीक्षा रिपोर्ट की तिथि तक के तथ्यों पर आधारित है और हम न तो कोई गारंटी देते हैं और न ही कोई आश्वासन देते हैं कि तुलन पत्र की तिथि से एक वर्ष की अवधि के भीतर देय होने वाली सभी देनदारियों का कंपनी द्वारा भुगतान कर दिया जाएगा।

xx. हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण तथा हमारे द्वारा जांचे गए कंपनी के अभिलेखों के अनुसार, कोई भी निधि अव्ययित नहीं है, इसलिए खंड 3(XX) (क) और (ख) के तहत रिपोर्टिंग लागू नहीं होती है।

**एल. बी. झा एंड कंपनी** हेतु
चार्टर्ड अकाउंटेंट
फर्म पंजीकरण संख्या: 301088E

**(रंजन सिंह)**
भागीदार
सदस्यता सं. 305423
यूडीआईएन:25305423BMNYYT8100

**रे और रे के** लिए
चार्टर्ड अकाउंटेंट
फर्म पंजीकरण संख्या.301072E

**(ज्योति रंजन मलिक)**
भागीदार
सदस्यता सं. 301020
यूडीआईएन:25301020BMOJKF3523

स्थान: कोलकाता
दिनांक: 18.07.2025

# अनुलग्नक-ख: स्वतंत्र लेखा परीक्षक की रिपोर्ट

ब्रिज एण्ड रूफ कम्पनी (इंडिया) लिमिटेड के सदस्यों हेतु

[स्वतंत्र लेखा परीक्षक की सम दिनांक की रिपोर्ट के पैराग्राफ 16 में संदर्भित]

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(5) के तहत निर्देश

**(1) क्या कंपनी के पास सभी लेखांकन लेनदेनों को आईटी प्रणाली के माध्यम से संसाधित करने की प्रणाली है? यदि हाँ, तो आईटी प्रणाली के बाहर लेखांकन लेनदेनों के प्रसंस्करण से खातों की अखंडता पर पड़ने वाले प्रभावों के साथ-साथ वित्तीय प्रभावों (यदि कोई हों) का भी उल्लेख किया जाए।**

हाँ, कंपनी के वर्ष के लेखा लेनदेन, लेखा एवं वित्त मॉड्यूल, पेरोल और मानव संसाधन मॉड्यूल के ईआरपी (ओरेकल ईबीएस) के माध्यम से आईटी प्रणाली के माध्यम से संसाधित किए जाते हैं। कंपनी पूरे भारत में फैले निर्माण व्यवसाय में है जहाँ इन्वेंट्री रिकॉर्ड मैन्युअल रूप से बनाए जाते हैं। इसके अलावा, व्यापार प्राप्य और व्यापार देय राशियों की आयु गणना मैन्युअल रूप से की जाती है क्योंकि ऐसी आयु रिपोर्ट आईटी प्रणाली से सीधे उपलब्ध नहीं होती है। जैसा कि बताया गया है, आईटी प्रणाली से ऐसी आयु रिपोर्ट सीधे तैयार करने के लिए आवश्यक कदम पहले ही उठाए जा चुके हैं। हमारे ध्यान में ऐसा कुछ भी नहीं आया है जिससे हमें यह विश्वास हो कि आईटी प्रणाली के बाहर की गई गतिविधियों का वित्तीय स्थिति पर कोई महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है।

**(2) क्या कंपनी द्वारा ऋण चुकाने में असमर्थता के कारण किसी ऋणदाता द्वारा कंपनी के किसी मौजूदा ऋण का पुनर्गठन किया गया है या देनदारियाँ/ऋण/ब्याज आदि को माफ/बट्टे खाते में डालने के मामले सामने आए हैं? यदि हाँ, तो वित्तीय प्रभाव का उल्लेख करें। क्या ऐसे मामलों का उचित लेखा-जोखा रखा जाता है?**

समीक्षाधीन अवधि के दौरान देनदारियाँ/ऋण/ब्याज आदि की माफी/बट्टे खाते में डालने का कोई मामला नहीं आया।

**(3) क्या केंद्र/राज्य सरकार या उसकी एजेंसियों से विशिष्ट योजनाओं के लिए प्राप्त/प्राप्त होने वाली धनराशि (अनुदान/सब्सिडी आदि) का उसकी शर्तों के अनुसार उचित लेखा-जोखा/उपयोग किया गया था? विचलन के मामलों की सूची बनाएँ।**

कंपनी को वर्ष के दौरान केंद्र/राज्य सरकार या उसकी एजेंसियों से विशिष्ट योजनाओं के लिए कोई अनुदान/सब्सिडी प्राप्त नहीं हुई है।

**एल. बी. झा एंड कंपनी** हेतु
चार्टर्ड अकाउंटेंट
फर्म पंजीकरण संख्या: 301088E

**(रंजन सिंह)**
भागीदार
सदस्यता सं. 305423
यूडीआईएन:25305423BMNYYT8100

**रे और रे के** लिए
चार्टर्ड अकाउंटेंट
फर्म पंजीकरण संख्या.301072E

**(ज्योति रंजन मलिक)**
भागीदार
सदस्यता सं. 301020
यूडीआईएन:25301020BMOJKF3523

स्थान: कोलकाता
दिनांक: 18.07.2025

# अनुलग्नक-ग: स्वतंत्र लेखा परीक्षक की रिपोर्ट

ब्रिज एण्ड रूफ कम्पनी (इंडिया) लिमिटेड के सदस्यों हेतु
[स्वतंत्र लेखा परीक्षक की समान दिनांक की रिपोर्ट के पैराग्राफ 17 में संदर्भित]

## कंपनी अधिनियम, 2013 ("अधिनियम") की धारा 143 की उप-धारा 3 के खंड (I) के अंतर्गत आंतरिक वित्तीय नियंत्रण पर रिपोर्ट

1. हमने 31 मार्च, 2025 तक ब्रिज एण्ड रूफ कम्पनी (इंडिया) लिमिटेड ("कंपनी") की वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों का लेखा परीक्षा किया है, जो उस तारीख को समाप्त वर्ष के लिए कंपनी के वित्तीय विवरण लेखा परीक्षा के साथ है।

## आंतरिक वित्तीय नियंत्रण के लिए प्रबंधन की ज़िम्मेदारी

2. कंपनी का प्रबंधन, भारतीय चार्टर्ड अकाउंटेंट संस्थान (ICAI) द्वारा जारी वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की लेखापरीक्षा पर मार्गदर्शन नोट ("मार्गदर्शन नोट") में उल्लिखित आंतरिक नियंत्रण के आवश्यक घटकों को ध्यान में रखते हुए, कंपनी द्वारा स्थापित वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक नियंत्रण मानदंडों के आधार पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण स्थापित करने और बनाए रखने के लिए ज़िम्मेदार है। इन ज़िम्मेदारियों में पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों का डिज़ाइन, कार्यान्वयन और रखरखाव शामिल है जो कंपनी के व्यवसाय के व्यवस्थित और कुशल संचालन को सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी ढंग से संचालित हो रहे थे, जिसमें कंपनी की नीतियों का पालन, इसकी परिसंपत्तियों की सुरक्षा, धोखाधड़ी और त्रुटियों की रोकथाम और पता लगाना, लेखा अभिलेखों की सटीकता और पूर्णता, और अधिनियम के तहत आवश्यक विश्वसनीय वित्तीय जानकारी का समय पर तैयार करना शामिल है।

## लेखा परीक्षकों की जिम्मेदारी

3. हमारी ज़िम्मेदारी है कि हम अपने लेखापरीक्षण के आधार पर वित्तीय रिपोर्टिंग पर कंपनी के आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों पर अपनी राय व्यक्त करें। हमने अपना लेखापरीक्षण "मार्गदर्शन नोट" और आईसीएआई द्वारा जारी और अधिनियम की धारा 143(10) के अंतर्गत निर्धारित माने जाने वाले लेखापरीक्षा मानक के अनुसार, जहाँ तक लागू हो, किया। इन मानकों और मार्गदर्शन नोट के अनुसार, हमें नैतिक आवश्यकताओं का पालन करना होगा और इस बारे में उचित आश्वासन प्राप्त करने के लिए लेखापरीक्षण की योजना बनानी और उसे क्रियान्वित करना होगा कि क्या वित्तीय रिपोर्टिंग पर पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण स्थापित और बनाए रखा गया था और क्या ये नियंत्रण सभी महत्वपूर्ण पहलुओं में प्रभावी ढंग से संचालित हुए थे।

4. हमारी लेखापरीक्षा में वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली की पर्याप्तता और उनकी परिचालन प्रभावशीलता के बारे में लेखापरीक्षा साक्ष्य प्राप्त करने हेतु प्रक्रियाओं का निष्पादन शामिल है। वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की हमारी लेखापरीक्षा में वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की समझ प्राप्त करना, किसी भौतिक कमज़ोरी के जोखिम का आकलन करना, और आकलित जोखिम के आधार पर आंतरिक नियंत्रणों के डिज़ाइन और परिचालन प्रभावशीलता का परीक्षण और मूल्यांकन करना शामिल है। चुनी गई प्रक्रिया लेखा परीक्षक के निर्णय पर निर्भर करती है, जिसमें वित्तीय विवरण में भौतिक गलत विवरण के जोखिम का आकलन भी शामिल है, चाहे वह धोखाधड़ी या त्रुटि के कारण हो।

5. हमारा मानना है कि हमारे द्वारा प्राप्त लेखापरीक्षा साक्ष्य, वित्तीय रिपोर्टिंग पर कंपनी की आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली पर हमारी लेखापरीक्षा राय के लिए आधार प्रदान करने के लिए पर्याप्त और उपयुक्त है।

## वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण का अर्थ

6. वित्तीय रिपोर्टिंग पर कंपनी का आंतरिक वित्तीय नियंत्रण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसे वित्तीय रिपोर्टिंग की विश्वसनीयता और सामान्य रूप से स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों के अनुसार बाहरी उद्देश्यों के लिए वित्तीय विवरण तैयार करने के संबंध में उचित आश्वासन प्रदान करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। वित्तीय रिपोर्टिंग पर कंपनी के आंतरिक वित्तीय नियंत्रण में वे नीतियाँ और प्रक्रियाएँ शामिल हैं जो

   1) उन अभिलेखों के रखरखाव से संबंधित है जो उचित विवरण के साथ कंपनी की परिसंपत्तियों के लेन-देन और निपटान को सटीक और निष्पक्ष रूप से दर्शाते हैं।

   2) उचित आश्वासन प्रदान करें कि लेनदेन को सामान्य रूप से स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों के अनुसार वित्तीय विवरण तैयार करने की अनुमति देने के लिए आवश्यक रूप से दर्ज किया गया है, और कंपनी की प्राप्तियां और व्यय केवल कंपनी के प्रबंधन और

निदेशकों के प्राधिकरण के अनुसार किए जा रहे हैं; और

3) कंपनी की परिसंपत्तियों के अनधिकृत अधिग्रहण, उपयोग या निपटान की रोकथाम या समय पर पता लगाने के संबंध में उचित आश्वासन प्रदान करना, जिसका वित्तीय विवरणों पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ सकता है।

## वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की अंतर्निहित सीमाएँ

7. वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की अंतर्निहित सीमाओं के कारण, जिसमें मिलीभगत या प्रबंधन द्वारा नियंत्रणों के अनुचित उल्लंघन की संभावना भी शामिल है, त्रुटियों या धोखाधड़ी के कारण महत्वपूर्ण गलतबयानी हो सकती है और उसका पता नहीं चल पाता। साथ ही, भविष्य की अवधियों के लिए वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण के किसी भी मूल्यांकन के अनुमान इस जोखिम के अधीन हैं कि परिस्थितियों में बदलाव के कारण वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण अपर्याप्त हो सकता है, या नीतियों या प्रक्रियाओं के अनुपालन की डिग्री कम हो सकती है।

## राय

8. हमारी राय में, कंपनी के पास सभी भौतिक मामलों में वित्तीय रिपोर्टिंग पर पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली है और वित्तीय रिपोर्टिंग पर ऐसे आंतरिक वित्तीय नियंत्रण 31 मार्च 2025 तक प्रभावी ढंग से काम कर रहे थे, जो कंपनी द्वारा स्थापित वित्तीय रिपोर्टिंग मानदंडों पर आंतरिक नियंत्रण के आधार पर, आईसीएआई द्वारा जारी वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण के लेखापरीक्षण पर मार्गदर्शन नोट में वर्णित आंतरिक नियंत्रण के आवश्यक घटकों पर विचार करते हुए किया गया था।

**एल. बी. झा एंड कंपनी** हेतु
चार्टर्ड अकाउंटेंट
फर्म पंजीकरण संख्या: 301088E

**(रंजन सिंह)**
भागीदार
सदस्यता सं. 305423
यूडीआईएन:25305423BMNYYT8100

**रे और रे के** लिए
चार्टर्ड अकाउंटेंट
फर्म पंजीकरण संख्या.301072E

**(ज्योति रंजन मलिक)**
भागीदार
सदस्यता सं. 301020
यूडीआईएन:25301020BMOJKF3523

स्थान: कोलकाता
दिनांक: 18.07.2025

# तुलन पत्र

31 मार्च, 2025 को

(₹ लाख में आंकड़े)

| विवरण | टिप्पणी | 31 मार्च, 2025 तक | 31 मार्च, 2024 तक |
|---|---|---|---|
| **परिसंपत्ति** | | | |
| **(1) गैर तात्कालिक परिसंपत्ति** | | | |
| (क) सम्पत्ति, संयत्र तथा उपकरण | 2 | 3,094.92 | 3,505.56 |
| (ख) उपयोग परिसंपत्ति का अधिकार | 3 | 1,145.19 | 552.51 |
| (ग) वित्तीय पूंजी | | | |
| (i) अन्य वित्तीय संपत्ति | 4 | 10,604.24 | 12,229.80 |
| (घ) आस्थगित कर परिसंपत्तियां (जाल) | 5 | 4,325.39 | 3,761.68 |
| **कुल गैर - मौजूदा परिसंपत्तियां** | | **19,169.74** | **20,049.55** |
| **(2) वर्तमान परिसंपत्ति** | | | |
| (क) इन्वेन्ट्री | 6 | 13,502.03 | 10,535.73 |
| (ख) वित्तीय पूंजी | | | |
| (i) व्यापार प्राप्तियां | 7 | 202,475.57 | 126,129.34 |
| (ii) नकद और नकद के समतुल्य | 8 | 10,757.28 | 14,934.78 |
| (iii) बैंक नकदी और नकदी के अलावा अन्य समतुल्य | 9 | 8,073.70 | 25,048.70 |
| (iv) अन्य वित्तीय परिसंपत्तियाँ | 10 | 112,275.73 | 83,988.58 |
| (ग) अनुबंध परिसंपत्तियाँ | 11 | 61,595.07 | 85,393.45 |
| (घ) वर्तमान कर परिसंपत्तियाँ (शुद्ध) | 12 | 8,202.34 | 9,948.35 |
| (ङ) अन्य चालू परिसंपत्तियां | 13 | 35,400.74 | 35,394.95 |
| **कुल मौजूदा परिसंपत्तियां** | | **452,282.46** | **391,373.88** |
| **कुल परिसंपत्तियां** | | **471,452.20** | **411,423.43** |
| **II. इक्विटी और देयता** | | | |
| **हिस्सेदारी** | | | |
| (क) इक्विटी शेयर पूंजी | 14 | 5,498.72 | 5,498.72 |
| (ख) अन्य इक्विटी | 15 | 51,428.95 | 43,552.23 |
| **कुल इक्विटी** | | **56,927.67** | **49,050.95** |
| **देयताएं** | | | |
| **(1) गैर मौजूदा देनदारियां** | | | |
| (क) वित्तीय देनदारियाँ | | | |
| (1) अन्य वित्तीय देयताएं | 16 | 25,412.92 | 16,803.74 |
| (ii) पट्टा देयताएं | 31(X) | 770.70 | 229.72 |
| (ख) प्रावधान | 17 | 4,277.49 | 5,303.59 |
| **कुल गैर-वर्तमान देनदारियाँ** | | **30,461.11** | **22,337.05** |

# तुलन पत्र

31 मार्च, 2025 को

(₹ लाख में आंकड़े)

| विवरण | टिप्पणी | 31 मार्च, 2025 तक | 31 मार्च, 2024 तक |
|---|---|---|---|
| **(2) वर्तमान देनदारियां** | | | |
| (क) वित्तीय देनदारियाँ | | | |
| (i) उधार | 18 | 19,156.19 | 15,071.17 |
| (ii) व्यापार देयताएं | | | |
| (क) सूक्ष्म उद्यम और लघु उद्यमों का कुल बकाया | 19 | 11,815.96 | 9,973.06 |
| (ख) सूक्ष्म उद्यमों और लघु उद्यमों के अलावा अन्य लेनदारों की कुल बकाया राशि | 19 | 240,483.13 | 170,920.03 |
| (iii) पट्टा देयताएं | 31(X) | 369.87 | 320.48 |
| (iv) अन्य वित्तीय देयताएं - चालू | 20 | 25,387.56 | 19,694.04 |
| (ख) प्रावधान - वर्तमान | 21 | 5,173.11 | 3,460.97 |
| (ग) अन्य वर्तमान देनदारियां | 22 | 81,677.60 | 120,595.68 |
| **कुल वर्तमान देनदारियां** | | **384,063.42** | **340,035.43** |
| **कुल देनदारियों** | | **414,524.53** | **362,372.48** |
| **कुल शेयर और देनदारियां** | | **471,452.20** | **411,423.43** |

सामग्री लेखांकन नीतियाँ 1

संलग्न टिप्पणियाँ वित्तीय विवरण का अभिन्न अंग हैं।

**रे और रे** के लिए
चार्टर्ड अकाउंटेंट
एफआरएन 301072ई

सीए ज्योति रंजन मलिक
साझेदार
सदस्यता संख्या 301020

**एल. बी. झा एंड कंपनी** के लिए
चार्टर्ड अकाउंटेंट
एफआरएन 301088ई

सीए **रंजन सिंह**
साझेदार
सदस्यता संख्या 305423

स्थान : कोलकाता
तारीख : 18/07/2025

**निदेशक मंडल की ओर से**

**राजेश कुमार सिंह**
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
डीआईएन- 09362244

**नव रत्न गुप्ता**
निदेशक (वित्त) एवं सीएफओ
डीआईएन- 10083026

**रवि कुमार**
निदेशक (परियोजना प्रबंधन)
डीआईएन- 10105298

**राजेश कुमार**
कार्यकारी निदेशक (वित्त)

**राखी कर**
कंपनी सचिव

# लाभ और हानि का विवरण

31 मार्च, 2025 को समाप्ति वर्ष के लिए

(₹ लाख में आंकड़े)

| विवरण | | टिप्पणियाँ | 31 मार्च, 2025 तक | 31 मार्च, 2024 तक |
|---|---|---|---|---|
| **I.** | **आय** | | | |
| **II.** | परिचालन से राजस्व | 23 | 451,691.00 | 400,456.57 |
| **III.** | अन्य कमाई | 24 | 1,511.90 | 971.82 |
| **IV.** | **कुल आय (II + III)** | | **453,202.90** | **401,428.39** |
| **V.** | **खर्च** | | | |
| | उपभोग की गई सामग्री की लागत | 25 | 83,132.99 | 128,072.55 |
| | उप-ठेका और अन्य निर्माण व्यय | 26 | 313,029.20 | 220,188.23 |
| | कर्मचारी लाभ व्यय | 27 | 20,750.15 | 22,379.60 |
| | मूल्यह्रास और परिशोधन व्यय | 2 & 3 | 1,052.88 | 1,187.08 |
| | वित्त व्यय | 28 | 7,116.25 | 7,818.36 |
| | अन्य खर्चें | 29 | 14,076.35 | 11,646.60 |
| | **कुल व्यय (V)** | | **439,157.82** | **391,292.42** |
| **VI.** | **असाधारण मदों और कर से पहले लाभ (IV - V)** | | **14,045.08** | **10,135.97** |
| **VII.** | **कर से पहले का लाभ** | | **14,045.08** | **10,135.97** |
| **VIII.** | **कर व्यय** | 30 | | |
| | (1) वर्तमान कर | | 4,371.92 | 3,342.52 |
| | (2) आस्थगित कर | | (563.71) | (698.08) |
| **IX.** | **वर्ष के लिए लाभ (VII - VIII)** | | **10,236.87** | **7,491.53** |
| **X.** | **अन्य व्यापक आय** | | | |
| | **(1) वे मदें जिन्हें लाभ एवं हानि विवरण में पुनर्वर्गीकृत नहीं किया जाएगा** | | | |
| | (क) रोजगार के बाद लाभ दायित्वों/परिभाषित लाभ योजना पर लाभ/(हानि) का पुनर्मापण | | (148.57) | (153.85) |
| | (ख) उस मद से संबंधित आयकर जिसे लाभ और हानि में पुनर्वर्गीकृत नहीं किया जाएगा | | 37.39 | 38.72 |
| | **(2) वे मदें जिन्हें लाभ एवं हानि विवरण में पुनर्वर्गीकृत किया जाएगा** | | | |
| | (क) विदेशी परिचालनों के अनुवाद पर विनिमय मतभेद | | | |
| | (ख) इस मद से संबंधित आयकर | | | |
| | **वर्ष के लिए अन्य व्यापक आय (कर के बाद)** | | (111.18) | (115.13) |
| **XI.** | **वर्ष के लिए कुल व्यापक आय** | | **10,125.69** | **7,376.40** |

# लाभ और हानि का विवरण

31 मार्च, 2025 को समाप्ति वर्ष के लिए

(₹ लाख में आंकड़े)

| विवरण | | टिप्पणियाँ | 31 मार्च, 2025 तक | 31 मार्च, 2024 तक |
|---|---|---|---|---|
| **XII.** | **प्रति इक्विटी शेयर आय :** | | | |
| | (1) प्रति शेयर मूल आय(₹) | | 18.62 | 13.62 |
| | (2) प्रति शेयर तनु आय (₹) | | 18.62 | 13.62 |
| | सामग्री लेखांकन नीतियाँ | 1 | | |

संलग्न टिप्पणियाँ वित्तीय विवरण का अभिन्न अंग हैं।

**रे और रे** के लिए
चार्टर्ड अकाउंटेंट
एफआरएन 301072ई

सीए ज्योति रंजन मलिक
साझेदार
सदस्यता संख्या 301020

**एल. बी. झा एंड कंपनी** के लिए
चार्टर्ड अकाउंटेंट
एफआरएन 301088ई

सीए **रंजन सिंह**
साझेदार
सदस्यता संख्या 305423

स्थान : कोलकाता
तारीख : 18/07/2025

**निदेशक मंडल की ओर से**

**राजेश कुमार सिंह**
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
डीआईएन- 09362244

**नव रत्न गुप्ता**
निदेशक (वित्त) एवं सीएफओ
डीआईएन- 10083026

**रवि कुमार**
निदेशक (परियोजना प्रबंधन)
डीआईएन- 10105298

**राजेश कुमार**
कार्यकारी निदेशक (वित्त)

**राखी कर**
कंपनी सचिव

# इक्विटी में परिवर्तन का विवरण

31 मार्च, 2025 को समाप्ति वर्ष के लिए

## क) इक्विटी शेयर पूंजी

(₹ लाख में आंकड़े)

| शेयरों का वर्ग | 31-मार्च-25 तक | | 31-मार्च-24 तक | |
|---|---|---|---|---|
| | शेयरों की संख्या | राशि | शेयरों की संख्या | राशि |
| **रिपोर्टिंग अवधि की शुरुआत में शेष राशि** | 54,987,155 | 5,498.72 | 54,987,155 | 5,498.72 |
| इस अवधि के दौरान जारी | - | - | - | - |
| अवधि के दौरान कटौती | - | - | - | - |
| रिपोर्टिंग अवधि के अंत में शेष राशि | **54,987,155** | **5,498.72** | **54,987,155** | **5,498.72** |

## ख) अन्य इक्विटी

(₹ लाख में आंकड़े)

| विवरण | आरक्षित एवं अधिशेष | | अन्य व्यापक आय | कुल |
|---|---|---|---|---|
| | सामान्य रिजर्व | प्रतिधारित कमाई | परिभाषित लाभ योजना का पुनर्मापन | |
| **1 अप्रैल, 2024 तक शेष राशि** | **25,224.31** | **19,988.12** | **(1,660.20)** | **43,552.23** |
| वित्त वर्ष 2024-25 के लिए लाभ/(हानि) | - | 10,236.87 | - | 10,236.87 |
| भारतीय लेखा मानक समायोजन | - | - | - | - |
| वर्ष के लिए अन्य व्यापक आय | - | - | (111.18) | (111.18) |
| **वर्ष के लिए कुल व्यापक आय** | **25,224.31** | **30,224.99** | **(1,771.38)** | **53,677.92** |
| प्रतिधारित आय से स्थानांतरण | - | - | - | - |
| इक्विटी शेयरों पर भुगतान किया गया लाभांश | - | 2,248.97 | - | 2,248.97 |
| इक्विटी शेयरों पर भुगतान किए गए लाभांश पर कर | - | - | - | - |
| **31 मार्च, 2025 तक शेष राशि** | **25,224.31** | **27,976.02** | **(1,771.38)** | **51,428.95** |

**रे और रे** के लिए
चार्टर्ड अकाउंटेंट
एफआरएन 301072ई

सीए ज्योति रंजन मलिक
साझेदार
सदस्यता संख्या 301020

**एल. बी. झा एंड कंपनी** के लिए
चार्टर्ड अकाउंटेंट
एफआरएन 301088ई

सीए **रंजन सिंह**
साझेदार
सदस्यता संख्या 305423

स्थान : कोलकाता
तारीख : 18/07/2025

**निदेशक मंडल की ओर से**

**राजेश कुमार सिंह**
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
डीआईएन- 09362244

**नव रत्न गुप्ता**
निदेशक (वित्त) एवं सीएफओ
डीआईएन- 10083026

**रवि कुमार**
निदेशक (परियोजना प्रबंधन)
डीआईएन- 10105298

**राजेश कुमार**
कार्यकारी निदेशक (वित्त)

**राखी कर**
कंपनी सचिव

# नकदी प्रवाह विवरण

31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष के लिए

(₹ लाख में आंकड़े)

| विवरण | 31 मार्च, 2025 को समाप्त हुए वर्ष के लिए | 31 मार्च, 2024 को समाप्त हुए वर्ष के लिए |
|---|---|---|
| **प्रचालन गतिविधियों से नकदी प्रवाह** | | |
| कर से पहले का लाभ | 14,045.08 | 10,135.97 |
| **निम्न के लिए समायोजन:** | | |
| मूल्यह्रास और परिशोधन व्यय | 1,052.88 | 1,187.08 |
| विदेशी मुद्रा (लाभ)/ विदेशी मुद्रा पर हानि | 99.59 | (50.71) |
| लाभ या हानि/परिशोधित लागत के माध्यम से उचित मूल्य पर वित्तीय साधनों पर उचित मूल्य | (10.25) | (8.75) |
| संपत्ति, संयंत्र और उपकरण की बिक्री पर (लाभ)/हानि | (168.33) | (9.66) |
| अन्य गैर-परिचालन आय | - | (42.47) |
| वित्तीय आय | (1,150.46) | (657.87) |
| वित्त लागत | 7,116.25 | 7,818.36 |
| अपेक्षित ऋण हानि के लिए प्रावधान | 983.64 | 647.39 |
| पूर्वानुमानित हानि के लिए प्रावधान | 254.46 | 1,097.79 |
| रोजगार के बाद लाभ दायित्वों/परिभाषित लाभ योजना पर लाभ/(हानि) का पुनर्मापन | (148.57) | (153.85) |
| **कार्यशील पूंजी परिवर्तन से पहले परिचालन (हानि)/लाभ** | **22,074.29** | **19,963.28** |
| कार्यशील पूंजी समायोजन: | | |
| व्यापार देय राशि में वृद्धि/(कमी) | 71,406.00 | (27,762.72) |
| अन्य चालू देनदारियों में वृद्धि/(कमी) | (38,918.08) | 15,176.30 |
| अन्य अनुबंध देयताओं में वृद्धि/(कमी) | - | - |
| अल्पावधि प्रावधान में वृद्धि/(कमी) | 1,457.68 | 136.81 |
| अल्पकालिक वित्तीय ऋण में (वृद्धि)/कमी | - | - |
| इन्वेंट्री में (वृद्धि)/कमी | (2,966.30) | 199.98 |
| व्यापार प्राप्य में (वृद्धि)/कमी | (76,625.89) | (17,796.45) |
| अल्पावधि अन्य वित्तीय परिसंपत्तियों में (वृद्धि)/कमी | (29,493.48) | (13,755.08) |
| अन्य चालू परिसंपत्तियों में (वृद्धि)/कमी | (5.79) | 8,080.92 |
| अन्य अनुबंध परिसंपत्तियों में (वृद्धि)/कमी | 24,311.00 | 41,600.25 |
| नकदी और नकदी समकक्षों के अलावा बैंक शेष में (वृद्धि)/कमी | 16,975.00 | (18,665.71) |
| (अन्य वित्तीय देनदारियों में वृद्धि/कमी - चालू | 5,693.52 | 8,977.92 |
| उत्पन्न नकदी | **(6,092.04)** | **16,155.50** |
| अन्य दीर्घकालिक वित्तीय देनदारियों में वृद्धि/(कमी) | 8,609.18 | (6,957.03) |
| दीर्घकालिक प्रावधानों में वृद्धि/(कमी) | (1,026.10) | 335.38 |
| दीर्घकालिक वित्तीय ऋण में (वृद्धि)/कमी | - | - |
| दीर्घावधि अन्य वित्तीय परिसंपत्तियों में (वृद्धि)/कमी | 1,625.56 | (1,490.95) |
| दीर्घकालिक अन्य गैर-वर्तमान परिसंपत्तियों में (वृद्धि)/कमी | - | - |
| प्रत्यक्ष कर का भुगतान (रिफंड के बाद) | (2,588.54) | (3,636.65) |
| **परिचालन गतिविधियों से/(में प्रयुक्त) शुद्ध नकदी** | **528.06** | **4,406.24** |
| **निवेश गतिविधियों से नकदी प्रवाह** | | |
| अमूर्त परिसंपत्तियों और पूंजीगत अग्रिमों सहित संपत्ति, संयंत्र और उपकरण की खरीद | (242.04) | (416.78) |
| प्राप्त ब्याज | 1,150.46 | 657.87 |
| संपत्ति, संयंत्र और उपकरण की बिक्री से प्राप्त आय | 218.95 | 20.30 |
| निपटान हेतु रखी गई परिसंपत्तियों के रूप में वर्गीकृत बिक्री प्रतिफल के लिए अग्रिम | - | 0.11 |

# नकदी प्रवाह विवरण

31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष के लिए

(₹ लाख में आंकड़े)

| विवरण | 31 मार्च, 2025 को समाप्त हुए वर्ष के लिए | 31 मार्च, 2024 को समाप्त हुए वर्ष के लिए |
|---|---|---|
| **निवेश गतिविधियों से/(में प्रयुक्त) शुद्ध नकदी** | **1,127.37** | **261.50** |
| **वित्तीय गतिविधियों से नकदी प्रवाह** | | |
| अल्पकालिक उधारों की आय/पुनर्भुगतान (शुद्ध) | 4,085.02 | 13,990.24 |
| पट्टा भुगतान | (453.14) | (440.14) |
| वित्त लागत | (7,116.25) | (7,818.36) |
| लाभांश भुगतान | (2,248.97) | (1,231.71) |
| **वित्तपोषण गतिविधियों से शुद्ध नकदी (प्रयुक्त)** | **(5,733.34)** | **4,500.03** |
| नकदी और नकदी समकक्षों में शुद्ध (कमी)/वृद्धि | (4,077.91) | 9,167.78 |
| **वर्ष की शुरुआत में नकदी और नकदी समकक्ष** | 14,934.78 | 5,716.29 |
| वर्ष के अंत में नकदी और नकदी समकक्ष | 10,856.87 | 14,884.07 |
| विदेशी मुद्रा दर में परिवर्तन का प्रभाव | 99.59 | (50.71) |
| **कुल नकदी और नकदी समकक्ष (नोट 8)** | 10,757.28 | 14,934.78 |
| **नकद और नकद समतुल्य शेष में शामिल हैं** | | |

सामग्री लेखांकन नीतियों का सारांश 1

संलग्न टिप्पणियाँ वित्तीय विवरण का अभिन्न अंग हैं।

कंपनी नकदी प्रवाह के लिए अप्रत्यक्ष पद्धति का पालन कर रही है

**रे और रे** के लिए
चार्टर्ड अकाउंटेंट
एफआरएन 301072ई

सीए ज्योति रंजन मलिक
साझेदार
सदस्यता संख्या 301020

**एल. बी. झा एंड कंपनी** के लिए
चार्टर्ड अकाउंटेंट
एफआरएन 301088ई

सीए **रंजन सिंह**
साझेदार
सदस्यता संख्या 305423

स्थान : कोलकाता
तारीख : 18/07/2025

**निदेशक मंडल की ओर से**

**राजेश कुमार सिंह**
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
डीआईएन- 09362244

**नव रत्न गुप्ता**
निदेशक (वित्त) एवं सीएफओ
डीआईएन- 10083026

**रवि कुमार**
निदेशक (परियोजना प्रबंधन)
डीआईएन- 10105298

**राजेश कुमार**
कार्यकारी निदेशक (वित्त)

**राखी कर**
कंपनी सचिव

# वित्तीय विवरणों हेतु नोट

31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष के लिए

## नोट 1: अवलोकन और सामग्री लेखांकन नीतियां

### क) कंपनी का अवलोकन

ब्रिज एण्ड रूफ कम्पनी (इंडिया) लिमिटेड ("बी एण्ड आर" या "कंपनी") भारत में स्थित एक केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र का उद्यम है और इसका पंजीकृत कार्यालय 'कंकड़िया सेंटर', 4थी और 5वीं मंजिल, 2/1, रसल स्ट्रीट, कोलकाता-700071 में है।

1920 में स्थापित, "बी एण्ड आर" तब से भारत सरकार के भारी उद्योग और सार्वजनिक उद्यम मंत्रालय के भारी उद्योग विभाग के प्रशासनिक नियंत्रण में आ गया है। निगमन के बाद से "बी एण्ड आर" भारत के साथ-साथ विदेशों में पूरे औद्योगिक और बुनियादी ढांचा क्षेत्रों को शामिल करते हुए, सभी प्रकार के सिविल, स्ट्रक्चरल, मैकेनिकल और टर्नकी परियोजनाओं को लेकर निजी और सार्वजनिक दोनों क्षेत्रों की सेवा कर रहा है। 2020-21 में, कंपनी ने 100 वर्षों की अपनी शानदार यात्रा पूरी की है।

### ख) अनुपालन का बयान

कंपनी के वित्तीय विवरण कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों और कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 133 के संबंध में कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय द्वारा जारी कंपनी (भारतीय लेखा मानक) नियम, 2015 के तहत अधिसूचित भारतीय लेखा मानकों ("इंडएएस") के अनुसार तैयार किए गए हैं। इन वित्तीय विवरणों को निदेशक मंडल द्वारा जारी करने के लिए अनुमोदित किया गया है।

### ग) तैयारी का आधार

कंपनी के वित्तीय विवरण भारतीय लेखांकन मानकों (इंड एएस) के अनुसार, ऐतिहासिक लागत परंपरा और लेखांकन के उपार्जन आधार का पालन करते हुए, कंपनी अधिनियम के प्रावधानों के अनुपालन में तैयार किए गए हैं, सिवाय जहां अन्यथा कहा गया हो।

### घ) वित्तीय विवरणों की प्रस्तुति

तुलन पत्र, लाभ और हानि की घोषणा और इक्विटी में बदलाव की घोषणा को कंपनियों के अधिनियम, 2013 ("अधिनियम") के अनुसार अनुसूची III में निर्धारित प्रारूप में तैयार और प्रस्तुत किया गया है। नकद प्रवाह की स्थिति को इंड एएस 7 "नकद प्रवाह की स्थिति" की आवश्यकताओं के अनुसार तैयार और प्रस्तुत किया गया है। बैलेंस शीट और लाभ और हानि की घोषणा के संबंध में खुलासे की आवश्यकताएँ, जो अधिनियम के अनुसूची III में निर्धारित हैं, वित्तीय विवरण का हिस्सा बनाने वाले नोटों के माध्यम से प्रस्तुत की गई हैं, साथ ही उन नोटों के साथ जो अधिसूचित लेखा मानकों के तहत खुलासा करने की आवश्यकता हैं।

वित्तीय विवरणों में राशियाँ भारतीय रुपये में लाखों में प्रस्तुत की गई हैं, जो कि कंपनियों के अधिनियम, 2013 के अनुसूची III द्वारा अनुमति दिए गए दो दशमलव स्थानों तक पूर्णांकित की गई हैं। प्रति शेयर डेटा दो दशमलव स्थानों में भारतीय रुपये में प्रस्तुत किया गया है।

### ङ) प्रमुख अनुमान और धारणाएँ

वित्तीय विवरणों की तैयारी भारतीय लेखा मानक के अनुसार कंपनी के प्रबंधन द्वारा किए गए अनुमान और धारणाओं की आवश्यकता होती है, जो आय और व्यय की रिपोर्ट की गई मात्रा, परिसंपत्तियों और देनदारियों के रिपोर्ट किए गए संतुलन और वित्तीय विवरणों की तिथि के अनुसार सापेक्ष जिम्मेदारियों से संबंधित उद्घाटन को प्रभावित करती हैं। प्रबंधन द्वारा किए गए अनुमान और आधारभूत धारणाएँ संबंधित नीतियों के तहत स्पष्ट की गई हैं। लेखांकन अनुमानों में संशोधन में संपत्ति, संयंत्र और उपकरणों के उपयोगी अवधि, अपेक्षित क्रेडिट हानि के लिए भत्ता, सेवानिवृत्ति लाभ योजनाओं के संबंध में भविष्य की जिम्मेदारियाँ, अनुबंधों की पूर्णता की अपेक्षित लागत, सुधारात्मक लागतों के लिए प्रावधान, उचित मूल्य मापन आदि शामिल हैं। यदि वास्तविक परिणाम और अनुमानों के बीच कोई अंतर है, तो इसे उस अवधि में मान्यता प्राप्त होती है जिसमें परिणाम ज्ञात होते हैं।

### च) वर्तमान और गैर-वर्तमान वर्गीकरण के लिए परिचालन चक्र

कंपनी की व्यावसायिक गतिविधियों के लिए परिसंचालन चक्र विशेष परियोजना/अनुबंध/सेवा की अवधि को शामिल करता है, जिसमें लागू होने पर दोष जिम्मेदारी अवधि शामिल है और यह तय की गई क्रेडिट अवधि के भीतर प्राप्तियों (प्राधिकरण राशि सहित) की वास्तविकता तक फैला होता है, जो सामान्यतः संबंधित व्यवसायिक क्षेत्रों और कंपनियों के अधिनियम, 2013 के अनुसूची III में निर्धारित अन्य मानदंडों के लिए लागू होता है।

### छ) संपत्ति, संयंत्र और उपकरण (पीपीई)

पीपीई को तब मान्यता दी जाती है जब यह संभावना हो कि संबंधित वस्तु के साथ भविष्य के आर्थिक लाभ कंपनी को प्राप्त होंगे और वस्तु की लागत को विश्वसनीयता से मापा जा सकता है। पीपीई को लागत पर दर्शाया जाता है, जिसमें कर/शुल्क (उनके अलावा जो वसूल किए जा सकते हैं)

# वित्तीय विवरणों हेतु नोट

31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष के लिए

शामिल नहीं है, यदि कोई हो, संचयी मूल्यह्रास और संचयी हानि घटाकर। लागत में ऐसे परिसंपत्तियों की अधिग्रहण और स्थापना से संबंधित व्यय शामिल है, यदि कोई हो। संपत्ति, संयंत्र और उपकरण से संबंधित बाद के व्यय को केवल तभी पूंजीकरण किया जाता है जब यह संभावना हो कि संबंधित वस्तु के साथ भविष्य के आर्थिक लाभ कंपनी को प्राप्त होंगे और वस्तु की लागत को विश्वसनीयता से मापा जा सकता है। सभी अन्य मरम्मत और रखरखाव के खर्च को व्यय के रूप में लाभ और हानि के विवरण में शामिल किया जाता है। स्वामित्व वाली परिसंपत्तियों में संवर्द्धन या ह्रास पर मूल्यह्रास (Depreciation) का गणना उनकी उपयोग अवधि के अनुपात (pro-rata basis) में की जाती है। ऐसे स्पेयर पार्ट्स और सेवाक्षमता उपकरण , जो संपत्ति, संयंत्र और उपकरण (की परिभाषा को पूरा करते हैं तथा जिनका उपयोग एक वर्ष से अधिक अवधि के लिए अपेक्षित है, उन्हें पीपीई के रूप में मान्यता दी जाती है। अन्य सभी स्पेयर पार्ट्स और सेवाक्षमता उपकरणों को इनवेंट्रि के रूप में वर्गीकृत किया जाता है।

₹10,000/- या उससे कम लागत वाले संपत्ति, संयंत्र एवं उपकरण को अधिग्रहण के वर्ष में ही पूर्ण रूप से मूल्यहासित (fully depreciated) कर दिया जाता है।

फ्रीहोल्ड भूमि को ऐतिहासिक लागत पर दर्ज किया जाता है। जहां किसी संपत्ति के एक भाग ("संपत्ति घटक") की लागत संपत्ति की कुल लागत के सापेक्ष महत्वपूर्ण होती है और उस भाग की उपयोगी अवधि शेष संपत्ति की उपयोगी अवधि से भिन्न होती है, उस महत्वपूर्ण भाग की उपयोगी जीवन को अलग से निर्धारित किया जाता है और ऐसे संपत्ति घटक को इसके अलग उपयोगी अवधि के आधार पर मूल्यह्रास किया जाता है।

इन परिसंपत्तियों का मूल्यह्रास उस समय शुरू होता है जब परिसंपत्तियाँ उनके निर्धारित उपयोग के लिए तैयार होती हैं, जो सामान्यतः कमीशनिंग के समय पर होती है। मूल्यह्रास की गणना लिखी गई मूल्य पद्धति का उपयोग करके की जाती है ताकि परिसंपत्तियों की लागत (मुक्त भूमि को छोड़कर) को उनके अवशिष्ट मूल्यों को घटाकर, 2013 के कंपनी अधिनियम की अनुसूची II में निर्दिष्ट उपयोगी अवधि के अनुसार लिखा जा सके, या उन परिसंपत्तियों के मामले में जिनका उपयोगी जीवन तकनीकी मूल्यांकन द्वारा निर्धारित किया गया था, उस निर्धारित उपयोगी जीवन के अनुसार निम्नलिखित अपवाद दिया गया है:

निर्माण उपकरण और सामग्री - उपयोगी जीवन - 5 वर्ष - डब्ल्यूडीवी 45.07%

प्रत्येक वित्तीय वर्ष के अंत में मूल्यह्रास पद्धति की समीक्षा की जाती है ताकि परिसंपत्ति में निहित भावी आर्थिक लाभों के उपभोग के अपेक्षित स्वरूप को दर्शाया जा सके। अनुमानित उपयोगी जीवन और अवशिष्ट मूल्यों की भी प्रत्येक वित्तीय वर्ष के अंत में समीक्षा की जाती है और उपयोगी जीवन/अवशिष्ट मूल्य के अनुमानों में किसी भी परिवर्तन के प्रभाव को भावी आधार पर लेखाबद्ध किया जाता है।

संपत्ति, संयंत्र और उपकरण की वहन राशि को निपटान के मामले में या जब इसके उपयोग या निपटान से भविष्य में कोई आर्थिक लाभ अपेक्षित न हो, अमान्य कर दिया जाता है।

## ज) क्षति

जब भी घटनाओं या परिस्थितियों में परिवर्तन से संकेत मिलता है कि वहन राशि वसूली योग्य नहीं हो सकती, तो पीपीई की क्षति के लिए जाँच की जाती है। यदि कोई मूल्यह्रास हानि होती है, तो वह उस सीमा तक प्रदान की जाती है, जब परिसंपत्तियों या नकदी उत्पन्न करने वाली इकाइयों की वहन राशि उनकी वसूली योग्य राशि से अधिक हो।

वसूली योग्य राशि किसी परिसंपत्ति के शुद्ध विक्रय मूल्य और उसके उपयोग मूल्य में से जो अधिक हो, वह होती है। उपयोग मूल्य, किसी परिसंपत्ति या नकदी उत्पादक इकाई के निरंतर उपयोग और उसके उपयोगी जीवन के अंत में उसके निपटान से उत्पन्न होने वाले अनुमानित भावी नकदी प्रवाह का वर्तमान मूल्य है। मूल्यह्रास हानि को लाभ-हानि विवरण में तुरंत दर्ज किया जाता है और परिसंपत्ति या नकदी उत्पादक इकाई की अग्रणीत राशि को उसकी वसूली योग्य राशि तक घटा दिया जाता है।

## झ) पट्टे

**कंपनी 1 अप्रैल 2019 से भारतीय लेखा मानक 116 'लीज' का पालन कर रही है।**

पट्टे पर ली गई संपत्तियों को पूंजीकृत किया जाता है और वित्तीय विवरण में उपयोग के अधिकार वाली संपत्तियों के रूप में अलग से दर्शाया जाता है। पट्टे के किराये को ब्याज, मूल्यह्रास और मूलधन के बीच आवंटित किया जाता है। ब्याज और मूल्यह्रास शुल्क लाभ-हानि विवरण में दर्ज किए जाते हैं और मूलधन को पट्टे के दायित्वों में समायोजित किया जाता है।

# वित्तीय विवरणों हेतु नोट

31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष के लिए

**पहले वित्त पट्टों के रूप में वर्गीकृत पट्टे**

कंपनी ने पहले से वित्त पट्टों के रूप में वर्गीकृत पट्टों के लिए प्रारंभिक आवेदन की तिथि पर मान्यता प्राप्त परिसंपत्तियों की प्रारंभिक वहन राशि में कोई परिवर्तन नहीं किया (अर्थात, उपयोग के अधिकार वाली परिसंपत्तियां भारतीय लेखा मानक 17 के तहत मान्यता प्राप्त पट्टा परिसंपत्तियों के बराबर हैं)।

**पहले परिचालन पट्टों के रूप में हिसाब में लिए पट्टे**

कंपनी ने अल्पकालिक पट्टों और कम मूल्य वाली अंतर्निहित पट्टाकृत परिसंपत्तियों को छोड़कर, उन पट्टों के लिए उपयोग-अधिकार परिसंपत्तियों और पट्टा देनदारियों को मान्यता दी है जिन्हें पहले परिचालन पट्टों के रूप में वर्गीकृत किया गया था। कंपनी शेष पट्टा भुगतानों के वर्तमान मूल्य पर मापी गई पट्टा देनदारी को मान्यता देती है, जिसे प्रारंभिक आवेदन की तिथि पर कंपनी की वृद्धिशील उधार दर का उपयोग करके छूट दी जाती है और तदनुसार उपयोग-अधिकार परिसंपत्ति को पट्टा देनदारी के बराबर राशि पर मापा जाता है।

कंपनी ने निम्नलिखित उपलब्ध व्यावहारिक उपायों को लागू किया:

(i) अल्पकालिक पट्टों से उन पट्टों को छूट दी जाएगी जिनकी पट्टा अवधि प्रारंभिक आवेदन की तिथि से 12 महीने के भीतर समाप्त हो जाती है और कुल पट्टा अवधि 12 महीने से कम है।

(ii) कम मूल्य पट्टा छूट उन पट्टों के लिए है जहां अंतर्निहित परिसंपत्ति कम मूल्य की है। (50,000 रुपये से कम मूल्य की परिसंपत्तियां)

## ञ) बिक्री के लिए रखी गई गैर-वर्तमान संपत्तियां

कंपनी गैर-वर्तमान परिसंपत्तियों (या निपटान समूह) को 'बिक्री के लिए रखी गईं' के रूप में वर्गीकृत करती है यदि उनकी अग्रणीत राशि मुख्य रूप से बिक्री के माध्यम से वसूल की जाएगी न कि निरंतर उपयोग के माध्यम से और बिक्री अत्यधिक संभावित है, अर्थात बिक्री को पूरा करने के लिए आवश्यक कार्रवाई यह दर्शाती है कि यह संभावना नहीं है कि बिक्री में महत्वपूर्ण परिवर्तन किए जाएंगे या बिक्री का निर्णय वापस लिया जाएगा।

बिक्री के लिए रखी गई गैर-चालू परिसंपत्तियों (या निपटान समूह) को उनकी अग्रणीत राशि और उचित मूल्य में से बिक्री लागत घटाकर जो भी कम हो, उस पर मापा जाता है। बिक्री के लिए रखी गई परिसंपत्तियों और देनदारियों को तुलन पत्र में अलग-अलग प्रस्तुत किया जाता है। संपत्ति, संयंत्र और उपकरण और एक बार बिक्री के लिए रखी गई परिसंपत्तियों को मूल्यह्रास या परिशोधन नहीं किया जाता है।

## ट) इन्वेंट्री का मूल्यांकन

पूर्ण आकार और निर्माण प्रक्रिया में उपयोग योग्य बचे हुए/कटे हुए स्टील स्टॉक का मूल्यांकन लागत और शुद्ध प्राप्ति योग्य मूल्य में से जो भी कम हो, उस पर किया जाता है। स्टील स्टॉक की लागत मापने के लिए भारित औसत सूत्र का उपयोग किया जाता है। कच्चे माल के साइट स्टॉक का मूल्यांकन लागत और शुद्ध प्राप्ति योग्य मूल्य में से जो भी कम हो, उस पर किया जाता है और फीफो (FIFO) लागत सूत्र का उपयोग किया जाता है।

संरचनात्मक कार्यों के मामले में, उत्पादन के सभी चरणों को शामिल न करने वाले कार्यों का मूल्यांकन भारित औसत लागत सूत्र का उपयोग करते हुए लागत और शुद्ध प्राप्ति योग्य मूल्य में से जो भी कम हो, उस पर किया जाता है।

कार्य/स्थलों पर उपभोग्य सामग्रियों और स्क्रैप सहित अन्य सामग्रियों का मूल्यांकन FIFO लागत फार्मूले का उपयोग करते हुए लागत और शुद्ध प्राप्ति योग्य मूल्य में से जो भी कम हो, उस पर किया जाता है।

हावड़ा वर्क्स और परियोजना स्थलों पर औजारों और उपकरणों का मूल्य क्रमशः भारित औसत लागत सूत्र और FIFO विधि का उपयोग करके निर्धारित किया जाता है।

अप्रचलित, अनुपयोगी और अधिशेष भंडारों और पुर्जों के मूल्य में कमी की समीक्षा करके उसका आकलन और प्रावधान किया जाता है।

## ठ) राजस्व मान्यता

कंपनी ग्राहकों के साथ अनुबंधों से राजस्व की पहचान तब करती है जब वह वादा किए गए सामान या सेवा को ग्राहक को हस्तांतरित करके निष्पादन दायित्व को पूरा करती है। प्रदर्शन दायित्व को पूरा करने के लिए आवंटित लेनदेन मूल्य की सीमा तक राजस्व की पहचान की जाती है। निष्पादन दायित्व को समय के साथ पूरा किया जाता है क्योंकि संपत्ति के नियंत्रण का हस्तांतरण ग्राहक को समय के साथ किया जाता है और राजस्व की पहचान प्रदर्शन दायित्व की पूर्ण संतुष्टि की दिशा में प्रगति को मापकर की जाती है।

# वित्तीय विवरणों हेतु नोट

31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष के लिए

लेन-देन मूल्य के आवंटन के लिए, कंपनी ने अनुबंधों के निष्पादन दायित्व से संबंधित राजस्व को उसके सापेक्ष विक्रय मूल्य के आधार पर मापा है। अनुबंध गतिविधि के समापन के चरण के संदर्भ में, समापन प्रतिशत विधि के अंतर्गत राजस्व की पहचान की जाती है। समापन चरण को उस अनुपात की गणना करके मापा जाता है जो अब तक हुई लागतों और अनुबंध की अनुमानित कुल लागतों के बीच है। समापन प्रतिशत विधि के अंतर्गत राजस्व के निर्धारण में अनुबंधों की प्रकृति के आधार पर प्रबंधन अनुमान शामिल होते हैं, जैसा कि नीचे निर्दिष्ट है:

क) परियोजना प्रबंधन परामर्श कार्य के मामले में, जहां कुल निष्पादन, बिलिंग, संग्रहण, करों के अनुपालन सहित दोष देयता (डीएलपी) आदि की जिम्मेदारी कंपनी पर है, राजस्व की पहचान लागत और मार्जिन के आधार पर प्रतिशत पूर्णता पद्धति पर की जाएगी।

ख) अन्य निर्माण के संबंध में, कंपनी माल या सेवाओं का नियंत्रण ग्राहक को हस्तांतरित करती है और प्रदर्शन दायित्व की संतुष्टि के आधार पर राजस्व को मान्यता देती है।

ग) वर्ष के अंत में, निष्पादित लेकिन बिल नहीं किए गए कार्यों का लेखा-जोखा आंतरिक इंजीनियरों द्वारा प्रमाणन के आधार पर किया जाता है।

घ) माल और सेवाओं की बिक्री से प्राप्त राजस्व ग्राहक को नियंत्रण हस्तांतरित होने तथा अनुबंध के तहत निष्पादन दायित्व की संतुष्टि पर मान्यता प्राप्त होती है।

कंपनी तत्काल अपेक्षित हानि को मान्यता देती है, जब यह सम्भावना होती है कि कुल अनुबंध लागत कुल अनुबंध राजस्व से अधिक है।

जिन अनुबंधों के परिणामस्वरूप राजस्व बिलिंग से अधिक माना जाता है, उन्हें वित्तीय स्थिति के विवरण में अनुबंध परिसंपत्तियों के रूप में प्रस्तुत किया जाता है। ग्राहकों से बिल की गई और देय राशि को वित्तीय स्थिति के विवरण में वित्तीय परिसंपत्तियों के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। अंतिम अनुबंध निपटान तक ग्राहक द्वारा रखे गए भुगतान का हिस्सा एक महत्वपूर्ण वित्तपोषण घटक नहीं माना जाता है क्योंकि इसका उद्देश्य आमतौर पर ग्राहक को अनुबंध के तहत निर्दिष्ट कंपनी के शेष प्रदर्शन के लिए सुरक्षा का एक रूप प्रदान करना होता है, जो उद्योग अभ्यास के अनुरूप है।

**निक्षेपागार अनुबंधों से उत्पन्न होने वाली संविदा परिसंपत्तियों को उन अनुबंधों के विरुद्ध प्राप्त जमा राशि को घटाकर दर्शाया जाता है। यदि संविदा परिसंपत्तियां जमा राशि से अधिक हैं तो शुद्ध शेष राशि को 'अन्य चालू परिसंपत्तियों' के भाग के रूप में दर्शाया जाता है और यदि जमा राशि संविदा परिसंपत्तियों से अधिक हैं तो उन्हें 'अन्य चालू देनदारियों' के भाग के रूप में दर्शाया जाता है।**

देयता को अग्रिम भुगतान के लिए मान्यता दी जाती है और इसे एक महत्वपूर्ण वित्तीय घटक नहीं माना जाता क्योंकि इसका उपयोग परियोजना के निष्पादन के समय कार्यशील पूंजी की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए किया जाता है। इसे वित्तीय स्थिति विवरण में अनुबंध देयता के रूप में प्रस्तुत किया जाता है।

चालू वर्ष में प्रकट की गई 'अनुबंध परिसंपत्तियाँ', जो "**बिलिंग से अधिक मान्यता प्राप्त राजस्व**" का प्रतिनिधित्व करती हैं अनुबंध परिसंपत्ति के भाग के रूप में प्रस्तुत की गई हैं।

वर्तमान वर्ष में प्रकटित संविदा देनदारियां, जो "अग्रिम में प्राप्त आय" को दर्शाती हैं, पिछले वर्ष में अन्य चालू देनदारियों के भाग के रूप में प्रस्तुत की गई हैं।

**अन्य आय-** अन्य आय को तब हिसाब में लिया जाता है जब ऐसी आय प्राप्त करने का अधिकार उत्पन्न होता है और आय की राशि को विश्वसनीय रूप से मापा जा सकता है।

## ड) विदेशी मुद्रा लेनदेन

कंपनी के वित्तीय विवरण भारतीय रुपये में प्रस्तुत किए जाते हैं, जो कार्यात्मक मुद्रा है। कार्यात्मक मुद्रा के अलावा कोई भी अन्य मुद्रा विदेशी मुद्रा है।

विदेशी मुद्राओं में लेन-देन, लेन-देन की तिथि पर प्रचलित विनिमय दर पर या लेन-देन की तिथि पर अनुमानित वास्तविक दर पर दर्ज किए जाते हैं। विदेशी मुद्राओं में अंकित मौद्रिक आस्तियों और देनदारियों को रिपोर्टिंग तिथि पर अंतिम विनिमय दरों पर कार्यात्मक मुद्रा में परिवर्तित किया जाता है। मौद्रिक मदों के निपटान या स्थानांतरण पर उत्पन्न विनिमय अंतरों को लाभ-हानि विवरण में दर्ज किया जाता है।

## ढ) कर्मचारी लाभ

### a. अल्पकालिक कर्मचारी लाभ:

सेवा प्रदान करने के बारह महीनों के भीतर देय होने वाले सभी लाभ जैसे वेतन, मजदूरी, गैर-मौद्रिक लाभ,

# वित्तीय विवरणों हेतु नोट

31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष के लिए

को अल्पकालिक कर्मचारी लाभ के रूप में वर्गीकृत किया जाता है और उस अवधि में हिसाब में लिया जाता है जिसमें कर्मचारी संबंधित सेवा प्रदान करता है।

**b. रोज़गार-पश्चात लाभ योजनाएँ:**

**i. परिभाषित योगदान योजना**

परिभाषित अंशदान योजना एक रोजगार-पश्चात लाभ योजना है जिसके अंतर्गत कंपनी किसी पृथक इकाई को निर्दिष्ट अंशदान देती है। कंपनी भविष्य निधि और पेंशन योजना के लिए निर्दिष्ट मासिक अंशदान करती है। कंपनी के अंशदान को उस अवधि के दौरान लाभ-हानि विवरण में एक व्यय के रूप में दर्शाया जाता है, जिसमें कर्मचारी संबंधित सेवा प्रदान करता है।

**ii. परिभाषित लाभ योजनाएँ**

ग्रेच्युटी लाभ से संबंधित देयता की गणना अनुमानित इकाई ऋण पद्धति का उपयोग करके की जाती है, जिसका बीमांकिक मूल्यांकन प्रत्येक बैलेंस शीट तिथि पर किया जाता है। ग्रेच्युटी देयता राशि, कर्मचारियों को ग्रेच्युटी के भुगतान के लिए विशेष रूप से गठित स्वीकृत ग्रेच्युटी निधि में योगदान की जाती है। बीमांकिक लाभ और हानि को उस अवधि के लिए अन्य व्यापक आय विवरण में दर्शाया जाता है जिसमें वे घटित होते हैं। बैलेंस शीट में अंकित सेवानिवृत्ति लाभ दायित्व, परिभाषित लाभ दायित्व के वर्तमान मूल्य को, योजना परिसंपत्तियों के उचित मूल्य से घटाकर, दर्शाता है।

**c. अन्य कर्मचारी लाभ:**

क्षतिपूर्ति अवकाश के संबंध में देयता को लाभ एवं हानि खाते में बीमांकिक मूल्यांकन के अनुसार मान्यता दी जाती है। उपयोगकर्ताओं को उपयोगी जानकारी प्रदान करने और परिभाषित लाभ योजना के संशोधन, कटौती या निपटान पर वित्तीय विवरणों की समझ को बढ़ाने के लिए, कंपनी बीमांकिक अनुमान को अद्यतन करती है - शुद्ध परिभाषित लाभ देयता (परिसंपत्ति) को मापती है, और वार्षिक रिपोर्टिंग अवधि (योजना संशोधन, कटौती या निपटान के बाद) के शेष के लिए वर्तमान सेवा लागत और शुद्ध ब्याज का निर्धारण करने के लिए अद्यतन मान्यताओं और संशोधित शुद्ध परिभाषित लाभ देयता (परिसंपत्ति) का उपयोग करती है।

**ण) उधार लेने की लागत**

योग्य परिसंपत्तियों (अर्थात, ऐसी परिसंपत्तियाँ जिन्हें अपने इच्छित उपयोग के लिए तैयार होने में पर्याप्त समय लगता है) के अधिग्रहण से संबंधित उधार लागत को उस तिथि तक लागत में जोड़ दिया जाता है जब तक कि ऐसी परिसंपत्तियाँ अपने इच्छित उपयोग के लिए तैयार न हो जाएँ। अन्य उधार लागतें उस अवधि में व्यय की जाती हैं जिसमें वे खर्च की गईं।

**त) आय पर कर**

अवधि के लिए कर व्यय में वर्तमान और आस्थगित कर शामिल हैं। कर को लाभ और हानि के विवरण में मान्यता दी जाती है। टैक्सियाँ, उस सीमा तक को छोड़कर जो अन्य व्यापक आय में मान्यता प्राप्त मदों या सीधे इक्विटी से संबंधित हैं।

**वर्तमान कर**

वर्तमान कर परिसंपत्तियों और देनदारियों को उस राशि पर मापा जाता है, जो कर दरों और कर कानूनों के आधार पर कर अधिकारियों से वसूल की जानी है या उन्हें भुगतान की जानी है, जो रिपोर्टिंग तिथि पर लागू या मूलरूप से लागू कर दरों और कानूनों पर आधारित होती है।

**आस्थगित कर**

आस्थगित कर को वित्तीय विवरणों में परिसंपत्तियों और देनदारियों की वहन राशि और कर योग्य आय की गणना में प्रयुक्त परिसंपत्तियों और देनदारियों के कर आधारों के बीच अस्थायी अंतरों पर मान्यता दी जाती है।

आस्थगित कर परिसंपत्तियों और देनदारियों को उन कर दरों पर मापा जाता है, जो उस अवधि में लागू होने की उम्मीद होती है, जिसमें देयता का निपटान किया जाता है या परिसंपत्ति का एहसास होता है, जो कर दरों और कर कानूनों पर आधारित होता है, जिन्हें रिपोर्टिंग अवधि के अंत तक अधिनियमित या मूल रूप से अधिनियमित किया गया है।

आस्थगित कर देनदारियों और परिसंपत्तियों की वहन राशि की समीक्षा प्रत्येक रिपोर्टिंग तिथि के अंत में की जाती है।

**थ) दावा**

शुल्क वापसी, नकद प्रोत्साहन, बीमा और अन्य सभी दावों को, लेन-देन की प्रकृति के अनुसार, प्राप्ति/निपटान के आधार पर, बिक्री/कार्य के मूल्य/दावों के रूप में हिसाब में लिया गया है।

# वित्तीय विवरणों हेतु नोट

31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष के लिए

**द) प्रावधान, आकस्मिक देयताएं और आकस्मिक परिसंपत्तियां:**

खातों में प्रावधान तब शामिल किया जाता है जब पिछली घटना(ओं) के परिणामस्वरूप कोई वर्तमान दायित्व मौजूद हो और यह संभावना हो कि दायित्व के निपटान के लिए संसाधनों का बहिर्वाह आवश्यक होगा और एक विश्वसनीय अनुमान लगाया जा सकता है। प्रावधानों को उनके वर्तमान मूल्य पर छूट नहीं दी जाती है और रिपोर्टिंग तिथि पर दायित्व के निपटान के लिए आवश्यक सर्वोत्तम अनुमान के आधार पर पुनर्निर्धारित किया जाता है। इन अनुमानों की प्रत्येक रिपोर्टिंग तिथि पर समीक्षा की जाती है और वर्तमान सर्वोत्तम अनुमानों को दर्शाने के लिए समायोजित किया जाता है।

आकस्मिक देनदारियों का खुलासा भारतीय लेखा मानक (इंड एएस) -37 के अनुसार किया जाता है, जब तक कि संसाधनों के बहिर्वाह की संभावना न के बराबर हो। आकस्मिक परिसंपत्तियों का खुलासा तब किया जाता है जब आर्थिक लाभों का अंतर्वाह संभावित हो। प्रावधानों, आकस्मिक देनदारियों और आकस्मिक परिसंपत्तियों की प्रत्येक तुलन पत्र तिथि पर समीक्षा की जाती है।

**ध) प्रति शेयर आय (ईपीएस)**

मूल ईपीएसए राशि की गणना इक्विटी धारक को देय वार्षिक लाभ को वर्ष के दौरान बकाया इक्विटी शेयरों की भारित औसत संख्या से विभाजित करके की जाती है।

विलीनीत ईपीएस राशि की गणना (यदि आवश्यक हो) इक्विटी धारकों को देय लाभ को अवधि के दौरान बकाया इक्विटी शेयरों की भारित औसत संख्या से विभाजित करके की जाती है, साथ ही संपूर्ण विलीनीत संभावित इक्विटी शेयर को इक्विटी शेयरों में परिवर्तित करने पर जारी किए जाने वाले इक्विटी शेयरों की भारित औसत संख्या को भी विभाजित किया जाता है।

प्रकटीकरण तब भी किया जाता है जब:

क. ऐसे उपकरण (आकस्मिक रूप से जारी किए जाने योग्य शेयरों सहित) जो भविष्य में प्रति शेयर मूल आय को संभावित रूप से कम कर सकते हैं, लेकिन प्रति शेयर कम आय की गणना में शामिल नहीं किए गए क्योंकि वे प्रस्तुत अवधि के लिए प्रतिविलीनक हैं।

ख. भारतीय लेखा मानक (ईन एस) 33 के अनुच्छेद 64 के अनुसार लेखांकित लेनदेन के अलावा साधारण शेयर लेनदेन या संभावित साधारण शेयर लेनदेन विवरण प्रति शेयर आय, जो रिपोर्टिंग अवधि के बाद होती है और जो अवधि के अंत में बकाया प्रारंभिक शेयरों या संभावित साधारण शेयरों की संख्या में महत्वपूर्ण रूप से परिवर्तित हो जाती, यदि वे लेनदेन रिपोर्टिंग अवधि के अंत से पहले हुए होते।

**न) नकद और नकद समतुल्य**

नकदी और नकदी समतुल्य में बैंक में नकदी और हाथ में नकदी, पारगमन में प्रेषण शामिल हैं जो नकदी की ज्ञात राशि में आसानी से परिवर्तनीय हैं और जो मूल्य में परिवर्तन के एक महत्वहीन जोखिम के अधीन हैं।

**प) वित्तीय साधन**

वित्तीय आस्तियों और वित्तीय देनदारियों को तब मान्यता दी जाती है जब कंपनी लिखतों के संविदात्मक प्रावधानों का पक्षकार बन जाती है। वित्तीय आस्तियों और वित्तीय देनदारियों को शुरू में लेनदेन मूल्य पर मापा जाता है, जिसमें लेनदेन लागत शामिल होती है, या उचित मूल्य पर, जहाँ लेनदेन मूल्य उचित मूल्य से भिन्न होता है।

**i. वित्तीय परिसंपत्तियों का अनुवर्ती मापन**

सभी मान्यता प्राप्त वित्तीय परिसंपत्तियों को वित्तीय परिसंपत्तियों के वर्गीकरण के आधार पर या तो परिशोधित लागत या उचित मूल्य पर उनकी संपूर्णता में मापा जाता है।

**ii. परिशोधित लागत पर वित्तीय परिसंपत्तियों**

अनुवर्ती माप के प्रयोजन के लिए, वित्तीय परिसंपत्तियों को प्रभावी ब्याज दर विधि का उपयोग करके परिशोधित लागत के आंकड़ों से मापा जाता है, यदि निम्नलिखित दोनों शर्तें पूरी होती हैं:

- वित्तीय परिसंपत्ति को एक व्यवसाय मॉडल के अंतर्गत रखा जाता है जिसका उद्देश्य संविदात्मक नकदी प्रवाह एकत्र करने के लिए वित्तीय परिसंपत्तियों को रखना होता है
- वित्तीय परिसंपत्ति प्रदाता की संविदात्मक शर्तें नकदी प्रवाह की निर्दिष्ट तिथियों पर उत्पन्न होती हैं जो केवल बकाया मूल राशि पर मूलधन और ब्याज का भुगतान हैं।

**iii. लाभ या हानि के माध्यम से उचित मूल्य पर वित्तीय परिसंपत्तियाँ**

वित्तीय परिसंपत्तियों को लाभ या हानि के माध्यम से उचित मूल्य पर मापा जाता है, जब तक कि इसे परिशोधित लागत के आधार पर या अन्य व्यापक आय के माध्यम से उचित मूल्य पर नहीं मापा जाता है।

**iv. वित्तीय परिसंपत्तियों की क्षति**

कंपनी प्रत्येक बैलेंस शीट की तारीख पर यह आकलन करती है कि क्या किसी वित्तीय परिसंपत्ति या वित्तीय परिसंपत्तियों के समूह की क्षति हुई है। कंपनी अनुबंध प्राप्तियों पर आजीवन अपेक्षित ऋण हानि के बराबर राशि पर हानि भत्ते की गणना करती है। अपेक्षित ऋण

# वित्तीय विवरणों हेतु नोट

31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष के लिए

हानि का आकलन करते समय, विचार की जाने वाली अवधि असामान्य रूप से लंबे समय से बकाया अवधि [अर्थात, अनुबंध-दर-अनुबंध आधार पर दोष देयता अवधि से तीन वर्ष आगे] अनुबंध की शर्तों से अधिक या उससे अधिक होती है। चूक दरों की समीक्षा की जाती है और भविष्य-उन्मुख अनुमानों में परिवर्तनों का विश्लेषण किया जाता है। वर्ष के दौरान मान्यता प्राप्त क्षति हानि भत्ता लाभ और हानि विवरण में व्यय के रूप में दर्शाया गया है।

**v. वित्तीय परिसंपत्तियों की मान्यता रद्द करना**

वित्तीय परिसंपत्तियों की मान्यता तब समाप्त हो जाती है जब वित्तीय परिसंपत्ति से नकदी प्रवाह के संविदात्मक अधिकार समाप्त हो जाते हैं, या जब वित्तीय परिसंपत्ति और सभी पर्याप्त जोखिम और लाभ स्थानांतरित हो जाते हैं।

**vi. वित्तीय देनदारियों को बाद में परिशोधित लागत के आधार पर मापा गया**

प्रारंभिक मान्यता के बाद, वित्तीय देनदारियों को प्रभावी ब्याज दर पद्धति का उपयोग करके परिशोधित लागत पर मापा जाता है।

**vii. वित्तीय देनदारियों की पहचान रद्द करना**

किसी वित्तीय दायित्व की मान्यता समाप्त हो जाने, उन्मोचित हो जाने, रद्द हो जाने या समाप्त हो जाने पर उसे अमान्य कर दिया जाता है। अमान्य किए गए वित्तीय दायित्व की वहन राशि और भुगतान किए गए तथा देय प्रतिफल के बीच के अंतर को लाभ-हानि विवरण में मान्य किया जाता है।

**viii. नकारात्मक मुआवजे के साथ पूर्व भुगतान सुविधाओं वाले वित्तीय साधनों का वर्गीकरण**

नकारात्मक मुआवजे के साथ पूर्व भुगतान सुविधा वाले वित्तीय साधनों को भारतीय लेखा मानक 109 के तहत निर्दिष्ट संबंधित शर्तों के अनुसार "परिशोधित लागत के आधार पर मापित डेटा", या "लाभ या हानि के माध्यम से उचित मूल्य पर मापित" या "अन्य व्यापक आय के माध्यम से उचित मूल्य पर मापित" के रूप में वर्गीकृत किया जाता है।

**v) नई घोषणा**

भारतीय लेखा मानक 116 - पट्टे: 9 सितंबर, 2024 को, कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय ने बिक्री और लीज़बैक लेनदेन से संबंधित भारतीय लेखा मानक 116 में संशोधन जारी किए। यह संशोधन विक्रेता-पट्टेदार द्वारा बिक्री और लीज़बैक लेनदेन में होने वाले परिवर्तनशील लीज़ भुगतानों के लेखांकन के तरीके को प्रभावित करेगा। ये संशोधन परिवर्तनशील भुगतानों के लिए एक नया लेखा मॉडल प्रस्तुत करते हैं और विक्रेता-पट्टेदारों को बिक्री और लीज़बैक लेनदेन का पुनर्मूल्यांकन और संभावित रूप से पुनर्गणना करने की आवश्यकता होगी।

भारतीय लेखा ब्यूरो (इंड एएस) 117 - बीमा अनुबंध: कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय ने 12 अगस्त, 2024 को एक अधिसूचना जारी की है, जिसमें बीमा अनुबंधों के लेखांकन हेतु भारतीय लेखा ब्यूरो (इंड एएस) 117, बीमा अनुबंधों को शामिल किया गया है। यह वर्तमान मानक भारतीय लेखा ब्यूरो (इंड एएस) 104, बीमा अनुबंधों का स्थान लेगा। ये संशोधन 12 अगस्त, 2024 से लागू होंगे।

इसके अतिरिक्त भारतीय लेखा मानक 101, भारतीय लेखा मानक को पहली बार अपनाना, भारतीय लेखा मानक 103, व्यवसाय संयोजन, भारतीय लेखा मानक 105, बिक्री के लिए रखी गई गैर-वर्तमान संपत्तियां और बंद किए गए परिचालन, भारतीय लेखा मानक 107, वित्तीय उपकरण: प्रकटीकरण, भारतीय लेखा मानक 109, वित्तीय उपकरण और भारतीय लेखा मानक 115, ग्राहकों के साथ अनुबंधों से राजस्व में संशोधन किए गए हैं ताकि उन्हें भारतीय लेखा मानक 117 के साथ संरेखित किया जा सके। संशोधनों में बीमा अनुबंधों से जुड़े वित्तीय उपकरणों के बारे में स्पष्टता प्रदान करने के लिए विशेष रूप से भारतीय लेखा मानक 107 में उन्नत प्रकटीकरण आवश्यकताओं को भी पेश किया गया है।

उपरोक्त संशोधन प्रासंगिक नहीं है या कंपनी के वित्तीय विवरणों पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता। कंपनी ने अभी तक कोई भी मानक, व्याख्या या संशोधन नहीं अपनाया है जो जारी किया गया हो लेकिन अभी तक प्रभावी नहीं है।

# वित्तीय विवरणों हेतु नोट

31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष के लिए

## टिप्पणी 2: संपत्ति, संयंत्र और उपकरण

(आंकड़े लाख रु. में)

| विवरण | भूमि | इमारतें, सड़क बाड़ / कारखाना भवन | गैर-फ़ैक्ट्री भवन | संयंत्र और मशीनरी | विद्युत प्रतिष्ठान | कंप्यूटर, टाइपराइटर, अकाउंटिंग मशीन | फर्नीचर और फिटिंग | पंप, ट्यूबवेल और सर्वेक्षण उपकरण | वाहन | कुल |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **संक्रमण तिथि के अनुसार अनुमानित लागत: 1 अप्रैल 2023** | **14.14** | **4.32** | **52.44** | **8205.39** | **146.2** | **504.18** | **811.98** | **1602.08** | **998.18** | **12338.91** |
| 2023-24 के दौरान परिवर्धन | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 238.52 | 12.28 | 135.23 | 71.30 | 3.26 | 0.00 | 460.59 |
| 2023-24 के दौरान निपटान | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.13 | 0.05 | 0.25 | 0.00 | 2.59 | 2.62 | 10.64 |
| अन्य समायोजन (निपटान हेतु रोके गए) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13.44 | -5.07 | 5.12 | -0.05 | -13.44 | 0.00 | 0.00 |
| **31 मार्च 2024 तक लागत** | **14.14** | **4.32** | **52.44** | **8452.22** | **153.36** | **644.28** | **883.23** | **1589.31** | **995.56** | **12788.86** |
| इस वर्ष के दौरान परिवर्धन | 0.00 | 0.00 | 1.67 | 62.25 | 11.03 | 88.93 | 157.52 | 17.34 | 0.00 | 338.74 |
| इस वर्ष के दौरान निपटान | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 39.43 | 0.00 | 0.18 | 0.00 | 2.07 | 8.94 | 50.62 |
| अन्य समायोजन | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **31 मार्च 2025 तक सकल ब्लॉक** | **14.14** | **4.32** | **54.11** | **8475.04** | **164.39** | **733.03** | **1040.75** | **1604.58** | **986.62** | **13076.98** |
| **मूल्यह्रास/परिशोधन** | | | | | | | | | | |
| **1 अप्रैल 2023 तक** | **0.28** | **1.63** | **27.82** | **5561.67** | **87.21** | **399.38** | **553.91** | **1073.09** | **721.44** | **8426.43** |
| वर्ष 2023-24 के दौरान प्रभार | 0.00 | 0.10 | 1.20 | 559.75 | 13.02 | 67.73 | 70.11 | 95.15 | 49.81 | 856.87 |
| अन्य समायोजन | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| निपटान पर | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **31 मार्च 2024 तक** | **0.28** | **1.73** | **29.02** | **6121.42** | **100.23** | **467.11** | **624.02** | **1168.24** | **771.25** | **9283.30** |
| इस वर्ष के दौरान प्रभार | 0.00 | 0.21 | 1.14 | 385.22 | 12.47 | 91.95 | 99.88 | 73.63 | 34.26 | 698.76 |
| अन्य समायोजन | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| निपटान | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **31 मार्च 2025 तक** | **0.28** | **1.94** | **30.16** | **6506.64** | **112.70** | **559.06** | **723.90** | **1241.87** | **805.51** | **9982.06** |
| **नेट ब्लॉक** | | | | | | | | | | |
| **31 मार्च 2025 को** | **13.86** | **2.38** | **23.95** | **1968.40** | **51.69** | **173.97** | **316.85** | **362.71** | **181.11** | **3094.92** |
| **31 मार्च 2024 को** | **13.86** | **2.59** | **23.42** | **2330.80** | **53.13** | **177.17** | **259.21** | **421.07** | **224.31** | **3505.56** |

# वित्तीय विवरणों हेतु टिप्पणी

31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष के लिए

## नोट 3: संपत्ति के उपयोग का अधिकार

(आंकड़े लाख रु. में)

| अचल परिसंपत्तियां | सकल वहन राशि | | | | संचित परिशोधन | | | | शुद्ध वहन राशि | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 अप्रैल 2024 तक शेष राशि | वर्ष के लिए परिवर्धन | कटौती/ समायोजन | 31 मार्च 2025 तक शेष राशि | 1 अप्रैल 2024 तक शेष राशि | वर्ष के दौरान परिशोधित | कटौती/ समायोजन | 31 मार्च 2025 तक शेष राशि | 31 मार्च 2025 तक शेष राशि | 1 अप्रैल 2024 तक शेष राशि |
| **आरओयू परिसंपत्तियां** | | | | | | | | | | |
| (i) भूमि | 40.31 | | - | 40.31 | 27.06 | 1.09 | - | 28.15 | 12.16 | 13.25 |
| (ii) कारखाने की इमारत | 12.17 | | - | 12.17 | 4.52 | 0.17 | - | 4.69 | 7.48 | 7.65 |
| (iii) अन्य परिसर | 860.28 | 948.77 | (34.47) | 1,774.58 | 328.67 | 352.86 | (32.50) | 649.03 | 1,125.55 | 531.61 |
| **कुल** | **912.76** | **948.77** | **(34.47)** | **1,827.06** | **360.25** | **354.12** | **(32.50)** | **681.87** | **1,145.19** | **552.51** |

# वित्तीय विवरणों हेतु नोट

31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष के लिए

## नोट 4: अन्य वित्तीय परिसंपत्तियाँ – गैर-वर्तमान

(₹ लाख में आंकड़े)

| विवरण | 31 मार्च, 2025 तक | 31 मार्च, 2024 तक |
|---|---|---|
| **असुरक्षित लेकिन वसूल योग्य जमा राशियाँ** | | |
| ग्राहक द्वारा रोकी गई जमा राशि | 6,293.15 | 8,909.77 |
| मार्जिन मनी जमा राशि | 857.65 | 782.72 |
| अन्य जमा राशियाँ | 3,453.44 | 2,537.31 |
| **कुल** | 10,604.24 | **12,229.80** |

## नोट 5: आस्थगित कर परिसंपत्तियाँ (शुद्ध)

(₹ लाख में आंकड़े)

| विवरण | 31 मार्च, 2025 तक | 31 मार्च, 2024 तक |
|---|---|---|
| संपत्ति, संयंत्र एवं उपकरण पर मूल्यह्रास | 426.03 | 503.75 |
| चालू परिसंपत्तियों के विरुद्ध प्रावधान | 473.45 | 259.48 |
| अपेक्षित क्रेडिट हानि के लिए प्रावधान | 1,917.62 | 1,606.00 |
| अवकाश नकदीकरण | 1,508.29 | 1,392.45 |
| **कुल** | 4,325.39 | **3,761.68** |

## नोट 6: वस्तुसूची

(₹ लाख में आंकड़े)

| विवरण | 31 मार्च, 2025 तक | 31 मार्च, 2024 तक |
|---|---|---|
| **भंडार (लागत और शुद्ध साकार मूल्य में से जो कम हो उस पर)** | | |
| कच्चा माल | 13046.23 | 10261.74 |
| उपभोज्य एवं अन्य सामग्रियाँ | 148.88 | 194.79 |
| औज़ार एवं उपकरण | 57.50 | 55.65 |
| स्क्रैप स्टॉक | 265.92 | 40.05 |
| अचल भंडार हेतु प्रावधान | (16.50) | (16.50) |
| **कुल** | 13,502.03 | **10,535.73** |

## नोट 7: व्यापार देनदार

(₹ लाख में आंकड़े)

| विवरण | 31 मार्च, 2025 तक | 31 मार्च, 2024 तक |
|---|---|---|
| असुरक्षित, किन्तु अच्छी मानी गई | | |
| अनुबंध देय राशि | 199,403.30 | 126,099.37 |
| व्यापार देनदार | 4,860.58 | 1,538.62 |
| अपेक्षित ऋण हानि समायोजन | (1,788.31) | (1,508.65) |
| **कुल** | 202,475.57 | **126,129.34** |

# वित्तीय विवरणों हेतु नोट

31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष के लिए

## नोट 8: नकद और नकद समकक्ष

(₹ लाख में आंकड़े)

| विवरण | 31 मार्च, 2025 तक | 31 मार्च, 2024 तक |
|---|---|---|
| हाथ में नकद | 1.73 | 0.87 |
| बैंकों में शेष राशि | | |
| चालू खातों में | 10,755.55 | 14,933.91 |
| **कुल** | 10,757.28 | **14,934.78** |

## नोट 9: नकद एवं नकद समकक्ष के अतिरिक्त बैंक शेष

(₹ लाख में आंकड़े)

| विवरण | 31 मार्च, 2025 तक | 31 मार्च, 2024 तक |
|---|---|---|
| गिरवी रखे गए सावधि जमा) | 7,876.23 | 7,226.25 |
| मार्जिन मनी पर ब्याज | 197.20 | 322.31 |
| सावधि जमा (निर्धारित) | - | 17,500.00 |
| निर्धारित लाभांश खाता | 0.27 | 0.14 |
| **कुल** | 8,073.70 | **25,048.70** |

## नोट 10: अन्य वित्तीय परिसंपत्तियाँ – वर्तमान

(₹ लाख में आंकड़े)

| विवरण | 31 मार्च, 2025 तक | 31 मार्च, 2024 तक |
|---|---|---|
| असुरक्षित सुप्राप्त मानी गई: | | |
| प्रतिभूति जमा | 956.31 | 681.54 |
| ग्राहक द्वारा रोके गए जमा | 22,728.21 | 20,487.29 |
| अन्य प्राप्तियाँ | 90,699.98 | 63,711.94 |
| अपेक्षित ऋण हानि समायोजन | (2,108.77) | (892.19) |
| **कुल** | 112,275.73 | **83,988.58** |

## नोट 11: संविदा आस्तियां

(₹ लाख में आंकड़े)

| विवरण | 31 मार्च, 2025 तक | 31 मार्च, 2024 तक |
|---|---|---|
| संविदा आस्तियां | 62,643.86 | 86,954.86 |
| अपेक्षित ऋण हानि समायोजन | (1,048.79) | (1,561.41) |
| **कुल** | 61,595.07 | **85,393.45** |

## नोट 12: वर्तमान कर परिसंपत्तियाँ (शुद्ध)

(₹ लाख में आंकड़े)

| विवरण | 31 मार्च, 2025 तक | 31 मार्च, 2024 तक |
|---|---|---|
| वर्तमान कर परिसंपत्तियाँ (शुद्ध) | 8,202.34 | 9,948.35 |
| **कुल** | 8,202.34 | **9,948.35** |

# वित्तीय विवरणों हेतु नोट

31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष के लिए

## नोट 13: अन्य चालू परिसंपत्तियाँ

(₹ लाख में आंकड़े)

| विवरण | As at 31st March, 2025 | As at 31st March, 2024 |
|---|---|---|
| सरकारी प्राधिकरणों के साथ शेष राशि | 19,967.26 | 20,905.85 |
| पूर्वभुगतान व्यय | 2,162.75 | 2,216.78 |
| अनुबंध के विरुद्ध अग्रिम | 12,627.35 | 11,534.57 |
| अन्य मदें | 643.38 | 737.75 |
| **कुल** | 35,400.74 | **35,394.95** |

## नोट 14: शेयर पूंजी

(₹ लाख में आंकड़े)

| शेयरों का वर्ग | 31 मार्च, 2025 तक | | 31 मार्च, 2024 तक | |
|---|---|---|---|---|
| | शेयरों की संख्या | राशि | शेयरों की संख्या | राशि |
| **अधिकृत पूंजी:** | | | | |
| इक्विटी शेयर (अंकित मूल्य ₹.10/- प्रत्येक) | 60,000,000 | 6,000.00 | 60,000,000 | 6,000.00 |
| **कुल** | **60,000,000** | **6,000.00** | **60,000,000** | **6,000.00** |
| **जारी, अभिदत्त और पूर्णतः चुकता पूंजी:** | | | | |
| इक्विटी शेयर (अंकित मूल्य ₹.10/- प्रत्येक) | 54,987,155 | 5,498.72 | 54,987,155 | 5,498.72 |
| **कुल** | **54,987,155** | **5,498.72** | **54,987,155** | **5,498.72** |

### क) बकाया शेयरों की संख्या का समाधान:

(₹ लाख में आंकड़े)

| शेयरों का वर्ग | 31 मार्च, 2025 तक | | 31 मार्च, 2024 तक | |
|---|---|---|---|---|
| | शेयरों की संख्या | राशि | शेयरों की संख्या | राशि |
| अवधि की शुरुआत में बकाया | 54,987,155 | 5,498.72 | 54,987,155 | 5498.72 |
| अवधि के दौरान अतिरिक्त | - | - | - | - |
| अवधि के दौरान परिपक्व | - | - | - | - |
| **अवधि के अंत तक बकाया** | **54,987,155** | **5,498.72** | **54,987,155** | **5,498.72** |

### ख) इक्विटी शेयरों से जुड़ी शर्तें/अधिकार:

कंपनी के पास केवल एक ही प्रकार की शेयर पूँजी है, अर्थात् ₹10 प्रति शेयर अंकित मूल्य वाले इक्विटी शेयर। प्रत्येक इक्विटी शेयरधारक को प्रति शेयर एक वोट का अधिकार है।

### ग) कंपनी में 5% से अधिक शेयर रखने वाले प्रत्येक शेयरधारक द्वारा धारित शेयरों का विवरण।

| शेयरधारक का विवरण | 31 मार्च, 2025 तक | | 31 मार्च, 2024 तक | |
|---|---|---|---|---|
| | शेयरों की संख्या | शेयर धारण प्रतिशत | शेयरों की संख्या | शेयर धारण प्रतिशत |
| भारत के राष्ट्रपति | 54,627,155 | 99.35% | 54,627,155 | 99.35% |

### घ) प्रमोटरों की शेयरधारिता

| प्रमोटर का नाम | 31 मार्च, 2025 तक शेयरों की संख्या | कुल शेयरों का % | वर्ष के दौरान % परिवर्तन | 31 मार्च, 2024 तक शेयरों की संख्या |
|---|---|---|---|---|
| भारत के राष्ट्रपति | 54,627,155 | 99.35% | शून्य | 54,627,155 |

# वित्तीय विवरणों हेतु नोट

31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष के लिए

## नोट 15: अन्य इक्विटी

(₹ लाख में आंकड़े)

| विवरण | 31 मार्च, 2025 तक | 31 मार्च, 2024 तक |
|---|---|---|
| **सामान्य भंडार** | | |
| पिछली तुलन पत्र के अनुसार शेष | 25,224.31 | 25,224.31 |
| वर्ष के दौरान वृद्धि | - | - |
| वर्ष के दौरान कटौती | - | - |
| **वर्षांत पर शेष राशि** | **25,224.31** | **25,224.31** |
| **अधिशेष / प्रतिधारित आय** | | |
| पिछली तुलन पत्र के अनुसार शेष | 19,988.12 | 13,728.30 |
| वर्ष के दौरान जोड़ा गया लाभ | 10,236.87 | 7,491.53 |
| वर्ष के दौरान कटौती | - | - |
| इंड एएस समायोजन | - | - |
| **विनियोग के लिए उपलब्ध राशि** | **30,224.99** | **21,219.83** |
| सामान्य रिजर्व में स्थानांतरण | | |
| इक्विटी लाभांश | 2,248.97 | 1,231.71 |
| इक्विटी लाभांश पर कर | - | - |
| **वर्ष के अंत में शेष** | **27,976.02** | **19,988.12** |
| **अन्य व्यापक आय** | | |
| पिछली तुलन पत्र के अनुसार शेष | (1,660.20) | (1,545.07) |
| रोजगार के बाद लाभ दायित्वों/परिभाषित लाभ योजना पर बीमांकिक लाभ/(हानि) | (111.18) | (115.13) |
| वर्ष के दौरान कटौती | - | - |
| **वर्ष के अंत में शेष** | **(1,771.38)** | **(1,660.20)** |
| **कुल** | **51,428.95** | **43,552.23** |

### भंडार का स्वरूप और उद्देश्य

#### सामान्य रिजर्व

सामान्य रिजर्व (General Reserve) उन लाभों का प्रतिनिधित्व करता है जिन्हें समय-समय पर उपयुक्त उद्देश्यों हेतु अवशिष्ट आय (Retained Earnings) से सामान्य भंडार में स्थानांतरित किया गया है, जैसा कि पूर्ववर्ती कंपनी अधिनियम, 1956 के प्रावधानों के अनुसार किया जाता था। कंपनी अधिनियम, 2013 के लागू होने के पश्चात शुद्ध लाभ का एक निश्चित प्रतिशत सामान्य भंडार में अनिवार्य रूप से स्थानांतरित करने की आवश्यकता समाप्त कर दी गई है। अब इसका उपयोग कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों के अनुसार किया जा सकता है।

#### प्रतिधारित आय - अधिशेष

अवशिष्ट आय (Retained Earnings) कंपनी के अब तक अर्जित लाभ को दर्शाती है, जिसमें से विनियोजन (appropriations) घटाए जा चुके हैं।

#### अन्य व्यापक आय

यह ग्रेच्युटी तथा अन्य परिभाषित लाभ दायित्वों के बीमांकिक लाभ/हानि के उचित मूल्य में परिवर्तन का प्रतिनिधित्व करता है

## नोट 16: अन्य वित्तीय देनदारियाँ - गैर चालू

(₹ लाख में आंकड़े)

| विवरण | 31 मार्च, 2025 तक | 31 मार्च, 2024 तक |
|---|---|---|
| प्रतिभूति जमा राशि बरकरार रखी गई | 25,377.68 | 16,717.90 |
| अन्य | 35.24 | 85.84 |
| **कुल** | **25,412.92** | **16,803.74** |

# वित्तीय विवरणों हेतु नोट

31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष के लिए

## नोट 17: अन्य वित्तीय देयताएं - गैर वर्तमान

(₹ लाख में आंकड़े)

| विवरण | 31 मार्च, 2025 तक | 31 मार्च, 2024 तक |
|---|---|---|
| कर्मचारी लाभ के लिए प्रावधान-अवकाश | 4,277.49 | 5,303.59 |
| **कुल** | **4,277.49** | **5,303.59** |

## नोट 18: उधार

(₹ लाख में आंकड़े)

| विवरण | 31 मार्च, 2025 तक | 31 मार्च, 2024 तक |
|---|---|---|
| नकद क्रेडिट और डब्ल्यूसीडीएल खाते (मांग पर पुनर्भुगतान योग्य) के साथ: | | |
| भारतीय स्टेट बैंक | 5,370.92 | 8,327.95 |
| बैंक ऑफ महाराष्ट्र | 1,054.12 | 622.68 |
| बैंक ऑफ बड़ौदा | 750.88 | 74.90 |
| इंडियन बैंक | 1,996.63 | 1,188.75 |
| आईसीआईसीआई बैंक | 402.66 | (291.89) |
| पंजाब नेशनल बैंक | 3,581.13 | 2,716.99 |
| एचडीएफसी बैंक | 1,289.79 | - |
| बैंक ऑफ इंडिया | 1,685.18 | 1,040.26 |
| एक्सिस बैंक | 1,498.86 | (6.29) |
| केनरा बैंक | 1,526.02 | 1,397.82 |
| **कुल** | **19,156.19** | **15,071.17** |

कंपनी उपर्युक्त सुविधाएँ कसोर्टियम बैंकों के संघ (Consortium Banks) से प्राप्त कर रही है, जिसमें भारतीय स्टेट बैंक (SBI) प्रधान बैंक है। नकद क्रेडिट (CC) एवं कार्यशील पूंजी मांग ऋण (WCDL) खाते कंपनी के स्टॉक, प्रगति पर चल रहे अनुबंधों तथा देयकों पर हाइपोथिकेशन द्वारा सुरक्षित हैं तथा कंपनी की संपूर्ण स्थायी परिसंपत्तियों / संपत्ति, संयंत्र एवं उपकरणों पर संयुक्त बंधक के माध्यम से सममूल्य अतिरिक्त रूप से सुरक्षित हैं।

## नोट 19: व्यापार देयताएं

(₹ लाख में आंकड़े)

| विवरण | 31 मार्च, 2025 तक | 31 मार्च, 2024 तक |
|---|---|---|
| **स्वीकृतियां** | | |
| सूक्ष्म और लघु उद्यम | 11,815.96 | 9,973.06 |
| अन्य | 240,483.13 | 170,920.03 |
| **कुल** | **252,299.09** | **180,893.09** |

## नोट 20: अन्य वित्तीय देनदारियाँ - वर्तमान

(₹ लाख में आंकड़े)

| विवरण | 31 मार्च, 2025 तक | 31 मार्च, 2024 तक |
|---|---|---|
| अनुबंध के विरुद्ध जमा | 5,231.32 | 2,989.69 |
| दावा न किया गया लाभांश | 0.27 | 0.14 |
| पूंजीगत परिसंपत्तियों के लिए देयता | 25.90 | 11.53 |
| अन्य देय राशियाँ | | |
| प्रतिभूति राशि बरकरार रखी गई | 19,761.46 | 16,341.35 |
| अन्य | 368.61 | 351.33 |
| | **25,387.56** | **19,694.04** |

# वित्तीय विवरणों हेतु नोट

31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष के लिए

## नोट 21: प्रावधान - वर्तमान

(₹ लाख में आंकड़े)

| विवरण | 31 मार्च, 2025 तक | 31 मार्च, 2024 तक |
|---|---|---|
| **कर्मचारी लाभ के लिए प्रावधान** | | |
| बोनस | 129.60 | 128.43 |
| अवकाश | 2,007.63 | 521.30 |
| ग्रेच्यूटी | 363.08 | 392.90 |
| **अन्य प्रावधान** | | |
| पूर्वानुमानित हानि | 2,672.80 | 2,418.34 |
| **कुल** | 5,173.11 | **3,460.97** |

## नोट 22: अन्य वर्तमान देयताएँ

(₹ लाख में आंकड़े)

| विवरण | 31 मार्च, 2025 तक | 31 मार्च, 2024 तक |
|---|---|---|
| अनुबंधों के विरुद्ध प्राप्त अग्रिम | 47,145.37 | 89,223.02 |
| वैधानिक दायित्व | 31,099.38 | 27,520.26 |
| कर्मचारी दायित्व | 3,199.97 | 3,630.67 |
| अन्य | 232.88 | 221.73 |
| **कुल** | **81,677.60** | **120,595.68** |

## नोट 23: परिचालन से राजस्व

(₹ लाख में आंकड़े)

| विवरण | 31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष | 31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष |
|---|---|---|
| **क) सेवाओं की बिक्री** | | |
| अंतर्देशीय - बिल स्वीकृत/भुगतान/निपटान | 452,759.26 | 457,839.36 |
| अनुबंध परिसंपत्तियों में परिवर्तन | (2,204.18) | (58,167.97) |
| | 450,555.08 | 399,671.39 |
| **ख) अन्य परिचालन राजस्व** | | |
| स्क्रैप की बिक्री | 571.53 | 204.03 |
| विविध आय | 564.39 | 581.15 |
| | **1,135.92** | **785.18** |
| **कुल** | **451,691.00** | **400,456.57** |

## नोट 24: अन्य आय

(₹ लाख में आंकड़े)

| विवरण | 31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष | 31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष |
|---|---|---|
| **ब्याज आय :** | | |
| बैंक जमा पर ब्याज | 1,030.93 | 624.43 |
| दूसरों पर ब्याज | 119.53 | 33.44 |
| कर वापसी पर ब्याज | 182.86 | 202.36 |
| वित्तीय साधनों पर ब्याज | 10.25 | 8.75 |
| **अन्य गैर-परिचालन आय:** | | |
| विदेशी मुद्रा में उतार-चढ़ाव (लाभ) | - | 50.71 |
| पीपीई आइटम की बिक्री पर लाभ/(हानि) (शुद्ध) | 168.33 | 9.66 |
| अन्य | - | 42.47 |
| **कुल** | **1,511.90** | **971.82** |

# वित्तीय विवरणों हेतु नोट

31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष के लिए

## नोट 25: उपभोग की गई सामग्री की लागत

(₹ लाख में आंकड़े)

| विवरण | 31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष | 31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष |
|---|---|---|
| वर्ष की शुरुआत में इन्वेंट्री | 10,552.23 | 10,752.21 |
| जोड़ें: खरीदारी | 86,099.30 | 127,872.57 |
| घटाएँ: वर्ष के अंत में इन्वेंट्री | 13,518.54 | 10,552.23 |
| **कुल** | **83,132.99** | **128,072.55** |

## नोट 26: उप-ठेका और अन्य निर्माण व्यय

(₹ लाख में आंकड़े)

| विवरण | 31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष | 31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष |
|---|---|---|
| श्रम और उप-अनुबंध लागत | 303,085.48 | 211,815.69 |
| बिजली और ईंधन | 2,438.37 | 2,821.75 |
| किराया शुल्क | 7,136.57 | 5,367.57 |
| माल ढुलाई और हैंडलिंग शुल्क | 368.78 | 183.22 |
| **कुल** | **313,029.20** | **220,188.23** |

## नोट 27: कर्मचारी लाभ व्यय

(₹ लाख में आंकड़े)

| विवरण | 31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष | 31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष |
|---|---|---|
| वेतन, मजदूरी और भत्ते | 18,674.59 | 19,945.96 |
| भविष्य निधि और अन्य निधियों में योगदान | 1,421.19 | 1,450.72 |
| ग्रेच्युटी फंड व्यय | 218.02 | 243.61 |
| कर्मचारी कल्याण व्यय | 436.35 | 739.31 |
| **कुल** | **20,750.15** | **22,379.60** |

## नोट 28: वित्तीय व्यय

(₹ लाख में आंकड़े)

| विवरण | 31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष | 31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष |
|---|---|---|
| **ब्याज व्यय** | | |
| बैंक उधार | 1,847.15 | 605.84 |
| अन्य | 3,012.97 | 4,795.89 |
| अन्य बैंक शुल्क | 2,256.13 | 2,416.63 |
| **कुल** | **7,116.25** | **7,818.36** |

# वित्तीय विवरणों हेतु नोट

31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष के लिए

## नोट 29: अन्य व्यय

(₹ लाख में आंकड़े)

| विवरण | 31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष | 31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष |
|---|---|---|
| मरम्मत और रखरखाव | | |
| इमारतों | 4.46 | 0.09 |
| संयंत्र और मशीनरी | 222.73 | 360.36 |
| अन्य | - | 0.06 |
| बीमा | 244.46 | 269.88 |
| दरें और कर | 1,825.90 | 194.22 |
| विज्ञापन | 19.41 | 14.16 |
| यात्रा खर्च | 596.69 | 671.84 |
| किराया | 1,670.31 | 1,780.41 |
| परिवहन व्यय | 1,570.89 | 1,431.84 |
| प्रिंटिंग व स्टेशनरी | 144.62 | 166.92 |
| विविध व्यय | 5,399.75 | 3,784.23 |
| कानूनी और व्यावसायिक शुल्क | 137.68 | 257.75 |
| निदेशक की बैठक शुल्क | 1.55 | 2.45 |
| परिवहन | 721.76 | 885.65 |
| डाक और टेलीफोन | 48.52 | 50.48 |
| लेखा परीक्षकों के पारिश्रमिक | 15.35 | 14.08 |
| कॉर्पोरेट की सामाजिक जिम्मेदारी | 114.58 | 17.00 |
| अपेक्षित ऋण हानि के लिए भत्ता | 983.64 | 647.39 |
| पूर्वानुमानित हानि | 254.46 | 1,097.79 |
| विदेशी मुद्रा में उतार-चढ़ाव (हानि) | 99.59 | - |
| **कुल** | **14,076.35** | **11,646.60** |

## नोट 30: आयकर व्यय

31 मार्च 2025 और 31 मार्च 2024 को समाप्त वर्षों के लिए आयकर व्यय के प्रमुख घटक हैं:

### क. लाभ या हानि में मान्यता प्राप्त राशि

(₹ लाख में आंकड़े)

| विवरण | 31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष | 31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष |
|---|---|---|
| **वर्तमान कर** | | |
| वर्ष के लाभ पर आयकर | 4,197.24 | 3,353.61 |
| पिछले वर्षों से संबंधित समायोजन/(क्रेडिट) | 174.68 | (11.09) |
| **कुल वर्तमान कर** | **4,371.92** | **3,342.52** |
| **आस्थगित कर** | | |
| अस्थायी अंतरों की उत्पत्ति और प्रतिवर्तन से संबंधित आस्थगित कर व्यय (आय) | (563.71) | (698.08) |
| **कुल आस्थगित कर** | **(563.71)** | **(698.08)** |
| **लाभ और हानि में मान्यता प्राप्त कुल आयकर व्यय/(लाभ)** | **3,808.21** | **2,644.44** |

# वित्तीय विवरणों हेतु नोट

31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष के लिए

## ख. अन्य व्यापक आय में मान्यता प्राप्त आयकर

(₹ लाख में आंकड़े)

| विवरण | 31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष | 31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष |
|---|---|---|
| उन वस्तुओं पर जिन्हें लाभ या हानि में पुनर्वर्गीकृत नहीं किया जाएगा | 37.39 | 38.72 |
| **अन्य व्यापक आय में मान्यता प्राप्त कुल आयकर** | **37.39** | **38.72** |

## ग. लेखांकन लाभ के साथ कर व्यय का समाधान:

(₹ लाख में आंकड़े)

| विवरण | 31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष | 31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष |
|---|---|---|
| कर से पहले का लाभ | 14,045.08 | 10,135.97 |
| आयकर व्यय की गणना @ 25.17 | 3,535.15 | 2,551.22 |
| कर योग्य लाभ के निर्धारण में कटौती योग्य मूल्यह्रास के कारण शुद्ध समायोजन का प्रभाव | 54.46 | 58.03 |
| कर उद्देश्यों के लिए गैर-कर योग्य आय | (44.95) | (15.32) |
| कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व व्यय | 28.84 | 4.28 |
| बीमांकिक आधार पर अवकाश नकदीकरण | 115.84 | 121.67 |
| अन्य गैर-कटौती योग्य व्यय | 611.80 | 729.87 |
| कर कानूनों के तहत अन्य स्वीकार्य व्यय | (103.90) | (96.14) |
| पिछले वर्षों से संबंधित कर व्यय | 174.68 | (11.09) |
| आस्थगित कर | (563.71) | (698.08) |
| **लाभ और हानि में मान्यता प्राप्त आयकर व्यय** | **3,808.21** | **2,644.44** |

## नोट 31: खातों के लिए नोट

### क. i) वित्तीय विवरण के लिए टिप्पणी

31 मार्च, 2025 को कंपनी ने समाप्त वर्ष के लिए भारतीय लेखा मानक (इंड एएस) के अनुसार अपने वित्तीय विवरण तैयार किए हैं।

नोट: 1 में उल्लिखित लेखांकन नीतियों को 31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष के लिए वित्तीय विवरण तैयार करने में लागू किया गया है।

कंपनी ने अपने वित्तीय विवरणों में भारतीय लेखा मानक (इंड एएस) और व्याख्याओं पर आधारित सिद्धांतों की मान्यता और माप का पालन किया है, जो 31 मार्च, 2025 से प्रभावी हैं।

### ii) अन्य व्यापक आय :

पुनर्मापन में बीमांकिक लाभ और हानि, योजना परिसंपत्तियों पर प्रतिफल (शुद्ध परिभाषित लाभ देयता या परिसंपत्ति पर शुद्ध ब्याज में शामिल राशि को छोड़कर) और परिसंपत्ति अधिकतम सीमा के प्रभाव में कोई भी परिवर्तन (जहां भी लागू हो) को अन्य व्यापक आय में मान्यता दी जाती है।

## ख. वित्तीय वर्ष के दौरान कंपनी द्वारा सी.आई.एफ. आधार पर गणना किए गए आयात का मूल्य –

(₹ लाख में आंकड़े)

| | 31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष | 31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष |
|---|---|---|
| i) कच्चा माल | 1469.32 | 792.41 |
| ii) घटक और स्पेयर्स | | |
| | **1469.32** | **792.41** |

# वित्तीय विवरणों हेतु नोट

31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष के लिए

## ग. वित्तीय वर्ष के दौरान विदेशी मुद्रा में व्यय

(₹ लाख में आंकड़े)

| | 31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष | 31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष |
|---|---|---|
| i) रॉयल्टी, तकनीकी जानकारी, पेशेवर और परामर्श शुल्क | - | - |
| ii) ब्याज | - | - |
| iii) अन्य | 2.68 | 3.54 |
| | **2.68** | **3.54** |

## घ. विदेशी मुद्रा में कमाई

(₹ लाख में आंकड़े)

| | 31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष | 31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष |
|---|---|---|
| i) निर्यात (विदेशी परियोजनाएँ) | | |
| | - | - |
| | **शून्य** | **शून्य** |

## ङ. आयातित और स्वदेशी उपभोग का मूल्य

(₹ लाख में आंकड़े)

| | 31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष हेतु | | 31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष | |
|---|---|---|---|---|
| | मूल्य | % | मूल्य | % |
| **i) खपत किया गया कच्चा माल** | | | | |
| आयातित | 1469.32 | 1.77 | 792.41 | 0.62 |
| स्वदेशी | 79,717.66 | 95.89 | 125045.98 | 97.64 |
| | **81,186.98** | **97.66** | **125,838.39** | **98.26** |
| **ii) उपभोग किए गए घटक और स्पेयर पार्ट्स** | | | | |
| आयातित | - | | - | |
| स्वदेशी | 1946.01 | 2.34 | 2234.16 | 1.74 |
| | **83,132.99** | **100.00** | **128072.55** | **100.00** |

## च. सूची में ₹ शून्य लाख का तृतीय पक्ष स्टॉक शामिल है (पिछले वर्ष - ₹ शून्य लाख)

## छ. लेखा परीक्षकों को भुगतान

(₹ लाख में आंकड़े)

| | 2024-25 | 2023-24 |
|---|---|---|
| लेखा परीक्षा शुल्क | 8.00 | 8.00 |
| कर लेखा परीक्षा शुल्क | 2.00 | 2.00 |
| प्रमाणन सेवा | 5.35 | 4.08 |
| **कुल** | **15.35** | **14.08** |

## ज. आकस्मिक देयताएं और प्रतिबद्धताएं

### (i) आकस्मिक देयताएं

कंपनी की ओर से बैंकों द्वारा दी गई गारंटियों के संबंध में बैंकों को ₹ 59,185.13 लाख की वित्तीय प्रति-गारंटी (पिछले वर्ष - ₹ 71,187.05 लाख) दी गई।

# वित्तीय विवरणों हेतु नोट

31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष के लिए

· कंपनी की ओर से बैंकों द्वारा दी गई गारंटियों के संबंध में बैंकों को ₹ 1,33,208.24 लाख की गैर-वित्तीय प्रति-गारंटी (पिछले वर्ष - ₹ 1,34,906.11 लाख) दी गई।

ऋण के रूप में स्वीकार नहीं किए गए दावों का सकल मूल्य ₹ 15,210.05 लाख है, जिसमें से प्राधिकारियों के पास जमा किए गए ₹ 1959.80 लाख कम हैं, जिसके परिणामस्वरूप बिक्री कर, सेवा कर और आयकर के संबंध में ₹ 13,250.25 लाख की शुद्ध राशि है (पिछले वर्ष - ₹ 14,894.63 लाख)।

·विभिन्न एमएसएमई पक्षों और ब्रिज एण्ड रूफ कम्पनी (इंडिया) लिमिटेड (वर्ष 2024-25 के लिए) के बीच कुल ₹ 777.07 लाख के विवाद विभिन्न एमएसएमई सुविधा परिषदों के समक्ष लंबित हैं, जिनकी राशि कंपनी द्वारा स्वीकार की गई है [पिछले वर्ष - ₹ 3994.96 लाख]। कंपनी कुछ एमएसएमई पक्षों के साथ सौहार्दपूर्ण समाधान की प्रक्रिया में है और उसने विभिन्न एमएसएमई पक्षों या एमएसएमई सुविधा परिषदों से प्राप्त दावों को भी परिषद के समक्ष चुनौती दी है, जिनकी कुल राशि ₹ 705.54 लाख [पिछले वर्ष - ₹ 2059.00 लाख] है।

·सीसीसी के साथ ₹ 1,119.49 लाख (केडी 4,16,013.22) की राशि का विवाद आगे की कार्यवाही के लिए कुवैत चैंबर ऑफ कॉमर्स के पास लंबित है [पिछले वर्ष - ₹ 1,093.99 लाख (केडी 4,16,013.22)]।

**(ii) अप्राप्त पूंजीगत व्यय के कारण प्रतिबद्धताएं ₹ 0.49 लाख (जीएसटी सहित) हैं (पिछले वर्ष - ₹ शून्य लाख)।**
प्रबंधन का मानना है कि उपरोक्त मामलों के परिणामों का कंपनी पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा।

## झ. कानूनी मामला :

i) एनएचएआई द्वारा कंपनी को दिए गए अनुबंध पैकेज संख्या एनएस-38-पीबी से संबंधित विवादों के मामले में, एनएचएआई के विरुद्ध कंपनी के दावों और पक्षों के दावों पर दो अलग-अलग मध्यस्थ न्यायाधिकरणों द्वारा निर्णय लिया गया और अधिकांश निर्णय कंपनी के पक्ष में रहे। कंपनी ने एनएचएआई से अपने बकाया की वसूली के लिए माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय में प्रवर्तन याचिका दायर की थी। हालांकि, एनएचएआई ने फिर से डिवीजन बेंच के समक्ष अपील दायर की थी और दिसंबर, 2017 में पारित उनके आदेश और उसके बाद के आदेशों के अनुसार, दिल्ली उच्च न्यायालय की माननीय डिवीजन बेंच ने ब्रिज एण्ड रूफ कम्पनी (इंडिया) लिमिटेड को 120.02 करोड़ रुपये (जो कि माननीय उच्च न्यायालय के निर्देशानुसार एनएचएआई द्वारा जमा किए गए हैं) को वापस लेने की अनुमति दी थी, जो चल रही न्यायिक कार्यवाही के अंतिम परिणाम के अधीन था, जिसमें से कंपनी द्वारा वर्ष 2017-18, 2018-19 और 2019-20 के दौरान एनएचएआई से क्रमशः 64.34 करोड़ रुपये, 52.98 करोड़ रुपये और 2.70 करोड़ रुपये प्राप्त हुए थे, जिन्हें आय के रूप में नहीं माना जाता है क्योंकि मामला अभी भी विचाराधीन है।

ii) कंपनी ने आईओसीएल की पानीपत रिफ़ाइनरी में 2003 और 2006 में दिए गए दस अलग-अलग अनुबंधों के निष्पादन से उत्पन्न आईओसीएल के साथ अपने विवादों को फरवरी, 2011 में स्थायी मध्यस्थता तंत्र (पीएमए), डीपीई के समक्ष प्रस्तुत किया। वर्ष 2012 में, प्रधान मध्यस्थ, पीएमए ने बैंक गारंटी जारी करने के आदेश के साथ-साथ पुरस्कार भी पारित किया। वर्तमान में यह पूरा विवाद माननीय कलकत्ता उच्च न्यायालय और एएमआरसीडी के समक्ष विचाराधीन है। इस मामले में 36.00 करोड़ रुपये की हिस्सेदारी है।

iii) ब्रिज एण्ड रूफ कम्पनी (इंडिया) लिमिटेड और सीमा शुल्क विभाग के बीच विवाद का मामला आयुक्त (सीमा शुल्क) अपील के समक्ष रखा गया है, जिसमें 13.00 करोड़ रुपये के ब्याज सहित दावा किया गया है, और मामला सीसीए के समक्ष निर्णय के लिए लंबित है।

iv) देवी एंटरप्राइजेज लिमिटेड और ब्रिज एण्ड रूफ कम्पनी (इंडिया) लिमिटेड के बीच विवाद के मामले में माननीय कलकत्ता उच्च न्यायालय द्वारा गठित मध्यस्थता न्यायाधिकरण ने देवी एंटरप्राइजेज लिमिटेड द्वारा उठाए गए अधिकांश दावों को खारिज कर दिया था, जिसके खिलाफ उन्होंने माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय में अपील की थी और मामला लंबित है। वर्तमान में यह मामला न्यायालय में विचाराधीन है। विवाद की राशि लगभग 48.00 करोड़ रुपये है।

# वित्तीय विवरणों हेतु नोट

31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष के लिए

## ञ. सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों से संबंधित प्रकटीकरण

(₹ लाख में आंकड़े)

| | | 2024-25 | 2023-24 |
|---|---|---|---|
| i) | सूक्ष्म और छोटे उद्यमों के तहत किसी भी आपूर्तिकर्ता को प्रत्येक लेखा वर्ष के अंत में जो मुख्य राशि बकाया है। | 11,815.96 | 9,973.06 |
| ii) | प्रत्येक लेखांकन वर्ष के अंत में किसी भी आपूर्तिकर्ता के लिए बकाया ब्याज। | 1058.64 | 926.79 |
| iii) | धारा 16 के संदर्भ में भुगतान की गई ब्याज की राशि, साथ ही हर लेखांकन वर्ष के दौरान नियुक्त दिन के बाद विक्रेता को किए गए भुगतान की राशि। | - | - |
| iv) | भुगतान करने में देरी के समय के लिए कुल ब्याज की राशि जो देय और चुकाई गई है (जो कि वर्ष के भीतर निर्धारित दिन के बाद चुकाई गई है) लेकिन एमएसएमई अधिनियम के तहत निर्दिष्ट ब्याज को जोड़े बिना। | - | - |
| v) | बचत उद्यमों को वास्तविक रूप से चुकाई जाने वाली उपरोक्त ब्याज की बकाया राशि के भुगतान तक, अटकी हुई ब्याज का और भी ब्याज, भविष्य के वर्षों में देय और भुगतान योग्य, जिसे कटौती योग्य व्यय के रूप में अस्वीकृत करने के उद्देश्य से रखा गया है। | - | - |

## ट. दिनांक 31-03-2025 तक व्यापार प्राप्य और अनुबंध प्राप्य अवधि अनुसूची।

(₹ लाख में आंकड़े)

| विवरण | भुगतान की नियत तिथि से निम्नलिखित अवधि के लिए बकाया | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 6 महीने से कम | 6 महीने - 1 वर्ष | 1-2 वर्ष | 2-3 वर्ष | 3 वर्ष से अधिक | कुल |
| (i) निर्विवाद व्यापार प्राप्य - अच्छा माना जाता है। | 173,201.16 | 1,412.04 | 16,858.65 | 11,003.72 | 1,788.31 | 204,263.88 |
| (ii) निर्विवाद व्यापार प्राप्य - जिनमें ऋण जोखिम में उल्लेखनीय वृद्धि होती है। | - | - | - | - | - | |
| (iii) निर्विवाद व्यापार प्राप्य - ऋण क्षति | - | - | - | - | - | - |
| (iv) विवादित व्यापार प्राप्य- अच्छा माना जाता है। | - | - | - | - | - | - |
| (v) विवादित व्यापार प्राप्य - जिनमें ऋण जोखिम में उल्लेखनीय वृद्धि होती है। | - | - | - | - | - | - |
| (vi) विवादित व्यापार प्राप्य - ऋण हानि | - | - | - | - | - | - |
| घटाएँ: अपेक्षित ऋण हानि समायोजन | - | - | - | - | - | -1788.31 |
| **कुल** | **173,201.16** | **1,412.04** | **16,858.65** | **11,003.72** | **1,788.31** | **202,475.57** |

# वित्तीय विवरणों हेतु नोट

31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष के लिए

### दिनांक 31-03-2024 तक व्यापार प्राप्य और अनुबंध प्राप्य अवधि अनुसूची

(₹ लाख में आंकड़े)

| विवरण | भुगतान की नियत तिथि से निम्नलिखित अवधि के लिए बकाया | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 6 महीने से कम | 6 महीने - 1 वर्ष | 1-2 वर्ष | 2-3 वर्ष | 3 वर्ष से अधिक | कुल |
| (i) निर्विवाद व्यापार प्राप्य - अच्छा माना जाता है। | 112,042.99 | 1,454.45 | 11,412.93 | 1,008.36 | 1,719.26 | 127,637.99 |
| (ii) निर्विवाद व्यापार प्राप्य - जिनमें ऋण जोखिम में उल्लेखनीय वृद्धि होती है। | - | - | - | - | - | - |
| (iii) निर्विवाद व्यापार प्राप्य - ऋण क्षति | - | - | - | - | - | - |
| (iv) विवादित व्यापार प्राप्य- अच्छा माना जाता है। | - | - | - | - | - | - |
| (v) विवादित व्यापार प्राप्य - जिनमें ऋण जोखिम में उल्लेखनीय वृद्धि होती है। | - | - | - | - | - | - |
| (vi) विवादित व्यापार प्राप्य - ऋण हानि | - | - | - | - | - | - |
| घटाएँ: अपेक्षित ऋण हानि समायोजन | - | - | - | - | - | -1,508.65 |
| **कुल** | **112,042.99** | **1,454.45** | **11,412.93** | **1,008.36** | **1,719.26** | **126,129.34** |

### ठ. दिनांक 31-03-2025 तक व्यापार देय अवधि निर्धारण अनुसूची

(₹ लाख में आंकड़े)

| विवरण | भुगतान की नियत तिथि से निम्नलिखित अवधि के लिए बकाया | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | अभी तक नहीं | से कम 1 वर्ष | 1-2 वर्ष | 2-3 वर्ष | 3 वर्ष से अधिक | कुल |
| (i) एमएसएमई | - | 6,529.54 | 1,698.86 | 1,246.70 | 1,563.80 | 11,038.89 |
| (ii) अन्य | 53,792.84 | 38,372.19 | 29,219.98 | 51,175.05 | 67,923.07 | 240,483.13 |
| (iii) विवादित बकाया – एमएसएमई | - | - | 777.07 | - | - | 777.07 |
| (iv) विवादित बकाया – अन्य | - | - | - | - | - | - |
| **कुल** | **53,792.84** | **44,901.73** | **31,695.91** | **52,421.75** | **69,486.87** | **252,299.09** |

### दिनांक 31-03-2024 तक व्यापार देय अवधि निर्धारण अनुसूची

(₹ लाख में आंकड़े)

| विवरण | भुगतान की नियत तिथि से निम्नलिखित अवधि के लिए बकाया | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | अभी तक नहीं | से कम 1 वर्ष | 1-2 वर्ष | 2-3 वर्ष | 3 वर्ष से अधिक | कुल |
| (i) एमएसएमई | - | 5,316.58 | 1,459.82 | 1,554.17 | 865.79 | 9,196.36 |
| (ii) अन्य | 43,801.18 | 7,551.80 | 51,889.13 | 4,190.15 | 63,487.77 | 170,920.03 |
| (iii) विवादित बकाया – एमएसएमई | - | 776.70 | - | - | - | 776.70 |
| (iv) विवादित बकाया – अन्य | | - | - | - | - | - |
| **कुल** | **43,801.18** | **13,645.08** | **53,348.95** | **5,744.32** | **64,353.56** | **180,893.09** |

**ड.** कंपनी का एकमात्र खंड निर्माण कार्य है, जिसमें फैब्रिकेशन भा शामिल है। इसमें ग्राहकों से प्राप्त आदेशों के अनुसार निष्पादित सिविल और मैकेनिकल निर्माण और संरचनात्मक निर्माण गतिविधियाँ शामिल हैं। इसलिए भारतीय लेखा मानक 108 में परिभाषित खंड रिपोर्टिंग की आवश्यकता नहीं है।

# वित्तीय विवरणों हेतु नोट

31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष के लिए

## ढ. सीएसआर व्यय

i)

(₹ लाख में आंकड़े)

| विवरण | 31 मार्च, 2025 | 31 मार्च, 2024 |
|---|---|---|
| वर्ष के दौरान कंपनी द्वारा खर्च की जाने वाली आवश्यक सकल राशि | 123.46 | 64.18 |
| व्यय की राशि | 123.46 | 64.18 |
| वर्ष के अंत में कमी | शून्य | शून्य |
| विगत वर्षों का कुल योग | शून्य | शून्य |
| उपरोक्त कमी का कारण | N/A | N/A |

ii) वर्ष के दौरान व्यय की गई राशि:

| | 2024-25 | | | 2023-24 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | प्रदत्त | प्रावधान | कुल | प्रदत्त | प्रावधान | कुल |
| i) किसी भी संपत्ति का निर्माण / अधिग्रहण | - | - | - | - | - | - |
| ii) उपरोक्त (i) के अलावा अन्य उद्देश्यों पर | 123.46 | - | 123.46 | 64.18 | - | 64.18 |
| **कुल** | **123.46** | **-** | **123.46** | **64.18** | **-** | **64.18** |

नोट: कंपनी द्वारा किए गए उपरोक्त सीएसआर व्यय में से, पिछले वर्ष से आगे ले जाए गए 8.88 लाख रुपये के अतिरिक्त भुगतान पर विचार किया गया है और आगामी वित्तीय वर्ष में समायोजन के लिए 0.99 लाख रुपये उपलब्ध हैं।

iii) कंपनी ने निवारक स्वास्थ्य देखभाल और शिक्षा सहित स्वास्थ्य देखभाल को बढ़ावा देने के संबंध में अपनी सीएसआर गतिविधियों पर खर्च किया है।

iv) 31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष के दौरान संबंधित पक्ष के साथ कोई लेनदेन नहीं हुआ (विगत वर्ष शून्य)

## ण. प्रति शेयर आय :

(₹ लाख में आंकड़े)

| विवरण | | 31st March, 2025 | 31st March, 2024 |
|---|---|---|---|
| शुद्ध लाभ (पीएटी) | | 10,236.47 | 7,491.53 |
| शेयरों की संख्या | | 54,987,155 | 54,987,155 |
| प्रति शेयर अंकित मूल्य | (₹) | 10 | 10 |
| मूल एवं विलीनित प्रति शेयर आय ईपीएस | (₹) | 18.62 | 13.62 |

**त.** पुष्टि के लिए पक्षों से उत्तर न मिलने पर, प्राप्य और देय शेष राशि को लेखा पुस्तकों के अनुसार लिया जाता है।

# वित्तीय विवरणों हेतु नोट

31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष के लिए

## थ. भारतीय लेखा मानक 115 के अनुसार प्रकटीकरण

### क) ग्राहकों के साथ अनुबंधों से प्राप्त राजस्व का पृथक्करण:

ब्रिज एण्ड रूफ के पास वस्तुओं या सेवाओं की एक श्रृंखला है जो मूलतः एक समान हैं और एक ही तरीके से हस्तांतरित की जाती हैं, इसलिए एकल निष्पादन दायित्व की पहचान की जाती है और ग्राहकों के साथ अनुबंधों से प्राप्त राजस्व का कोई पृथक्करण रिपोर्ट नहीं किया जाता है।

### ख) अनुबंध शेष

निम्नलिखित तालिका अनुबंधों से प्राप्तियों, अनुबंध परिसंपत्तियों और अनुबंध देनदारियों के बारे में जानकारी प्रदान करती है:

(₹ लाख में आंकड़े)

| विवरण | | 31 मार्च, 2025 | 31 मार्च, 2024 |
|---|---|---|---|
| **(क) अनुबंध परिसंपत्तियाँ** | (टिप्पणी देखें- 11) | | |
| निर्माण अनुबंध पर ग्राहकों से देय राशि के लिए अनुबंध प्रगति पर है, लेकिन बिल अभी तक जारी नहीं किया गया है। | | 62,643.86 | 86,954.86 |
| कम : अपेक्षित ऋण में कमी | | -1,048.79 | -1,561.41 |
| | | **61,595.07** | **85,393.45** |
| **(ख) अनुबंध देयताएं** | | | |
| i) ग्राहकों से अग्रिम | (टिप्पणी देखें- 22) | 47,145.37 | 89,223.02 |
| ii) अनुबंध के विरुद्ध जमा | (टिप्पणी देखें- 20) | 5,231.32 | 2,989.69 |
| | | **52,376.69** | **92,212.71** |

**ग)** अनुबंध परिसंपत्तियाँ मुख्यतः कंपनी के उस कार्य के लिए प्रतिफल के अधिकारों से संबंधित हैं जो पूर्ण हो चुका है, लेकिन रिपोर्टिंग तिथि पर बिल नहीं किया गया है। 31 मार्च 2025 को समाप्त वर्ष के दौरान अनुबंध परिसंपत्तियों की राशि शून्य के हानि प्रभार से प्रभावित हुई। अनुबंध देयताएँ मुख्यतः निर्माण के लिए ग्राहकों से प्राप्त अग्रिम प्रतिफल से संबंधित हैं, जिसके लिए राजस्व की पहचान समय के साथ की जाती है।

**घ)** वर्ष के दौरान अनुबंध परिसंपत्तियों और अनुबंध देनदारियों के शेष में महत्वपूर्ण परिवर्तन निम्नानुसार हैं:

### क) अनुबंध परिसंपत्तियाँ

(₹ लाख में आंकड़े)

| विवरण | 31 मार्च, 2025 | 31 मार्च, 2024 |
|---|---|---|
| रिपोर्टिंग अवधि की शुरुआत में | 85,393.45 | 128,172.11 |
| जारी अनुबंधों के लिए किए गए व्यय और प्रगति बिलों का शुद्ध योग | 426,243.96 | 358,071.14 |
| संपर्क प्राप्य के रूप में मान्यता प्राप्त | -450,554.96 | -399,671.39 |
| अपेक्षित ऋण हानि के कारण परिवर्तन | 512.62 | -1178.41 |
| रिपोर्टिंग अवधि के अंत में | 61,595.07 | 85,393.45 |

### (ख) अनुबंध देयताएं:

(₹ लाख में आंकड़े)

| विवरण | 31 मार्च, 2025 | 31 मार्च, 2024 |
|---|---|---|
| रिपोर्टिंग अवधि की शुरुआत में | 92,212.71 | 80,777.37 |
| अवधि के दौरान अनुबंध देनदारियों में परिवर्तन | -39,836.02 | 11,435.34 |
| रिपोर्टिंग अवधि के अंत में | 52,376.69 | 92,212.71 |

# वित्तीय विवरणों हेतु नोट

31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष के लिए

**ङ)** i) निम्नलिखित तालिका अपेक्षित ऋण हानि की गति को दर्शाती है।

(₹ लाख में आंकड़े)

| विवरण | 31 मार्च, 2025 | 31 मार्च, 2024 |
|---|---|---|
| रिपोर्टिंग अवधि की शुरूआत में | 3,962.25 | 3314.85 |
| इस अवधि के दौरान किए गए अतिरिक्त प्रावधान | 983.64 | 647.40 |
| रिपोर्टिंग अवधि के अंत में | 4,945.88 | 3,962.25 |

ii) निम्नलिखित तालिका पूर्वानुमानित हानि की गति को दर्शाती है।

(₹ लाख में आंकड़े)

| विवरण | 31 मार्च, 2025 | 31 मार्च, 2024 |
|---|---|---|
| रिपोर्टिंग अवधि की शुरूआत में | 2,418.34 | 1,320.55 |
| अवधि के दौरान किया गया अतिरिक्त प्रावधान (रिवर्सल के बाद शुद्ध) | 254.46 | 1,097.79 |
| रिपोर्टिंग अवधि के अंत में | 2,672.80 | 2,418.34 |

**च)** निम्नलिखित तालिका में भविष्य में मान्यता प्राप्त होने वाले प्रदर्शन दायित्वों से संबंधित राजस्व शामिल है जो 31 मार्च 2025 तक असंतुष्ट (या आंशिक रूप से संतुष्ट) हैं:

(₹ लाख में आंकड़े)

| विवरण | 2025-26 और के अतिरिक्त | 2024-25 और के अतिरिक्त |
|---|---|---|
| अनुबंध राजस्व | 1,500,000.00 | 1,324,925.11 |

**छ) लाभ और हानि विवरण में मान्यता प्राप्त राजस्व का समाधान:**

निम्नलिखित तालिका 31 मार्च 2024 तक मान्यता प्राप्त राजस्व की राशि के समाधान को दर्शाती है।

(₹ लाख में आंकड़े)

| विवरण | 31 मार्च, 2025 | 31 मार्च, 2024 |
|---|---|---|
| मान्यता प्राप्त राजस्व का अनुबंध मूल्य | 451,691.00 | 400,456.57 |
| अन्य स्रोत से प्राप्त राजस्व (अन्य आय) | 1,511.90 | 971.82 |
| **लाभ और हानि विवरण में मान्यता प्राप्त राजस्व** | **453,202.90** | **401,428.39** |

## द. "संबंधित पक्ष प्रकटीकरण" पर भारतीय लेखा मानक - 24 की आवश्यकताओं के अनुसार प्रकटीकरण

**प्रमुख प्रबंधन कार्मिक**

1 दिनांक 08-10-2021 से श्री राजेश कुमार सिंह को अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक का प्रभार सौंपा गया।

2 दिनांक 15.04.2023 से श्री रवि कुमार को निदेशक (परियोजना प्रबंधन) का प्रभार सौंपा गया।

3 दिनांक 20.04.2023 से श्री नव रत्न गुप्ता को निदेशक (वित्त) का प्रभार सौंपा गया।

4 श्रीमती राखी कर, कंपनी सचिव दिनांक 01-04-2014 से

# वित्तीय विवरणों हेतु नोट

31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष के लिए

**प्रमुख प्रबंधन कर्मियों के मुआवजे में निम्नलिखित शामिल हैं**

(₹ लाख में आंकड़े)

| विवरण | 2024-25 | 2023-24 |
|---|---|---|
| अल्पकालिक कर्मचारी लाभ | 191.97 | 176.84 |
| नौकरी के बाद के लाभ | 18.39 | 24.78 |
| अन्य दीर्घकालिक लाभ | 15.88 | 14.6 |
| अनुबंध समाप्ति लाभ | - | - |
| शेयर आधारित भुगतान | - | - |

## ध. "कर्मचारी लाभ" पर भारतीय लेखा मानक - 19 की आवश्यकताओं के अनुसार प्रकटीकरण:

लाभ और हानि खाते में मान्यता प्राप्त शुद्ध कर्मचारी लाभ व्यय:

(₹ लाख में आंकड़े)

| विवरण | 31 मार्च, 2025 के वर्ष समाप्ति पर | | 31 मार्च, 2024 के वर्ष समाप्ति पर | |
|---|---|---|---|---|
| | उपदान | अवकाश नकदीकरण | उपदान | अवकाश नकदीकरण |
| वर्तमान सेवा लागत | 225.58 | 683.85 | 209.35 | 324.37 |
| लाभ दायित्व पर ब्याज लागत | 423.57 | 372.65 | 468.42 | 384.59 |
| निवेश आय | -434.64 | शून्य | (438.72) | शून्य |
| योजनागत संपत्ति पर संभावित लाभ | -28.54 | शून्य | (16.23) | शून्य |
| वर्ष में मान्यता प्राप्त शुद्ध बीमांकिक हानि/(लाभ) | 177.11 | 76.90 | 170.08 | 1,205.42 |
| पिछली सेवा लागत | शून्य | शून्य | शून्य | शून्य |
| शुद्ध लाभ व्यय | **363.08** | **1,133.40** | **392.90** | **1,914.38** |

परिभाषित लाभ दायित्व का विवरण:

(₹ लाख में आंकड़े)

| विवरण | 31 मार्च, 2025 के वर्ष समाप्ति पर | | 31 मार्च, 2024 के वर्ष समाप्ति पर | |
|---|---|---|---|---|
| | उपदान | अवकाश नकदीकरण | उपदान | अवकाश नकदीकरण |
| परिभाषित लाभ दायित्व | 6,508.57 | 6,285.12 | 6,794.02 | 5,824.88 |
| योजना संपत्तियों का उचित मूल्य | 6,145.49 | - | 6,401.12 | - |
| निधिक दायित्वों का वर्तमान मूल्य | 363.08 | 6,285.12 | 392.90 | 5,824.88 |
| घटाएँ: अज्ञात पिछली सेवा लागत | | - | - | - |
| योजना परिसंपत्ति/(देयता) | **-363.08** | **-6,285.12** | **(392.90)** | **(5824.88)** |

परिभाषित लाभ योजना के वर्तमान मूल्य में परिवर्तन इस प्रकार हैं:

(₹ लाख में आंकड़े)

| विवरण | 31 मार्च, 2025 के वर्ष समाप्ति पर | | 31 मार्च, 2024 के वर्ष समाप्ति पर | |
|---|---|---|---|---|
| | उपदान | अवकाश नकदीकरण | उपदान | अवकाश नकदीकरण |
| परिभाषित प्रारंभिक लाभ दायित्व | 6794.02 | 5824.88 | 6505.84 | 5,341.48 |
| लागत ब्याज | 423.57 | 372.66 | 468.42 | 384.59 |
| वर्तमान और विगत सेवा लागत | 225.58 | 683.85 | 209.35 | 324.37 |
| भुगतान से लाभ | -1111.71 | -673.174 | (559.67) | (1430.98) |
| दायित्व पर बीमांकिक हानि/(लाभ) | 177.11 | 76.905 | 170.08 | 1205.42 |
| अन्य कंपनियों से देयता का हस्तांतरण | शून्य | शून्य | शून्य | शून्य |
| विनिमय दर में परिवर्तन | शून्य | शून्य | शून्य | शून्य |
| बंद परिभाषित लाभ दायित्व | **6508.57** | **6285.12** | **6794.02** | **5824.88** |

# वित्तीय विवरणों हेतु नोट

31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष के लिए

योजना परिसंपत्तियों के उचित मूल्य में परिवर्तन निम्नानुसार हैं:

(₹ लाख में आंकड़े)

| विवरण | 31 मार्च, 2025 के वर्ष समाप्ति पर | | 31 मार्च, 2024 के वर्ष समाप्ति पर | |
|---|---|---|---|---|
| | उपदान | अवकाश नकदीकरण | उपदान | अवकाश नकदीकरण |
| योजना परिसंपत्तियों का आरंभिक उचित मूल्य | 6,401.12 | शून्य | 6,093.35 | शून्य |
| निवेश आय | 434.64 | शून्य | 438.72 | शून्य |
| नियोक्ता द्वारा योगदान | 392.90 | शून्य | 412.49 | शून्य |
| भुगतान किए गए लाभ | -1,111.71 | शून्य | (559.67) | शून्य |
| योजना परिसंपत्तियों पर प्रतिफल, शुद्ध ब्याज व्यय में मान्यता प्राप्त राशि को छोड़कर | 28.54 | शून्य | 16.23 | शून्य |
| अन्य कंपनियों से परिसंपत्तियों का हस्तांतरण | शून्य | शून्य | शून्य | शून्य |
| विनिमय दर में परिवर्तन | शून्य | शून्य | शून्य | शून्य |
| योजना परिसंपत्तियों का समापन उचित मूल्य | **6,145.49** | **शून्य** | **6401.13** | **शून्य** |

बीमांकिक धारणाएँ

(₹ लाख में आंकड़े)

| विवरण | 31 मार्च, 2025 के वर्ष समाप्ति पर | | 31 मार्च, 2024 के वर्ष समाप्ति पर | |
|---|---|---|---|---|
| | उपदान | अवकाश नकदीकरण | उपदान | अवकाश नकदीकरण |
| छूट की दर (%) | 6.79% | 6.79% | 7.00% | 7.00% |
| योजनागत संपत्ति पर संभावित लाभ | 6.79% | शून्य | 7.20% | शून्य |

वर्तमान और पिछली अवधि की राशियाँ इस प्रकार हैं:

(₹ लाख में आंकड़े)

| विवरण | 31 मार्च, 2025 के वर्ष समाप्ति पर | | 31 मार्च, 2024 के वर्ष समाप्ति पर | |
|---|---|---|---|---|
| | उपदान | अवकाश नकदीकरण | उपदान | अवकाश नकदीकरण |
| परिभाषित लाभ दायित्व | 6,505.84 | 6285.122 | 6,794.02 | 5,824.88 |
| योजना परिसंपत्तियाँ | 6,145.49 | शून्य | 6,401.12 | शून्य |
| अधिशेष / (घाटा) | -363.08 | -6285.122 | (392.90) | (5824.88) |
| व्यय (लाभ)/हानि समायोजन | - | 76.9 | 0 | 1205.42 |
| योजना देनदारियों पर | | | | |
| योजना परिसंपत्तियों पर समायोजन व्यय (लाभ)/हानि | **-363.078** | **शून्य** | **392.9** | **शून्य** |

## न. प्रस्तावित लाभांश

निदेशकों ने वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए कर-पश्चात लाभ (अर्थात् (लगभग) ₹5.59 प्रति इक्विटी शेयर, ₹10 प्रत्येक) के लाभांश (जहाँ लागू हो, टीडीएस के अधीन) की सिफारिश की। यह इक्विटी लाभांश वार्षिक आम बैठक में शेयरधारकों द्वारा अनुमोदन के अधीन है और इसे इन वित्तीय विवरणों में देयता के रूप में शामिल नहीं किया गया है।

## प. पूंजी प्रबंधन

i. पूंजी का प्रबंधन करते समय, कंपनी का उद्देश्य एक चालू व्यवसाय के रूप में अपनी क्षमता को सुरक्षित रखना है, ताकि वह शेयरधारकों को रिटर्न और अन्य हितधारकों को लाभ प्रदान करना जारी रख सके।

ii. कंपनी की पूंजी संरचना में इक्विटी शेयर पूंजी और प्रतिधारित आय शामिल हैं।

# वित्तीय विवरणों हेतु नोट

31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष के लिए

iii. प्रबंधन पूँजी पर प्रतिफल की निगरानी करता है, जिसे कंपनी परिचालन गतिविधियों के परिणाम को कुल शेयरधारकों की इक्विटी से विभाजित करके निर्धारित करती है। इक्विटी शेयरधारकों को लाभांश बोर्ड बैठक में घोषित किया जाता है और वार्षिक आम बैठक (एजीएम) द्वारा अनुमोदित किया जाता है।

## फ. वित्तीय साधन और जोखिम कारक

### i. वित्तीय जोखिम प्रबंधन उद्देश्य:

कंपनी अपने परिचालनों से संबंधित प्रमुख वित्तीय जोखिमों का प्रबंधन जोखिमों की मात्रा और परिमाण के आधार पर जोखिमों का विश्लेषण करके करती है। इन जोखिमों में बाज़ार जोखिम (मुद्रा जोखिम और ब्याज दर जोखिम सहित), ऋण जोखिम और तरलता जोखिम शामिल हैं।

### ii. बाजार ज़ोखिम :

बाज़ार जोखिम, बाज़ार मूल्य में संभावित उतार-चढ़ाव और किसी व्यवसाय के भविष्य के प्रदर्शन पर उनके प्रभाव से उत्पन्न होने वाला जोखिम या अनिश्चितता है। बाज़ार जोखिम का प्रमुख घटक ब्याज दर जोखिम है।

### iii. विदेशी मुद्रा विनिमय दर जोखिम

| मुद्रा | देनदारियां | | वर्तमान में परिसंपत्तियां | |
|---|---|---|---|---|
| | 31.03.2025 | 31.03.2024 | 31.03.2025 | 31.03.2024 |
| कुवैती दिनार | 1,055,798.31 | 1,055,798.31 | - | - |

निम्नलिखित तालिका विदेशी मुद्रा के सापेक्ष भारतीय रुपये में 5% की वृद्धि या कमी का विवरण देती है। 5% वह संवेदनशीलता दर है जिसका उपयोग प्रमुख प्रबंधन कर्मियों को आंतरिक रूप से विदेशी मुद्रा जोखिम की रिपोर्ट करते समय किया जाता है और यह विदेशी मुद्रा दर में संभावित परिवर्तन के प्रबंधन के आकलन को दर्शाता है। संवेदनशीलता विश्लेषण में केवल बकाया विदेशी मुद्रा मूल्यवर्ग की मौद्रिक वस्तुएँ शामिल हैं और अवधि के अंत में इन लेनदेन को विदेशी मुद्रा दर में 5% परिवर्तन के लिए समायोजित किया जाता है।

(₹ लाख में आंकड़े)

| विवरण | समाप्ति वर्ष हेतु | |
|---|---|---|
| | 31.03.2025 | 31.03.2024 |
| वर्ष के लाभ और हानि पर प्रभाव : | | |
| विदेशी मुद्रा दर में 5% की वृद्धि के साथ | -142.06 | -138.82 |
| विदेशी मुद्रा दर में 5% की कमी के साथ | 142.06 | 138.82 |

### iv. ब्याज दर जोखिम प्रबंधन:

कंपनी ब्याज दर जोखिम के प्रति संवेदनशील है क्योंकि कंपनी अस्थिर ब्याज दर पर धन उधार लेती है। यदि ब्याज दर 50 आधार अंक अधिक/कम होती और अन्य सभी चर स्थिर रहते, तो 31 मार्च 2025 को समाप्त वर्ष के लिए कंपनी का लाभ ₹101.17 लाख घट/बढ़ जाता। 31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष के लिए यह ₹21.32 लाख होता।

### v. ऋण जोखिम:

ऋण जोखिम का तात्पर्य प्रतिपक्ष द्वारा अपने दायित्व पर चूक के जोखिम से है जिसके परिणामस्वरूप वित्तीय नुकसान होता है। क्रेडिट जोखिम का अधिकतम जोखिम मुख्य रूप से व्यापार प्राप्तियों और अन्य प्राप्तियों से है, जो क्रमशः 31 मार्च, 2025 तक ₹ 2,04,263.88 लाख और 31 मार्च, 2024 तक ₹ 1,27,637.99 लाख है। प्राप्य आम तौर पर असुरक्षित होते हैं और ग्राहकों से अर्जित राजस्व से प्राप्त होते हैं जो मुख्य रूप से सरकारी विभागों और सार्वजनिक क्षेत्र की संस्थाओं को बिक्री से बकाया हैं, जिनके चूक का जोखिम अतीत में बहुत कम रहा है। अन्य प्राप्तियों के मामले में, ग्राहकों की ऋण पात्रता, पुनर्भुगतान की क्षमता और उनके पिछले ट्रैक रिकॉर्ड की निरंतर निगरानी के आधार पर क्रेडिट जोखिम का प्रबंधन किया गया है। वर्ष के दौरान प्राप्य पर अपेक्षित ऋण हानि होने के लिए रु. 1788.31 लाख की छूट वापस कर दी गई है।

# वित्तीय विवरणों हेतु नोट

31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष के लिए

### vi. तरलता जोखिम प्रबंधन:

तरलता जोखिम वह जोखिम है जिसमें कंपनी को अपनी वित्तीय देनदारियों से जुड़े दायित्वों को पूरा करने में कठिनाई का सामना करना पड़ेगा, जिनका निपटान नकदी प्रदान करके किया जाता है। इसके प्रबंधन में कंपनी का दृष्टिकोण, जहाँ तक संभव हो, सामान्य और तनावपूर्ण, दोनों स्थितियों में, अपनी देनदारियों को पूरा करने के लिए पर्याप्त तरलता सुनिश्चित करना है।

कंपनी की तरलता के प्रमुख स्रोत नकदी और नकद समकक्ष, बैंकों के पास शेष राशि, परिचालन से उत्पन्न नकदी प्रवाह और कार्यशील पूंजी सुविधाएँ हैं। कंपनी का मानना है कि कार्यशील पूंजी उसकी वर्तमान आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए पर्याप्त है। इसलिए, कोई तरलता जोखिम नहीं माना जाता है।

### vii. वित्तीय व्यवस्था:

रिपोर्टिंग अवधि के अंत में कंपनी के पास निम्नलिखित अप्रयुक्त उधार सुविधाओं तक पहुंच थी:

(₹ लाख में आंकड़े)

| विवरण | समाप्ति वर्ष हेतु | |
|---|---|---|
| | 31.03.2025 | 31.03.2024 |
| एक वर्ष के भीतर समाप्त होने वाली: | | |
| निधि आधारित कार्यशील पूंजी सीमा | 5,843.81 | 9,928.83 |
| **कुल** | **5,843.81** | **9,928.83** |

कंपनी द्वारा किसी भी समय निधि आधारित कार्यशील पूंजी सीमा सुविधाएं निकाली जा सकती हैं

## ब. उचित मूल्य माप

### i) श्रेणीवार वित्तीय साधन

(₹ लाख में आंकड़े)

| | 31 मार्च, 2025 तक | | | 31 मार्च, 2024 तक | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | एफवीओसीआई | एफवीपीएल | परिशोधित लागत | एफवीओसीआई | एफवीपीएल | परिशोधित लागत |
| **वित्तीय पूंजी** | | | | | | |
| व्यापार प्राप्तियां | - | - | 202,475.57 | - | - | 126,129.34 |
| नकद और नकद के समान | - | - | 10,757.28 | - | - | 14,934.78 |
| अन्य बैंक बैलेंस | - | - | 8,073.70 | - | - | 25,048.70 |
| प्रतिभूति और अन्य जमा | - | - | 122,879.97 | - | - | 96,218.38 |
| **कुल वित्तीय परिसंपत्तियाँ** | **-** | **-** | **344,186.52** | **-** | **-** | **262,331.20** |
| **वित्तीय देनदारियाँ** | | | | | | |
| उधारी | - | - | 19,156.19 | - | - | 15,071.17 |
| व्यापार देयताएं | - | - | 252,299.09 | - | - | 180,893.09 |
| पट्टा देयताएं | - | - | 1,140.57 | - | - | 550.20 |
| दावा न किया गया लाभांश | | | 0.27 | - | - | 0.14 |
| सुरक्षा और अन्य जमा | - | - | 50,370.46 | - | - | 36,048.94 |
| पूंजीगत व्यय के लिए देयता | - | - | 25.90 | - | - | 11.53 |
| अन्य देय राशियाँ | - | - | 403.85 | - | - | 437.17 |
| **कुल वित्तीय देनदारियाँ** | **-** | **-** | **323,396.33** | **-** | **-** | **233,012.24** |

# वित्तीय विवरणों हेतु नोट

31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष के लिए

**ii) उचित मूल्य पदानुक्रम**

उचित मूल्य पदानुक्रम मूल्यांकन तकनीकों के इनपुट पर आधारित है, जिनका उपयोग उचित मूल्य को मापने के लिए किया जाता है, जो अवलोकनीय होते हैं और इसमें तीन स्तर होते हैं, अर्थात स्तर 1, स्तर 2 और स्तर 3, जैसा कि प्रासंगिक भारतीय लेखांकन मानक के तहत निर्धारित किया गया है।

यह खंड वित्तीय साधनों के उचित मूल्यों को निर्धारित करने में किए गए निर्णयों और अनुमानों की व्याख्या करता है, जिन्हें (क) उचित मूल्य पर मान्यता दी जाती है और मापा जाता है और (ख) परिशोधित लागत पर मापा जाता है और जिनके लिए वित्तीय विवरणों में उचित मूल्यों का खुलासा किया जाता है।

कंपनी ने वित्तीय साधनों जैसे व्यापार प्राप्य, व्यापार देय, जमा, उधार, अन्य प्राप्य और देय आदि के लिए उचित मूल्य पदानुक्रम का खुलासा नहीं किया है क्योंकि परिशोधित लागत और वहन मूल्य पर मापी गई सभी वित्तीय परिसंपत्तियां और वित्तीय देनदारियां उनके संबंधित उचित मूल्य का अनुमान है।

## भ पट्टे

कंपनी ने भारतीय लेखा मानक 116 "लीज़" को अपनाया और संशोधित पूर्वव्यापी पद्धति का उपयोग करते हुए सभी लागू लीज़ अनुबंधों पर इस मानक को लागू किया। इसके तहत प्रारंभिक आवेदन की तिथि पर लीज़ देयता को अनुमानित वृद्धिशील उधार दर का उपयोग करके छूट प्राप्त शेष लीज़ भुगतानों के वर्तमान मूल्य पर मान्यता दी गई और लीज़ देयता के बराबर राशि पर उपयोग के अधिकार वाली परिसंपत्तियों को मान्यता दी गई, जिसे प्रारंभिक आवेदन की तिथि से ठीक पहले बैलेंस शीट में मान्यता प्राप्त उस लीज़ से संबंधित किसी भी पूर्व-भुगतान या उपार्जित लीज़ भुगतान की राशि से समायोजित किया गया। 1 अप्रैल 2025 तक लीज़ देयताओं और वर्ष के दौरान परिवर्धन पर लागू भारित औसत वृद्धिशील उधार दर 9.30% प्रति वर्ष है।

भारतीय लेखा मानक 116, "पट्टे" को अपनाने पर, पूर्व में वित्तीय पट्टों के रूप में वर्गीकृत पट्टों के लिए, कंपनी ने परिवर्तन से ठीक पहले पट्टा परिसंपत्तियों की अग्रणीत राशि को प्रारंभिक आवेदन की तिथि पर उपयोग के अधिकार वाली परिसंपत्तियों की अग्रणीत राशि के रूप में मान्यता दी। भारतीय लेखा मानक 116, "पट्टे" के मापन सिद्धांत केवल उस तिथि के बाद ही लागू होते हैं। प्रारंभिक आवेदन की तिथि पर कंपनी पर भारतीय लेखा मानक 116 के अनुसार कोई पट्टा देयता नहीं है।

परिचालन पट्टों के संबंध में व्यय की प्रकृति पट्टा किराया से बदलकर उपयोग के अधिकार वाली परिसंपत्ति पर मूल्यह्रास तथा पट्टा देयता पर उपार्जित ब्याज के लिए वित्त लागत में बदल गई थी।

भारतीय लेखा मानक 116 के परिणामस्वरूप परिचालन गतिविधियों से नकदी प्रवाह में वृद्धि हुई है तथा पट्टा भुगतान के कारण वित्तपोषण गतिविधियों से नकदी बहिर्वाह में वृद्धि हुई है।

प्रारंभिक आवेदन पर चुने गए व्यावहारिक उपायों का सारांश निम्नलिखित है:

(क) समान आर्थिक परिवेश में समान समाप्ति तिथि के साथ समान परिसंपत्तियों के पट्टों के पोर्टफोलियो पर एकल छूट दर लागू की गई

(ख) 01/04/2025 और 31/03/2026 को कोई भी कठिन अनुबंध नहीं था

(ग) प्रारंभिक आवेदन की तिथि पर कम मूल्य या/और 12 महीने से कम पट्टा अवधि वाले पट्टों के लिए उपयोग के अधिकार वाली परिसंपत्तियों और देनदारियों को मान्यता न देने की छूट लागू की गई।

(घ) प्रारंभिक आवेदन की तिथि पर उपयोग - अधिकार परिसंपत्ति के मापन से प्रारंभिक प्रत्यक्ष लागतों को बाहर रखा गया।

(ड़) पट्टे की अवधि निर्धारित करने में पूर्वदृष्टि का उपयोग करना, जहां अनुबंध में पट्टे को बढ़ाने या समाप्त करने के विकल्प शामिल हों।

लाभ और हानि खाते में मान्यता प्राप्त राशि

# वित्तीय विवरणों हेतु नोट

31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष के लिए

लाभ-हानि विवरण पट्टों से संबंधित निम्नलिखित राशि दर्शाता है:

(₹ लाख में आंकड़े)

| विवरण | 31 मार्च 2025 को समाप्त वर्ष | 31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष |
|---|---|---|
| उपयोग के अधिकार वाली परिसंपत्तियों के लिए मूल्यह्रास शुल्क | | |
| भूमि पट्टे | 1.09 | 1.54 |
| भवन पट्टे | 353.04 | 328.67 |
| ब्याज व्यय (वित्तीय लागत में शामिल) | 50.95 | 75.27 |
| अल्पकालिक पट्टों / कम मूल्य की परिसंपत्तियों से संबंधित व्यय (अन्य व्ययों में शामिल) | 1,670.31 | 1,780.41 |
| पट्टों के लिए कुल नकदी बहिर्वाह | 402.19 | 364.85 |

31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष के लिए उपयोग के अधिकार वाली परिसंपत्तियों के वहन मूल्य में निम्नलिखित परिवर्तन किये गये हैं:

(₹ लाख में आंकड़े)

| विवरण | आरओयू परिसंपत्ति की श्रेणी | | |
|---|---|---|---|
| | भूमि पट्टे | भवन | कुल |
| 1 अप्रैल, 2023 तक शेष राशि | 13.86 | 116.86 | 130.72 |
| परिवर्धन | - | 321.71 | 321.71 |
| वर्ष के दौरान बिक्री / समायोजन | | 430.29 | 430.29 |
| मूल्यह्रास | (0.60) | (329.61) | (330.21) |
| **31 मार्च, 2024 तक शेष राशि** | **13.26** | **539.25** | **552.51** |
| परिवर्धन | | 948.77 | 948.77 |
| वर्ष के दौरान बिक्री / समायोजन | | (1.96) | -1.96 |
| मूल्यह्रास | (1.09) | (353.04) | (354.13) |
| **31 मार्च, 2025 तक शेष राशि** | **12.17** | **1,133.02** | **1,145.19** |

आरओयू परिसंपत्तियों पर कुल मूल्यह्रास व्यय को लाभ और हानि विवरण में मूल्यह्रास और परिशोधन व्यय के अंतर्गत शामिल किया जाता है।

वर्तमान और गैर-वर्तमान पट्टा देनदारियों का विवरण निम्नलिखित है:
(आंकड़े ₹ लाख में)

(₹ लाख में आंकड़े)

| विवरण | 31 मार्च 2025 तक | 31 मार्च 2024 तक |
|---|---|---|
| वर्तमान पट्टा देयताएँ | 369.86 | 320.48 |
| गैर-वर्तमान पट्टा देयताएं | 770.70 | 229.72 |
| **कुल** | **1,140.56** | **550.20** |

पट्टा देयता के वर्तमान भाग में पट्टा देयता पर ब्याज घटक शामिल नहीं है।

पट्टा देयताओं में निम्नलिखित परिवर्तन हुआ है:

(₹ लाख में आंकड़े)

| विवरण | 31 मार्च 2025 तक | 31 मार्च 2024 तक |
|---|---|---|
| प्रारंभिक जमा | 550.20 | 194.52 |
| परिवर्धन/समायोजन | 943.86 | 908.04 |
| कटौती | (2.25) | (262.78) |
| वर्ष के दौरान अर्जित वित्तीय लागत | 50.95 | 75.27 |
| पट्टे की देनदारियों का भुगतान | (402.19) | (364.85) |
| **जमा शेष** | **1,140.57** | **550.20** |

# वित्तीय विवरणों हेतु नोट

31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष के लिए

नीचे दी गई तालिका बिना छूट के आधार पर पट्टा देनदारियों की संविदात्मक परिपक्वता के बारे में विवरण प्रदान करती है:

(₹ लाख में आंकड़े)

| विवरण | 31 मार्च 2025 तक | 31 मार्च 2024 तक |
|---|---|---|
| एक वर्ष से कम | 477.01 | 365.24 |
| एक से पांच वर्ष | 841.37 | 624.19 |
| पांच साल से अधिक | 70.47 | 15.53 |
| **कुल** | **1,388.85** | **1,004.96** |

कंपनी को अपनी पट्टा देनदारियों के संबंध में कोई महत्वपूर्ण तरलता जोखिम का सामना नहीं करना पड़ता है, क्योंकि चालू परिसंपत्तियां पट्टा देनदारियों से संबंधित दायित्वों को पूरा करने के लिए पर्याप्त हैं, जब भी वे देय हों।

### पट्टादाता के रूप में कंपनी

कंपनी ने कोई भी गैर-रद्द करने योग्य परिचालन पट्टा नहीं किया है।

## म. प्रमुख विश्लेषणात्मक अनुपात

| अनुपात | अंश | भाजक | वर्तमान अवधि | पिछली अवधि | विचरण (% में) | विचलन का कारण |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (क) वर्तमान अनुपात | वर्तमान संपत्ति | वर्तमान देनदारियां | 1.18 | 1.15 | 2.61 | |
| (ख) ऋण इक्विटी अनुपात | कुल ऋण | शेयरधारकों की इक्विटी | 0.36 | 0.32 | 12.50 | |
| (ग) कर्ज सेवा कवरेज अनुपात | ऋण सेवा के लिए उपलब्ध आय | ऋण सेवा | 4.07 | 3.09 | 31.72 | उच्च ब्याज दर वाले मोबिलाइजेशन अग्रिम के लाभ में कमी के कारण, उस पर ब्याज लागत में काफी कमी आई। |
| (घ) इक्विटी अनुपात पर प्रतिफल | पीएटी | औसत शेयरधारक इक्विटी | 19.32% | 16.29% | 18.60 | |
| (ङ) इन्वेंट्री टर्नओवर अनुपात | बिक्री | औसत इन्वेंट्री | 37.49 | 37.58 | -0.24 | |
| (च) व्यापार प्राप्य कारोबार अनुपात | बिक्री | औसत प्राप्य खाते | 2.75 | 3.43 | -19.83 | |
| (छ) व्यापार देय कारोबार अनुपात | खरीद | औसत व्यापार देयताएं | 1.83 | 1.79 | 2.23 | |
| (ज) शुद्ध पूंजी कारोबार अनुपात | कुल बिक्री | कार्यशील पूंजी | 6.62% | 7.80% | -15.13 | |
| (झ) शुद्ध लाभ अनुपात | शुद्ध लाभ | कुल बिक्री | 2.27 | 1.87 | 21.39 | |
| (ञ) नियोजित पूंजी पर रिटर्न | ईबीआईटी | व्यवसाय के लिए आवश्यक मूलधन | 27.15% | 27.44% | -1.06 | |
| (ट) निवेश पर प्रतिफल | निवेशित निधियों से उत्पन्न आय | औसत निवेश | लागू नहीं | लागू नहीं | | |

# वित्तीय विवरणों हेतु नोट

31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष के लिए

**य. चालू परिसंपत्तियों के विरुद्ध सुरक्षित उधार:**

वर्ष के दौरान कंपनी को चालू परिसंपत्तियों की सुरक्षा के आधार पर बैंकों से कुल मिलाकर 2500 करोड़ रुपये की कार्यशील पूंजी सीमा स्वीकृत की गई है। कंपनी द्वारा इन बैंकों को प्रस्तुत तिमाही रिटर्न/विवरण कंपनी की लेखा पुस्तकों के अनुरूप हैं।

**क.क. अन्य वैधानिक जानकारी:**

i) कंपनी के पास कोई अचल संपत्ति नहीं है (उन संपत्तियों को छोड़कर जहां कंपनी पट्टेदार है और पट्टा समझौते पट्टेदार के पक्ष में विधिवत निष्पादित हैं) जिनके स्वामित्व के दस्तावेज कंपनी के नाम पर नहीं हैं और ऐसी कोई अचल संपत्ति नहीं है जो दूसरों के साथ संयुक्त रूप से धारित हो।

ii) कंपनी के पास कोई बेनामी संपत्ति नहीं है, जहां बेनामी लेनदेन (निषेध) अधिनियम, 1988 (1988 का 45) और उसके तहत बनाए गए नियमों के तहत कंपनी के खिलाफ कोई बेनामी संपत्ति रखने के लिए कोई कार्यवाही शुरू की गई है या लंबित है।

iii) कंपनी का कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 248 के अंतर्गत निरस्त की गई कंपनियों के साथ कोई लेन-देन नहीं है।

iv) कंपनी के पास ऐसा कोई प्रभार या संतुष्टि नहीं है जिसे वैधानिक अवधि के बाद कंपनी रजिस्ट्रार के पास पंजीकृत किया जाना हो।

v) कंपनी ने वित्तीय वर्ष के दौरान क्रिप्टो करेंसी या आभासी मुद्रा में व्यापार या निवेश नहीं किया है।

vi) भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी विलफुल डिफॉल्टर्स संबंधी दिशानिर्देशों के अनुसार, कंपनी को किसी भी बैंक या वित्तीय संस्थान या सरकार या किसी सरकारी प्राधिकरण या अन्य ऋणदाता द्वारा विलफुल डिफॉल्टर घोषित नहीं किया गया है।

vii) कंपनी ने अपनी किसी भी संपत्ति, संयंत्र एवं उपकरण का पुनर्मूल्यांकन नहीं किया है।

viii) कंपनी ने 31-03-2025 को समाप्त अवधि के लिए प्रमोटरों, निदेशकों, केएमपी और संबंधित पक्षों (कंपनी अधिनियम, 2013 के तहत परिभाषित) को अलग-अलग या किसी अन्य व्यक्ति के साथ संयुक्त रूप से ऋण के रूप में कोई ऋण या अग्रिम प्रदान नहीं किया है।

ix) 31-03-2025 तक कंपनी के पास कोई पूंजी-कार्य-प्रगति पर नहीं है।

x) कंपनी के पास वित्तीय विवरणों में प्रकटीकरण प्रयोजनों के लिए उचित मूल्य में मापी गई कोई निवेश संपत्ति नहीं है, जो कंपनी (पंजीकृत मूल्यांकक और मूल्यांकन) नियम, 2017 के नियम 2 के तहत परिभाषित पंजीकृत मूल्यांकक द्वारा मूल्यांकन पर आधारित है।

xi) कंपनी के पास किसी शेयर का स्वामित्व या उसमें कोई रुचि नहीं है, या किसी अन्य संगठन में स्वामित्व हित नहीं है।

xii) कंपनी ने बैंकों और वित्तीय संस्थानों से उधार का उपयोग उस विशिष्ट उद्देश्य के लिए किया है जिसके लिए इसे बैलेंस शीट की तिथि पर लिया गया था।

**क.ख.** कुछ मामलों में, व्यापार प्राप्य, अनुबंध प्राप्य, अग्रिम, जमा और व्यापार देय राशियाँ संबंधित पक्षों से पुष्टि प्राप्त होने या निर्धारित होने पर समाधान और संभावित समायोजन के अधीन होती हैं। प्रबंधन का मानना है कि वित्तीय विवरणों में दर्शाई गई राशियाँ उचित हैं और लेखा पुस्तकों में दर्ज वसूली योग्य/देय शेष राशि दर्शाती हैं।

**क.ग.** व्यापार प्राप्य और व्यापार देय राशियों का संकलन कुछ हद तक मैनुअल रूप से किया गया है, क्योंकि वर्तमान सूचना प्रौद्योगिकी प्रणालियों को धीरे-धीरे बढ़ते डेटा की मात्रा के अनुसार अनुकूलित किया जा रहा है। कभी-कभी, सटीकता सुनिश्चित करने के लिए इस प्रक्रिया में मैनुअल हस्तक्षेप की भी आवश्यकता होती है। स्वचालन की दिशा में प्रयास पहले से ही चल रहे हैं और उम्मीद है कि इससे भविष्य में दक्षता और विश्वसनीयता दोनों में वृद्धि होगी।

# वित्तीय विवरणों हेतु नोट

31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष के लिए

**क.घ.** कंपनी ने अपने खाते की पुस्तकों को बनाए रखने के लिए लेखांकन सॉफ्टवेयर का उपयोग किया है जिसमें लेखापरीक्षण ट्रेल (संपादन लॉग) सुविधा रिकॉर्ड करने की सुविधा है।

**क.ङ.** आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति (सीसीईए) ने 17-02-2016 को आयोजित अपनी बैठक में रणनीतिक विनिवेश के तंत्र को मंजूरी दी थी। सीसीईए ने 27 अक्टूबर, 2016 को आयोजित अपनी बैठक में निवेश और सार्वजनिक संपत्ति प्रबंधन विभाग (डीआईपीएएम) के 14 अक्टूबर, 2016 के सीसीईए नोट संख्या 3/14/2016-डीआईपीएएम-II-बी और 18 अक्टूबर, 2016 के अनुपूरक नोट पर विचार किया और कंपनी के संबंध में रणनीतिक विनिवेश के लिए 'सैद्धांतिक' अनुमोदन दिया। इस संबंध में, डीआईपीएएम ने कंपनी के रणनीतिक विनिवेश के लिए लेनदेन सलाहकार और कानूनी सलाहकार नियुक्त किया है। भारी उद्योग विभाग द्वारा परिसंपत्ति मूल्यांकनकर्ता की नियुक्ति की गई थी। आज तक, विनिवेश पर विभाग द्वारा कोई विशेष निर्णय नहीं लिया गया है और खातों की तैयारी के समय चालू व्यवसाय अवधारणा का पालन किया जाता है।

**क.च**. वित्तीय वर्ष 2021-22 के दौरान, क्लाइंट ने विक्रेताओं के बकाये का निपटान करने के लिए ब्रिज एण्ड रूफ कम्पनी (इंडिया) लिमिटेड द्वारा प्रस्तुत ₹ 5413.86 लाख की परफॉर्मेंस बैंक गारंटी का इस्तेमाल किया है। क्लाइंट ने वित्तीय वर्ष 2021-22 के दौरान ₹ 3,054.36 लाख की विक्रेता बकाया राशि का निपटान किया है और विक्रेता बकाया राशि ₹ 2,359.50 लाख का निपटान करने के बाद गारंटी की शेष राशि रोक दी गई है। क्लाइंट ने पुष्टि की है कि राशि कंपनी को जारी की जाएगी और तदनुसार क्लाइंट द्वारा रखी गई जमा राशि के तहत दिखाई जाएगी। क्लाइंट और कंपनी के बीच चर्चा के बाद वर्तमान विकास के परिणामस्वरूप, 8 जॉब ऑर्डर में से क्लाइंट ने ₹ 1610.14 लाख की राशि के 3 जॉब के लिए अपनी देयता को स्वीकार करने के लिए सैद्धांतिक रूप से सहमति व्यक्त की है हालाँकि, रूढ़िवादिता के सिद्धांत को ध्यान में रखते हुए कंपनी ने ₹749.36 लाख प्रदान किए हैं, जो कि बैंक गारंटी आमंत्रण आय के मूल्य और ग्राहकों द्वारा दावों की पावती को घटाकर प्राप्त राशि के बीच के अंतर का कुल योग है।

**क.छ.** डिपॉजिटरी अनुबंधों से उत्पन्न ₹26,984.97 लाख (पिछले वर्ष ₹24,894.54 लाख) की संविदा परिसंपत्तियों को उन अनुबंधों के विरुद्ध प्राप्त जमा राशि को घटाकर दर्शाया गया है। शुद्ध शेष राशि को 'अन्य चालू देनदारियों' के भाग के रूप में दर्शाया गया है। गैर-डिपॉजिटरी कार्यों से संबंधित ₹62,643.86 लाख (पिछले वर्ष ₹86,954.86 लाख) की संविदा परिसंपत्तियों को संविदा परिसंपत्ति के रूप में दर्शाया गया है (टिप्पणी संख्या 11)।

**क.ज.** विगत वर्ष के आंकड़ों को चालू वर्ष के आंकड़ों के अनुरूप पुनः समूहीकृत/पुनः वर्गीकृत किया गया है।

# दस वर्षों का सारांश

(आंकड़े लाख में)

| Sl. No. | वित्तीय विवरण | 2024-25 | 2023-24 | 2022-23 | 2021-22 | 2020-21 | 2019-20 | 2018-19 | 2017-18 | 2016-17 | 2015-16 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | कुल आय | 453,202.90 | 401428.39 | 332835.18 | 321465.09 | 270883.55 | 325489.47 | 308240.78 | 205599.64 | 175140.94 | 171017.74 |
| 2 | संचालन से टर्नओवर | 451,691.00 | 400456.57 | 331538.08 | 319517.26 | 270227.47 | 324660.94 | 307628.66 | 205341.36 | 174745.18 | 170875.61 |
| 3 | सकल मार्जिन (ईबीआईटीडीए) | 22214.21 | 19141.41 | 13028.14 | 9474.05 | 9037.03 | 12923.23 | 10092.54 | 6324.91 | 5791.62 | 3527.90 |
| 4 | कर पूर्व लाभ (PBT) | 14,045.08 | 10135.97 | 5665.45 | 3029.07 | 1265.88 | 5091.96 | 5142.37 | 2607.35 | 3008.22 | 503.16 |
| 5 | कर पश्चात लाभ (PAT) | 10,236.87 | 7491.53 | 4089.96 | 2127.54 | 780.15 | 3142.10 | 3333.18 | 1657.37 | 1825.17 | 265.37 |
| 6 | शुद्ध ब्लॉक | 3,094.92 | 3505.56 | 3934.92 | 4295.26 | 5460.13 | 6496.28 | 5988.55 | 4852.17 | 4002.92 | 4187.72 |
| 7 | कार्यशील पूंजी | 68219.04 | 51338.45 | 53273.31 | 45029.49 | 45723.39 | 36630.32 | 35736.58 | 33807.53 | 33090.66 | 31753.83 |
| 8 | प्रयुक्त पूंजी | 87,388.38 | 71388.00 | 71801.93 | 59426.97 | 56445.85 | 52209.70 | 44277.27 | 40896.78 | 39296.27 | 37665.49 |
| 9 | शुद्ध परिसंपत्ति | 56,927.67 | 49050.95 | 42906.26 | 39583.89 | 37666.71 | 37775.23 | 36218.13 | 33837.01 | 32828.20 | 31263.33 |
| 10 | तरलता अनुपात | | | | | | | | | | |
| | चालू अनुपात | 1.18 | 1.15 | 1.16 | 1.15 | 1.17 | 1.14 | 1.16 | 1.20 | 1.27 | 1.23 |
| 11 | लाभप्रदता अनुपात | | | | | | | | | | |
| | बिक्री के मुकाबले सकल मार्जिन | 4.90% | 4.77% | 3.91% | 2.95% | 3.34% | 3.97% | 3.27% | 3.08% | 3.31% | 2.06% |
| | बिक्री के मुकाबले कर पूर्व लाभ | 3.10% | 2.52% | 1.70% | 0.94% | 0.47% | 1.56% | 1.67% | 1.27% | 1.72% | 0.29% |
| | बिक्री के मुकाबले कर पश्चात लाभ | 2.26% | 1.87% | 1.23% | 0.66% | 0.29% | 0.97% | 1.08% | 0.81% | 1.04% | 0.16% |
| | इक्विटी पर रिटर्न | 19.32% | 16.29% | 9.92% | 5.51% | 2.07% | 8.32% | 9.20% | 4.90% | 5.56% | 0.85% |
| 12 | बिक्री के मुकाबले खर्च का अनुपात | | | | | | | | | | |
| | परियोजना लागत से बिक्री का अनुपात | 89.65% | 89.38% | 88.04% | 86.31% | 85.50% | 83.41% | 85.92% | 80.51% | 78.64% | 78.49% |
| | कर्मचारी लागत बनाम विक्रय अनुपात | 4.59% | 5.59% | 7.44% | 10.08% | 10.86% | 9.22% | 6.95% | 8.30% | 9.48% | 10.41% |
| 13 | मूल्य संवर्धन | | | | | | | | | | |
| | कर्मचारियों की संख्या | 880 | 963 | 1028 | 1089 | 1131 | 1162 | 1206 | 1244 | 1312 | 1366 |
| | प्रति कर्मचारी मूल्य संवर्धन | 71.87 | 59.97 | 52.11 | 59.33 | 53.52 | 64.24 | 46.40 | 36.59 | 31.91 | 30.85 |
| 14 | राजकोष में योगदान | 25562.00 | 22434.00 | 20546.00 | 12634.00 | 10374.00 | 14744.00 | 16552.49 | 12535.83 | 12277.96 | 15007.00 |
| 15 | आंतरिक संसाधन सृजन | 11289.35 | 8678.61 | 5319.57 | 3851.62 | 2787.63 | 5414.59 | 4701.33 | 2512.75 | 2597.00 | 1130.22 |

बी एण्ड आर
B AND R
Building Nation Since 1920

# संकल्प से सिद्धि तक

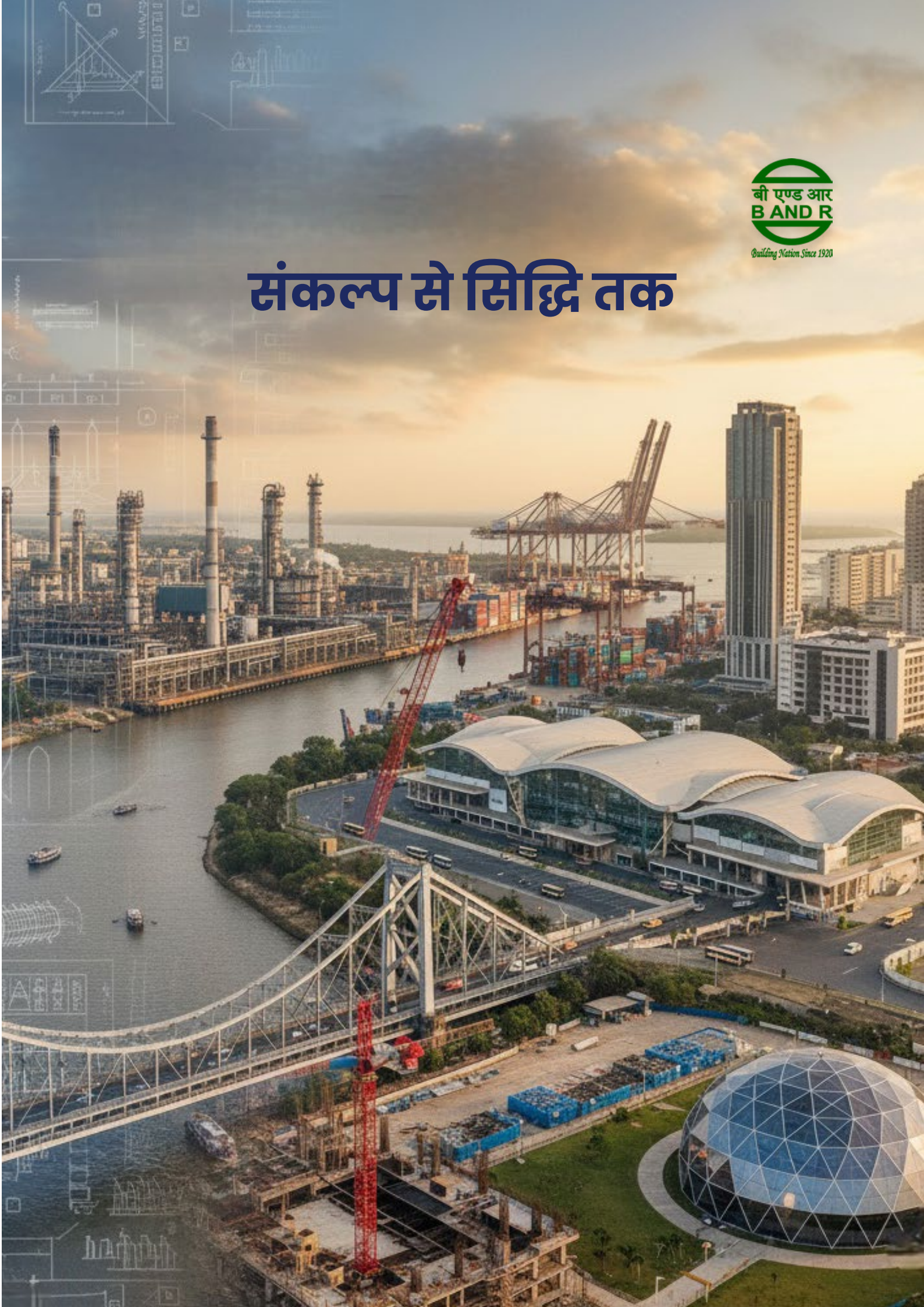

# वार्षिक रिपोर्ट
# ANNUAL REPORT
# 2024 - 2025


**ब्रिज एण्ड रूफ कम्पनी (इंडिया) लिमिटेड**
(भारत सरकार का एक उद्यम)
पांचवी मंजिल, कंकड़िया सेंटर
2/1, रसल स्ट्रीट, कोलकाता - 700 071

**BRIDGE AND ROOF COMPANY (INDIA) LIMITED**
(A Government of India Enterprise)
5th Floor, Kankaria Centre,
2/1, Russel Street, Kolkata - 700071

+91(33)2217-2108 | Email: bridge@bridgeroof.co.in | bridgeroof.co.in
bandr1920 | @bridgenroof | /bridgenroof | /bridge-and-roof | @bridgeroofco.iltd.289



सीआइएन नं0 / CIN No. U27310WB1920GOI003601


One source Multi-disciplinary Engineering Construction Project Management Consultant